

अनुसंधान विशिष्टताएँ

2020-21



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप उन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुँचाये, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें बल प्रदान करें, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता और परिचालन को सुधारे, अपने सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दे तथा पर्यावरणात्मक चेतना जगाए ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के "विचार भंडार" के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास पर ज्ञान संचयन का कार्य करते हुए मंत्रालय को नीति प्रतिपादन और ग्रामीण विकास के बदलते स्वरूप में विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करना है ।

मिशन

अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी और प्रलेखन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन और अन्य पिछड़े समूहों पर प्रकाश डालते हुए सतत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार में सहयोग देने वाले कारकों का विश्लेषण और परीक्षण करना ।

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, हुनर और दृष्टिकोण में सुधार द्वारा ग्रामीण गरीब पर विशेष जोर और फोकस करते हुए ग्रामीण विकास प्रयासों को सरलीकृत करना ।

अनुसंधान विशिष्टताएँ 2020-21



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030
nirdpr.org

अनुसंधान विशिष्टताएं 2020-21

लेखक: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संकाय सदस्य,
एसआईआरडीपीआर और

अन्य

© राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, 2022

आईएसबीएन: 978-93-91412-10-4

पहला संस्करण (दिसंबर 2022)

कवर पेज डिज़ाइन: वी. जी भट्ट, आर्टिस्ट, एनआईआरडीपीआर

कवर पेज फोटो: कोरापुट जिले के एक ग्रामीण बाजार में उत्पाद बेचती आदिवासी समुदाय की महिलाएं

ओडिशा; फोटो क्रेडिट: डॉ. सुरजीत विक्रमन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएएस,
एनआईआरडीपीआर

द्वारा प्रकाशित:

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत
nirdpr.org.in


प्राक्कथन



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान देश में ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं, ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के बारे में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने और विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने जैसे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ करता है। ये अध्ययन ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, नीति निर्माण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अनुसंधान के निष्कर्ष जमीनी हकीकत की बेहतर समझ प्रदान करते हैं और मौजूदा स्थिति की स्पष्ट तस्वीर भी उजागर करते हैं।

अध्ययन के निष्कर्षों के व्यापक प्रसार की सुविधा के लिए, एनआईआरडीपीआर अनुसंधान विशिष्टताएं का वार्षिक प्रकाशन करता है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ वर्ष 2020-2021 के लिए अनुसंधान विशिष्टताएं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये अध्ययन मुख्य रूप से ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास, स्थानीय शासन, कृषि मुद्दे, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, विकेंद्रीकृत योजना और शासन, प्रमुख कार्यक्रम, सामाजिक लेखा परीक्षा, आईसीटी और ई-शासन, भू-सूचना विज्ञान, डिजिटल वित्तीय समावेशन, मूल्यांकन/प्रभाव आकलन, नीति विश्लेषण से संबंधित हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के लिए जमीनी वास्तविकताओं को समझने में उपयोगी होंगे।

हैदराबाद
सितंबर, 2022


डॉ.जी.नरेंद्र कुमार, आईएएस
महानिदेशक
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

विषयसूची

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	टीम के सदस्य	पृ. सं.
1.	कृषि पर सततयोग्य और अनुकरणीय मॉडल विकसित करना : बेहतर पोषण संबंधी निष्कर्षों के लिए पोषण संयोजन	डॉ. सुरजीत विक्रमण डॉ. आर. मुरुगेसन	1
2.	तेलंगाना में आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और कृषि में निवेश पर इसका प्रभाव	डॉ. सीएच राधिका रानी श्री बाबू राव	4
3.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की भूमिका - पुरस्कार विजेता राज्यों का एक मामला अध्ययन	डॉ.आर अरुणा जयमणि	6
4.	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण प्रशासन के मुद्दों और चुनौतियों का मूल्यांकन	डॉ. के प्रभाकर, डॉ.ज्योतिस सत्यपालन, श्री राजेश्वर, सुश्री सुरक्षा राय	14
5.	वित्तपोषण के विशेष संदर्भ में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए अपनाया गया सुविधा तंत्र - चार राज्यों में एसबीएम (जी) पर संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन	डॉ. आर रमेश श्री शांतनु बौमिक	23
6.	नोटबंदी और भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	डॉ.कृष्णा रेड्डी काकुमनु, डॉ मारम श्रीकांत, डॉ.रवींद्र एस. गवली, विनीत जे. कल्लूर, श्रीकांत वी मुकाते	29
7.	भारत में विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन	डॉ वानिश्री जोसेफ डॉ भास्कर राव	33
8.	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	डॉ. श्रीनिवास सज्जा डॉ. सी. धीरजा	35
9.	उन्नत भारत अभियान योजना का मूल्यांकन - उद्देश्यों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए एक त्वरित गहन अध्ययन	डॉ जी वैकट राजू डॉ वानिश्री जोसेफ	39
10.	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सतर्कता प्रणाली की भूमिका- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मामला	डॉ. सी. धीरजा	42

11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का सामाजिक लेखापरीक्षा : आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	डॉ. श्रीनिवास सज्जा डॉ. राजेश कुमार सिन्हा डॉ. सी. धीर जा	45
12.	जीपीडीपी के कार्यान्वयन में सरपंच के प्रदर्शन का एक मामला अध्ययन	डॉ अंजन कुमार भंज	49
13.	ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन का कार्यान्वयन - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का एक मामला अध्ययन	श्री के राजेश्वर श्री मनु महाजन	56
14.	फसल उत्पादन में वर्तमान श्रम उपयोग और संभावित अधिशेष श्रम	एनआईआरडीपीआर और फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज	60
15.	कंप्रेसड मड रूफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और पेवर ब्लॉक्स का डिजाइन और विकास - एक प्रायोगिक कार्य अनुसंधान परियोजना	डॉ. एस. रमेश शक्तिवेल	63
16.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए रोटेशन चक्र द्वारा झूम कृषि पर जियोडेटाबेस का निर्माण, मानचित्रण और वेब प्रकाशन: पूर्वोत्तर भारत के सात जिलों का एक अध्ययन	डॉ. ए सिन्हाचलम डॉ. एन.एस.आर प्रसाद	68
17.	समेकन का मूल्यांकन और अंतिम अवधि चरण, बैच-III, पीएमकेएसवाई परियोजनाएं, नागालैंड	डॉ ए. सिन्हाचलम	77
18.	स्त्रीनिधि-भारतीय सूक्ष्म वित्तपोषण क्षेत्र में एक डिजिटल नवाचार	डॉ. एम. श्रीकांत डॉ भवानी अक्कापेद्दी श्री विनीत जे.कल्लूर श्री मुहम्मद सुहैल	83
19.	सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (एसएलएसीसी)	डॉ. रवींद्र एस.गवली डॉ. के. कृष्णा रेड्डी डॉ वी सुरेश बाबू	90
20.	कम आय वाले देशों में कुपोषण, खाद्य सुरक्षा और गरीबी के अंतर-पीढ़ी चक्र को तोड़ना: किशोर लड़कियों के लिए मामला	डॉ. सी. राधिका रानी डॉ नित्या वी जी	94
21.	आंध्र प्रदेश में निर्मिति केंद्रों (बिल्डिंग सेंटर) का अध्ययन	डॉ रमेश शक्तिवेल एस., डॉ पी पी साहू, एमडी खान, श्री बी.एन.आदमी सुश्री विष्णुप्रिया	100
22.	कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन (एआरआरएस) योजना का मूल्यांकन	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. पी. अनुराधा सुश्री अनघामारिया जोस	103

23.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस का एक दशक: मूल्यांकन और भावी कार्य (2020)	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ.एस.वी. रंगाचार्युलु डॉ. दिगंबर चिमनकर डॉ अनुराधा पी. डॉ नीरज मिश्रा डॉ. के. जयश्री	110
24.	रूरबन मिशन: निर्माण कार्य में स्मार्ट गांवों का एक अध्ययन	डॉ. आर रमेश डॉ. पी शिवराम	117
25.	त्रिपुरा राज्य में पर्यावरण बहाली और स्मार्ट जलवायु दृष्टिकोण पर जागरूकता और क्षमता निर्माण	डॉ एम के श्रीवास्तव	123
26.	बिहार में महिला प्रधान ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन: अधिकार, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर एक विश्लेषण	डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती स्मिता सिन्हा, बीआईपीएआरडी	129
27.	पूर्वोत्तर भारत में किसानों की आय, पोषण और सतत आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पारंपरिक और नई उच्च मूल्य वाली फसलों की भूमिका पर अध्ययन	डॉ. आर. एम. पंत, डॉ. एस. एस. घनक्रोक्ता डॉ. एम के श्रीवास्तव	135
28.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी का समवर्ती मूल्यांकन: आंध्र प्रदेश में एक मूल्यांकन	डॉ. जी वी कृष्णा लोही दास डॉ. यू हेमंता कुमार डॉ. सी.धीरजा डॉ. पी. केशव राव	142
29.	विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति: चयनित राज्यों का एक मूल्यांकन	डॉ. जी वी कृष्णा लोही दास डॉ. सी.धीरजा डॉ. पी. केशव राव डॉ. यू हेमंत कुमार	153
30.	गोवा में इंदिरा आवास योजना-आईएवाई के निष्पादन पर एक अध्ययन (2013 से 2016)	सुश्री आर्लेट मैस्करेनहास, कोर-फैकल्टी जिपार्ड, गोवा	159
31.	"गोवा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना / दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन"	डॉ. सरिता पाटिल कोर फैकल्टी जिपार्ड, गोवा	168
32.	अपर्याप्त स्वच्छता का स्वास्थ्य जोखिम: त्रिपुरा से अध्ययन	डॉ.सुदाक्षिन मित्रा, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन एसआईआरडी, त्रिपुरा	182
33.	पंचायती राज प्रणाली: केरल में महिला प्रधान पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. ओमन जॉन श्रीमती शेरिन चाको डॉ.अमृतराज आर.एम.	193

34.	अत्तापडी में अनुसूचित जनजातियों में बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन	डॉ. जिबिनी वी. कुरियन डॉ. ओमन जॉन	200
35.	कोलासिब जिला, मिजोरम, भारत में झूम कृषि और नल खेती (नदी तट पर मौसमी खेती) की वार्षिक भूमि उत्पादकता के बीच तुलनात्मक अध्ययन	जेड.आर. थफाला, प्रिंसिपल, ईटीसी, एसआईआरडीपीआर, कोलासिब, मिजोरम डॉ.लल्हुरुइतलुआंगी सैलो, कोर संकाय (पशु चिकित्सा), एसआईआरडीपीआर लल्थनमावियाराल्ते, प्रिंसिपल, ईटीसी, एसआईआरडीपीआर, थिंगसुल्थिलिया, मिजोरम	212
36.	कोलासिब जिले के विशेष संदर्भ में मिजोरम में ऑयल पाम आयल उत्पादन की समस्याएं और संभावनाएं	श्री क्वालसियामथांगाख्वालरिंग, वरिष्ठ मुख्य संकाय डॉ. मार्गरेट लालबियात्वांगी, वरिष्ठ मुख्य संकाय, (आरडी) एसआईआरडीपीआर, मिजोरम	215
37.	सामुदायिक स्वस्थता और स्वच्छता में पुकपुई गांव को अपनाने के लिए कार्रवाई अनुसंधान।	डॉ. एम.एस. डोंगलियानी, प्राचार्य, आर. लालमिंगमाविया, संकाय एफ वनलालजामा, संकाय जॉन लालमुआंकिमा, संकाय ईटीसी, पुकपुई, लुंगलेई जिला, मिजोरम	221

1. कृषि पर सततयोग्य और अनुकरणीय मॉडल विकसित करना : बेहतर पोषण संबंधी निष्कर्षों के लिए पोषण संयोजन

डॉ. सुरजीत विक्रमण

डॉ. आर. मुरुगेसन

प्रस्तावना

भारत को अपनी आबादी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों में पोषण की स्थिति के संबंध में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुबले बच्चे और विकास दर में गिरावट जैसे कुछ पोषण संबंधी संकेतकों में, भारत की स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में खराब है। देश की लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रणालियों और उस पर निर्भर आबादी की पोषण स्थिति के बीच एक मजबूत कड़ी (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) मौजूद है। अतः फार्मिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन (एफएसएन) लिंकेज, इसकी बाधाओं और बेहतर पोषण परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता के मुद्दों की पहचान करना पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

कई विद्वानों के अध्ययनों ने उन दिशाओं की पहचान की है जिनके द्वारा पोषण संयोजन के लिए कृषि प्रणाली पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान कर सकती है। बेहतर पोषण संबंधी परिणामों के लिए पोषण संयोजन के लिए कृषि प्रणाली ढांचे को विकसित किया है। हालांकि, उनका विश्लेषण एक नीतिगत ढांचे को विकसित करने और एक ऐसे विकास मार्ग की पहचान करने में कम पड़ जाता है जो बड़े पैमाने पर सामाजिक और पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ चिन्हित कृषि प्रणाली पोषण कड़ियों को एकीकृत करता है। आपूर्ति और मांग पक्ष के कारकों के बीच इस तरह के संयोजन से ही पोषण की स्थिति में सुधार हो सकता है। इन बहुक्षेत्रीय (कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण) गतिविधियों को सही दिशा में जनसंख्या की पोषण स्थिति में सुधार लाने के प्रयासों को दिशा देने के लिए उपयुक्त संस्थानों की आवश्यकता है। यह अध्ययन एक ऐसा मॉडल विकसित करने का एक प्रयास करता है जो एक समावेशी और सततयोग्य पोषण मूल्य संयोजन दृष्टिकोण को अपनाकर पोषण संबंधी परिणामों की मांग और आपूर्ति पक्ष के निर्धारकों को एकीकृत करता है। यह मॉडल एफएसएन लिंकेज की क्षमता का उपयोग करेगा और बेहतर पोषण परिणामों के लिए आपूर्ति और मांग पक्ष के कारकों के बीच तालमेल स्थापित करेगा।

इस अध्ययन का विशेष फोकस ग्रामीण आबादी की पोषण स्थिति में सुधार के लिए कृषि प्रणाली पोषण ढांचे के आधार पर हस्तक्षेप में आने वाले मुद्दों, बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करना है। मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने के बाद, अध्ययन एक रूपरेखा और मॉडल विकसित करने का प्रयास करता है जो पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के साथ एफएसएन दृष्टिकोण को एकीकृत करता है।

उद्देश्य:

- क) ग्रामीण आबादी की पोषण स्थिति में सुधार के लिए कृषि प्रणाली पोषण ढांचे के आधार पर हस्तक्षेपों में आने वाले मुद्दों, बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करना।
- ख) पोषण मूल्य श्रृंखलाओं के साथ साथ हितधारकों से परामर्श के माध्यम से पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के साथ एफएसएन दृष्टिकोण को एकीकृत करने वाला ढांचा और मॉडल विकसित करना।

ग) पोषण मूल्य श्रृंखला के साथ साथ हितधारकों के साथ परामर्श से प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित ढांचे और मॉडल में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में विशिष्ट पोषण संबंधी चुनौतियों के लिए इसकी अनुकूलन क्षमता का सुझाव देना।

क्रियाविधि:

अध्ययन को तीन चरणों में करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अध्ययन का पहला कार्य जानकारी के मौजूदा निकाय की समीक्षा करना, मौजूदा ढांचे का महत्वपूर्ण विश्लेषण करना, बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करना था। मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने और बाधाओं तथा चुनौतियों की पहचान करने के बाद, एक मॉडल विकास मार्ग प्रस्तावित किया गया है जो एफएसएन को पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करता है। मॉडल ने एक समावेशी और सततयोग्य पोषण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण को अपनाकर पोषण संबंधी परिणामों के मांग और आपूर्ति पक्ष के निर्धारकों को एकीकृत करने का प्रयास किया। दूसरा चरण देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित पांच राज्यों में पोषण संबंधी मूल्य श्रृंखला का मानचित्रण और अध्ययन करना है। हमने प्रत्येक राज्य में पोषण मूल्य श्रृंखलाओं और इसकी विशिष्टताओं को समझने के लिए मूल्य श्रृंखला विश्लेषण पद्धति को अपनाया। मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के साथ-साथ, राज्य में कृषि उत्पादन प्रणालियों के साथ मूल्य श्रृंखला के संबंधों की पहचान करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसे पोषण मूल्य श्रृंखला में मानचित्रण किया गया था, और हमने मौजूदा पोषण मूल्य श्रृंखलाओं के साथ कृषि प्रणालियों को एकीकृत करने के संभावित संबंधों और संभावनाओं की पहचान करने की कोशिश की। पोषण मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के आधार पर, मूल्य श्रृंखला में चल रहे पोषण घटकों के साथ कृषि प्रणाली के घटकों को एकीकृत करने वाला एक मॉडल प्रस्तावित है। इसके बाद इस मॉडल को अध्ययन राज्यों में मूल्य श्रृंखला के साथ विभिन्न हितधारकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनके मूल्यांकन तथा सुझावों के आधार पर संशोधित किया जाता है। बेहतर पोषण संबंधी परिणामों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में प्रवृत्त प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इस मॉडल को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र:

छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और केरल राज्य।

निष्कर्ष:

जनसंख्या के बीच कुपोषण, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच, देश के सामने विकास की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। पिछले चार दशकों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए और कार्यान्वित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों ने कुछ सीमा तक जनसंख्या के पोषण स्तर के सुधार में योगदान दिया है। हालाँकि, देश के भीतर क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रगति धीमी और भिन्न रही है। पोषण सम्बन्धों के मार्ग और पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए भारतीय संदर्भ में कई अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन इस तथ्य के साथ सामने आए हैं कि भारत जैसे देश में, जहां जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग आजीविका, प्रकृति और कृषि की विशेषताओं के लिए कृषि पर निर्भर है - पोषण संबंधी परिणामों को परिभाषित करने और निर्धारित करने में पोषण संबंध प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

इस संदर्भ में, यह अध्ययन देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान पोषण मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण, समझ और विश्लेषण के उद्देश्य से किया गया था। विश्लेषण के आधार पर, विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कृषि-पोषण संबंधों को बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तावित किया गया था। अध्ययन से पता चला कि,

- क) व्यापक स्तर पर जनसंख्या के पोषण स्तर में सुधार को सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं नीतियों के एजेंडे में प्रमुख स्थान मिला है, जिसे राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
- ख) अध्ययन में शामिल सभी पांच राज्यों में, छत्तीसगढ़ के मामले को छोड़कर, कृषि विकास कार्यक्रमों और पोषण-केंद्रित कार्यक्रमों के बीच कतिपय सीमा तक कोई संबंध नहीं है। यह इस तथ्य से पता चलता है कि पोषण कार्यक्रमों की संस्थागत संरचना के संयोजन जिसमें कृषि मंत्रालय की गतिविधियाँ किसी भी तरह से पोषण सुधार कार्यक्रमों से जुड़ी नहीं हैं।
- ग) हालांकि आम तौर पर कृषि क्षेत्र के साथ अभिसरण की कमी और जुड़ाव का अभाव है, राज्यों की ओर से उत्साहजनक विविध कार्य हैं जो पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के अभिसरण की क्षमता दर्शाती हैं।

मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के आधार पर इन सभी राज्यों में कृषि-पोषण संबंधों पर अनुभवों के आधार पर एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्तावित मॉडल कृषि-पोषण संबंधों का लाभ उठाता है और अंततः बेहतर पोषण संबंधी परिणामों को हासिल करने में मदद करेगा। प्रस्तावित मॉडल पर पोषण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई थी और यह परामर्शी प्रक्रियाओं और समीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद उभरा है। प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख विशेषताएं हैं,

- क) राज्य स्तर पर और जमीनी स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के अभिसरण को प्रमुखता, जो पीआरआई द्वारा काफी हद तक सुगम है, जो शासन के विकेंद्रीकृत संस्थान हैं।
- ख) उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन को पोषण सुधार कार्यक्रमों की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है
- ग) समुदाय में महिलाओं के ज्ञान के स्तर (विशेष रूप से पोषण संबंधी साक्षरता) में सुधार करके और उद्यमशीलता क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना

प्रस्तावित मॉडल ने जमीनी स्तर पर कृषि-पोषण संबंध, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं के विकास के घटकों को शामिल करके सततता और अनुकरण के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की है। भारत में विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में कार्यान्वित करते समय विशिष्ट स्थितियों के अनुकूल होने के लिए इसे और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

2. तेलंगाना में आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और कृषि में निवेश पर इसका प्रभाव

डॉ. सीएच राधिका रानी
श्री बाबू राव

संदर्भ

किसान निवेश सहायता योजना (रैतु बंधु योजना-आरबीएस) खरीफ 2018 के दौरान तेलंगाना राज्य का एक कृषि-संबंधी प्रयोग था, जिसे लंबे समय से इस क्षेत्र के कृषि-संबंधी आपदा के लिए मौलिक दिशानिर्देश के रूप में किया गया था। राज्य सरकार ने शुरुआत में किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ के साथ सहायता देना शुरू किया, जिसे 2019 से एक वर्ष में दो सत्रों के लिए बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया। कार्यक्रम की योजना, लाभार्थियों के लिए इसकी पर्याप्तता, राशि के उपयोग के उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया और किसानों की संतुष्टि की जांच के लिए तेलंगाना के दो गांवों में रबी 2019 के दौरान यह अध्ययन किया गया था।

क्रियाविधि

दो गांवों में जनगणना और नमूना परिवारों के सर्वेक्षण दोनों से डेटा एकत्र किया गया था। चयनित गांवों में परिवारों की कुल संख्या 924 थी और 114 नमूना परिवारों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में वर्गवार चुना गया था। डेटा चार मौसमों से संबंधित है, अर्थात् खरीफ 2018-19 से रबी 2019-20 तक।

मुख्य निष्कर्ष

यह योजना फसल और भूमि के आकार की तटस्थ है। इसके लिए भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषक की परिभाषा की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से पट्टेदार को इस आधार पर योजना में शामिल नहीं किया है कि पट्टेदारी की सीमा बहुत कम है। अध्ययन में पाया गया कि चयनित गांवों में, पट्टेदारी की सीमा 2018-19 में जोत क्षेत्र 15.97 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 16.66 प्रतिशत हो गई है। 2019-20 के दौरान पट्टे पर दी गई कुल भूमि का क्षेत्रफल की सीमा तक भूमिहीन पट्टेदारी 14.8 प्रतिशत थी। सीमांत परिवारों की भूमि पट्टे पर देने की गतिविधि अन्य श्रेणियों की तुलना में कुल पट्टे वाले क्षेत्र का 39.98 प्रतिशत अधिक थी। सभी उत्तरदाताओं (100 प्रतिशत) के बीच यह देखा गया कि न तो पट्टे की शर्तों में कोई बदलाव हुआ था और न ही आरबीएस के तहत हस्तांतरित राशि को मालिकों द्वारा उनके पट्टेदारों में साझा किया गया था। कृषि में पट्टेदारी की भूमिका और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन परिवारों की बढ़ती जरूरतों को स्पष्ट रूप से पहचानने की आवश्यकता है ताकि भूमि पट्टे पर देने के कार्यों के साथ उनके उत्पादन आधार को बढ़ाया जा सके।

गैर-कृषक वर्ग के भूस्वामियों को राशि के अंतरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक अनुमान लगाया गया था। इसका अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त प्रॉक्सी गांव से बैंक शाखा की दूरी थी, जिसमें लाभार्थी को आरबीएस राशि जमा की गई थी। गैर-स्थानीय शाखाओं में स्थानांतरित कुल राशि चयनित गांवों में कुल राशि का लगभग 13 प्रतिशत है, जो आरबीएस के तहत गैर-कृषकों को शामिल करने का संकेतक है। उपरोक्त वर्णित समावेशन और

बहिष्करण दोनों त्रुटियों को समाप्त करने के लिए 'केवल किसानों' के रूप में राशि के हस्तांतरण के लिए शर्तों को रखकर कार्यक्रम की पुनर्रचना करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

लाभार्थियों को योजना का कवरेज, जो योजना शुरू करने की अवधि यानी खरीफ 2018 के दौरान 86 प्रतिशत था उसे रबी, 2019 तक घटाकर 61 प्रतिशत कर दिया गया। उनमें से केवल 67 प्रतिशत ने बताया कि उनमें से कुछ लोगों को लाभ न मिलने के कारण वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संतुष्ट थे। हालांकि, सभी नमूना उत्तरदाताओं की राय है कि राज्य सरकार को आरबीएस के कार्यान्वयन को जारी रखना चाहिए।

लाभार्थी को रकम की पर्याप्तता का अनुमान इस आधार पर लगाया गया था कि आरबीएस रकम फसलों के उत्पादन की लागत को किस हद तक पूरा करती है। अनुभवजन्य निष्कर्षों से पता चलता है कि पर्याप्तता एक फसल से दूसरी फसल में भिन्न होती है, जो 3.9 प्रतिशत से 39.9 प्रतिशत तक होती है। फसल, लाभार्थी के एकड़वार क्षेत्रफल और मौसम पर ध्यान दिए बिना प्रति एकड़ लाभ अब तक समान था। विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए, भूमि के आकार के व्युत्क्रमानुपाती अंतर लाभों को विस्तारित करने से भिन्न प्रभाव हो सकता है।

लाभार्थियों द्वारा गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए राशि का महत्वपूर्ण (20 प्रतिशत) उपयोग उस उद्देश्य को विफल करता है अर्थात् कृषि में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से जिस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। रबी के पिछले तीन मौसमों के दौरान जारी की गई राशि प्रमुख कृषि कार्यों के साथ मेल नहीं खाती। कृषि कार्यों के साथ समय पर राशि जारी करने से केवल कृषि कार्यों के लिए राशि का उपयोग हो सकता है।

उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने राज्य से अपनी पहली अपेक्षा के रूप में मूल्य समर्थन को स्थान दिया, और उन्होंने आरबीएस को आठ अपेक्षाओं में से चौथी श्रेणी में रखा।

तेलंगाना के किसान आरबीएस के कार्यान्वयन से संतुष्ट हैं। हालांकि, चयनित गांवों के निष्कर्षों से पता चला कि एक महत्वपूर्ण राशि, यानी, 20 प्रतिशत, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही है, 13 प्रतिशत गैर-कृषक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए और 16 प्रतिशत भूमि जिसके लिए राशि आरबीएस के तहत स्थानांतरित किया गया था चयनित गांवों में पट्टेदार किसानों द्वारा पट्टे पर दिया गया था। उपरोक्त तथ्य समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के बिना कार्यक्रम की पुनर्रचना का संकेत देते हैं।

3. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की भूमिका - पुरस्कार विजेता राज्यों का एक मामला अध्ययन

डॉ. आर अरुणा जयमणि

प्रस्तावना

चूंकि निगरानी और मूल्यांकन (एम एवं ई) प्रणालियों को सौंपी गई प्राथमिकताएं और उद्देश्य अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और अधिक प्रभावी और कुशल नीति निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए विभिन्न संस्थानों, विशेष रूप से भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा नई अवधारणाओं और दृष्टिकोणों को पेश किया गया है। सामान्य तौर पर, एम एवं ई को किसी नीति के प्रभाव या समग्र लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यों के विरुद्ध कार्यक्रम की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। यह किसी गतिविधि के परिणाम की प्रासंगिकता, किसी कार्यक्रम के प्रभाव या किसी नीति की प्रभावशीलता के साथ-साथ उसकी दक्षता और स्थिरता का भी आकलन करता है। इस दिशा में, पारदर्शी और गैर-भ्रष्टाचारी प्रशासन बनाने के लिए, भारत ने राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, अंततः डिजिटल सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए खुली प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाया।

आज, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म सूचना के दो-तरफा प्रवाह के माध्यम से पंचायतों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुगम बनाता है और उसमें सुधार करता है। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जानकारी दर्ज की जाती है और कई कार्यक्रमों के लिए बनाई गई वेबसाइटों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा की जाती है। ये डिजिटल पहलें पारदर्शिता को बढ़ाती हैं, कार्यान्वयनकर्ताओं को उनकी जरूरतों के अनुसार निर्णय बदलने से रोकती हैं। डिजिटल इंडिया आंदोलन की सफलताओं की श्रृंखला में, 2016 में, सरकार ने देश भर में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-उपकरण प्रणाली विकसित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम का लाभ पूरी तरह से ग्रामीण गरीबों तक पहुंचे, सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-उपकरण प्रणाली विकसित की है। इनमें केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, प्रदर्शन समीक्षा समिति की बैठकें, राज्य सतर्कता और निगरानी समितियां, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 'दिशा' नाम से शामिल हैं।

दिशा 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मंत्र के साथ भागीदारी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और समावेशी और सार्वभौमिकता पर आधारित एसडीजी- 'कोई पीछे न छोड़े' सहित 2030 तक वैश्विक एजेंडा प्राप्त करना है। दिशा का मुख्य उद्देश्य व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करना - सार्वजनिक निधियों का अनुकूलन, कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करना, शासन की विभिन्न परतों के बीच तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना और अधिक समयबद्ध प्रभाव के लिए अंतर-राज्य असमानताओं की समीक्षा करना है।

वर्तमान अध्ययन दिशा निगरानी प्रणाली के कामकाज की स्थिति और प्रक्रिया और यह कैसे कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्षित लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है को समझने के लिए किया गया था।

उद्देश्य:

- अध्ययन क्षेत्र में दिशा समितियों की कार्यप्रणाली की स्थिति का सत्यापन करना
- चयनित राज्यों में दिशा समितियों की निर्धारित और वास्तविक भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का अध्ययन करना
- आरडी योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन और मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों में दिशा द्वारा की गई पहलों को समझना

क्रियाविधि

अध्ययन पद्धति में डेस्क-समीक्षा, प्रदर्शन समीक्षा, अवलोकन, अभिलेखों का सत्यापन और निर्वाचित सदस्यों और लाइन विभाग के प्रतिनिधियों के नोडल अधिकारी सहित समिति के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बातचीत शामिल है। इसलिए, अध्ययन में दिशा समिति के 50 प्रतिशत सदस्यों को व्यक्तिगत बातचीत के लिए शामिल किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरडी योजनाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों और पहलों को मान्यता देते हुए कुछ राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मिजोरम और उत्तराखंड को पुरस्कृत किया। इसलिए यह अध्ययन पांच राज्यों में किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष

दिशा बैठकों की विशिष्टता

दिशा निगरानी और समीक्षा या निगरानी की अन्य प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर नीचे से ऊपर तक विभिन्न संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जैसे ग्राम पंचायत सरपंच, ब्लॉक पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, विधायक और सांसद। प्रतिनिधि मंत्री भी निगरानी दल का एक हिस्सा है, जो कार्यान्वयन विभागों को अधिक जिम्मेदारी और तैयारियों से जोड़ता है। समग्र विकास के लिए अभिसरण योजना बनाने के पर्याप्त अवसर पैदा करते हुए समिति के सदस्यों को जिला विकास प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाने के लिए उच्च-स्तरीय टीम द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

बैठक के लिए एजेंडा की स्थापना भी अनूठी है, यानी, यह यथार्थवादी है, एक मापने योग्य संकेतक आधार है और साथ ही अनुवर्ती कार्रवाई है। एजेंडा चार श्रेणियों का होता है, अर्थात् प्रतिक्रियात्मक एजेंडा, शिकायत-आधारित एजेंडा, सक्रिय एजेंडा और पूर्वानुमानित एजेंडा। प्रतिक्रियाशील एजेंडे में समिति के सदस्यों द्वारा पिछली बैठक में उठाए गए प्रश्नों या आपत्तियों के उत्तर और स्पष्टीकरण की तलाश शामिल है। यह पिछली बैठकों में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित करता है। शिकायत-आधारित एजेंडा बैठकों में उठाए गए मुद्दों, अनुमानित/तदर्थ मदों और निर्धारित समय के भीतर निधि के उपयोग की स्थिति को देखता है। यह किसी भी सदस्य, मीडिया, या लाभार्थियों द्वारा उठाई गई शिकायतों के जवाब मांगता है; संबंधित विभाग को शिकायतों के लिए जवाब और औचित्य प्रदान करना होगा। सक्रिय एजेंडा एक अलर्ट-आधारित एजेंडा है जो कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयारियां निर्धारित करने में मदद करता है। पूर्वानुमानित एजेंडा डेटा-संचालित विकास योजनाओं को तैयार करने, विश्लेषण और जिला/ब्लॉक/जीपी के लिए विकास स्कोर

कार्ड तैयार करने पर केंद्रित है। यह विकास के हितधारकों को अपने जिले में विकास के स्तर को समझने और विकास के अग्रदूत बनने के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा करने में सक्षम बनाएगा।

दिशा का परिणाम

कोई डेटा अंतराल नहीं - दिशा डेटा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय की जांच के लिए वास्तविक समय डेटा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। यह विभिन्न आयामी विश्लेषणों और विचारों की संभावनाओं के साथ विभिन्न डेटा प्रदान करता है, जिससे कार्यान्वयनकर्ताओं और मॉनिटरों को उचित निर्णय लेने के लिए डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाता है।

कोई परिचालन विलंब नहीं - समय-समय पर समीक्षा और सुझाव आयोजित करने के कारण गहन निगरानी और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई संभव है। कार्यान्वयनकर्ता परियोजना कार्यान्वयन के लिए सतर्क हैं। प्रत्येक विभाग को अन्य हितधारकों के असहयोग के कारण अपनी समस्याओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं और समीक्षा बैठकों में उनका निवारण किया जा सकता है।

नीति सुधार तंत्र - इस समीक्षा समिति का एक प्रमुख लाभ क्षेत्र की वास्तविकताओं के आधार पर अध्यक्ष, विधायकों और सांसदों की भागीदारी है और गरीबी में कमी तथा स्थायी विकास के लिए लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों में उचित बदलाव या संशोधन करने के लिए सदस्यों को राज्यों की विधानसभा और संसद में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डेटा का एक प्रामाणिक स्रोत है। संसद/राज्य विधानसभाओं में नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए यह तंत्र एक महत्वपूर्ण और डेटा-संचालित इनपुट हो सकता है।

समिति की संरचना

सभी पांच अध्ययन राज्यों में, अधिकांश सदस्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा किया गया था। निर्वाचित प्रतिनिधियों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे वरिष्ठ सांसद समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और संसद के अगले वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) या राज्यसभा समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हमेशा की तरह, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या उनके नामिती, जैसे सीईओ/एडीएम, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चार सदस्यों को नामित किया है जो अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं और जिले से हैं। उन सदस्यों की पृष्ठभूमि में सामाजिक विकास और शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नागरिक समाज संगठन, वरिष्ठ नागरिक और विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

दिशा समिति का उद्देश्य

दिशा डिजिटल निगरानी में विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह कार्यान्वयन एजेंसी को प्रगति की रिपोर्ट करने और विश्वसनीय डेटा फीड करके की गई कार्रवाई को अद्यतन करने में सक्षम बनाकर, विकास योजनाओं, विशेष रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समेकित निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समीक्षा और निगरानी समिति को जिले के समग्र विकास की दिशा में लक्षित बेहतर प्रदर्शन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत घटनाओं और गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करती है। दिशा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में उक्त 41 योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी करती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करती है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए दिशा समिति द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ

दिशा के प्रभावी कामकाज के लिए, जिला प्रशासन अपने सभी सदस्यों को अग्रिम रूप से सूचनाएं भेजने जैसी पर्याप्त व्यवस्था करता है। वे आगामी बैठक में चर्चा की बेहतर तैयारी के लिए पिछली बैठक के कार्यवृत्त भी भेजते हैं।

समीक्षा अवधि के दौरान कार्यक्रम के विवरण में स्वरूप, उद्देश्य, अपेक्षित लाभार्थी, लाभ के प्रकार और व्यय की मात्रा शामिल है। यह सदस्यों को कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया और विचलन, यदि कोई हो, का पता लगाने में मदद करता है और वे बैठक में उठाए जाने वाले टिप्पणियाँ बनाते हैं। प्रत्येक योजना कार्यान्वयन एजेंसी पिछले कार्यवृत्त और वर्तमान अवधि की प्रगति के आधार पर की गई अपनी कार्रवाई प्रस्तुत करती है। प्रस्तुतिकरण के दौरान, सदस्य दिशा के अध्यक्ष की सहमति से टिप्पणी करते हैं और आपत्तियाँ उठाते हैं। प्रस्तुति प्रक्रिया के दौरान स्पष्टीकरण या औचित्य देने या पर्याप्त तथ्यों को प्रदान करने के लिए समय मांगने के लिए विभाग प्रमुख या प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान दल ने कई दिशा समीक्षा बैठकों में भाग लिया है और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में योगदान देने में सदस्यों की दक्षता पर अधिकारियों के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की है। लगभग सभी अध्ययन राज्यों में, अधिकांश सदस्यों की राय सकारात्मक थी। दिशा उन्हें जिम्मेदार बनाने और ठोस सुधारों के साथ समयबद्ध परिणाम दिखाने के लिए आधिकारिक तंत्रों को सतर्क करने पर अत्यधिक प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा, अनुसंधान दल ने महसूस किया कि भले ही राजनीतिक शासन घोंघे की लगाम पर सवार हो, लेकिन लाभ सकारात्मक रूप से मिले, जो अंततः जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल राजनीतिक प्रतिनिधि और अधिकारी तंत्र ही चर्चा प्रक्रिया में भाग लेते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है।

समिति का विशिष्ट दृष्टिकोण

दिशा की प्रमुख भूमिका जिला और राज्य स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुझाया गया दृष्टिकोण दस्तावेज़ सत्यापन, भौतिक अवलोकन, और यदि आवश्यक हो, विषय विशेषज्ञ समितियों के गठन के माध्यम से पूछताछ करके कार्यान्वयन प्रक्रिया को सत्यापित करना है। समिति लोगों को सेवाएं प्रदान करने में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आधिकारिक तंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाती है। तथ्यान्वेषी पहल करने, दोषी अधिकारियों के लिए दंड का सुझाव देने और लोगों को प्रतिपूरक सेवाएं प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। अध्ययन के लगभग सभी नमूना राज्यों में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

दिशा से संबंधित निगरानी ढांचा

दिशा उत्पादन और परिणामगत ढांचा का अनुसरण करती है, जो भारत सरकार और विभिन्न अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई एक मौजूदा रूपरेखा है, ताकि विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनके वित्तीय परिव्यय, लक्ष्यों और विकास परिणामों के बारे में अधिक पारदर्शिता बनाई जा सके। निर्धारित 'लक्ष्य' के साथ सूचीबद्ध 'संकेतकों' के माध्यम से 'उत्पादन' का सत्यापन; अपेक्षित 'परिणाम' को अवधि के लिए निर्धारित 'लक्ष्यों' द्वारा 'संकेतकों' के एक सेट के साथ भी मापा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निगरानी के ढांचे पर सभी नमूना जिलों में अनुसंधान दल द्वारा इसका सत्यापन किया गया। उदाहरण के लिए, जिले में मनरेगा गतिविधियों की

निगरानी, आउटपुट रोजगार के कार्य-दिनों की संख्या को उत्पन्न करने और वास्तव में उत्पन्न करने के लिए है; सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक मस्टर रोल में नामांकित 'दिनों की संख्या' हैं, जिन्हें कुछ क्षेत्रों से चुने गए जॉब कार्ड के साथ यादृच्छिक जांच के साथ सत्यापित किया जाता है, और यह लक्ष्य प्राप्ति के सत्यापन से संबंधित है।

इसी तरह, निर्मित संपत्तियों की संख्या' और विशेष अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्णता की स्थिति की पुष्टि करके परिणाम की निगरानी की गई है। आउटपुट-आउटकम निगरानी ढांचा मंत्रालयों और विभागों में हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सहभागिता, समूह कार्य और सहयोग का परिणाम है।

आवश्यक क्षमता

दिशा दिशानिर्देश अपने सदस्यों के क्षमता निर्माण पर मौन है, जो फिर से समिति की समीक्षा और निगरानी प्रक्रिया में बाधा डालता है। यह समझा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी विकास कार्यक्रमों की जानकारी होती है। लेकिन 41 योजनाओं पर निगरानी और सतर्कता जांच के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता है। समीक्षा की जाने वाली विकास योजनाओं पर निगरानी और डेटा इनपुट में उन्हें विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, राजनीतिक प्रतिनिधियों को पढ़ने, अद्यतन करने और चर्चा बिंदु बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकता है।

दिशा की उपलब्धियां और परिवर्तन

छत्तीसगढ़ राज्य में, सभी 27 जिलों में दिशा समितियों का गठन किया गया था। 2016 से 2019 तक आयोजित दिशा बैठकों की संख्या और राज्य में कवर किए गए जिलों की संख्या के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 में 27 जिलों में 70 बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2017-18 में 73 व वर्ष 2018-19 में 41 बैठकें हुईं। जिला प्रशासन ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया। सभी बैठकें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों को कवर करती हैं, और बैठक की कार्यवाही को दिशा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

झारखंड में, सभी 24 जिलों में दिशा समितियों का गठन किया गया था। 2016-17 में चार तिमाहियों में 44 बैठकें आयोजित की गईं और 31 कार्यवाहियों को वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। इसके बाद 2017-18 में 50 बैठकें आयोजित की गईं और 2018-19 में केवल 30 बैठकें आयोजित की गईं। जैसा कि अधिकांश सदस्यों ने उल्लेख किया है, दिशा राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसने जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को दिशा के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर समन्वय और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने में सक्षम बनाया। समिति ने निधि के प्रवाह की बारीकी से समीक्षा की, जिसमें आवंटित निधि, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जारी निधि, प्रत्येक योजना के तहत उपयोगिता और अव्ययित शेष शामिल हैं।

केरल राज्य में, सभी 14 जिलों में दिशा समितियों का गठन किया गया था। इसके गठन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, सभी जिलों में बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं, और ऐसी बैठकों की आवृत्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित संख्या से कम थी। हालाँकि, उपलब्ध डेटा दर्शाता है कि 2016-17 के बाद से कवर किए गए जिलों की संख्या और राज्य भर में

तिमाही बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए तालमेल और अभिसरण को भी बढ़ावा देता है।

मिजोरम में संबंधित जिले में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सभी आठ जिलों में समितियों का गठन किया गया था। इस राज्य में, दिशा केवल ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। हालाँकि, राज्य में दिशा समिति की बैठकों की प्रभावशीलता पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बैठकें पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बार आयोजित की गईं। 2016-17 में आयोजित बैठकों की कुल संख्या 15 थी; यह 2017-18 में 23 और 2018-19 के दौरान 14 थी। राज्य ने इस मंच का उपयोग एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में किया, और अभिसरण के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और उचित रूप से संबोधित किया।

उत्तराखण्ड राज्य में, दिशा जिला स्तर पर 41 से अधिक केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना तैयार करती है और नियमित रूप से सुविधाओं का दौरा करती है कि ये कार्यक्रम कैसे लागू किए जा रहे हैं। सभी 13 जिलों में दिशा समितियों का गठन किया गया।

सामान्य तौर पर, सभी नमूना राज्यों में, दिशा बैठकें अनिवार्य रूप से कम संख्या में आयोजित की गईं। कारण, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया है, दंडित किए जाने की शक्ति की कमी के कारण जिला स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की रुचि की कमी है। इसके अलावा, जिला प्रशासन समीक्षा के लिए आवश्यक मानक दस्तावेज को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है; इसलिए सदस्य बैठक बुलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर दिशा का प्रभाव

- लाभार्थी चयन में गबन और विचलन की गतिविधियों में शामिल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के कई मामले सामने आए थे। कई नमूना राज्यों के अधिकांश मामलों में, दिशा सदस्यों ने व्यक्त किया कि आधिकारिक वर्चस्व और राजनीतिक हस्तक्षेप में भारी कमी आई है, जिससे कार्यक्रम वितरण की प्रभावकारिता में सुधार हुआ है।
- अधिकारी आसानी से पिछली तिमाहियों के साथ एक तिमाही के डेटा की तुलना कर सकते हैं, जिससे उन्हें निधि प्रवाह में अंतराल या अस्पष्ट क्षेत्रों और योजनाओं में निधि उपयोग की सीमा को समझने और उनका पता लगाने में मदद मिलती है। जिले में अब योजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के साथ-साथ भविष्य के लिए योजना और बजट की जरूरतों को सूचित करने की अधिक क्षमता है।
- सांसदों द्वारा सीधी कार्रवाई और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर नियमित जांच ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- सांसद नियमित रूप से दिशा की बैठकों में भाग लेते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र, विशेष रूप से कमजोर लोगों की भलाई पर केंद्रित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए मंच का उपयोग करते हैं।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अपने घटकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने की जबरदस्त जिम्मेदारी होती है, दिशा बैठकों ने जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य किया है।
- जिला स्तर पर 41 से अधिक केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना तैयार करना और नियमित रूप से दौरा करना ताकि यह देखा जा सके कि ये कार्यक्रम वास्तविकता में कैसे लागू हो रहे हैं। इन कार्यों को नियमित रूप से करने से न केवल उन्हें

अपने निर्वाचन क्षेत्र के मामलों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी मिलती है बल्कि लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही भी बढ़ती है।

- सभी दिशा बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद, सांसद जानते हैं कि कैसे ये बैठकें विकासात्मक बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने और सुधारात्मक तंत्र को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करती हैं।
- दिशा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सांसद नियमित रूप से जिला अधिकारियों और कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं से प्रत्येक कार्यक्रम के प्रदर्शन, प्रमुख संकेतकों में सुधार और संस्थागत वितरण दरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अध्ययन आधारित सिफारिशें

विभिन्न सरकारी विभागों की बजट प्रक्रियाओं की सीमित समझ रखने वाले जिला अधिकारियों को इस पोर्टल प्रारूप में डेटा एकत्र करने और प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

- ❖ मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में योजना के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए एकत्र की गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा कर सकेगी और निर्वाचित प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग लेने के लिए अधिक तैयार होंगे। अन्यथा, ये बैठकें राजनीतिक सभाओं के रूप में समाप्त हो जाएंगी, और दिशा का सटीक उद्देश्य विफल हो जाएगा।
- ❖ आगामी दिशा समिति की बैठकों की अधिसूचना और एजेंडे के साथ-साथ योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन प्रगति रिपोर्ट दिशा पोर्टल में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को जिला प्रशासन को इन्हें नियमित रूप से अपलोड करने का निर्देश देना चाहिए।
- ❖ योजनाओं में प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन डेटा को एकत्रित करने के लिए मानक प्रारूप विकसित करने से डेटा और साक्ष्य को संक्षेपित करने में मदद मिलेगी, जिसका उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए, संयोजन स्तर पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को इन प्रारूपों को तैयार करना चाहिए और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए उन्हें जिला कार्यान्वयन प्राधिकरणों को भेजना चाहिए।
- ❖ प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता और पहुंच सार्वजनिक सहभागिता की प्रभावशीलता में सुधार कर सकती है, जो बदले में बजट की पारदर्शिता को बढ़ा सकती है। इसलिए, सार्वजनिक डोमेन में संबंधित जानकारी को एकत्र करने और उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ❖ इस प्रासंगिक डेटा को वास्तविक समय में नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराने और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी को मजबूत करने के लिए, जिलों में दिशा बैठकें प्रारंभ बिंदु होनी चाहिए।
- ❖ इसके अलावा, एकत्र की गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराते समय, आगे सुधार के लिए जनता से राय मांगी जा सकती है।
- ❖ दिशा बैठकों में चर्चाओं की गुणवत्ता को गहन करने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए जिससे जनता अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सके। सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारियों को एक वेब-सक्षम मंच बनाना चाहिए।
- ❖ संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रभावी भूमिका निभाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

- ❖ जिला और उप-जिला स्तरों पर बुनियादी ढांचे, तकनीकी कर्मचारियों और कार्यक्रम कर्मचारियों की कमी को नियमित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए ताकि उन स्तरों पर जवाबदेही के संस्थानों को मजबूत किया जा सके।
- ❖ निर्णय लेने के लिए डेटा के माध्यम से समर्थित साक्ष्य हमेशा बेहतर परिणाम देंगे। प्रासंगिक और विश्वसनीय डेटा शासन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
- ❖ एक सुदृढ़ शासन प्रणाली नीतिगत संवाद में प्रभावी भागीदारी की मांग करती है। दिशा ढांचे को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, स्थानीय ज्ञान और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ निकट सहयोग से जिलों के स्तर पर एक मजबूत संरचना तैयार की जानी चाहिए।

4. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण प्रशासन के मुद्दों और चुनौतियों का मूल्यांकन

डॉ. के प्रभाकर,
डॉ. ज्योतिस सत्यपालन,
श्री राजेश्वर,
सुश्री सुरक्षा राय

प्रस्तावना

आजादी के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू हुए। तब से, यह गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण आवास कार्यक्रम जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के साथ शुरू हुआ। हालांकि आईएवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा किया, 2014 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा समवर्ती मूल्यांकन और प्रदर्शन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अंतराल की पहचान की गई। इन अंतरालों को दूर करने के लिए, आईएवाई को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई-जी का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले अन्य परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

पीएमएवाई-जी के उद्देश्य

- ❖ पीएमएवाई-जी का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है
- ❖ 2021-22 तक 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है; 2016-19 के बीच एक करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जाना है
- ❖ लाभार्थियों द्वारा स्थानीय सामग्री, डिजाइन और प्रशिक्षित राजमिस्त्री से गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण
- ❖ अन्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण द्वारा आवास दृष्टिकोण को अपनाना।

अंतराल:

पीएमएवाई-जी का मुख्य उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' है; 2021-22 तक बनने वाले आवासों की लक्षित संख्या 2.95 करोड़ है। लेकिन अगर हम 17.6.2019 को पिछले तीन वर्षों (2016-2019) के लिए पीएमएवाई-जी घरों के पूरा होने की दर देखें;

- ❖ लक्ष्य के विरुद्ध कुल स्वीकृत आवास 96,21,698 (32.6 प्रतिशत) हैं।
- ❖ लक्ष्य के विरुद्ध कुल पूर्ण आवास 40,29,891 (13.7 प्रतिशत) हैं।
- ❖ स्वीकृत के विरुद्ध कुल 41.9 प्रतिशत पूर्ण किया गया है
- ❖ देश के विभिन्न राज्यों में पूर्ण आवासों की संख्या 86 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक भिन्न है

- ❖ अधूरे आवासों की दर स्वीकृत के लगभग आधे (58.0 प्रतिशत) से अधिक है
- ❖ महत्वपूर्ण रूप से, अन्य 86.3 प्रतिशत लक्षित आवास अभी भी 2021-22 तक पूरा होने के लिए लंबित हैं।

अंत में, यह इंगित करता है कि पीएमएवाई-जी कार्यक्रम में कई कार्यात्मक और निधि संबंधी मुद्दे/अंतर थे, जिससे देश भर में इसके कार्यान्वयन की सफलता दर कम हो गई।

अध्ययन के उद्देश्य:

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तीन साल पूरे होने पर, यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में कार्यात्मक और व्यय अंतराल को ट्रैक करने का एक प्रयास है:

- ❖ पीएमएवाई-जी (स्कीम) के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और खर्च की गई धनराशि को समझना और पता लगाना
- ❖ पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों की श्रृंखला और सरकार के आदेशों, परिपत्रों या विभाग में उच्चतम स्तर द्वारा जारी ऐसे अन्य दस्तावेजों के अनुसार लाभार्थियों को इसके वितरण के बारे में पूछताछ करना
- ❖ वर्तमान प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं/अवरोधों की पहचान करना
- ❖ लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोणों की दिशा में प्रक्रियाओं को और मजबूत करने और पिछली प्रक्रियाओं और क्षेत्र प्रलेखन की दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सिफारिश करना

क्रियाविधि

निधियों के विभिन्न बिंदु और कार्य प्रवाह, हर बिंदु पर जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत और दस्तावेजों का अवलोकन और सूचना, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की रिकॉर्डिंग की शिनाख्त करने के लिए अध्ययन में पीएमएवाई-जी कार्यान्वयन एजेंसी से सरकारी आदेश/परिपत्र/दिशानिर्देश जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों को एकत्र करना और उनका अवलोकन करना शामिल है।

सरकार के किसी भी प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को समझने के लिए, किसी को सेवा या कार्यक्रम की गतिविधियों से जुड़े धन के प्रवाह अर्थात् धन के चुनिंदा व्यय ट्रैकिंग (एसईटी) को पता करना चाहिए। कितनी धनराशि आवंटित की गई? आवंटित राशि का कितना अनुपात में वितरण किया गया? वितरित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया? धनराशि कैसे खर्च की गई? क्या परिणाम प्राप्त हुए, आदि।

दूसरा ट्रैक सेवा वितरण या कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला का पता लगाना है - फ्रंक्शन मार्कर विश्लेषण या एफएमए इसमें शामिल होगा:

- नीति और कार्यान्वयन में शामिल संगठन के स्तर
- इन स्तरों पर किए जाने वाले विशिष्ट कार्य
- प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार नीति-निर्माता/अधिकारी
- प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा

➤ अधिकारियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले अन्य मानदंड/मानक

पीएमएवाई-जी मौद्रिक लाभों के संबंध में आपूर्ति पक्ष (क्षेत्रों/जिला/तालुका और जीपी) के सभी शामिल स्तरों पर अंतर प्रदर्शन के अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए वर्तमान अध्ययन इन दोनों दृष्टिकोणों को अपनाता है, अर्थात् कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) और चयनात्मक व्यय ट्रैकिंग (एसईटी)। चयनात्मक व्यय ट्रैकिंग (SET) का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या लाभार्थी को वित्तीय लाभ (मौद्रिक) प्रवाह एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न है। एफएमए का उपयोग विलंब बिंदुओं या रुकावटों की पहचान करने के लिए किया गया था।

दो नए दृष्टिकोण हैं:

कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) - सेवा वितरण या कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला का पता लगाना

चुनिंदा व्यय ट्रैकिंग (एसईटी) - सेवा या कार्यक्रम की गतिविधियों से जुड़े धन के प्रवाह को ट्रैक करना।

दिशानिर्देशों, मानदंडों और समयबद्धता के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण से प्राप्त प्रदेय वस्तुओं की हद तक उनसे जानकारी एकत्र करने के साथ सर्वेक्षण/ट्रैकिंग/जांच लाभार्थियों (ट्रेसर साक्षात्कार) के साथ शुरू हुई। लाभार्थियों से प्राप्त इस जानकारी के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण के सभी स्तरों के अधिकारियों का एक क्रॉस-सत्यापन (कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण और चुनिंदा व्यय ट्रैकिंग) किया गया था।

प्रश्नावली रचना:

पीएमएवाई-जी को लागू करने वाले अधिकारियों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार के लिए तीन सर्वेक्षण उपकरण (प्रश्नावली) विकसित किए गए थे।

कार्यान्वयन प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा क्रॉस-चेकिंग/डिलिवरेबल्स की पुष्टि, लीकेज, देरी आदि की पहचान करने के लिए लाभार्थी प्रश्नावली।

निधि प्रवाह के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न वर्गों के साथ राज्य स्तर से या कार्यान्वयन एजेंसी से लाभार्थी तक धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए प्रश्नावली।

शामिल कार्यों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न वर्गों के साथ राज्य स्तर से लाभार्थी स्तर तक शामिल कार्यों को ट्रैक करने के लिए प्रश्नावली।

अध्ययन में राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकीय और गुणात्मक तकनीक, एक ऑर्डर प्रोबिट (लॉगिट मॉडल) विधि, का आगे के विश्लेषण के लिए परीक्षण किया गया।

अध्ययन क्षेत्र:

2016-19 के दौरान (17.6.2019 तक) पीएमएवाई-जी आवासों के स्वीकृत आवासों के मुकाबले पूरा होने के प्रतिशत के आधार पर छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, हरियाणा और

दादरा नगर हवेली को अध्ययन के लिए चुना गया था। सभी छह राज्यों से ओडीके कलेक्ट के माध्यम से कुल 2430 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों और 199 पीएमएवाई-जी अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया था। प्रत्येक चयनित राज्य से, दो जिलों का चयन किया गया और प्रत्येक चयनित राज्य से, 400 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों और 50 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया।

प्रमुख निष्कर्ष:

पीएमएवाई-जी निर्माण की स्थिति

स्थिति	2016-17	2017-18	2018-19	कुल (2016-19)
पूरे किए गए	73.3%	56.1%	20.9%	64.1%
चल रहे	23.4%	22.9%	35.0%	24.1%
बंद/लंबित	3.3%	20.9%	44.1%	11.8%

कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) - लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार


क्र. सं.	दिशानिर्देश एफएमए	सिक्किम	हरियाणा	महाराष्ट्र	मिजोरम	कर्नाटक	दादरा नगर हवेली
1	घर के निर्माण के लिए 120,000 रुपये और 130,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना	130000 (87%)	138000 (87%)	120000 (100%)	130000 (100%)	120000 (100%)	240000 (100%)
2	बैंकों से ऋण की सुविधा जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करना	0%	24%	52%	17%	6%	5%
3	पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के बाद भूमिहीनों को भूमि का आवंटन	5%	96%	NA	NA	55%	12%

4	अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना	75%	41%	48%	10%	50%	39%
5	स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा किया जाना है	64%	83%	71%	75%	60%	33%

चयनात्मक व्यय ट्रैकिंग (एसईटी) - लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार

क्र. सं.	दिशानिर्देश एसईटी	सिक्किम	हरियाणा	महाराष्ट्र	मिजोरम	कर्नाटक	दादरा नगर हवेली
1	हकदार राशि (एमओआरडी+ राज्य का हिस्सा) ₹	1,50,000 (1,08,000 +42,000)	1,58,000 (72,000+ 86,000)	1,20,000 (72,000+ 48,000)	1,30,000 (1,08,000 +22,000 =	1,20,000 (72,000+ 48,000)	2,40,000 (1,20,000 +1,20,000)
2	आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता	130000 (हकदार राशि का 87%)	138000 (हकदार राशि का 87%)	120000 (100% हकदार राशि)	130000 (100% हकदार राशि)	120000 (100% हकदार राशि)	240000 (100% हकदार राशि)
3	किया गया वास्तविक औसत व्यय	1,73,050/ -	1,22,912/ -	2,28,254/ -	1,61,508/ -	2,16,460/-	2,51,363/ -
4	पीएमएवाई-जी वित्त पोषण सहायता के विरुद्ध व्यय का %	115.4	77.8	190.2	124.2	180.4	104.7

पीएमएवाई-जी के साथ कुल मिलाकर लाभार्थियों की संतुष्टि



सुधार हेतु सुझाव

- इकाई लागत बढ़ाएँ - जैसा कि 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुझाया है
- किशतों का समय पर भुगतान - जैसा कि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया
- लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना - जैसा कि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुझाया है

मुख्य निष्कर्ष: अधिकारियों से प्रतिक्रिया

क्र. सं.		सिक्किम	हरियाणा	महाराष्ट्र	मिजोरम	कर्नाटक	दादरा नगर हवेली
कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) - राज्य स्तरीय अधिकारी							
1	लक्ष्य: ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाम राज्य	भिन्न	भिन्न	समान	समान	समान	भिन्न
2	स्वीकृत और पूर्ण	औसत 97% पूर्ण	औसत 74% पूर्ण	औसत 79% पूर्ण	औसत 34% पूर्ण	औसत 59% पूर्ण	औसत 20% पूर्ण
कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) - जिला स्तरीय अधिकारी							
3	भूमिहीनों को भूमि का आबंटन	√	√	√	√	√	√
4	शौचालय निर्माण हेतु सहायता	√	75%	√	40%	40%	0%

	प्रदान करना - अभिसरण						
कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए) - जीपी स्तर के अधिकारी							
5	भूमिहीनों को भूमि का आबंटन	√	√	√	√	√	√
6	शौचालय निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना - अभिसरण	0%	85%	88%	0%	64%	0%
चुनिदा व्यय ट्रैकिंग (सेट) - राज्य स्तरीय अधिकारी							
क्र. सं.	दिशानिर्देश एसईटी	सिक्किम	हरियाणा	महाराष्ट्र	मिजोरम	कर्नाटक	दाद रा नगर हवे ली
1	पीएमएवाई-जी घरों के निर्माण के लिए 120,000 रुपये और 130,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना	1,50,000	1,58,000	1,20,000	1,30,000	1,20,00 0	2,40 ,000
2	2016-2019 के दौरान केंद्र सरकार के योगदान (60, 90 और 100 संघ शासित प्रदेशों के लिए) द्वारा आवंटित निधि पर डेटा - सभी छह राज्यों के लिए अनुरोध किए गए और प्राप्त निधि पर डेटा आंशिक रूप से उपलब्ध है						
3	2016-2019 के दौरान राज्य सरकार के योगदान (40 और 10 अनुपात) पर डेटा - सभी छह राज्यों के लिए, आवंटित और प्राप्त राज्य निधियों पर डेटा अधिकतर उपलब्ध नहीं है						

राज्य द्वारा प्रति इकाई अतिरिक्त अंशदान:

केंद्रीय योगदान (60/90/100) के अलावा, महाराष्ट्र और मिजोरम को छोड़कर (बिल्कुल 1,20,000/- और 1,30,000 रुपये का भुगतान), पीएमएवाई-जी में अन्य चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात् सिक्किम, हरियाणा और दादर नगर हवेली अपने राज्य का योगदान (40/10) योगदान दे रहे हैं और साथ ही कुछ अतिरिक्त राशि (सिक्किम रु. 20,00/-, हरियाणा रु. 38,000/- दादर नगर हवेली 1,20,000/-) राज्यों द्वारा जोड़ी गई। कर्नाटक राज्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आवंटित प्रत्येक इकाई के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर रहा है।

निष्कर्ष और नीति निहितार्थ:

कार्यात्मक मार्कर विश्लेषण (एफएमए)

- स्वीकृति आदेश, पात्रता कार्ड और निर्माण कार्य का प्रारंभ: स्वीकृति आदेश जारी करने में औसतन 122 दिनों का समय लगा है और स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के दो महीने बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- सहायता सेवाएं: कार्यक्रम के तहत उल्लिखित सहायता सेवा को प्रभावी ढंग से विस्तारित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि लाभार्थियों द्वारा बताया गया है। लाभार्थियों के अनुसार अनुदान किए गए बैंक ऋणों की सुविधा न तो प्रभावी ढंग से प्रदान की जा रही है।
- अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ कम तालमेल: राज्य स्तर पर अधिकांश कर्मचारी अधिक कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की रिपोर्ट करते हैं, जबकि जैसे-जैसे हम जिला, ब्लॉक और जीपी स्तरों पर आते हैं, संख्या घटने लगती है।

चयनात्मक व्यय ट्रेकिंग (एसईटी)

- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करना: हालांकि पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों के अनुसार लागत साझा किया जा रहा है, लेकिन जारी की गई राशि, संवितरण की तारीख, प्राप्ति की तारीख आदि जैसे विशिष्ट मापदंडों पर डेटा की उपलब्धता को प्रदर्शित नहीं किया गया, जो राज्य के हिस्से के डेटा के साथ मेल खाता है।
- लक्ष्य निर्धारण और पूर्ति: तीन वर्षों (2016-2019) के दौरान, पूर्ण किए गए आवासों की संख्या में काफी कमी आई है (2016-17 में 73 प्रतिशत से 2018-19 में 21 प्रतिशत)।
- समय सीमा के भीतर पूरा करना: लगभग 60 फीसदी घरों को पूरा करने में एक साल का समय लगा है, जो कि दिशानिर्देश में निर्धारित समय सीमा है। निर्माण में देरी या रुक जाने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें असामयिक निधि जारी करना और निर्माण लागत में वृद्धि शामिल है।

नीतिगत निहितार्थ:

- ♣ लाभार्थी चयन: निष्कर्षों से, यह बताया गया है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण पीएमएवाई-जी आवास लंबित हैं। पीएमएवाई-जी लाभार्थी का चयन निर्माण शुरू करने के लिए उचित आवंटन/भूमि की पहचान के बाद किया जाना चाहिए।
- ♣ उपलब्ध निधि प्रवाह डेटा बनाएं: हालांकि पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों के अनुसार लागत साझा किया जा रहा है, केंद्रीय हिस्से पर किस्त-वार जारी राशि, प्राप्त निधि की तारीख और संवितरण आदि जैसे विशिष्ट मापदंडों पर डेटा की उपलब्धता आंशिक रूप से उपलब्ध थी, जबकि राज्य के हिस्से के डेटा का खुलासा नहीं किया गया था। जारी की गई राशि और तिथि पर सटीक निधि संवितरण से संबंधित डेटा तक पहुंच प्राप्त करने पर, निधि प्रवाह विलंब की विशेष रूप से पहचान की जा सकती है जहां समस्या हो रही है।

तदनुसार, लक्षित पीएमएवाई-जी आवासों को समय पर पूरा करने के मूल उद्देश्य को बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

- ♣ सभी स्तरों पर टीम के सामर्थ्य को बढ़ाना: सभी स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में निवेश करने से योजना के कार्यान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति में शामिल कई चरणों में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिल सकती है।
- ♣ प्रशिक्षण और क्षमता विकास: कार्यक्रम की समग्र सफलता के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर (ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर) पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है
- ♣ आधारभूत संरचना उन्नयन: चूंकि पूरी योजना को एक ई-शासन पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, इसलिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अधिकारियों को इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

5. वित्तपोषण के विशेष संदर्भ में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए अपनाया गया सुविधा तंत्र - चार राज्यों में एसबीएम (जी) पर संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन

डॉ. आर रमेश
श्री शांतनु बौमिक

प्रस्तावना

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जिसमें राज्यों के निधियों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। संभवतः, इसे ध्यान में रखते हुए, एसबीएम-जी दिशानिर्देश राज्य सरकारों को किसी भी 'तकनीकी प्रकार-संरचना' और किसी भी 'वित्तपोषण तंत्र' का पालन करने के लिए उदार व्यवहार्यता की अनुमति देते हैं, जिसे राज्य उचित और विवेकपूर्ण समझे। एकमात्र पुनरावृत्ति यह है कि राज्य वार्षिक (स्वच्छता कवरेज) योजना को इस तरह से संतुष्टि दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए कि 2 अक्टूबर, 2019 तक, भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ शौचालय का स्वामित्व और उपयोग करना चाहिए और ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाना चाहिए।

विभिन्न राज्य सरकारें विभिन्न वित्तपोषण तंत्रों का पालन करती हैं। यह कितना सरल या अदक्ष है, इसके आधार पर वित्तपोषण तंत्र सुविधाजनक या अवरोधक हो सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करना है - और कार्यान्वयन के दौरान वे कितने सरल या बोझिल हैं, और किस हद तक एक सुविधाजनक वित्तपोषण तंत्र प्रगति को गति देने में मदद करता है जबकि एक अदक्ष प्रक्रिया को धीमा करता है। यह 'धीमी गति से चलने वाले राज्यों' के लिए उनके वित्तपोषण तंत्र पर फिर से विचार करने और 'लीडर स्टेट्स को टिक करने में सक्षम' के आधार पर इसे संशोधित करने में मदद करेगा।

एसबीएम-जी दिशानिर्देश राज्य सरकारों को किसी भी सुविधा तंत्र का पालन करने के लिए उदार व्यवहार्यता की अनुमति देते हैं, जिसमें वित्त भी शामिल है, जिसे राज्य ओडीएफ गांवों के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ उचित और विवेकपूर्ण समझता है। अनुसंधान का मुख्य प्रश्न एसबीएम-जी के लक्ष्य को प्राप्त करना है; हमें किस प्रकार के सुविधा तंत्र को अपनाने की आवश्यकता है? शोधकर्ता स्वच्छता के वित्तपोषण सहित सर्वोत्तम सुविधा तंत्र का भी पता लगाना चाहता है। लेकिन आज तक, हम विभिन्न राज्यों और जिलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुविधा तंत्रों के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए, उन तंत्रों का प्रलेखन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मौजूदा ज्ञान को बढ़ा सकता है।

संबंधित राज्य सरकारों, जिलों, ब्लॉकों और पंचायत प्रशासनों की भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे एक सक्षम माहौल बनाएं जिससे ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में शौचालयों के निर्माण और उपयोग के लिए सुविधा सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, इन उपरोक्त उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है:

1. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वित्त पर विशेष जोर देने वाले सुविधा तंत्र क्या हैं- और कार्यान्वयन के दौरान वे कितने सरल या बोझिल हैं?
2. संबंधित राज्य ने एसबीएम-जी के विजन को प्राप्त करने के लिए गरीबोन्मुख तंत्र को कैसे अपनाया है?

उद्देश्य:

1. स्वच्छ भारत मिशन (जी) के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए समग्र सुविधा तंत्र का विश्लेषण करना
2. एक गरीब ग्रामीण परिवार की अवस्थिति से यह पता लगाना कि वित्तपोषण तंत्र कितना गरीबोन्मुख है
3. अध्ययन के तहत राज्यों में आईएचएचएल के निर्माण में तेजी लाने के लिए गरीबोन्मुख होने में प्रमुख समर्थक के रूप में काम करने वाले नवीन सुविधा/वित्तपोषण तंत्र, यदि कोई हो, का दस्तावेजीकरण करना

क्रियाविधि

ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए सुविधा तंत्र की स्थिति का पता लगाने और समझाने के लिए गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया था। अध्ययन ने एक वर्णनात्मक अनुसंधान रूपरेखा को अपनाया। इसने अंतर अनुभागीय डेटा एकत्र करने में समवर्ती मिश्रित विधियों (यानी, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन, टिप्पणियों) का भी अनुसरण किया।

लक्षित उत्तरदाता ग्रामीण परिवार थे जिन्हें ग्रामीण भारत के चार राज्यों में एसबीएम (जी) के तहत शौचालय सब्सिडी प्राप्त हुई थी। तीन चरणों (संबंधित ब्लॉक से दो जिले, दो ब्लॉक और दो ग्राम पंचायत) में उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए एक बहु-स्तरीय संभावना नमूना प्रक्रिया की गई थी। उत्तरदाताओं को संबंधित ग्राम पंचायत से यादृच्छिक रूप से चुना गया था, जबकि जिला अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की पहचान की थी। आनुपातिक आवंटन के आधार पर चयनित ग्राम पंचायत से कुल 400 ग्रामीण परिवारों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

अध्ययन क्षेत्र:

सभी राज्यों को उनकी प्रगति और प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर रैंक दिया गया था। अध्ययन के लिए शीर्ष पायदान से दो राज्यों (गुजरात और छत्तीसगढ़) और निचले पायदान से दो राज्यों (यूपी और कर्नाटक) का चयन किया गया था। प्रत्येक राज्य से दो जिलों और प्रत्येक जिले से दो ग्राम पंचायतों को हाल ही में एक बैच में शौचालयों का निर्माण करने वाले लाभार्थियों से प्रत्यक्ष जानकारी के लिए कवर किया गया था।

निष्कर्ष:

यह पाया गया कि शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय व्यवस्था यथासंभव लचीली रही है। राज्यों और जिलों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तपोषण को अनुकूलित किया है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों को वित्त पोषण तंत्र तय करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसे हमेशा निर्माण-पश्चात प्रोत्साहन या

उपलब्ध रकम की एक सुनिश्चित राशि के रूप में माना जाता है, जिसे कोई उधार भी ले सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के ऋण का भुगतान निर्माण के बाद किया जा सकता है। वित्तपोषण का यह अनुकूलन एसबीएम-जी में एक स्वागत योग्य कदम है।

एसबीएम-जी दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय चक्रावर्तन निधि का सुझाव दिया गया है, जो लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। लेकिन यह अध्ययन के तहत राज्यों में चालू नहीं किया गया है। किसी भी जिले ने परिक्रामी निधि के विचार को नहीं खोजा। सीएसआर और एनजीओ सुविधा आदि का उपयोग करके अन्य योजना निधियों को अस्थायी रूप से ध्यान हटाने जैसी रणनीतियों का उपयोग करके अनियमित वित्त पोषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जिला स्तर पर परिक्रामी निधि का विचार एक सहायक कारक हो सकता था, जिसे करने का प्रयास नहीं किया गया।

बहुत कम लाभार्थियों ने ऋण के लिए वाणिज्यिक बैंकों से संपर्क करने की सूचना दी। बैंक शौचालय निर्माण के लिए ऋण देने के पक्ष में नहीं हैं। वीएलबीसी की बैठक में किसी भी ब्लॉक ने इस मुद्दे को नहीं उठाया।

1. **अत्यधिक प्रोत्साहन:** एसबीएम-जी निर्माण के बाद प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपये प्रदान करता है, जो भारत सरकार के पिछले स्वच्छता कार्यक्रमों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। यह भी एक प्रकार की सुविधा है - यह सुनिश्चित करना कि निर्माण के बाद दिया जाने वाला प्रोत्साहन लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण पर किए गए निवेश का लगभग 100 प्रतिशत कवर करता है। यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों को सामूहिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, और राजमिस्त्री को अनुबंध के आधार पर तय किया जाता है, और घर निर्माण में सहायक के रूप में एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो प्रोत्साहन राशि के भीतर, यथोचित अच्छे शौचालय का निर्माण संभव हो सकता है। यदि अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है, तो यह 2000-3000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। यह अपने आप में एसबीएम-जी के तहत एक प्रकार की वित्तीय सुविधा है।
2. **एमजीएनआरईजीएस:** एसबीएम-जी निधि के अलावा, मनरेगा से निधि का इस्तेमाल आईएचएचएल निर्माण के श्रम घटक के लिए किया जा सकता है। मजदूरों का भुगतान एमजीएनआरईजीएस से किया जा सकता है, जिसने आईएचएचएल निर्माण को अतिरिक्त गति प्रदान की। कर्नाटक के साथ-साथ गुजरात में भी इसका बहुत लाभ हुआ है।
3. **डीबीटी पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर:** वित्तीय व्यवस्था के अनुसार भौतिक सत्यापन पूर्ण होने पर निर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि (12000 रुपये) निर्माण के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जायेगी। सभी लाभार्थी के निर्माण के बाद प्रोत्साहन सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है। कर्नाटक (रामनगर जिला) में, सीईओ ने शौचालय निर्माण के एक सप्ताह के भीतर लाभार्थी के खाते (कर्नाटक) में पैसा अंतरित करने को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। डीबीटी (गुजरात में) निर्माण के बाद के प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त अंतरण (डीबीटी) कारगर नहीं हुआ। लिहाजा जिला प्रशासन ने इसे दो किश्तों (7000+5000 रुपये) में कर दिया। छत्तीसगढ़ में आईएचएचएल के लाभार्थियों को निर्माण पूरा होने के बाद 6000 रुपये मिलते हैं। और तीन महीने के उचित उपयोग के बाद, जब ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित करने के योग्य हो जाती है, तो लाभार्थियों को शेष 6000 रुपये, यानी दूसरी और अंतिम किस्त मिलती है।

उत्तर प्रदेश के गांवों में, आईएचएचएल प्रोत्साहन के भुगतान के लिए दो अलग-अलग किस्तों के पैटर्न का पालन किया गया था। (1) ग्राम पंचायत ने लाभार्थियों को तीन किस्तों के माध्यम से पैसा देने का फैसला किया: $(5000+5000+2000) = 12000$ रुपये। सोखता गड्ढा बन जाने के बाद- 5000 रुपये, दीवार बन जाने के बाद- 5000 रुपये और छत और दरवाजा बन जाने के बाद 2000 रुपये। (2) पंचायत ने तीन किस्तों के माध्यम से लाभार्थियों को पैसा हस्तांतरित किया: 6000 + रुपये 2000 + रुपये 4000 = रुपये 12000, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित चेक लाभार्थी के पक्ष में जारी किया गया था।

हितग्राहियों के नाम पर आदाता के खाते में देय चेक से भुगतान किया गया। जिला दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत को लाभार्थियों को दो किस्तों में एसबीएम-जी प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना था। लेकिन ग्राम पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर तीन किस्तों में पैसा देने का फैसला किया।

4. **पंचतंत्र - एक समर्पित वेब पोर्टल:** कर्नाटक में प्रणाली यह है कि आईएचएचएल के लिए आवेदन कर्नाटक राज्य के वेब पोर्टल पंचतंत्र में दर्ज किए जाते हैं। यह एसबीएम-जी की अनुमोदित सूची को अंतिम रूप देने के बाद, स्थानीय जलकर्मी, पीडीओ (पंचायत विकास अधिकारी), या बिल कलेक्टर लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं और उन्हें संबंधित पंचायत कार्यालय में जमा करते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक आवेदक को एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत करता है जिसे पंचतंत्र कहा जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को एक कंप्यूटर जनित विशिष्ट आईडी प्राप्त होती है जिसका उपयोग लाभार्थी की प्रगति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। सभी जानकारी जमा करने के बाद लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होता है। जैसे ही शौचालय बन जाता है, उसी वेबसाइट पर शौचालय का फोटो अपलोड करना होता है, फिर पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) और अध्यक्ष अपने डिजिटल हस्ताक्षर से उसका बायो-प्रमाणीकरण करते हैं, जिस पर सर्वर सीधे फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट (एफटीओ) करता है। पंचायतों की स्वीकृति के बाद प्रोत्साहन सीधे लाभार्थी (कर्नाटक) के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
5. **ऋण पर सामग्री:** पीआरआई सदस्यों ने कुछ गरीब लाभार्थियों को स्थानीय सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से उधार पर कच्चा माल प्राप्त करने में मदद की। निर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद हितग्राहियों ने सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया। क्रेडिट पर सामग्री की खरीद के लिए लाभार्थियों को कच्चे माल के विक्रेताओं के साथ जोड़ने से प्रगति को गति देने में मदद मिली।
6. **स्वयं सहायता समूह निधि:** कुछ एनजीओ (कर्नाटक में) की भागीदारी ने एसएचजी को लाने में मदद की, और एसएचजी के पास फंड की पहुंच है। एनजीओ की भागीदारी ने प्रत्येक गरीब एसएचजी महिला के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये प्रदान किए। आईएचएचएल निर्माण के लिए एसएचजी ऋण और एमआईएफ ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसने वित्तीय सुविधा प्रदान की, हालांकि यह बहुत ही कम था। जिला प्रशासन (गुजरात में) ने एक रणनीति के रूप में शौचालय निर्माण के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया। खंड विकास कार्यालय ने स्वयं सहायता समूहों या पंचायतों के साथ एक समझौता ज्ञापन की सुविधा प्रदान की, और उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
7. **लाभार्थियों की स्वयं की निधि एवं पंचायतों की स्वयं की निधि:** लाभार्थियों को अपने स्वयं के धन का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से निष्क्रिय शौचालयों के नवीनीकरण के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह, गरीब लोगों के लिए, पंचायतों ने 100 प्रतिशत ओडीएफ हासिल करने के लिए शौचालयों के नवीनीकरण के

- लिए अपने स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) का इस्तेमाल किया। यह बीएल सर्वेक्षण में छोटे परिवारों के लिए भी सही है।
8. **ग्रामीण स्वच्छता मार्ट (आरएसएम):** आरएसएम शौचालय निर्माण और अन्य स्वच्छता उत्पादों के सभी सेनेटरी वेयर के लिए वन-स्टॉप शॉप है। आरएसएम को चक्रावर्तन निधि के रूप में 5,00,000 रुपये मिले। व्यवसाय मॉडल में आरएसएम को शुरू करने और चलाने में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी ने ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित करने में प्रगति करने के लिए अभिनव रणनीतियों में एक और उपलब्धि हासिल की। आरएसएम को लेकर नर्मदा जिला (गुजरात) पूरे राज्य के लिए मॉडल है और उन्होंने अन्य जिलों को भी प्रशिक्षित किया।
 9. **एसएचजी के साथ समझौता ज्ञापन:** राज्य (गुजरात) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायत और स्वयं सहायता समूह केवल शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी निजी ठेकेदार को अनुमति नहीं है। पंचायत बनाम बीडीओ/टीडीओ (तालुका विकास अधिकारी) या बीडीओ बनाम एसएचजी एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकते हैं जो मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को निर्दिष्ट करता है, जिसमें शौचालयों की संख्या भी शामिल है। मुख्य प्रावधान इस लक्ष्य पर आधारित है कि शौचालय के 80 प्रतिशत निर्माण के बाद पंचायत या एसएचजी को 50 प्रतिशत निधि प्राप्त होगी। शौचालय निर्माण का 100 प्रतिशत प्राप्त करने के बाद, पंचायत, ब्लॉक, जिला या ब्लॉक या जिले द्वारा गठित किसी भी स्वतंत्र टीम द्वारा सत्यापन के अधीन स्वयं सहायता समूहों को पूरी निधि जारी की जाएगी।
 10. **स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन:** प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छाग्रहियों को नामांकित किया गया और उन्होंने लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया। स्वच्छाग्रहियों को प्रत्येक शौचालय के लिए पंचायत के माध्यम से 150 रुपये मिलेंगे और निर्माण पूरा करने में मदद करेंगे। प्रत्येक शौचालय के पूर्ण निर्माण के बाद स्वच्छाग्रहियों को 75.00 रुपये मिले; छह महीने के उपयोग में रहने के बाद, उन्हें 75.00 रुपये मिले। हालाँकि, भुगतान में देरी और लंबे समय तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करना स्वच्छाग्रहियों (उत्तर प्रदेश में) को निरूत्साहित करता है।
 11. **अन्य योजना निधियों का उपयोग:** एसबीएम-जी के साथ ऐसा हुआ है कि जहां आईएचएचएल लाभार्थियों को भुगतान के लिए राज्य सरकार से निधि जारी करने में देरी हुई, वहीं जिला प्रशासन ने अन्य योजनाओं के लिए निधि का उपयोग किया है। विचार यह है कि जब एसबीएम-जी निधि आ जाएगी, तो यह अन्य योजना निधि की भरपाई कर देगा, जिससे पैसा निकाला गया था। इसे एसबीएम-जी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अन्य परियोजनाओं/योजनाओं से लिए गए अस्थायी ऋण के रूप में माना जाता है। इससे लाभार्थियों की प्रेरणा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिली। आईएचएचएल लाभार्थियों को विलंबित भुगतान संभावित लाभार्थियों के बाद के बैचों के बीच चिंता का कारण बनता है, और इसे अन्य योजना निधियों का उपयोग करके टाला गया है।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि कई सुविधा तंत्र अपनाए गए हैं - कुछ वित्तपोषण से संबंधित हैं, अन्य व्यवहार से संबंधित हैं, जो क्षेत्र की स्थितियों पर निर्भर करता है। सुविधा तंत्र (i) आईईसी/आईपीसी/बीसीसी, (ii) वित्त, (iii)

निगरानी और मूल्यांकन, (iv) सीएसआर, एनजीओ, मनरेगा, 14वें वित्त आयोग, ग्राम पंचायत की स्वयं की निधि, आदि जैसे निधि के स्रोत और समर्थन (v) जिला/ब्लॉक के नेतृत्व के संदर्भ में भिन्न हैं और विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी चार अध्ययन राज्यों में विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा लाभार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तपोषण को अनुकूलित करने के विचार को चतुराई से अपनाया गया है। विचार यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गहराई से और तेजी से आधार बनाने के लिए कोई भी वित्तपोषण तंत्र सहायक होना चाहिए। यह विशेष क्षेत्रों की जरूरतों और चिंताओं पर आधारित होना चाहिए और लक्षित समुदाय के लिए विशिष्ट होना चाहिए।

6. नोटबंदी और भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

डॉ.कृष्णा रेड्डी काकुमनु,
डॉ मारम श्रीकांत,
डॉ.रवींद्र एस.गवली,
विनीत जे.कल्लूर,
श्रीकांत वी मुकाते

प्रस्तावना:

भारत सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों की कानूनी निविदा को रद्द करके नोटबंदी की घोषणा की। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य आभासी अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाना और आतंकवाद तथा अवैध गतिविधियों को निधि देनेवाले नकली नकदी के उपयोग को कम करना था। नोटबंदी की घोषणा के तीन या चार महीने बाद, अर्थव्यवस्था मुद्रा की भारी कमी से गुजरी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा मौद्रिक आर्थिक नीति का बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन किया गया। विमुद्रीकरण के कारण हुई मुद्रा की कमी को देखते हुए, यह मुख्य रूप से नकदी-गहन क्षेत्र हैं जो नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। भारत में कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है। विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों, विशेषकर कृषि क्षेत्र के किसानों पर अवांछनीय प्रभाव डाला। कृषि क्षेत्र पर विमुद्रीकरण के घरेलू स्तर के प्रभाव पर शोध अध्ययन सीमित हैं। इसलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन केंद्र (सीएनआरएम, सीसीडीएम) ने उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई) के समन्वय में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर विमुद्रीकरण के लघु और दीर्घकालिक प्रभावों की जांच के लिए अध्ययन किया।

उद्देश्य:

कृषि क्षेत्र पर घरेलू स्तर पर विमुद्रीकरण के प्रभाव पर शोध अध्ययन सीमित हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश मौजूदा अध्ययन मुख्य रूप से प्रकृति में वर्णनात्मक हैं, अनुभवजन्य डेटा पर अधिक ध्यान केंद्रित किए बिना, जिसे वर्तमान अध्ययन संबोधित करने का प्रयास करता है। इसलिए, अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर नोटबंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

1. चुनिंदा भारतीय राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश (यूपी) में घरेलू स्तर पर कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन करना;
2. कृषि गतिविधियों के लिए विमुद्रीकरण के बाद किसानों द्वारा अपनाई गई रणनीति का अध्ययन करना; और
3. विमुद्रीकरण के बाद किसानों द्वारा अपनाए गए लेनदेन के डिजिटलीकरण की सीमा और वित्तीय समावेशन पर इसके परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन करना

इस अध्ययन में देश भर में एक प्रमुख कृषि आबादी के कारण तीन राज्यों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक डेटा को शामिल किया गया है। तीन राज्यों, छह जिलों, 12 मंडलों और 24 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए कुल 600 परिवारों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था, जिसमें नमूना चयन के प्रत्येक चरण के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने का उपयोग किया गया था। तीन नमूना राज्यों से भौगोलिक क्षेत्र, सकल फसली क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फसल सघनता, खाद्य और गैर-खाद्य फसलों के तहत क्षेत्र का प्रतिशत, और सीमांत और छोटी जोतों की संख्या आदि पर द्वितीयक आंकड़े जिलेवार एकत्र किए गए थे।

एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, अध्ययन राज्यों में विमुद्रीकरण और कृषि परिवारों पर इसके प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया था। अनिवार्य रूप से, विभिन्न राज्यों में समानता और अंतर की पहचान करने के लिए क्रॉस-सेक्शनल विश्लेषण किया गया था। विमुद्रीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन आय, समय, अवसरों आदि के संबंध में नुकसान की मात्रा निर्धारित करके किया गया था। अध्ययन में मानक विचलन, प्रतिशत, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन आदि जैसे उपयुक्त सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया।

अध्ययन क्षेत्र:

इस अध्ययन में भारत के तीन राज्यों को शामिल किया गया, वे हैं - मध्य क्षेत्र से महाराष्ट्र, दक्षिणी क्षेत्र से तेलंगाना और उत्तरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कृषि क्षेत्र तीनों अध्ययन राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि महाराष्ट्र और तेलंगाना भारत में किसानों के संकट (किसानों की आत्महत्या की संख्या) के मामले में शीर्ष दो राज्यों में शामिल हैं, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में किसानों की सबसे बड़ी संख्या (23.82 मिलियन) उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा, लगातार दो वर्षों के सूखे (2014, 2015) ने कृषि क्षेत्र पर भारी असर डाला, जिससे देश भर में किसानों की परेशानी बढ़ गई।

निष्कर्ष:

अध्ययन के परिणामों से पता चला कि आवश्यक बैंक लेनदेन करने के लिए बड़ी संख्या में किसान निरक्षर (>33%) हैं, और ऐसे परिवार तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में अधिक हैं। स्तरीकृत बाद के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि अधिकांश नमूने सीमांत किसान (58 प्रतिशत) हैं, इसके बाद छोटे किसान (28 प्रतिशत) हैं।

खरीफ मौसम के दौरान अध्ययन किए गए राज्यों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, सब्जियां, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और फूल हैं। रबी मौसम में गेहूं, धान, अरहर, अरंडी, सब्जियां और गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के मौसम में पुदीना और गन्ना उगाया जाता है। कृषि पर विमुद्रीकरण का प्रमुख प्रभाव फसल उत्पादकता में गिरावट के संदर्भ में महसूस किया गया। सभी तीन अध्ययन राज्यों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता नोटबंदी के बाद की अवधि के दौरान 10 दिनों से अधिक कृषि संबंधी गतिविधियों से दूर थे। इस प्रकार, किसानों ने रबी मौसम के दौरान बीजों की बुवाई/आदानों के अनुप्रयोग जैसे मुख्य अवधि को गंवाया, जो उनकी कृषि उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आदान अनुप्रयोग की खरीद में देरी ने फसल उत्पादकता में नुकसान को और बढ़ा दिया। सभी अध्ययन राज्यों में 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, किसानों को श्रम (78 प्रतिशत), पौधों की सुरक्षा के लिए रसायनों

की खरीद (46 प्रतिशत), और कृषि-उपकरणों और मशीनों को खरीदने के साथ-साथ किराए पर लेने में (41 प्रतिशत) भुगतान करने में कठिनाई हुई।

इसके अलावा, यह बताया गया है कि डीलरों/व्यापारियों ने इनपुट की कीमतों में वृद्धि की, जब किसानों ने इन इनपुटों को उधार पर खरीदा। दो-तिहाई से अधिक नमूना किसानों (68 प्रतिशत) ने सूचित किया कि उन्होंने विमुद्रीकरण के दौरान व्यापारियों/डीलरों को कच्चे माल पर 15 प्रतिशत तक अधिक कीमत चुकाई थी। इनपुट चैनल के अलावा, विमुद्रीकरण ने कृषि उत्पादों की बिक्री, परिवहन, विपणन और वितरण जैसे आउटपुट चैनलों को बाधित कर दिया। उपज का कम बाजार मूल्य (36 प्रतिशत), बेचा नहीं जा रहा उत्पाद (32 प्रतिशत), और बाजार में उपज का कोई भुगतान नहीं (31 प्रतिशत) विमुद्रीकरण के बाद की अवधि (रबी मौसम) में उत्तरदाताओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा, कुछ उत्तरदाताओं ने परिवहन सुविधा (9 प्रतिशत) प्राप्त करने में असमर्थता की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप खराब होने वाले खाद्य पदार्थ बर्बाद हो गए। उपज की बिक्री के बाद भी, किसानों को खरीदारों से विलंबित भुगतान प्राप्त हुआ। तीन अध्ययन राज्यों में लगभग चार से पांच किसानों ने नोटबंदी के बाद खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने में एक से पंद्रह दिनों तक की देरी की सूचना दी।

पशुधन कृषि क्षेत्र के लिए आय का द्वितीयक स्रोत है। नोटबंदी अवधि के दौरान खेत जानवरों का प्रबंधन और मवेशियों को चारा उपलब्ध कराना पशुधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। पशुधन रखने वाले लगभग तीन से पांच किसानों (59 प्रतिशत) ने नकद भुगतान करके पशु चारा खरीदा, इसके बाद स्थानीय व्यापारियों (15 प्रतिशत) से उधार पर खरीद की। जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपना पशु चारा स्वयं तैयार किया, 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि नकदी रोकड़ की कमी के कारण वे पशु चारा नहीं खरीद सकते थे।

निरक्षरता और सुरक्षा के मुद्दों के कारण, अधिकांश किसानों के पास सीमित लेनदेन के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करने के लिए बैंक खाते हैं। लगभग 94 प्रतिशत किसान कृषि गतिविधियों/भुगतान के लिए डिजिटल लेन-देन नहीं अपना रहे हैं। नोटबंदी से पहले और बाद में लेन-देन के तरीके में कोई अंतर नहीं है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन किसानों के बैंक खातों में पैसा है, वे बैंकों में नए नोटों की कमी और भारत सरकार द्वारा निकासी पर प्रतिबंध के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके। जिन किसानों को प्रतीक्षा अवधि के बाद भी नकद राशि प्राप्त हुई, उन्होंने इसे अपने बैंक खातों में बैंकों और एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के डर से जमा नहीं किया, जिसका उपयोग आगे परिवारों और कृषि में किया जा सकता है। उन्होंने विमुद्रीकरण के बाद भी आपात स्थिति के लिए घर पर बड़ी मात्रा में पैसा रखा है और बैंक खातों में नाममात्र की राशि रखी है। इसलिए, सरकार को कार्यान्वयन से पहले कृषि जैसे नकदी-गहन क्षेत्रों के लिए खरीद, मूल्य निर्धारण और इनपुट अनुप्रयोगों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक देखभाल और योजना बनानी चाहिए।

निष्कर्ष:

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि नोटबंदी के कारण फसलों की कीमतों में कमी के कारण किसानों की आय में वृद्धि में गिरावट आई है। नकदी की अनुपलब्धता, अधिकांश कृषि उपज के लिए कम बाजार मूल्य द्वारा बल दिया गया, शुद्ध बोनस क्षेत्र के लिए इनपुट अनुप्रयोगों को प्राप्त करने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो बाद की भूमि की तैयारी के लिए फसल उत्पादकता के लिए हानिकारक था। अध्ययन के उपाख्यानानात्मक साक्ष्य से पता चलता है कि किसानों ने कृषि गतिविधियों के लिए किसानों द्वारा अपनाई गई कुछ रणनीतियों के रूप में क्रेडिट के लिए अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क के आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी परिचित परंपराओं का सहारा लिया।

कुल मिलाकर, अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि विमुद्रीकरण का किसानों की आजीविका पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रभाव पड़ा। हमारा अनुसंधान कृषि क्षेत्र में खर्चों के नकद आधारित भुगतान के प्रभुत्व को इंगित करता है। वित्तीय लेनदेन के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान सभी राज्यों में अध्ययन उत्तरदाताओं के बीच नगण्य रहा। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र को छोड़कर, अध्ययन के उत्तरदाताओं के बीच डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाने और स्वीकार करने की दर कम रही। हालाँकि अल्पावधि में कैशलेस लेन-देन के लिए स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि हुई थी, लेकिन कृषि गतिविधियों के लिए कैशलेस/डिजिटल लेनदेन को अपनाना महत्वपूर्ण नहीं था।

भविष्य में निर्णय लेने में निम्नलिखित सुझावों/सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है।

- कृषि बाजारों में लेन-देन के लिए आवश्यक योजनाएं
- सरकारों द्वारा उपज की खरीद
- नोटबंदी से पहले इनपुट अनुप्रयोगों के लिए राहत कोष
- वित्तीय/डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण किया जाना है
- डिजिटल लेनदेन के बारे में बेहतर जागरूकता
- सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी- प्रौद्योगिकी अवसंरचना- पूरे ग्रामीण भारत में
- डिजिटल भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाना
- डिजिटल लेनदेन पर सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाना
- सामूहिकता के माध्यम से किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना
- कृषि आपूर्ति/मूल्य शृंखला को मजबूत करना
- नकदी संकट की स्थिति में पशुओं को उचित चारे के साथ सहायता करना

7. भारत में विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन

डॉ वानिशी जोसेफ
डॉ भास्कर राव

प्रस्तावना

“राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने पर बहुत जोर दिया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की संरचना में ऐसी संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट घटक होंगे। यह नीति सभी राज्य सरकारों से 2005 तक ऐसी संस्थाओं को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत करने पर विचार करने का आग्रह करती है। इसे प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन सामान्यता के अतिरिक्त समारोह प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के शासन के तहत सेवा वितरण पर एक अध्ययन किया गया।

उद्देश्य:

- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए विकेंद्रीकृत योजना का आकलन करना
- जमीनी स्तर पर संस्थागत तंत्र की जांच करना
- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आने वाली समस्याओं की पहचान करना
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करना

पद्धति:

अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। प्राथमिक डेटा अध्ययन क्षेत्र से संरचित और असंरचित प्रश्नावली और उत्तरदाताओं, लाइन विभाग, डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों के साथ साक्षात्कार दोनों की मदद से क्षेत्र से एकत्र किया जाता है। इस अध्ययन में, अध्ययन की नमूना इकाइयों का चयन करने के लिए एक बहु-स्तरीय नमूना पद्धति का उपयोग किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा और केरल

निष्कर्ष:

- जबकि वीएचएनएससी समितियों का गठन आम तौर पर अध्ययन जिलों में दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, उनका प्रशिक्षण और नियोजन और निर्दिष्ट कार्यों का अनुपालन बहुत कमजोर था
- राज्यों में वीएचएनएससी सदस्य अपनी भूमिकाओं के बारे में स्पष्ट नहीं थे, सीएचडब्ल्यू को छोड़कर, जिनकी समितियों में संयोजक के रूप में विशिष्ट भूमिकाएँ हैं

- iii. यद्यपि सामाजिक और भौगोलिक रूप से सीमांत समूहों का समितियों में प्रतिनिधित्व किया गया था, उनकी भागीदारी अनियमित थी
- iv. नोट किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वीएचएसएनसी और जीपीपीएफटी के बीच समन्वय की कमी है। जीपीडीपी न तो वीएचएसएनसी के परामर्श से किया जाता है और न ही वे इसमें भाग लेते हैं। स्वास्थ्य योजना जीपीडीपी में एकीकृत नहीं है। ये दोनों अलग-अलग निकायों के रूप में मौजूद हैं, और गतिविधि का कोई अभिसरण नहीं हुआ है।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

डॉ. श्रीनिवास सज्जा
डॉ. सी. धीरजा

प्रस्तावना

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), जिसे पहले इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के रूप में जाना जाता था; और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की एक प्रमुख योजना है, जो शुरू से ही गरीबी से ग्रस्त उन परिवारों की सहायता कर रही है जो या तो बेघर हैं या उनके पास सुरक्षित और स्थायी आश्रय के निर्माण के लिए अपर्याप्त आवास सुविधाएं हैं। आवास एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है; यह मानव अस्तित्व के साथ-साथ एक सभ्य जीवन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। पहले के अध्ययनों से यह देखा गया है कि लाभार्थियों के चयन और किशतों को जारी करने में अनियमितताएं, सहायक सेवाओं और अभिसरण योजनाओं का प्रावधान न करना, लाभार्थी द्वारा बनाई गई संरचना/निर्माण तकनीक की पसंद से सहमत होने से इनकार करना आदि हो रहे हैं जो पीएमएवाई-जी की भावना को कमजोर करते हैं। इस प्रकार, उपरोक्त अवलोकन की जांच करने और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, 2013 से पीएमएवाई-जी में संशोधित दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद से सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू की गई है। पीएमएवाई-जी दिशानिर्देश बताते हैं कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) को पीएमएवाई-जी के सभी घटकों की सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए जोड़ा जा सकता है, जिसमें हाउस साइट कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी शामिल है।

विभिन्न राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा ने संदेह से परे साबित कर दिया है कि यदि प्रशासन के पास पारदर्शिता सुरक्षा उपाय करने की इच्छा है और अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होने का इरादा है, तो वे सामाजिक लेखापरीक्षा में लिए गए निर्णयों का पालन करने के लिए प्रक्रिया को अपना सकते हैं और प्रतिबद्ध रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया आधिकारिक संचालित के बजाय अधिक समुदाय संचालित होनी चाहिए, इसलिए इसे और अधिक संस्थागत बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन भी अपनाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, पीएमएवाई-जी में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए वर्तमान अध्ययन का प्रस्ताव है।

उद्देश्य:

- क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हो रही सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन करना
- ख) सामाजिक लेखापरीक्षा करने में प्रभावशीलता का आकलन करना और बाधाओं की पहचान करना

- ग) प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन के बाद के चरणों पर सामाजिक लेखापरीक्षा के परिणामों और प्रभावों का विश्लेषण करना
- घ) 2017-18 के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और की गई कार्रवाई के राज्य-स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण करना
- ड) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के संस्थानीकरण के लिए संशोधनों का सुझाव देना

पद्धति:

अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों, ग्राम पंचायतों और नमूना प्रतिवादी परिवारों के चयन के लिए एक बहु-स्तरीय उद्देश्यपूर्ण यादृच्छिक नमूनाकरण प्रक्रिया अपनाई गई। पहले चरण में, तीन राज्यों, अर्थात् मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जानबूझकर चयन किया गया था क्योंकि अध्ययन के समय पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा भारत में केवल इन्हीं राज्यों में आयोजित की जा रही थी। दूसरे चरण में, कुल आठ ग्राम पंचायतों - चार सामाजिक रूप से लेखापरीक्षित और चार गैर-सामाजिक लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। तीसरे चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत से यादृच्छिक रूप से 10 परिवारों का चयन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया था। मेघालय भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मेघालय की आबादी का अधिकांश हिस्सा जनजातीय लोगों का है। वे कई आदिवासी समूहों से संबंधित हैं, और उनमें खासी सबसे बड़ा समूह है, जिसके बाद गारो और जयंतिया आते हैं। मेघालय में, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने 2017-18 में आईएवाई योजना और 2018-19 में पीएमएवाई-जी के लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान की। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। देश में इसकी आबादी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो मोटे तौर पर राज्य के भीतर पांच क्षेत्रों में विभाजित हैं - पश्चिम प्रदेश, रोहिलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश में, पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा 2016 से साल में एक बार की जाती है। एसएयू मनरेगा योजना के साथ-साथ पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान कर रहा है। पश्चिम बंगाल में, एसएयू राज्य ग्रामीण विकास एजेंसी के तहत काम कर रहा है। वे तीन योजनाओं, अर्थात् मनरेगा, पीएमएवाई और एनएसएपी की सामाजिक लेखा परीक्षा कर रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

सभी तीन राज्य (मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) साल में एक बार पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन करते हैं। पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा मनरेगा के साथ-साथ की जा रही है। सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पांच दिनों और पश्चिम बंगाल में 15 दिनों में होती है। मेघालय में, दिनों की संख्या व्यय, ग्राम पंचायत के आकार और बस्तियों पर निर्भर करती है। जबकि सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है, एटीआर अनुपस्थित है और केवल यूपी, डब्ल्यूबी और मेघालय

में कुछ ही उदाहरणों में पढा जाता है। इसका कारण जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करना और एसएयू को कार्रवाई की गई रिपोर्ट नहीं मिलना बताया जा रहा है। यह केवल पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा के एटीआर के मामले में हो रहा है। मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए, वे एटीआर भी साझा कर रहे हैं और उन्हें एमआईएस में अपलोड कर रहे हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ तीनों राज्यों में समान थीं; यह केवल इन राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के बीच प्रमुख बाधाओं की पहचान करने के मामले में भिन्न है। मेघालय में, उन्होंने अपर्याप्त निधि को सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में सूचीबद्ध किया, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दस्तावेजों/डेटा का प्रावधान न करना है। इन राज्यों में पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान जिन अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनमें सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लाभार्थियों के सहयोग और भागीदारी की कमी, मेघालय में पहाड़ी इलाके और परिवहन समस्या, सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए अपर्याप्त समय, सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की कमी, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान तकनीकी सहायता की कमी और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के चयन और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्रोत व्यक्तियों ने कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रतिभूति या सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप और ग्रामीण स्रोत व्यक्तियों की आयु सीमा थी।

निष्कर्ष:

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की निगरानी ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर कार्यान्वयन और विकास को सुनिश्चित करेगी। सामाजिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है जो भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में दक्षता के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है। लेकिन अध्ययन के समय पीएमएवाई-जी योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा पूरे देश में नहीं हो रही थी। अध्ययन में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा ने योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद की है। हालांकि, यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में योजना के बारे में जागरूकता की कमी थी, इसलिए अधिकांश लाभार्थी इसका ठीक से उपयोग नहीं कर सके। यद्यपि मेघालय को छोड़कर, आवास के प्रकार प्रदान किए गए थे, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ लाभार्थियों ने कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिए गए डिजाइन को चुना। परिणामस्वरूप, तीनों राज्यों में लागत में वृद्धि और आवास को पूरा करने में असमर्थता देखी गई। शासन के संबंध में, पहचाना गया एक प्रमुख मुद्दा तीनों राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की स्वतंत्रता की कमी था। इन राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को अलग-अलग मात्रा में प्रभावित/नियंत्रित किया जा रहा था, नियंत्रण के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर था। परिणामस्वरूप, निर्णय लेने की प्रक्रिया, विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने में, तब तक प्रभावित होती है जब तक कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयां स्वतंत्र न हों। आर्थिक रूप से भी सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयां कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्भर हैं। एक अन्य मुद्दा सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों पर अधिकारियों का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में, सामाजिक लेखापरीक्षा के जिला स्रोत व्यक्ति जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को रिपोर्ट करते हैं, जो वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार होते हैं और जिनकी सिफारिश पर उनका अनुबंध बढ़ाया जाता है। पश्चिम बंगाल में,

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का निदेशक ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मेघालय में, खंड विकास अधिकारी सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ये कुछ बाधाएँ हैं जिनका सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने में सामना करना पड़ता है। एक सकारात्मक नोट पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश बनाए हैं और उन्हें नवंबर 2019 में जारी किया है, जिससे राज्यों के लिए पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा करना अनिवार्य हो गया है।

9. उन्नत भारत अभियान योजना का मूल्यांकन - उद्देश्यों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए एक त्वरित गहन अध्ययन

डॉ जी वेंकट राजू
डॉ वानिशी जोसेफ

प्रस्तावना

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यूबीए गांवों के विकास के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने हेतु ग्रामीण भारत के लोगों के साथ काम करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय और छात्रों को सक्षम करने का अवसर प्रदान करता है। यूबीए का लक्ष्य 10 वर्षों के भीतर देश के सभी गांवों तक पहुंचना है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, भागीदार संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के नीतिगत मार्गदर्शन के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर मार्गदर्शन और समन्वय तंत्र के साथ-साथ दिशानिर्देशों का एक श्रेणी मौजूद है। 142 संस्थानों के साथ 2014 के मध्य में गतिविधियों के पहले चरण (यूबीए 1.0) की शुरुआत करते हुए, यह योजना दूसरे चरण (यूबीए 2.0) से गुजरी है, जो अब 2,374 पीआई (तकनीकी और गैर-तकनीकी) के नामांकन के साथ है। इन संस्थानों ने 29 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के 232 जिलों को कवर करते हुए लगभग 12,500 गांवों का अभिग्रहण किया है। पिछले तीन वर्षों के लिए 99.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटन था।

एनआईआरडीपीआर को आउटपुट के वितरण को प्राप्त करने और अपेक्षित परिणाम (परिणाम और प्रभाव) प्राप्त करने के दायरे का आकलन करने के लिए योजना कार्यान्वयन की दिशा को जानने और जाँचने की दृष्टि से कार्यान्वित यूबीए योजना गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए सौंपा गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से यूबीए के संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर योजना के पुनर्गठन में आवश्यक परिवर्तनों के पूर्वज्ञान के लिए है क्योंकि यह योजना अपने वर्तमान कार्यकाल के अंत की ओर अग्रसर है।

उद्देश्य:

अध्ययन का उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि को सुगम या बाधित करते हैं और निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ते हैं:

- क. यूबीए योजना के कार्यान्वयन में की गई गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा और जांच करना
- ख. योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और इसमें शामिल संस्थानों के प्रदर्शन को मापना; और
- ग. यूबीए योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले पुनर्गठन के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना और उनकी सिफारिश करना

क्रियाविधि:

अध्ययन में विशेष रूप से तैयार की गई अनुसूची का उपयोग पीआई, क्षेत्रीय समन्वयक संस्थानों (आरसीआई), विषय विशेषज्ञ समूहों (एसईजी) के साथ-साथ लाभार्थियों जैसे ग्रामीणों और छात्रों से सीधे साक्षात्कार, यूबीए प्रकोष्ठ की स्थापना जैसी प्रमुख यूबीए गतिविधियों के संबंध में एफजीडी और ईमेल, घरेलू सर्वेक्षण, ग्राम सर्वेक्षण, ग्राम विकास योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम/अभियान/जागरूकता शिविर, हस्तक्षेप और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए किया गया है। सभी 12 एसईजी और 45 आरसीआई के नियोजित सार्वभौमिक कवरेज के खिलाफ, केवल दो एसईजी और 27 आरसीआई (19 तकनीकी और आठ गैर-तकनीकी) ने जवाब दिया है। योजना के अनुसार, प्रत्येक नमूना राज्य से प्रत्येक प्रकार के न्यूनतम दो संस्थानों के साथ कुल 27 नमूना भाग लेने वाले संस्थानों (16 तकनीकी और 11 गैर-तकनीकी) को कवर किया गया है। इसके अलावा, व्यक्तियों और समूहों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया - 131 गांवों से 655 ग्राम-स्तरीय व्यक्तिगत उत्तरदाता, 480 ग्रामीणों की बातचीत के साथ हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए 36 एफजीडी और 648 छात्रों की बातचीत के साथ 25 एफजीडी। प्रगति रिपोर्ट, अभिलेख आदि से द्वितीयक आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र: अध्ययन पांच राज्यों, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से संबंधित है।

निष्कर्ष:

ग्रामीण समुदायों के लाभों को दर्शाने वाली गतिविधियाँ ज्यादातर ग्राम समुदायों के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के सामान्य पहलुओं से संबंधित थीं, लेकिन यूबीए मानदंडों के तहत तकनीकी और प्रबंधकीय समाधान से संबंधित नहीं थीं। इससे पता चलता है कि यूबीए योजना की समझ की कमी बहुत स्पष्ट है। जैसा कि योजना बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने का इरादा रखती है, प्रासंगिक आवश्यकताओं की पहचान करने में उस दिशा में संस्थानों का ध्यान ज्यादातर मामलों में लुप्त था। ग्रामीण संरचना और कार्यकर्ताओं की पूरी समझ की कमी अभिसरण प्रयासों के माध्यम से मानव और वित्तीय संसाधनों को साझा करने में संस्थानों के बीच निराशा का कारण बनती है। हालांकि, कुछ संस्थानों की बिना निधि की भागीदारी के व्यक्तिगत संकाय के प्रयासों की सफलता एक प्रेरणा हो सकती है। पीआई द्वारा लिए गए कई निर्णयों में ग्राम समुदायों, एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों की राय पर विचार नहीं करना एक कमी है।

ज्यादातर मामलों में, प्रौद्योगिकी विकास के लिए हस्तक्षेप आदर्श कार्य हैं, और ग्रामीण समुदायों के मुद्दों/समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकृत हस्तक्षेपों के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन की नवीनता भी लुप्त है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और समन्वय के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। तकनीकी संस्थान निधि संसाधन जुटाने में बेहतर हैं, जबकि गैर-तकनीकी संस्थान राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एनएसएस) जैसी ग्रामीण गतिविधियों को संचालित करने के लिए समुदायों को जुटाने में थोड़ा आगे हैं।

समापन:

ग्रामीण समुदायों के लाभों को दर्शाने वाली गतिविधियाँ ज्यादातर संवेदीकरण और सामुदायिक जागरूकता के सामान्य पहलुओं से संबंधित थीं, लेकिन यूबीए मानदंडों के तहत तकनीकी और प्रबंधकीय समाधान बिल्कुल नहीं थीं। जैसा कि योजना बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने का इरादा रखती है, प्रासंगिक आवश्यकताओं की पहचान करने में उस दिशा में संस्थानों का ध्यान ज्यादातर मामलों में लुप्त था। ग्रामीण संरचना और कार्यकर्ताओं की पूरी समझ का

अभाव अभिसरण को संभव बनाने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों को पूल करने में संस्थानों के बीच निराशा का कारण बनता है। हालांकि, कुछ संस्थानों की बिना निधि की भागीदारी के व्यक्तिगत संकाय के प्रयासों की सफलता एक प्रेरणा हो सकती है। पीआई द्वारा लिए गए कई निर्णयों में ग्राम समुदायों, एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों की राय पर विचार नहीं करना एक कमी है।

ज्यादातर मामलों में, प्रौद्योगिकी विकास के लिए हस्तक्षेप आदर्श हैं, और ग्रामीण समुदायों के मुद्दों/समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकृत हस्तक्षेपों के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन की नवीनता भी गायब है। तकनीकी संस्थान धन संसाधन जुटाने में बेहतर हैं जबकि गैर-तकनीकी संस्थान एनएसएस जैसी ग्रामीण गतिविधियों में समुदायों को जुटाने में थोड़ा आगे हैं। शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं की बाधाओं के कारण, अधिक गांव का दौरा करने के लिए संस्थानों का दायरा सीमित था। उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में परिष्कृत दिशानिर्देशों के साथ यूबीए योजना के संचालन के लिए छात्रों का उत्साह आशा की किरण है।

ग्रामीण स्तर के मुद्दों को संबोधित करने के साथ-साथ छात्रों द्वारा व्यावहारिक कार्योन्मुखता प्राप्त करने के लिए बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने की बहुत गुंजाइश है। यूबीए योजना को जारी रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इस अध्ययन से निकाले गए निष्कर्षों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और उपयोगिता के लिए योजना के पुनर्गठन के लिए विशिष्ट सिफारिशें की गईं।

10. एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सतर्कता प्रणाली की भूमिका- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मामला

डॉ. सी. धीरजा

प्रस्तावना

मनरेगा, 70,000 करोड़ रुपये के अनुमानित वार्षिक व्यय के साथ, दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम है। इसने अपने अधिकार-आधारित ढांचे के माध्यम से पिछले मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया, जो मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र ने मजबूत निगरानी और सतर्कता प्रणाली के लिए गुंजाइश बनाई। मनरेगा में सतर्कता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यान्वयनकर्ताओं को कार्यक्रम का अधिकतम परिणाम मिले।

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 ने सभी राज्यों को सुझाव दिया कि वे अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए त्रि-स्तरीय सतर्कता तंत्र की व्यवस्था करें और सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की गई अनियमितताओं और दुर्भावनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करें, और यह सुनिश्चित करें कि दोषियों को दंडित किया जाए, और अपव्ययित रकम की उचित रूप से वसूली की जाती है। दिशानिर्देशों में प्रस्तावित सतर्कता प्रणाली का पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य में पालन नहीं किया जाता है। मनरेगा दिशानिर्देश 2013 में ही त्रि-स्तरीय सतर्कता प्रणाली के संदर्भ से पहले, आंध्र प्रदेश सरकार ने पीआर एवं आरडी जीओ सं.327 दिनांक 15.9.2010 के माध्यम से, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक सतर्कता प्रणाली की स्थापना की। इस संदर्भ में सतर्कता प्रणाली पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करने और सिफारिशें देने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि सभी राज्य इसे अपना सकें।

उद्देश्य:

- सतर्कता प्रणाली के नीति ढांचे और प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना
- सतर्कता प्रणाली के लिए सक्षम और बाधक कारकों की पहचान करना
- सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और की गई कार्रवाई पर सतर्कता प्रणाली के प्रभाव का विश्लेषण करना
- सतर्कता प्रणाली को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को परिचालन संबंधी सुधारों और नीतिगत सिफारिशों का सुझाव देना

अध्ययन के दायरे में निम्नलिखित पहलू शामिल थे:

- सतर्कता प्रणाली के लिए नीतिगत ढांचा (जारी किए गए शासनादेश और सतर्कता का दायरा)

- सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने के लिए मनरेगा के तहत सतर्कता की वर्तमान संरचना की प्रभावशीलता
- कार्रवाई करने के लिए सतर्कता प्रणाली की स्वतंत्रता
- निधि की आवश्यकता है और प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध है
- किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सामने आए मुद्दों और की गई कार्रवाइयों से कोई भी विचलन (वित्तीय गबन, प्रक्रियात्मक विचलन और शिकायतें, आदि)
- क्या विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए कोई सलाह/संग्रह विकसित किया गया है
- सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई के अलावा, कौन से तंत्र मौजूद हैं, जैसे मुद्दों को स्वतः उठाना, शिकायत निवारण हेल्पलाइन, अप्रत्याशित क्षेत्र का दौरा, आदि?
- क्या कोई लोकपाल प्रणाली मौजूद है, और यदि ऐसा है तो इसके साथ कोई अभिसरण है
- कार्रवाई करने में सतर्कता अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
- सतर्कता प्रणाली के लिए सक्षम और बाधा कारक
- अन्य राज्यों में प्रणाली को बढ़ाने की व्यवहार्यता

सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गई कार्रवाइयों की संख्या के आधार पर अधिक विश्लेषण के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रत्येक राज्य से दो जिलों का चयन किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर प्रक्रिया, उपलब्धियों, चुनौतियों और सतर्कता प्रणाली के तत्काल प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया गया था। डेटा का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का मिश्रण किया गया था। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की राय और धारणाओं का विश्लेषण करने के लिए सामग्री विश्लेषण का उपयोग किया गया था। मनरेगा की सतर्कता प्रणाली में शामिल पहलुओं को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत जैसी सरल सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया था।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश में सतर्कता प्रणाली का प्रारंभ व्यापक था। की गई कार्रवाई के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ एक विस्तृत ऑर्गोग्राम प्रस्तुत किया गया। कार्रवाइयों के अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया विस्तृत थी। एचआरएमएस से एमआईएस डेटा के आधार पर, उठाए गए कुल मुद्दों, गलत तरीके से निर्धारित राशि, बरामद राशि, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती कार्रवाई का विश्लेषण और प्रस्तुती की जाती है। विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करने के बाद, सतर्कता प्रणाली का एक विस्तृत एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। सतर्कता के संबंध में जारी किए गए सभी शासनादेश संदर्भ के लिए अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं। विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

- निधि के पर्याप्त प्रवाह के साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र सतर्कता प्रणाली का होना
- जैसा कि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, सतर्कता प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से सिविल इंजीनियरों और एक लेखा परीक्षक को नियुक्त करने की आवश्यकता है
- सामाजिक अंकेक्षण इकाई एवं सतर्कता प्रकोष्ठ का समुचित समन्वय स्थापित किया जाये। सामाजिक लेखापरीक्षा पैरा का सतर्कता पैरा के साथ मिलान किया जाना चाहिए। दोनों सिरों पर पैरा की संख्या में भारी अंतर होता है
- सामाजिक लेखापरीक्षा और इसके एमआईएस दोनों पर सतर्कता कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है
- छोड़े गए पैरा को उचित कारणों के साथ प्रलेखित किया जाना चाहिए
- संदर्भित पैरा पर फोकस जारी रहना चाहिए
- ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा को ठीक से बनाए रखने के लिए एचआरएमएस को मजबूत किया जाएगा
- वसूली, जुर्माने, संदर्भित पैरा, विलंबित भुगतान और माप विचलन पर उचित डेटा बनाए रखा जाना चाहिए
- वसूली के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाइयों जैसी अन्य अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए
- भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे
- सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को रिकॉर्ड जमा न करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है
- सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि यदि किसी बड़े मुद्दे की पहचान की जाती है तो वे सामाजिक लेखा परीक्षा में भाग लें

कुल मिलाकर, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की सतर्कता प्रणाली सामाजिक लेखापरीक्षा में पाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करके मनरेगा निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने की गुंजाइश प्रदान करती है और इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाती है। इस प्रकार, इसे अन्य राज्यों में शुरू करने की जोरदार सिफारिश की जा सकती है।

11. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का सामाजिक लेखापरीक्षा : आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन

डॉ. श्रीनिवास सज्जा
डॉ. राजेश कुमार सिन्हा
डॉ. सी. धीरजा

प्रस्तावना

1995 में स्वतंत्रता दिवस पर, भारत सरकार (जीओआई) ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को पूरी तरह से वित्तपोषित, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता का एक बुनियादी स्तर प्रदान करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा निराश्रित लोगों की पहचान करना था। वर्ष 2007 से, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया गया। वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) कर दिया गया। अधिक कमजोर समूहों को कवर करने के लिए 2009 में एनएसएपी का विस्तार किया गया। फरवरी 2009 में भारत सरकार ने 40-64 आयु वर्ग की बीपीएल विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) रखा गया। भारत सरकार ने 18-64 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर या बहु-विकलांगता से पीड़ित बीपीएल व्यक्तियों के लिए भी पेंशन को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) रखा गया। एनएसएपी में वर्तमान में इसके घटकों के रूप में चार उप-योजनाएं शामिल हैं: क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) और घ) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)। एनएसएपी दिशानिर्देशों, अध्याय 6.1 में यह उल्लेख किया गया है कि अंतराल को पूरा करने और लक्षित लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा अनिवार्य है। सामाजिक लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल योजनाओं के परिशोधन की ओर ले जाता है बल्कि लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाता है।

उद्देश्य:

आंध्र प्रदेश में एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और आंध्र प्रदेश में एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा में लाभार्थियों की जागरूकता स्तर, भागीदारी और धारणाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए मामला अध्ययन शुरू किया गया है। इनके साथ-साथ, अध्ययन का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है।

क्रियाविधि

यह अध्ययन आंध्र प्रदेश में किया गया था क्योंकि एनएसएपी का सामाजिक लेखापरीक्षा केवल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हो रहा था। राज्य में एक अच्छी तरह से स्थापित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के अस्तित्व के कारण आंध्र प्रदेश का चयन किया गया था। बहु आयाम प्रतिदर्श पद्धति का उपयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश के पांच जिलों से पांच ग्राम पंचायतों को चुना गया और प्रत्येक ग्राम पंचायत से दस लाभार्थियों को अध्ययन के लिए चुना गया। अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग किया गया था। 50 एनएसएपी लाभार्थियों, निदेशक, एसएयू और कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए गए। एसएयू के 66 स्रोत व्यक्तियों को प्रश्नावली दी गई। इसके साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों में एफजीडी कराई गई।

अध्ययन क्षेत्र

पांच जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अध्ययन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतें थीं, चित्तूर जिले से ताडुकु, पूर्वी गोदावरी जिले से बिलकुर, करनूल जिले से बेतमचेरला, प्रकाशम जिले से त्रिपुरांतकम और विजयनगरम जिले से वेंकम्पेटा।

निष्कर्ष

अध्ययन ने आंध्र प्रदेश में हो रही एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया। यह देखा गया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशन का वितरण हर महीने एक निश्चित स्थान पर होता था। सामाजिक लेखापरीक्षा ने निर्धारित प्रारूपों का उपयोग करके गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों को नियोजित किया है। वितरित सभी पेंशन मनरेगा सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में लाभार्थियों की भागीदारी अधिक थी, लेकिन लाभार्थियों को सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा का विवरण याद नहीं था जैसे कि इसकी अध्यक्षता किसने की और सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी जिसे सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की आवृत्ति से जोड़ा जा सकता है। एनएसएपी का सामाजिक लेखापरीक्षा साल में दो बार के बजाय साल में सिर्फ एक बार किया जाता था। ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में हितग्राहियों की भागीदारी कम थी अर्थात् 46 प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि उन्होंने प्रखंड स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में भाग लिया था। एफजीडी के दौरान, लाभार्थियों ने ब्लॉक-स्तरीय जन सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण बताया। चित्तूर जिले में परिवहन की पहुंच का अभाव, पूर्वी गोदावरी और प्रकाशम जिलों में, उन्होंने उल्लेख किया कि सुनवाई स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन की लागत, दैनिक मजदूरी का नुकसान, सुनवाई स्थल का समय और दूरी आदि कम भागीदारी के प्रमुख कारण थे। अध्ययन से पता चला कि अधिकांश लाभार्थियों को पेंशन योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के बारे में अच्छी जानकारी है; जिन लाभार्थियों का साक्षात्कार किया गया, उनमें से 96 प्रतिशत ने कहा कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के बारे में जानते हैं और पेंशन योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा उनकी ग्राम पंचायत में हुआ है।

अधिकांश स्रोत व्यक्तियों ने कहा कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्यबल की कमी के कारण काम का बोझ एसएसपी और एसएसयू निधियों के सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रमुख चुनौती थी। एसएसपी और एसएसयू निधि (एनएसएपी) के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा पर उचित प्रशिक्षण की कमी और सामाजिक लेखापरीक्षा की अस्वीकृति को अस्वीकार करना आम चुनौतियां थीं। पहले एसएसयू एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर चार दिन खर्च करता था, लेकिन 10 फीसदी पेंशन का लेखापरीक्षा करने का फैसला करने के बाद इसे घटाकर तीन कर दिया गया। अधिकांश लाभार्थियों (96 प्रतिशत) ने सहमति व्यक्त की कि विभिन्न पेंशन योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा समुदाय के लिए उपयोगी है, और 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने भविष्य के सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।

निष्कर्ष

आंध्र प्रदेश की सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट, देश की पहली सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट होने के नाते, कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू करने में सबसे आगे रही है। लेकिन प्रशासकों के

समर्थन की कमी ने इसे 2019-19 के दौरान एनएसएपी में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को कम करने के लिए मजबूर किया है और धन की कमी के कारण 2019-20 से पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि, अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय गबन के बहुत कम मामलों के साथ योजना का कार्यान्वयन सही था। यह सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट द्वारा अपनाई गई मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, जो आंध्र प्रदेश में पेंशन योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति के बावजूद योजना कार्यान्वयन अच्छा रहेगा। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा के रूप में होने वाली निगरानी के कारण ही कार्यान्वयन अच्छा है। सामाजिक लेखापरीक्षा के संस्थागतकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने एनएसएपी में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए नवंबर 2019 में नए दिशानिर्देश जारी किए।

12. जीपीडीपी के कार्यान्वयन में सरपंच के प्रदर्शन का एक मामला अध्ययन

डॉ अंजन कुमार भंज

प्रस्तावना

सरपंचों के सक्षम नेतृत्व ने भी ग्राम पंचायत को सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वे स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने में कभी नहीं हिचकिचाते हैं। नेतृत्व के अलावा, उनकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी ने ग्राम पंचायत विकास योजना को ठीक से लागू करके अपनी-अपनी पंचायतों में सफल और श्रेष्ठ पद्धतियों पर तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सफल कार्य बदली हुई प्रक्रियाएँ और दृष्टिकोण हैं जो बेहतर परिणाम देती हैं और दूसरों को ऐसे अनुभवों से सीखने में मदद करती हैं। एक ग्राम पंचायत की श्रेष्ठ पद्धतियाँ अन्य ग्राम पंचायतों के लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे ग्राम सभा में भाग लेने के लिए लोगों को जुटाना और गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के बारे में जानकारी और ज्ञान का प्रसार करना। प्रलेखित पद्धतियाँ उस प्रेरक प्रेरणा को सामने लाती हैं जो ग्राम पंचायतों की सफलता के लिए जिम्मेदार है। ये अध्ययन हमें कार्यान्वयन की चुनौतियों को सूचीबद्ध करने और यह पता लगाने में मदद करते हैं कि पंचायतें उन चुनौतियों से कैसे पार पाती हैं। जब अन्य पंचायतों के बीच परिचालित किया जाता है, तो ये अध्ययन ग्राम पंचायत के अधिकारियों और नागरिकों को ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में ऐसी श्रेष्ठ पद्धतियाँ को दोहराने के लिए जागरूकता पैदा करते हैं और प्रेरित करते हैं।

उद्देश्य:

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- क) अन्य पंचायतों में बड़े प्रसार के लिए मामला अध्ययन को विकसित, संकलित और प्रकाशित करना
- ख) ग्राम पंचायत विकास योजना में इस तरह की श्रेष्ठ पद्धतियों को दोहराने के लिए ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और नागरिकों को जागरूक करना और प्रेरित करना।

क्रियाविधि

ग्राम पंचायत की तीन महत्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात् ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शोषण से बच्चों की सुरक्षा और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण और समग्र रूप से ग्राम पंचायत के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए तीन मामला अध्ययन विकसित की गई हैं। ग्राम

पंचायतों को अंतिम रूप देने के लिए पीआर और आरडी विभागों के अधिकारियों और चयनित राज्यों के एसआईआरडी के संकाय सदस्यों से परामर्श किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

तीन मामला अध्ययन विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात से तीन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इन तीन राज्यों को देश के भौगोलिक कारक को देखते हुए चुना गया था। एक राज्य पूर्वी भारत से, दूसरा दक्षिण भारत से और तीसरा पश्चिमी भारत से लिया गया था।

निष्कर्ष

राजनकुंटे ग्राम पंचायत, कर्नाटक

- राजनकुंटे ग्राम पंचायत ने अपनी नियोजित और सहभागी स्थानीय विकास पहल के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन और समावेशी विकास लाया है।
- ग्राम पंचायत, अपनी अच्छी तरह से तैयार जीपीडीपी से, उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने और ग्राम स्तर पर शासन में सुधार करने का प्रयास कर रही है।
- ग्राम पंचायत ने जीपीडीपी तैयार करने में भागीदारी योजना सुनिश्चित की है और जीपीडीपी समिति के गठन, डेटा संग्रह और स्थितिजन्य विश्लेषण जैसी प्राथमिकता वाली गतिविधियों की पहचान करने के लिए सभी चरणों का पालन किया है। इसके अलावा, जीपी ने कई कार्यक्रमों और योजनाओं से विभिन्न अन्य संसाधनों को अभिसरण करके आकांक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के बीच बेमेल की विशिष्ट समस्या का समाधान किया है
- योजना गतिविधियों की समावेशी योजना और प्राथमिकता ने ग्राम पंचायत कमियों को दूर करने और गांव के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संभावनाओं की पहचान करने में मदद की है।
- ग्राम पंचायत को राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुकूल जीपी के रूप में सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत ने गांव को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गाँव में बाल-सुलभ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उठाए गए कदम हैं 1) 100 प्रतिशत स्कूल नामांकन और 0 प्रतिशत स्कूल छोड़ना, 2) लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग कार्यात्मक शौचालय और

प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल में पर्याप्त पेयजल सुविधा, 3) प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का पार्क 4) कुपोषण मुक्त गांव 5) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/ किताबें/ लैपटॉप/ साइकिल 6) खेल में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए सहायता 7) स्कूलों में विशेष स्वास्थ्य देखभाल शिविर और स्मार्ट क्लासरूम 8) अलग तरीके सक्षम बच्चों के लिए विशेष सहायता।

- इसके अलावा, जीपी ने बच्चों से संबंधित मुद्दों और अधिकारों पर चर्चा करने के लिए बच्चों की ग्राम सभा का आयोजन किया है। इससे न केवल अधिकारियों को उन विषयों को समझने में मदद मिली है जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि स्थानीय शासन प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की है।
- जीपी ने विभिन्न हितधारकों की भागीदारी द्वारा पेड़ों को काटने से रोकने और वनीकरण में तेजी लाने के लिए पहल की। जीपी द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं - पेड़ लगाना, गांवों में पार्क बनाना और स्थानीय स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके कभी-कभार पौधों का वितरण करने के लिए विशेष अभियान चलाना।
- जीपी ने स्थानीय केबल टीवी पर ग्राम सभा और जीपी बैठकों का प्रसारण करके, प्रश्नों और समाधानों की ऑनलाइन चर्चा, मोबाइल वैन के माध्यम से सूचना और नोटिस का प्रसार और बैंकों के माध्यम से करों/ शुल्क का संग्रह करके पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया है।
- ग्राम पंचायत अध्यक्ष के सक्रिय नेतृत्व, निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सहयोग और लाइन विभाग के अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय ने ग्राम पंचायत को प्रमुख स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

दारामाली ग्राम पंचायत, गुजरात

- गुजरात के प्रथम 'कुशल गांव' के रूप में जानी जाने वाली दारामाली ग्राम पंचायत ने सक्रिय जमीनी नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और मौजूदा सरकारी योजनाओं से संसाधनों के उपयोग द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण परिवर्तन लाया है।
- जीपी ने विकासात्मक जरूरतों और विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं के बीच एक कड़ी स्थापित करके गांव की आवश्यकताओं को पूरा किया है। ग्राम पंचायत ने ग्रामीण कायाकल्प के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं की लगातार पहचान की है, संबंधित प्रस्ताव तैयार किए हैं और स्थानीय विकास के लिए धन का उपयोग किया

है। विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए जीपी के अपने स्रोत राजस्व का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया गया था

- गांव को 2015 में गुजरात सरकार से 'कुशल गांव' पुरस्कार मिला। जीपी द्वारा निम्नलिखित पहल की गई: 1) युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, 2) महिला एसएचजी सदस्यों के लिए विशेष उद्यमशीलता कौशल प्रशिक्षण, 3 'महिला एसएचजी द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए) 'ग्राम हाट' का विकास, और 4) लोगों के 100 प्रतिशत रोजगार। इन पहलों ने स्थानीय महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया
- गांव को हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायत ने स्थानीय युवाओं की मदद से हर मानसून में कम से कम 100 पेड़ लगाए हैं
- जीपी ने निम्नलिखित उपाय करके स्वच्छता, पेयजल और सफाई के क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य किए हैं, जैसे: 1) घरों, बाजारों और दुकानों से घर-घर कचरा संग्रह, 2) निगरानी और खुले में शौच के लिए 1000 रुपये का जुर्माना 3) गाँव की नियमित सफाई, और 4) नकद और श्रम में सामुदायिक योगदान
- जीपी ने स्मार्ट जीपी नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके एक स्मार्ट गांव सुनिश्चित किया है- ऑनलाइन कर संग्रह, ई-सेवा वितरण, ग्रामीणों को वाई-फाई इंटरनेट सेवाएं, सीसीटीवी से निगरानी, एलईडी स्ट्रीटलाइट और सार्वजनिक पता प्रणाली, ग्राम पंचायत में बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई-लाइब्रेरी, नौकरियों और विभिन्न अन्य मुद्दों के बारे में ज्ञान और सूचना बैंक, पारदर्शी जीपी शासन के लिए डीआरएमएल मोबाइल ऐप, ऑनलाइन कर संग्रह सुविधा और शिकायत प्रबंधन प्रणाली
- ग्राम पंचायत द्वारा की गई विभिन्न अन्य अभिनव पहल है रक्तदाताओं के क्लब का गठन, प्राथमिक विद्यालय को 'मॉडल स्कूल' के रूप में बढ़ावा देना, वृक्षारोपण बोर्ड और पंचायत पत्रिका।

प्रतापादित्यनगर ग्राम पंचायत, पश्चिम बंगाल

- प्रतापादित्यनगर ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रक्रिया को स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक रूप से जोड़ने और स्थानीय रूप से जुटाए गए संसाधनों का उपयोग करने

के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करके सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित किया है

- जीपी ने हर साल जीपीडीपी की तैयारी के दौरान स्थितिजन्य विश्लेषण के एक भाग के रूप में समस्या-संसाधन-संभावित विश्लेषण किया है, जिसके माध्यम से शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, पशुपालन, बुनियादी ढांचा, स्वच्छता और पेयजल के क्षेत्रों में प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों की पहचान की गई थी।
- जीपी ने जीपीडीपी की मदद से इन चुनौतियों का समाधान किया। जीपी-निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से एकत्रित किया गया और एक एकीकृत जीपीडीपी तैयार करने में लगाया गया। जीपीडीपी तैयार करने में निम्नलिखित कदम उठाए गए- ग्राम पंचायत फैसिलिटेटिंग टीम (जीपीएफटी) का गठन, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा संग्रह और विश्लेषण, ग्राम संसद बैठक, और विभिन्न संसाधनों और योजनाओं का अभिसरण।
- जीपी ने पिछले कुछ वर्षों में एसडीजी को जीपीडीपी से जोड़ने का प्रयास किया है। निम्नलिखित प्रमुख नियोजित गतिविधियाँ हैं जिनके जीपी स्तर पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष एसडीजी से जुड़े परिणाम हैं- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (अपशिष्ट से धन) और इको पार्क, 735 स्ट्रीटलाइट लगाना, तालाबों की खुदाई, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, कृषि और मत्स्य पालन- संबंधित गतिविधियाँ, महिला एसएचजी सदस्यों का प्रशिक्षण और कौशल विकास, आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूरक पोषण संबंधी सहायता, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और जागरूकता निर्माण, जीपी के सभी परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल।
- जीपी ने विशेष रूप से स्वयं स्रोत राजस्व सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्राम पंचायत ने पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम की धारा 46 का अच्छा उपयोग किया है और नियमित आधार पर स्थानीय निवासियों से भूमि और भवन कर (एलबीटी) एकत्र किया है। एलबीटी (कर मांग के खिलाफ संग्रह) की वर्तमान वसूली दर 78 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत ने वाहनों के पंजीकरण, व्यापार चलाने के लिए पंजीकरण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञापन के प्रदर्शन आदि के लिए शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि भी लगाया।
- प्रतापादित्यनगर जीपी की एसएलडब्ल्यूएम परियोजना पश्चिम बंगाल में एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए एक राज्य-स्तरीय मॉडल बन गई है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तीन मामला अध्ययनों से, हम निस्संदेह कह सकते हैं कि स्थानीय शासी निकाय के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक और मानव विकास-केंद्रित शासन में बड़े बदलाव लाने के लिए संसाधनों की उचित योजना और उपयोग आवश्यक है। पर्याप्त रूप से नियोजित और उपयोग किए जाने पर जीपीडीपी स्थानीय शासन प्रक्रिया को अधिक सहभागी और समावेशी बना सकते हैं। तीनों ग्राम पंचायतों ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों की इष्टतम पहचान की है और स्थानीय रूप से जुटाए गए संसाधनों का उपयोग करके उन्हें हल किया है। उन्होंने स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करने में जीपीडीपी की क्षमता की पहचान की है। इस प्रकार, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 'स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग' की प्रथा को सभी ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर दोहराया जाना चाहिए।

राजनकुंटे ग्राम पंचायत द्वारा गांव को बच्चों के अनुकूल बनाने की पहल को एक उदाहरण के रूप लेना चाहिए ताकि अन्य जीपी को बच्चों के समग्र विकास में मदद के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई करने के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके। शासन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में ग्राम पंचायत की अभिनव पहल को अन्य राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा दोहराया जाना चाहिए।

दारामाली ग्राम पंचायत के 'कुशल गांव' का मामला अध्ययन दर्शाती है कि कौशल प्रशिक्षण पहल और एसएचजी सशक्तिकरण पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना सकता है। स्मार्ट जीपी-नागरिक केंद्रित सेवाओं के निर्माण में ग्राम पंचायत की पहल ने गांव के लोगों की मदद की है।

प्रतापादित्यनगर जीपी की जीपीडीपी की प्रभावी और कुशल योजना ने साबित कर दिया है कि योजना प्रक्रिया को गाँव के सामाजिक-आर्थिक विकास को साकार करने के लिए परिणामोन्मुखी होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट तरल प्रबंधन परियोजना को अपशिष्ट प्रबंधन और इससे जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एसडीजी को अपनी योजना प्रक्रिया में एकीकृत करने के जीपी के प्रयासों को ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एसडीजी और इसके संकेतकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए।

निर्वाचित प्रतिनिधियों का सक्षम नेतृत्व, लोगों के लिए काम करने की उनकी इच्छा और स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी सक्रिय पहल को सभी ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को

प्रेरित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए। उपरोक्त तीन मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वयं के स्रोत राजस्व सृजन और योजनाओं के अभिसरण पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय समुदायों और लाइन विभागों की सक्रिय भागीदारी से ग्राम पंचायत को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को महसूस करने के लिए तैयारी के प्रमुख चरणों (डेटा संग्रह, स्थितिजन्य विश्लेषण, आदि) का पालन करना, योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इन कदमों का पालन करने से ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, जिसके माध्यम से वे गांव के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें 'स्थानीय आवश्यकता-आधारित विकास योजना' के सिद्धांत का पालन करें। जागरूकता पैदा करने और सर्वोत्तम पद्धतियों को दोहराने के लिए इन मामलों के अध्ययन को ईआरएस और जीपी के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

13. ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन का कार्यान्वयन - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का एक मामला अध्ययन

श्री के राजेश्वर
श्री मनु महाजन

प्रस्तावना

ई-जिला मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के तहत 31 एमएमपी में से एक है। ई-जिला एमएमपी का उद्देश्य जिला, उप-मंडल और ग्राम स्तर पर चिन्हित नागरिक-केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। इसमें भाग लेने वाले विभागों में वर्कफ्लो, बैकएंड कम्प्यूटरीकरण और डेटा डिजिटलीकरण के स्वचालन की भी परिकल्पना की गई है। यह ऑनलाइन सत्यापन और प्रक्रिया के पूर्ण स्वचालन के लिए विभिन्न डिजिटल डेटाबेस को एकीकृत करता है। पायलट चरण में 40 जिलों सहित 672 जिलों में से 553 में राष्ट्रव्यापी, ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश ने सभी 12 जिलों में ई-जिला सेवाएं शुरू की हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी), स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) और कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) के प्रमुख एनईजीपी घटकों का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है। राज्य डेटा केंद्र, हिम स्वान और नागरिक सेवा/लोक मित्र केंद्र परियोजना के तीन स्तंभ हैं। नागरिक कई चैनलों जैसे लोक मित्र केंद्र (एलएमके) केंद्र या सुगम केंद्र या ऑनलाइन वेब लॉगिन और विभाग कार्यालय के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी के तहत इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), भारत सरकार के तत्वावधान में एक ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन पेश किया है और इसकी परिकल्पना जिला स्तर पर नागरिकों को निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य में, जिला प्रशासन जी2सी सेवाओं के लिए प्राथमिक वितरण चैनल है। वित्त वर्ष में 2018-19 में, कांगड़ा जिले ने सबसे अधिक 1.44 मिलियन लेनदेन दर्ज किए, जहां एलएमके ने 1.42 मिलियन लेनदेन के साथ जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान कीं। राजस्व विभाग से संबंधित अधिकतम आवेदन वेब लॉगिन का उपयोग करके प्रस्तुत किए गए थे और एलएमके/सीएससी ने अधिकतम बिल भुगतान एकत्र किए। इन आंकड़ों ने कहा है कि कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन को अपनाना शुरू कर दिया है, और एलएमके लोगों को बेहतर सेवा दे रहा है। सफलता की यह कहानी रोल

आउट की प्रक्रिया, जागरूकता और एप्लिकेशन को निष्पादित करने में आने वाली चुनौतियों और सक्षम करने वाले कारकों को समझने में मदद करेगी।

अध्ययन के दायरे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन को लागू करना और सेवाओं की डिजिटल पैठ का अध्ययन करना, जमीनी स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन का उपयोग करना और उन सेवाओं से लाभार्थियों को कैसे लाभ होता है, का अध्ययन शामिल है।

कांगड़ा जिले में, उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर और लिंगानुपात के कारण चार ब्लॉकों का चयन किया गया था, इंदौरा, बैजनाथ, लंबागांव और कांगड़ा। लाभार्थियों की सूची पिछले दो महीनों के दौरान विभाग और एलएमके अधिकारियों से एकत्र की गई है, जबकि एलएमके विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

मुख्य निष्कर्ष और प्रमुख सफलता कारक

- जनगणना रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य की साक्षरता दर 82.8 प्रतिशत है। ट्राई के अनुसार, और ई-पीडीएस के अनुसार टेलीघनत्व 148 प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 13.42 प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं। चार ब्लॉकों के नमूने के आकार में, 84 प्रतिशत स्नातक और उसके ऊपर हैं, सभी चार ब्लॉकों के 80 प्रतिशत उत्तरदाता डिजिटल उपकरणों से लैस हैं, और 83.5 प्रतिशत उत्तरदाता इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह राज्य में एक बहुत मजबूत डिजिटल पैठ का प्रतिनिधित्व करता है
- 81.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पता है कि डिजिटल डिवाइस को कैसे संचालित किया जाता है, लेकिन 77.75 प्रतिशत केवल बुनियादी/मध्यवर्ती स्तर पर ही काम करते हैं। यह भी पाया गया है कि उनमें से केवल 26 प्रतिशत ने किसी भी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में भाग लिया है और 69.6 प्रतिशत ने डिजिटल साक्षरता में व्यावहारिक प्रशिक्षण में अपनी रुचि दिखाई है। इसके अनुपात में, बहुत कम लाभार्थियों, यानी 8 प्रतिशत ने सीधे वेब लॉगिन के माध्यम से ई-सेवाओं का लाभ उठाया। यह दर्शाता है कि क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है, जो ग्रामीण लोगों को ई-सेवाओं से लाभान्वित करने में मदद करता है।
- नमूना आकार के शत प्रतिशत लाभार्थियों को ई-सेवाओं के बारे में पता है, लेकिन 55.65 प्रतिशत को पता है कि ये ई-सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन के तहत शुरू की गई हैं। दोस्तों और सामाजिक

समारोहों, और सोशल मीडिया क्रमशः 60.12 प्रतिशत और 19.4 प्रतिशत के साथ प्रवेश के प्रमुख स्रोत हैं। यह भी दर्शाता है कि सामाजिक मीडिया का उपयोग करके ग्राम सभा के माध्यम से सार्वजनिक समारोहों जैसे अधिक जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने चाहिए।

- पीपीपी मोड के तहत पंचायत स्तर पर स्थापित राज्य नागरिक सेवा केंद्र लोक मित्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। सीएससी ई-सेवाओं और नागरिकों के बीच चैनल हैं; नमूने के आकार में, 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल सीएससी के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठाया है। लाभार्थी सीएससी की सेवाओं से खुश हैं क्योंकि 95 प्रतिशत ने पाया कि वे बिना अधिक समय लिए सेवाएं प्रदान करते हैं और 66.7 प्रतिशत ने कहा कि वे समय सीमा के भीतर सेवा करते हैं। यह भी पाया गया है कि 80 प्रतिशत लाभार्थियों को कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला है, और अधिकांश एलएमके, यानी 53.3 प्रतिशत ने कहा कि कोई निगरानी नहीं है। आईटी विभाग को सीएससी की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सीएससी के लिए अधिक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के साथ इन सेवाओं के लिए प्रेरणा बढ़ाई जानी चाहिए।
- पोर्टल में नागरिक का विश्वास प्रमुख कारक है। विश्लेषण में, यह पाया गया कि वेब लॉगिन के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पोर्टल की डेटा सुरक्षा पर भरोसा किया। पोर्टल लगातार नए डेटाबेस और सेवाओं के साथ एकीकृत हो रहा है, इस क्रम में, एसएसएल प्रमाणन और दो-कारक प्रमाणीकरण को आवेदन में शामिल करने की आवश्यकता है
- उपयोगकर्ताओं ने एप्लिकेशन को उपयोगकर्ता अनुकूल और उत्तरदायी पाया और इसे अच्छा मूल्यांकन किया। इसके अलावा, 100 प्रतिशत विभागीय अधिकारियों ने समग्र गुणवत्ता को अच्छा बताया। आईटी विभाग भी ग्रामीण जनता तक आवेदन की पहुंच बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकों को लागू करने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में लोग पेपरलेस तरीके से सेवाओं का लाभ उठाएंगे।
- किसी भी जिले की प्रगति के लिए अनुसूचित वर्ग व पिछड़े वर्ग का उत्थान जरूरी है। एकत्रित आंकड़ों से, यह स्पष्ट है कि 78.3 प्रतिशत, यानी अधिकांश नमूने केवल इसी श्रेणी के हैं, जो ई-सेवाओं का उपयोग करके अनुसूचित/पिछड़े वर्ग के उनके उत्थान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नमूना आकार यह भी दर्शाता है कि अधिकांश लाभार्थी सीमांत परिवारों से संबंधित हैं, यानी 65 प्रतिशत 30,000 से 1,00,000 रुपये तक की आय स्लैब में हैं। जिसका अर्थ है कि ई-सेवाएं वास्तव में

उन लोगों की सेवा कर रही हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और इन सेवाओं के लिए तहसील /उप-मंडल /जिला कार्यालयों का दौरा नहीं कर सके।

- कुल मिलाकर, यह अभ्यास दो उद्देश्यों को पूरा करता है- पहला, प्राप्त 13 संकेतकों के कुल अंकों के आधार पर, इस तथ्य का स्पष्ट समर्थन कि चयनित संकेतक ई-पोर्टल के 'कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाते हैं' और दूसरा, कार्यान्वयन की स्थिति देखी जा सकती है और तीन अलग-अलग आयामों के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन किया गया है जो डिजिटल पैठ, एलएमके उपयोगिता और पोर्टल विशेषताएं हैं। दूसरा भाग कार्यान्वयन एजेंसियों को उन आयामों के संबंध में उचित कदम उठाने में सक्षम करेगा, जो कम स्कोर देते हैं। इस दृष्टि से यह अभ्यास स्थितियों में अपनाने के लिए उपयोगी है।

14. फसल उत्पादन में वर्तमान श्रम उपयोग और संभावित अधिशेष श्रम

एनआईआरडीपीआर और फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज

अनुसंधान परियोजना फसल उत्पादन में श्रम अवशोषण के स्तरों की जांच करती है और भारत में विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित 20 गांवों में इन स्तरों में भिन्नता की पहचान करती है। अध्ययन 1) ग्रामीण कार्यबल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या की मात्रा निर्धारित करता है, 2) श्रम की सीमा का अनुमान लगाता है जिसे फसल उत्पादन से कहीं और लाभकारी रोजगार के लिए वापस लिया जा सकता है, और 3) इस संभावित अधिशेष श्रम, विशेषकर इसकी लिंग संरचना के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को भी प्रदान करता है।

अध्ययन की विधि:

परियोजना उपरोक्त उद्देश्यों का पता लगाने के लिए फाउंडेशन के अभिलेखागार से मौजूदा डेटा का उपयोग करती है। 2005 से, फाउंडेशन की एक प्रमुख गतिविधि ग्रामीण अध्ययन का भारतव्यापी कार्यक्रम रही है। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, फाउंडेशन ने देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में स्थित 12 राज्यों के 27 गांवों से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है। वर्तमान अध्ययन उद्देश्यों का पता लगाने के लिए 20 गांवों के सबसेट के डेटा का उपयोग करता है।

मुख्य निष्कर्ष :

1. फसल उत्पादन और श्रम आपूर्ति में श्रम अवशोषण के स्तर: सभी अध्ययन गांवों में फसल उत्पादन में मौसम का प्रभाव प्रमुख रहा। उनमें से अधिकांश में, फसल उत्पादन में कुल श्रम का उपयोग रबी की तुलना में खरीफ में अधिक था, मुख्य रूप से खरीफ मौसम में फसल पैटर्न और बड़े सकल फसल क्षेत्र के कारण।

अध्ययन किए गए गांवों में विभिन्न कार्यों के लिए श्रम उपयोग में एक उच्च अंतर-मौसम अंतर था। उनमें से अधिकांश में, फसल और कटाई के बाद के कार्यों के लिए श्रम रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा सृजित किया गया था। फसल उत्पादन में श्रम की मांग में काफी अंतर-मौसमी और अंतरा-मौसमी भिन्नता है।

फसल उत्पादन में श्रम अवशोषण के प्रमुख निर्धारकों में से एक किसी भी उत्पादन प्रणाली में उगाई जाने वाली फसलों का संयोजन रहा है। जबकि उच्च आय के दृष्टिकोण से फसल विविधीकरण पर चर्चा की गई है, श्रम अवशोषण के दृष्टिकोण से फसल विविधीकरण की जांच करने की आवश्यकता है।

महीने के हिसाब से श्रम उपयोग का वितरण श्रम समय के कम उपयोग की विशालता को दर्शाता है। अधिकांश अध्ययन गांवों में, कृषि विकास के स्तर के बावजूद, श्रम की तैनाती कुछ महीनों में केंद्रित थी, विशेषकर कटाई के महीनों में। अनपेक्षित श्रम का अनुपात जिसे फसल उत्पादन से वापस लिया जा सकता है और समय अवधि जिसके लिए इसे वापस लिया जा सकता है, श्रम परिनियोजन के चरम महीने (महीनों) के दौरान अधिशेष श्रम के आकार के आधार पर भिन्न होता है।

2. फसल उत्पादन और संभावित अधिशेष श्रम में वर्तमान श्रम उपयोग का अनुमान: ग्रामीण उत्पादन प्रणालियों में अतिरिक्त श्रम का अनुमान दो चरों, अर्थात् संभावित श्रम आपूर्ति और कुल श्रम उपयोग पर विचार करके लगाया गया था। संभावित श्रम आपूर्ति के संबंध में वर्तमान कुल घरेलू श्रम उपयोग से पता चलता है कि ग्रामीण स्तर पर कामकाजी उम्र की आबादी में गंभीर बेरोजगारी व्याप्त है। अध्ययन किए गए किसी भी गांव में उपलब्ध श्रम का 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया।

अध्ययन किए गए गांवों में संभावित श्रम आपूर्ति की तुलना में फसल उत्पादन में कुल श्रम का उपयोग न्यूनतम था, जो 5 से 29 प्रतिशत के बीच था। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि, प्रौद्योगिकी अपनाने के मौजूदा स्तर को देखते हुए, फसल उत्पादन की श्रम वहन क्षमता को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

श्रम को अवशोषित करने के लिए फसल उत्पादन की सीमित क्षमता और ग्रामीण उत्पादन प्रणाली में श्रमिकों की उपलब्धता को देखते हुए, अध्ययन किए गए गांवों में अधिशेष श्रमिकों, विशेषकर महिला अधिशेष श्रमिकों का अनुपात बहुत अधिक था। उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना अधिशेष श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से फसल उत्पादन से बाहर किया जा सकता है। इससे भी अधिक अधिशेष श्रमिकों को फसल उत्पादन से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है और अन्य क्षेत्रों में अल्पकालिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

यदि अध्ययन गांवों के भीतर या बाहर बेहतर पारिश्रमिक, गैर-कृषि मजदूरी कार्य उपलब्ध होता तो अधिशेष श्रमिक फसल उत्पादन से दूर चले जाते। हालांकि, गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी ने उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए फसल उत्पादन में मजदूरी रोजगार में बने रहने के लिए मजबूर किया।

उत्पादन की ताकतों के मौजूदा प्रावधान के साथ फसल उत्पादन इतने बड़े कार्यबल को नहीं ले जा सकता है। कोई भी तकनीकी सुधार फसल उत्पादन की श्रम अवशोषण क्षमता को और कम कर देगा, जिससे अधिक श्रमिक बेरोजगार या कम बेरोजगार हो जाएंगे। नीतिगत दृष्टिकोण से, रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए, क्योंकि फसल उत्पादन में अधिक श्रमिकों को समाहित करने की क्षमता नहीं होती है; बल्कि, फसल उत्पादन से कार्यबल के एक महत्वपूर्ण अनुपात को वापस लेने से समग्र रोजगार की स्थिति में सुधार होगा।

हालाँकि भारत के सभी गाँवों के लिए 20 गाँवों के डेटा को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, यह अध्ययन ग्रामीण भारत में श्रम और रोजगार पर किसी भी चर्चा के केंद्र में अधिशेष श्रम के आकार और विशेषताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है।

15. कंप्रेसड मड रूफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और पेवर ब्लॉक्स का डिजाइन और विकास - एक प्रायोगिक कार्य अनुसंधान परियोजना

डॉ. एस. रमेश शक्तिवेल

प्रस्तावना

दीवारों के निर्माण के लिए कंप्रेसड स्टेबलाइज़्ड अर्थ ब्लॉक्स का उपयोग सस्ती और टिकाऊ निर्माण तकनीक में अपनाई जाने वाली एक लोकप्रिय तकनीक है। कम मात्रा में सीमेंट के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करके मुख्य रूप से कंप्रेसड अर्थ ब्लॉक का उत्पादन किया जाता है। हालांकि, घर के लिए आवश्यक छत और फर्श की टाइलें उन उद्योगों से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक ऊर्जा-गहन सामग्री और प्रक्रियाओं का उपयोग करके उनका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, बाजार में उपलब्ध छत और फर्श की टाइलें महंगी हैं और परिवहन में भी अतिरिक्त लागत जोड़ती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, लेखक ने 'संपीडित स्थिर अर्थ टाइलें' विकसित करने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करके निर्माण स्थल पर बनाया जा सकता है और हाथ से संचालित संपीडन मशीनों को नियोजित किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षणों ने छत की टाइलों के विकास में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं जिनका उपयोग कंक्रीट की छत के स्लैब के लिए भराव सामग्री के रूप में किया जा सकता है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार लॉरी बेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। परीक्षणों से यह भी पता चलता है कि बाहरी रास्तों के लिए फर्श की टाइलें और पेवर ब्लॉक बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया का लाभ यह है कि एक आम आदमी घर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक निर्माण सामग्री जैसे ईंटें, छत की टाइलें और फर्श की टाइलें कम कीमत पर अपने दरवाजे पर ही प्राप्त कर सकता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग और एक साधारण हाथ से संचालित कम्प्रेसन मशीन पूरी प्रक्रिया को लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। इस पृष्ठभूमि के साथ, यह कार्य अनुसंधान अध्ययन संपीडित स्थिर अर्थ प्रक्रिया का उपयोग करके रूफ टाइल, फर्श टाइल और पेवर ब्लॉक विकसित करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए प्रस्तावित है। संपीडित टाइल्स और पेवर ब्लॉक का विकास औद्योगिक रूप से उत्पादित उच्च ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय सामग्रियों के उपयोग, घर निर्माण की बढ़ती लागत और निर्माण उद्योग में पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है।

उद्देश्य:

प्रस्तावित अनुसंधान उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- क) टाइलों और पेवर ब्लॉकों और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक मशीनरी के प्रकार के उपयुक्त डिजाइन को डिजाइन और विकसित करना
- ख) उत्पादन की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आयोजित करना और विकसित पेवर ब्लॉकों के डिजाइन को मान्य करना।

कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक (सीएसईबी) टाइल्स और पेवर्स विकसित करने के शुरुआती परीक्षणों के आधार पर, यह पाया गया कि फर्श और छत की टाइलों के रूप में पतले कंप्रेस्ड मड ब्लॉक्स को विकसित करने की कुछ सीमाएँ थीं। इसलिए, इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन में पतली मंजिल और छत की टाइलों के विकास पर काम नहीं किया गया।

क्रियाविधि

मृदा परीक्षण: पेवर ब्लॉक बनाने के लिए लाल मिट्टी की खरीद की गई और अनाज के आकार के वितरण और एटरबर्ग की सीमा जैसे गुणों को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया गया। इन कारकों के आधार पर, मिट्टी, रेत या खदान की धूल और सीमेंट को जोड़ने के लिए डिजाइन मिश्रण पर काम किया गया। विश्लेषण से पहले मिट्टी में मौजूद मोटे कणों और बाहरी वस्तुओं को हटाने के लिए 2 मिमी की छलनी का उपयोग करके मिट्टी को छान लिया गया था। मिट्टी के नमूने के दाने के आकार के विश्लेषण से मिट्टी का प्रतिशत: 22, गाद: 31, रेत: 46 और बजरी: 1 का पता चला। लिक्विड लिमिट का प्रतिशत 54, प्लास्टिक लिमिट 25 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 29 देखा गया।

मिश्रण अनुपात और उत्पादन: परीक्षण के लिए पेवर ब्लॉक तैयार करने के लिए मिट्टी, रेत या खदान की धूल (<2 मिमी), बजरी (2-4 मिमी) और सीमेंट के विभिन्न मिश्रण अनुपातों पर काम किया गया। चूंकि मिट्टी में अधिक मिट्टी होती है और बजरी नहीं होती है, इसलिए मिट्टी में रेत/खदान की धूल और बजरी जोड़ने की सिफारिश की गई थी ताकि सीएसईबी ईंटों का उत्पादन किया जा सके (मैनी, 2010)। इसके अलावा, इस अध्ययन में परीक्षण किए गए मिट्टी, रेत/ खदान धूल और बजरी के विभिन्न अनुपातों के लिए सीमेंट सामग्री क्रमशः 12 और 15 प्रतिशत पर रखी गई थी। सीएसईबी पेवर्स की ताकत और संबंधित गुणों को बढ़ाने के लिए सीएसईबी ईंटों के लिए अनुशंसित 8 प्रतिशत के सामान्य मूल्य की तुलना में सीमेंट का

उच्च प्रतिशत चुना गया था। पेवर ब्लॉक तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी, रेत और खदान की धूल को बड़े कणों को हटाने के लिए 2 मिमी की छलनी का उपयोग करके छान लिया गया। खदान की धूल को छानकर 2-4 मिमी के आवश्यक बजरी कण प्राप्त किए गए थे। इन्हें 2100 पीएसआई के मानक दबाव पर हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग करके टेस्ट पेवर ब्लॉक की तैयारी के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ विभिन्न मिश्रण अनुपातों के अनुसार जोड़ा गया था। परीक्षण किए जाने से पहले प्राप्त पेवर ब्लॉकों को 21 दिनों तक पानी छिड़क कर ठीक किया गया था।

कंप्रेसिव स्ट्रेंथ: सीएसईबी पेवर्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बीआईएस मानक परीक्षण प्रक्रिया संख्या आईएस 3495 (भाग 1): 1992 के अनुसार जली हुई ईंटों के परीक्षण के अनुसार किए गए थे क्योंकि इसमें सीएसईबी पेवर्स के तुलनीय गुण हैं। एक संपीडन परीक्षण मशीन का उपयोग करके परीक्षण किए गए थे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मिश्रण अनुपात की सभी 14 श्रृंखलाओं के लिए पेवर ब्लॉक के नमूने तीन प्रतियों में तैयार किए गए थे, जब उन्हें 21 दिनों तक ठीक करने की अनुमति दी गई थी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का अनुमान लगाने के लिए कुल मिलाकर 42 पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। परीक्षण प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए विफलता लोड मूल्यों को बाद में किलो/वर्ग सेमी में लोड प्रति यूनिट क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया।

जल अवशोषण: बीआईएस मानक परीक्षण प्रक्रियाओं संख्या आईएस 3495 (भाग 2): 1992 के अनुसार पेवर ब्लॉकों के जल अवशोषण परीक्षण किए गए थे। अध्ययन में उपयोग किए गए मिक्स अनुपात की सभी 14 श्रृंखलाओं के लिए तीन प्रतियों में तैयार किए गए पेवर ब्लॉक के नमूनों को इलाज के 21 दिनों के बाद सूखे वजन का निर्धारण करने के लिए तौला गया। जल अवशोषण का अनुमान लगाने के लिए कुल 42 पेवर ब्लॉक का उपयोग किया गया था। नमूनों को हवादार ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस \pm 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तब तक सुखाया गया जब तक कि वे काफी स्थिर द्रव्यमान प्राप्त नहीं कर लेते। सभी नमूनों को कमरे के तापमान तक ठंडा किया गया और फिर उनके सूखे वजन (डीडब्ल्यू) को मापा गया। फिर, सूखे नमूनों को 24 घंटे के तापमान पर पूरी तरह से साफ पानी में डुबोया गया। नमूनों को हटा दिया गया था, पानी के किसी भी निशान को एक नम कपड़े से मिटा दिया गया था, और गीला वजन (डब्ल्यूडब्ल्यू) प्राप्त करने के लिए नमूनों को तौला गया था। जल अवशोषण के प्रतिशत की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की गई थी:

$$\% \text{ of Water Absorption} = ((\text{WW} - \text{DW})/\text{DW}) \times 100$$

(डब्ल्यूडब्ल्यू: पेवर का गीला वजन, डीडब्ल्यू: पेवर का सूखा वजन)

घर्षण सूचकांक: घर्षण गुणों के परीक्षण के लिए घर्षण परीक्षण उपकरण की अनुपस्थिति में, इस अध्ययन में विकसित पेवर्स के प्रदर्शन को समझने के लिए एएसटीएम सी 902 के घर्षण परीक्षण सूचकांक का उपयोग किया जाता है। घर्षण प्रतिरोध पहनने के लिए फ्रश ईट के प्रतिरोध का एक उपाय है। इस परीक्षण में, नीचे दिए गए मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए संपीडित शक्ति और जल अवशोषण के बीच संबंध का उपयोग किया जाता है;

$$\text{Abrasion Index} = (100 \times \text{Water Absorption}) / \text{Compressive Strength}$$

(जहाँ; पानी का अवशोषण % में और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीएसआई में)

अध्ययन क्षेत्र: एक कार्य परियोजना होने के नाते, अध्ययन आरटीपी, एनआईआरडीपीआर में आयोजित किए गए थे।

निष्कर्ष :

- परीक्षणों में सीएसईबी सीएसईबी पेवर्स के लिए देखी गई 113.3 kg/sq.com की उच्चतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आईएस 15658:2006 के अनुसार कंक्रीट पेवर्स के लिए अनुशंसित 330 kg/sq.com कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मान से कम है। हालांकि, परीक्षणों में देखी गई पेवर्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg/sq.com तक की कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाले गैर-मोटर योग्य पैदल पथों में पेवर्स के रूप में उपयोग की जाने वाली द्वितीय श्रेणी की ईटों की तुलना में अधिक है।
- अध्ययन में पेवर्स ब्लॉकों के लिए जल अवशोषण का प्रतिशत 6.60 से 7.86 प्रतिशत के बीच पाया गया। आईएस मानक निर्धारित जल अवशोषण कंक्रीट पेवर्स इसके सूखे वजन का लगभग 6 प्रतिशत है। हालाँकि, जले ईटों के लिए, जिनका उपयोग पेवर्स के रूप में भी किया जाता है, जले ईटों के लिए जल अवशोषण का प्रतिशत आईएस मानक 3495 (भाग 2) :1992 के अनुसार क्रमशः, उच्च वर्ग (12.5 वर्ग से ऊपर) और निम्न वर्ग (12.5 वर्ग तक) के लिए 15 और 20 प्रतिशत की सीमा में है।
- सीएसईबी पेवर की लागत प्रति वर्ग फुट क्षेत्र में रु. 25.53/प्रति वर्ग फुट के साथ सस्ती है। ईट और कंक्रीट पेवर्स के लिए काम की गई दरें क्रमशः 42.11/- वर्ग फीट और रु.31.91/वर्ग फीट है।
- सीएसईबी पेवर्स के प्रति वर्ग फुट क्षेत्र में सन्निहित ऊर्जा और सीओ₂ उत्सर्जन क्रमशः 3.64 एमजे/वर्ग फीट और 0.096 किग्रा/वर्ग फुट के साथ सबसे कम है। ईट पेवर्स और कंक्रीट पेवर्स की तुलना में सीएसईबी पेवर प्रति वर्ग फुट क्षेत्र के लिए गणना की गई सन्निहित ऊर्जा में बचत क्रमशः 528.57

और 85.71 प्रतिशत है। इसी तरह, ईट पेवर्स और कंक्रीट पेवर्स की तुलना में, सीएसईबी पेवर्स के लिए प्रति वर्ग फुट क्षेत्र में निकाले गए समतुल्य सीओ₂ में बचत क्रमशः 306.25 और 66.67 प्रतिशत है।

- कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और पानी के अवशोषण के बीच संबंध के आधार पर पेवर्स के लिए गणना की गई वैल्यू 0.49 से 0.56 तक होती है। 0.49 का निम्नतम मूल्य नमूने डी-I, एस-IV और डी-IV के लिए देखा गया था। एएसटीएम मानक के अनुसार, आवासीय फर्श और आँगन के लिए घर्षण सूचकांक का अधिकतम अनुमत मूल्य 0.50 है।

निष्कर्ष :

इस अध्ययन ने सीएसईबी पेवर ब्लॉकों के गुणों का अध्ययन और प्रस्तुत किया है जो गैर-मोटर योग्य पैदल पथों में उपयोग के लिए कंक्रीट पेवर्स का विकल्प हो सकता है। परिणामों के आधार पर, नमूना डी-IV में 75 प्रतिशत मिट्टी, 15 प्रतिशत खदान की धूल और 10 प्रतिशत बजरी और 15 प्रतिशत सीमेंट का पर्याप्त अनुपात 113.2 किलोग्राम/ वर्ग सें.मी, जल अवशोषण मूल्य 7.86 प्रतिशत और 0.49 घर्षण सूचकांक की संपीड़ित शक्ति के साथ सीएसईबी ईंटों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी में रेत/ खदान की धूल, बजरी और सीमेंट को बढ़ाकर सीएसईबी की ताकत बढ़ाने के लिए आगे के अध्ययन किए जा सकते हैं। इसके अलावा, जली हुई ईंटों और कंक्रीट पेवर्स की तुलना में सीएसईबी पेवर्स के अनुकूल आर्थिक और पर्यावरणीय विचार एक वैकल्पिक टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में उनकी उपयुक्तता का संकेत देते हैं।

नीति सिफारिशें

- सीएसईबी पेवर ब्लॉक, जो गैर-मोटर योग्य पैदल पथों में उपयोग के लिए कंक्रीट पेवर्स के विकल्प के रूप में काम कर सकता है, का अध्ययन किया गया है और प्रस्तुत किया गया है
- जर्जर ईंटों और कंक्रीट पेवर्स की तुलना में सीएसईबी पेवर्स के अनुकूल आर्थिक और पर्यावरणीय विचार एक वैकल्पिक टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में उनकी उपयुक्तता का संकेत देते हैं
- उद्यमी जो सीएसईबी ईंटों का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद के रूप में अपनी उत्पादन लाइन में सीएसईबी पेवर्स को जोड़कर लाभान्वित हो सकते हैं।

16. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए रोटेशन चक्र द्वारा झूम कृषि पर जियोडेटाबेस का निर्माण, मानचित्रण और वेब प्रकाशन: पूर्वोत्तर भारत के सात जिलों का एक अध्ययन

डॉ. ए सिम्हाचलम

डॉ. एन.एस.आर प्रसाद

परिचय

स्थानांतरित खेती मानव सभ्यता के इतिहास में पारंपरिक कृषि पद्धति का सबसे पुराना रूप है और अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित है। झूम कृषि के इतिहास को नवपाषाण काल में लगभग 8000 ईसा पूर्व में देखा जा सकता है, जिसने मनुष्य के भोजन के उत्पादन के तरीके में उल्लेखनीय और क्रांतिकारी परिवर्तन देखा - शिकारी और संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादकों (तिवारी और पंत, 2018) तक।

झूम कृषि का चक्र एक प्राथमिक जंगल को साफ करके कृषि क्षेत्रों की तैयारी के साथ शुरू होता है जहां बड़े पेड़ों को अक्सर काट दिया जाता है और सड़ने के लिए जमीन पर छोड़ दिया जाता है। स्थानांतरित खेती का वर्गीकरण आम तौर पर कृषि की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां खेती की नियमित या छोटी अवधि के बाद खेतों को छोड़ दिया जाता है। फिर खेती के लिए एक नया अनुपयोगी पैच साफ किया जाता है (किंगवेल-बन्हम, 2012)। चक्रावर्तन की दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ एक सीमित अवधि के लिए भूमि का उपयोग और विस्तारित अवधि के लिए एक ही भूमि का परती होना है। चक्र को वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। हफ्तों से लेकर महीनों तक की अवधि के बाद, कटे हुए क्षेत्र को शेष वनस्पति को साफ करने और पोषक तत्वों को छोड़ने के लिए जला दिया जाता है जो बाद में मिट्टी को उर्वरित करता है (मिरेकल, 1967)। उपयोग और परती वर्षों की संख्या के संदर्भ में चक्रावर्तन की अवधि को ध्यान में रखते हुए, कुछ चक्रावर्तन को लघु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र / गांव में इसे लंबे समय तक वर्गीकृत किया गया है। गारो हिल्स, मेघालय (हलोई, 2001) के कई गांवों में तीन साल का सबसे छोटा चक्रावर्तन पाया गया और नागालैंड के कई गांवों (देवी, 2005) में 15 साल की सबसे लंबी अवधि पाई गई। इन आयामों को कई लेखकों (गांगुली, 1990; राम कृष्णन, 1992; दास, 2001; देवी, 2005) द्वारा विभिन्न सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों द्वारा सामने लाया गया है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता के संदर्भ में, छोटी या लंबी अवधि के संदर्भ में रोटेशन चक्र की स्थिति बहुत अधिक प्रभाव डालती

है। स्थानांतरण खेती को वनों की कटाई और गिरावट के मुख्य चालकों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है, जहां खेती के परिदृश्य अलग-अलग उम्र और रचनाओं के साथ परती वनस्पति में भिन्न होते हैं (हेरोल्ड और स्कट्स, 2011; मटर्ज़ एट अला, 2012)। यह एक अच्छी तरह से स्थापित धारणा है कि लंबा चक्रावर्तन उत्पादक और स्थायी होता है, जबकि छोटा चक्र कम उत्पादक होता है और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।

साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट है कि स्थानांतरित खेती उत्तर पूर्व भारत में एक बड़े पैमाने की घटना है, और यह विशेष रूप से सात राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है। इस बड़े पैमाने की घटना पर, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार की ओर से एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। राज्य सरकारों ने वर्षों से झूम को नियंत्रित करने, कम करने या सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। इसलिए, झूम खेती पर डेटाबेस की उपलब्धता के बारे में समीक्षा की जाती है। समीक्षा से पता चलता है कि झूम खेती पर दो डेटाबेस उपलब्ध हैं। एक राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीई एंड एस) के पास उपलब्ध है, और दूसरा राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के पास उपलब्ध है। दोनों स्रोतों में उपलब्ध डेटा क्षेत्र के आँकड़ों पर है। डीई एंड एस इसे प्रिंट रूप में रखता है, जबकि एनआरएससी इसे प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल प्रारूप में भी रखता है। क्षेत्र के आँकड़े दो प्रकार के डेटा प्रदान करते हैं। एक वर्तमान क्षेत्र में है, और दूसरा परित्यक्त या पुराने परती क्षेत्र (एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परती क्षेत्र) में है। डेटा रखरखाव के इकाई स्तर पर एक खोज से पता चलता है कि डीई एंड एस राज्य स्तर और जिला स्तर पर दो प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर दो क्षेत्रीय आंकड़े रखता है। हालाँकि, इन दोनों क्षेत्रों के आँकड़े गाँव के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं जहाँ यह खेती की घटना होती है। यहां तक कि प्रखंड स्तर पर भी, जो विकास कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ये दोनों क्षेत्रीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चक्रावर्तन के अनुसार डेटा उपलब्धता पर एक और खोज से पता चलता है कि खेती के स्थान पर इस तरह के क्षेत्र के आँकड़ों का पूर्ण अभाव है। झूम खेती के अंतर्गत भूमि उपयोग चक्रीय क्रम में होता है, लेकिन ऐसी वास्तविकता के आंकड़े खोजने के लिए स्रोत में नहीं है। दूसरा स्रोत, यानी एनआरएससी, जो देश भर में झूम खेती पर डेटा उत्पन्न करता है, भारतीय उपग्रह इमेजरी पर आधारित है। जाहिर है, यह एक जियोडेटाबेस है। अब तक, एनआरएससी ने तीन बार अर्थात् 1986-2000, 2003 और 2008-09 के लिए झूम खेती पर डेटा तैयार किया है। झूम खेती पर उत्पन्न क्षेत्र के आँकड़ों में शामिल हैं (ए) वर्तमान झूम के तहत क्षेत्र और (बी)

परित्यक्त झूम या पुराने परती क्षेत्र (एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परती क्षेत्र) के तहत क्षेत्र। ये दो आँकड़े प्रशासनिक इकाइयों के दो स्तरों, अर्थात् राज्य और जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

साथ ही, एजेंसी झूम कृषि की घटना के स्थानिक पैटर्न को दर्शाते हुए मानचित्र प्रारूप में समान दो क्षेत्र आँकड़े प्रस्तुत करती है। संलग्न मानचित्र से स्थानिक पैटर्न की कल्पना की जा सकती है। हालांकि, कैडस्ट्राल सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के लिए एनई इंडिया के पहाड़ी इलाकों में कोई गांव की सीमाएं नहीं हैं, इसलिए जीआईएस पर्यावरण के तहत ग्रामीण स्तर पर दोनों क्षेत्र के आंकड़ों का निष्कर्षण संभव नहीं है। इसी तरह, उसी डेटाबेस में ब्लॉक सीमा के अभाव में ब्लॉक स्तर पर निकालना असंभव है। इस प्रकार, एनआरएससी के पास प्रत्येक गांव के चारों ओर रोटेशन चक्र पर क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि झूम कृषि पर चक्रावर्तन आधारित डेटाबेस तैयार करने के किसी भी प्रयास का पूर्ण अभाव रहा है। इसलिए, एक प्रासंगिक जियोडेटाबेस से आठ साल से कम के रोटेशन चक्र (परती अवधि) और गैर-असुरक्षित गांवों को रोटेशन चक्र में आठ और उससे अधिक वर्षों की परती अवधि के बाद वर्गीकृत करके स्पष्ट रूप से सामने लाने की उम्मीद है।

विभिन्न प्रकार की उपग्रह छवियों (राॅय एट अला, 1985; चक्रवर्ती एट अला, 2015; मोलिनारियो एट अला, 2015; ड्यूट्रीक्स एट अला, 2016; ली और फेंग, 2016; मोलिनारियो एट अला, 2017; श्राइबेल एट अला, 2017; नोंगकिनरिह एट अला, 2018)। झूम खेती के प्रारंभिक चरणों में से एक साफ वनस्पति को जलाना है, लेकिन ऐसे स्थानों में वनस्पति बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए एकल-दिनांक उपग्रह डेटा का उपयोग करना या लंबी अंतराल के साथ बहु-दिनांक उपग्रह डेटा का उपयोग करके स्थानांतरित खेती को मैप करना बहुत मुश्किल है। (फ्रोकिंग, 2009)। सिंगल-डेट मल्टीस्पेक्ट्रल छवियों का उपयोग करते समय एक और समस्या भू-भाग छाया द्वारा वन पुनर्वृद्धि के विभिन्न चरणों में वनस्पति आवरण का मास्किंग है और इसलिए खेती के क्षेत्रों को स्थानांतरित करने की मैपिंग करते समय अशुद्धियों (डोरेन एट अला, 2003) से ग्रस्त हैं। झूम कृषि और इलाके की छाया की गतिशीलता के प्रकाश में यह जरूरी है कि हम उच्च अस्थायी संकल्प के साथ उपग्रह डेटा का उपयोग करें, और इस तरह के डेटा यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (युएसजीएस) से लैंडसैट अभिलेखागार में उपलब्ध हैं, जो 40 से अधिक वर्षों के लिए खाते हैं। स्वतंत्र रूप से उपलब्ध लैंडसैट डेटा (वुडकॉक एट अला, 2008)। मोटे स्थानिक विभेदन उपग्रह डेटा से जुड़े अध्ययन आम तौर पर एक घटक के रूप में भूमि आवरण वर्गों का उत्पादन करते हैं (मायाक्स एट अला, 2000; हैनसेन एट

अला, 2008), लेकिन उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन उपग्रह छवियों की उपलब्धता के साथ, अब यह संभव है स्थानांतरण खेती के चक्र से जुड़े भूमि कवर की एक दीवार से दीवार की विशेषता (ब्वांगॉय एट अला, 2010; पोटापोव एट अला, 2012; अन्स्ट एट अला, 2013)। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग स्थानिक पैटर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पैच के वितरण को समझने के लिए किया जा सकता है।

उद्देश्य:

- नाम और उस क्षेत्र के साथ गांवों (निर्मित) के निपटान घटक को अलग करना जहां प्रत्येक गांव इकाई स्थानांतरित खेती करती है।
- विगत 15 वर्षों की अवधि के लिए स्थानान्तरण कृषि के अंतर्गत वार्षिक रूप से उपयोग किए जाने वाले तथा परती क्षेत्र का मापन करना।
- पिछले 15 वर्षों के अभ्यास के आधार पर झूम खेती के तहत गांववार चक्रावर्तन स्थलों की पहचान करना।
- एक संतुलित पारिस्थितिकी की दहलीज सीमा के आधार पर विभिन्न चक्रावर्तनों के तहत क्षेत्र को वर्गीकृत करना।
- संतुलित पारिस्थितिक थ्रेसहोल्ड सीमा के अनुसार स्थानांतरित कृषि क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
- डेटा की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए वेब जीआईएस एप्लिकेशन और होस्टिंग विकसित करना।

कार्यप्रणाली: दो प्रकार के डेटा का उपयोग झूम कृषि पर जियोडेटाबेस बनाने और मैप करने के लिए किया जा रहा है, और वे हैं:

1. प्राथमिक डेटा
2. माध्यमिक डेटा

प्राथमिक डेटा: प्राथमिक डेटा को व्यावहारिक रूप से अध्ययन क्षेत्र का दौरा करके एकत्र किया गया था, अर्थात्, संबंधित गांव के नाम और शिफ्टिंग खेती पैच की उम्र के साथ-साथ खेती के स्थान के अक्षांश और देशांतर। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जमीनी सच्चाई, गांव की सीमाओं और पैच का स्थान सत्यापन और फोकस समूह चर्चा भी की गई। डेटा का अगला सेट सामाजिक-आर्थिक, कृषि और स्वामित्व पहलुओं पर आधारित था।

द्वितीयक डेटा: द्वितीयक डेटा स्रोत अध्ययन क्षेत्र (2003-2017) की अवधि की उपग्रह इमेजरी थी। दो अलग-अलग प्रकार की उपग्रह इमेजरी अर्थात् लिस IV और लैंडसैट (5 टीएम, 7 ईटीएम+ और 8 ओएलआई) का इस्तेमाल झूम खेती पर जियोडेटाबेस तैयार करने के लिए किया गया था। अलग-अलग उपग्रह चित्रों के दो सेट मुख्य रूप से दो पहलुओं, यानी स्थानिक और लौकिक संकल्प को संबोधित करने के लिए उपयोग किए गए थे।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में उत्तर पूर्व भारत के सात जिले शामिल हैं। सिक्किम राज्य को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य में झूम खेती की पद्धति मौजूद नहीं है। शेष सात राज्यों से, प्रत्येक राज्य से एक जिला जहां झूम खेती की घटना प्रमुख है, को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया था। परियोजना के पहले चरण के तहत चुने गए जिले दीमा हसाओ (असम), अंजाँ (अरुणाचल प्रदेश) और उत्तरी गारो हिल्स (मेघालय) थे। परियोजना के दूसरे चरण के तहत चुने गए जिलों में उखरुल (मणिपुर), चम्फाई (मिजोरम), मोन (नागालैंड) और उत्तरी त्रिपुरा (त्रिपुरा) थे।


जाँच - परिणाम:

सभी सात जिलों के झूम कृषि क्षेत्र का जिला-स्तरीय विश्लेषण सैटेलाइट इमेजरी की मदद से किया गया है, और आंकड़ों से पता चला है कि अध्ययन अवधि (2003-2017) के लिए झूम खेती के तहत क्षेत्र मोन जिले के लिए सबसे अधिक है।, नागालैंड, इसके बाद उत्तरी त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा, चम्फाई जिला, मिजोरम, दीमा हसाओ जिला, असम, उखरुल जिला, मणिपुर, उत्तरी गारो पहाड़ी जिला, मेघालय और अंजाँ जिला, अरुणाचल प्रदेश। मोन जिले के लिए स्थानांतरण खेती के तहत उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 2010 में सबसे अधिक 31,744 हेक्टेयर और 2006 में सबसे कम उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 11,433 हेक्टेयर था। उत्तर त्रिपुरा के लिए, स्थानांतरण खेती के तहत क्षेत्र 2008 में 38003.77 हेक्टेयर में उच्चतम था। चम्फाई जिले के लिए 2016 में झूम खेती का क्षेत्र सबसे अधिक 14255.05 हेक्टेयर था। दीमा हसाओ जिले के लिए, 2015 में स्थानांतरित खेती के तहत उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 15007.905 हेक्टेयर में सबसे अधिक था। उखरुल जिले के लिए, 2004 में 10232.64 हेक्टेयर में स्थानांतरित कृषि के तहत क्षेत्र उच्चतम था; उत्तरी गारो हिल्स जिले के लिए, स्थानांतरण खेती के तहत क्षेत्र 2013 में सबसे अधिक 4989.58 हेक्टेयर था, और अंजाव जिले के लिए, स्थानांतरण खेती के तहत क्षेत्र 2010 में सबसे अधिक 1173.11 हेक्टेयर था।

झूम कृषि क्षेत्र का तुलनात्मक विश्लेषण, जैसा कि तालिका 3.1 और चित्र 3.1 में दिखाया गया है, यह भी इंगित करता है कि 2017 में अंजॉ, उत्तरी गारो पहाड़ियों और दीमा हसाओ में झूम कृषि क्षेत्र का उपयोग कम हो गया। जबकि अन्य जिलों, जैसे उत्तरी त्रिपुरा के लिए, सोम, उखरूल और चम्फाई, इसने अध्ययन अवधि के दौरान वर्ष 2017 में वृद्धि के साथ एक बढ़ती-घटती प्रवृत्ति दिखाई। अध्ययन से निष्कर्षों को प्रकाशित करने और इसे परिचर्ची और उपयोगी बनाने के लिए एक परिचर्चा वेब जीआईएस-आधारित एप्लिकेशन फ्रेंडली बनाया गया है।

तालिका 1: सभी जिलों के झूम कृषि क्षेत्र की तुलना।

एससी उपयोग क्षेत्र							
वर्ष	दीमा हसाओ	अंजॉ	उत्तरी गारो हिल्स	उत्तर त्रिपुरा	मोन	उखरूल	चम्फाई
2003	3045.531	699.45	1871.56	6063.86	21353	5770.25	9749.39
2004	3837.743	721.66	2126.13	11758.51	25613	10232.64	13004.43
2005	3687.481	298.82	2164.99	14808.11	12990	7401.25	12513.67
2006	4223.369	235.04	2426.8	11917.76	11433	5817	12068.89
2007	4520.042	532.90	2760.68	18785.38	15157	6289	7473.39
2008	5635.153	856.23	1894.14	38003.77	25930	8476	9875.25
2009	6192.132	561.12	2048.77	20272.08	26056	6461	8792.74
2010	6448.269	1173.11	2277.78	11027.61	31744	7046	8227.7
2011	6170.621	741.79	1581.33	13146.2	26894	7323	8465.07
2012	11278.414	464.69	2747.7	10785.27	22093	4444	6360.14
2013	12077.429	1046.40	4989.58	13770.99	24156	6374	7060.4
2014	12759.315	1218.14	3820.61	21008.26	21787	7074	5514.28
2015	15007.905	1034.60	2770.89	30685.02	17885	6763	4861.44
2016	12427.236	798.75	3808.81	10672.35	20876	4039	14255.05
2017	9273.659	899.83	2276.96	30251.44	17713	5978	11020.24



चित्र 1: स्थानान्तरण कृषि उपयोग क्षेत्र की जिलेवार तुलना

निष्कर्ष:

झूम कृषि के रोटेशन चक्र मानचित्रण का विश्लेषण पहले जिला स्तर पर किया गया था, उसके बाद ब्लॉक और ग्राम स्तर पर किया गया था। पूरे 15 वर्षों के लिए उपयोग किए गए और परती वर्षों को लेकर रोटेशन चक्र का मैनुअल रूप से विश्लेषण किया गया था। उदाहरण के लिए, 2003 में खेती किए गए पैच को अगले आठ वर्षों तक परती रखा गया और अगले वर्ष फिर से उपयोग किया गया, इसे एक रोटेशन चक्र माना गया। समग्र भेद्यता वर्गीकरण से पता चला है कि पैच की अधिकतम संख्या के साथ-साथ झूम खेती के तहत क्षेत्र गैर-संवेदनशील और अत्यधिक गैर-संवेदनशील समूहों की अंतिम दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जिसके बाद कुछ-कुछ-कमजोर वर्ग आते हैं। जिले में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को प्रकाशित करने और इसे परिचर्ची और उपयोगी के अनुकूल बनाने के लिए एक परिचर्ची वेब जीआईएस-आधारित एप्लिकेशन बनाया गया है। क्षेत्र डेटा सर्वेक्षण और ग्रामीणों के साथ केंद्रित समूह चर्चा ने जिलों में चल रही झूम खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पैच को काटना हर साल फरवरी और मार्च में शुरू होता है और पैच को जलाना मार्च के मध्य से मार्च के अंत तक शुरू होता है। फसलों की खेती या बुआई मार्च-अप्रैल के अंत से शुरू होकर जून तक फसलों पर निर्भर करती है। कटाई की अवधि अगस्त में शुरू होती है और फसल के आधार पर अगले

फरवरी को समाप्त होती है। उदाहरण के लिए, चावल की खेती अप्रैल तक की जाती है और अक्टूबर या नवंबर तक काटा जाता है। इसी तरह, बाजार मूल्य के आधार पर अदरक को अप्रैल/मई तक उगाया जाता है और अगले साल फरवरी/मार्च तक काटा जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट था कि ज्यादातर गांवों में झूम कृषि पैच का उपयोग केवल एक वर्ष के लिए किया जाता है और 6 से 15 वर्षों के लिए परती रखा जाता है। चावल, अदरक, मक्का, मिर्च, तम्बाकू, हल्दी और सब्जियां जैसे कद्दू, बैंगन, सोयाबीन, शिमला मिर्च, सरसों, करेला, तरबूज, खीरा, और छोटे बैंगन मौसमी सब्जियों के साथ पैच में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ग्रामीणों के पास अंगूर, संतरा, अनानास, आम, ट्री बीन, नींबू, गन्ना और केला जैसे फल उगाने के लिए स्थायी पैच भी होते हैं।

पूरे 15 वर्षों के लिए उपयोग किए गए और परती वर्षों को लेकर रोटेशन चक्र का मैन्युअल रूप से विश्लेषण किया गया था। उदाहरण के लिए, 2003 में खेती की गई पैच अगले दो वर्षों तक परती रही, और अगले वर्ष फिर से उपयोग की जाने वाली फसल को रोटेशन चक्र माना गया। समग्र संवेदनशीलता वर्गीकरण से पता चलता है कि पैच की अधिकतम संख्या के साथ-साथ झूम खेती के तहत क्षेत्र क्रमशः आठ साल और 10 साल से कम की अधिक परती अवधि वाले तीन बेहद कमजोर, बड़े पैमाने पर कमजोर और कुछ हद तक कमजोर समूहों के अंतर्गत आते हैं, जो निष्कर्ष निकाला है कि जिले में मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर पर झूम कृषि पद्धति अभी भी बहुत सक्रिय है। इसलिए, स्थानांतरित खेती के अभ्यास को कम करने के लिए, यह सुझाव दिया जा सकता है कि सरकार को उत्तर गारो हिल्स जिले के समान वैकल्पिक उपायों और स्थायी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे टैरेस खेती और समोच्च खेती को लागू करके जिलों में एक सक्रिय कदम उठाना चाहिए। फसलों के उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए। उपरोक्त परिणाम और निष्कर्ष 2003-2017 तक किए गए अध्ययन पर आधारित थे; इसलिए, बेहतर परिणाम और समझ प्राप्त करने के लिए जिलों की झूम खेती की प्रवृत्ति के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करने का सुझाव दिया जा सकता है।

इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात जिलों के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गाँवों में व्यक्तिगत स्तर पर झूम खेती अभी भी बहुत सक्रिय है। भले ही सरकार ने राज्यों में झूम खेती पद्धतियों को कम करने या रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, फिर भी ग्रामीण इसका अभ्यास करना जारी रखते हैं, हालांकि 15 वर्षों के लिए किए गए अध्ययन, यानी, (2003-2017) में पाया गया है कि झूम खेती प्रथा उत्तर त्रिपुरा को छोड़कर, जिसने वर्ष 2017 में अभ्यास में वृद्धि दिखाई, वर्ष 2017 तक घटती-बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई, लेकिन

वर्ष 2017 तक कम हो गई। किसानों द्वारा झूम खेती जारी रखने के कारणों में से एक अपनी खुद की फसल चुनने की स्वतंत्रता है, जो सीढ़ीदार खेती, कंटूर खेती और कुछ अन्य आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ असंभव है। ऊंचाई में भिन्नता, मिट्टी के प्रकार, पानी की कमी, पहुंच की कमी, आदि, विशेष रूप से अंजों और चम्पाई के कुछ क्षेत्रों में, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती हैं और उन्हें स्थानांतरित करने के अभ्यास की ओर ले जाती हैं। खेती करना।

17. समेकन का मूल्यांकन और अंतिम अवधि चरण, बैच -III, पीएमकेएसवाई परियोजनाएं, नागालैंड

डॉ ए .सिंहाचलम

जैसा कि एसएलएनए, आईडब्ल्यूएमपी नागालैंड द्वारा वांछित है, 20 बैच-III पीएमकेएसवाई परियोजनाओं (2011-2012) का समेकन चरण मूल्यांकन और नागालैंड राज्य से संबंधित बैच-III आईडब्ल्यूएमपी / पीएमकेएसवाई परियोजनाओं (2010-11 से 2014-2015) का अंतिम अवधि मूल्यांकन किया गया है। लिया गया और पूरा किया गया।

अंतिम अवधि के मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष:

- ❖ इस मूल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रदर्शन स्कोरिंग और ग्रेडिंग प्रणाली वाटरशेड परियोजना गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए डीओएलआर, एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा डिजाइन की गई प्रणाली के समान है।
- ❖ परियोजनाओं के 14 नमूना एमडब्ल्यूएस इकाइयों से प्राप्त मुख्य रूप से प्राथमिक डेटा का उपयोग करने के लिए मूल्यांकन तैयार किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक नमूना एमडब्ल्यूएस की जांच की गई है, और प्रदर्शन की स्थिति का पता लगाया गया है। फील्ड डेटा संग्रह डब्ल्यूसी, एसएचजी और यूजी के सदस्यों जैसे प्राथमिक हितधारकों के साथ बातचीत पर आधारित है, जो साइटों में समान गतिविधि के सत्यापन के साथ-साथ तस्वीरों, अक्षांश और देशांतर के चित्रण के माध्यम से समर्थित है। परियोजनाओं के पीआईए के पास उपलब्ध माध्यमिक डेटा एकत्र किया गया है और इस मूल्यांकन के लिए आवश्यक स्थानों पर उपयोग किया गया है।
- ❖ 43 मेगावाॉट का भौगोलिक क्षेत्र चार अंत-अवधि के मूल्यांकन परियोजनाओं के तहत 23708.83 हेक्टेयर है, जिसमें से 18346 हेक्टेयर उपचार के लिए लिए गए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77.38 प्रतिशत है। सामान्य दिशा-निर्देशों की विभिन्न शर्तों के अनुपालन की जांच, भौतिक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों की उपलब्धियों का आकलन, प्राथमिक हितधारकों और भौतिक संपत्तियों के संस्थानों की वर्तमान स्थिति और उपरोक्त के प्रदर्शन का आकलन करना मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं।

- ❖ डीओएलआर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले से ही एक स्कोरिंग प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक क्रिया के प्रदर्शन को पाँच मूल्य-आधारित वर्गों, अर्थात् उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और खराब के रूप में व्यक्त करता है। संबंधित स्तर के स्कोर के रूप में मात्रात्मक मान 9.5, 8.5, 7.0, 5.5 और 4.0 हैं। संबंधित स्कोर के प्रतिशत वर्ग उत्कृष्ट के लिए >90 प्रतिशत, बहुत अच्छे के लिए 80 से 90 प्रतिशत, अच्छे के लिए 60 से 80 प्रतिशत, संतोषजनक के लिए 50 से 60 प्रतिशत और गरीब के लिए <50 प्रतिशत हैं। मूल्यांकन ढांचे में 10 व्यापक क्षेत्र/संकेतक शामिल हैं। 10 व्यापक क्षेत्रों में से, सामान्य दिशानिर्देशों की शर्तों/प्रावधानों के अनुसार बहुत अच्छा प्रदर्शन तीन व्यापक क्षेत्रों को पूरा कर सकता है; तीन क्षेत्रों में डीपीआर के अनुसार कार्यान्वित वाटरशेड कार्य/गतिविधियों का सामान्य निष्पादन, कार्य चरण के निष्पादन में सामुदायिक भागीदारी और वित्तीय लेखापरीक्षा शामिल हैं।
- ❖ 10 व्यापक क्षेत्रों में से 'अच्छे' के प्रदर्शन स्तर के संबंध में, सात व्यापक क्षेत्र कार्यों को पूरा करते हैं, यानी प्रारंभिक चरण के ईपीए और एनआरएम कार्यों का प्रदर्शन, वाटरशेड विकास कार्य, कृषि-उत्पादन प्रणाली, आजीविका-समर्थन प्रणाली, कार्य के लिए क्षमता निर्माण, कृषि उत्पादन प्रणाली और आजीविका समर्थन प्रणाली और निधि उपयोग
- ❖ अभिसरण के संबंध में, प्रदर्शन खराब पाया गया है क्योंकि कोई अभिसरण लागू नहीं किया गया था।

सिफारिशें:

विक्षेपण से यह स्पष्ट होता है कि खराब और संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति वाले विषय-स्तरीय संकेतकों पर परियोजना कार्यान्वयन में व्याप्त कमजोरी को दूर करने के लिए पीआईए की ओर से ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

- ❖ अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ पीएमकेएसवाई गतिविधियों के अभिसरण कार्यान्वयन के प्रयास कम देखे गए हैं, और इसलिए दिशानिर्देशों में सुझाए गए अभिसरण कार्यान्वयन के अभ्यास की शुरूआत की सिफारिश की गई है।
- ❖ कृषि आधारित उत्पादों के लिए विपणन अवसंरचना और समर्थन गतिविधियों का अप-स्केलिंग, ऑफ़-फ़ार्म/अनौपचारिक उद्यम स्केलिंग, और अन्य ऑफ़-फ़ार्म उत्पादों/अनौपचारिक गतिविधियों

के लिए विपणन व्यवस्था का पता नहीं चला है। जैसा कि दिशानिर्देशों में सुझाया गया है, यह सिफारिश की जाती है कि परियोजना के पीआईए को सफल गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। पुनः जैविक कृषि एवं विपणन की स्थिति कुछ ही परियोजनाओं में पायी गयी तथा कई परियोजना क्षेत्रों में यह अनुपस्थित पायी गयी। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि सभी परियोजनाओं के पीआईए को ग्रामीणों के बीच जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना चाहिए।

- ❖ अन्य संकेतक देखे गए, अर्थात्, एसएचजी की संस्था को बढ़ावा देने, कृषि-प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने और सफलता की कहानियों के प्रलेखन के माध्यम से आजीविका में वृद्धि जो अच्छी नहीं है लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार संतोषजनक स्तर तक पहुंच गई है। यह अनुशंसा की जाती है कि व्यापक क्षेत्रों के तहत इन विषय-स्तरीय संकेतकों के बेहतर सुधार के लिए पीआईए को अधिक चिंता दिखानी चाहिए।
- ❖ समेकन चरण मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष:
- ❖ परिवर्तन और संशोधन के परिणामस्वरूप पांच व्यापक क्षेत्र स्तर, 22 थीम स्तर और 95 सूक्ष्म-स्तरीय संकेतकों का चयन हुआ। इन संकेतकों के साथ, 59 नमूना एमडब्ल्यूएस द्वारा दर्शाई गई 20 परियोजनाओं की उनके प्रदर्शन की स्थिति का पता लगाकर जांच की गई है
- ❖ 20 समेकित चरण परियोजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र 1,02,428.29 हेक्टेयर है। जिसमें से 86000 हे. उपचार के लिए लिए गए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 83.96 प्रतिशत है। फील्ड डेटा संग्रह डब्ल्यूसी, एसएचजी और यूजी जैसे प्राथमिक हितधारकों के साथ बातचीत पर आधारित है, जो साइटों में समान गतिविधि के सत्यापन के साथ-साथ अक्षांश और देशांतर के साथ उनकी तस्वीरों के चित्रण के माध्यम से समर्थित है।
- ❖ 22 थीम स्तरीय क्षेत्रों/संकेतकों में से केवल दो के संबंध में, प्रदर्शन "बहुत अच्छा" पाया गया है, अर्थात्, सामाजिक संस्थाओं का प्रचार और वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) का प्रबंधन।
- ❖ 22 विषय स्तरीय क्षेत्रों/संकेतकों में से बारह के संबंध में, प्रदर्शन 'अच्छा' पाया गया है, अर्थात्, चार नमूना एमडब्ल्यूएस में पीआईए द्वारा समेकन चरण योजना की स्थिति, समेकन चरण योजना की भौतिक उपलब्धि, समेकन चरण की वित्तीय उपलब्धि योजना, वित्तीय और सामाजिक लेखा परीक्षा, समेकन चरण के दौरान निगरानी, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को अपनाने में पीआईए / डब्ल्यूसी की प्रदर्शन स्थिति डब्ल्यूसीडीसी और पीआईए, एसएचजी और फेडरेशनों को

आजीविका कोष से चक्रावर्तन निधि (आरएफ) के रूप में सहायता, स्थायी, कार्यात्मक इकाई के रूप में डब्ल्यूसी की स्थिति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में निर्मित ताकत, यूजी की स्थिति स्थायी रूप में कार्यात्मक इकाई और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर) तैयार करना। खराब प्रदर्शन संकेतकों की संख्या में पाँच शामिल हैं, और संतोषजनक प्रदर्शन संकेतकों की संख्या में तीन शामिल हैं। स्वयं सहायता समूहों की संस्था को बढ़ावा देने, कृषि-प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने और सफलता की कहानियों के प्रलेखन के माध्यम से आजीविका का विस्तार संतोषजनक पाया गया है, और अभिसरण योजना का कार्यान्वयन, विपणन बुनियादी ढांचे का उन्नयन और कृषि आधारित उत्पादों के लिए सहायक गतिविधियाँ, ऑफ फार्म/अनौपचारिक उद्यम स्केलिंग, अन्य ऑफ फार्म उत्पादों/अनौपचारिक गतिविधियों के लिए विपणन व्यवस्था और जैविक खेती की स्थिति खराब पाई गई।

- ❖ इस प्रकार, 8 थीम स्तरीय क्षेत्रों/संकेतकों के स्कोरिंग और ग्रेडिंग में कमजोर प्रदर्शन पांच खराब और तीन संतोषजनक हैं, जो वाटरशेड परियोजनाओं, 2008/2011 के सामान्य दिशानिर्देशों में वांछित चीजों को ठीक करने के लिए पीआईए के ध्यान के योग्य हैं।
- ❖ 22 थीम-स्तरीय संकेतकों की प्रदर्शन स्थिति, जब परियोजनाओं के स्तर पर देखी जाती है, तो परियोजनाओं की प्रदर्शन स्थिति 6.3 के साथ 'अच्छी' होती है। हालांकि, समग्र परियोजनाओं ने 'अच्छे' प्रदर्शन की स्थिति दर्ज की।

सिफारिशें:

यह अनुशांसा की जाती है कि पीआईए निम्नलिखित कमजोर संकेतकों को संबोधित करें:

1. एसएचजी की आजीविका गतिविधियों को बैंक ऋण, आजीविका कोष और उनके उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है।
2. स्वयं सहायता समूहों की संख्या योजना में प्रस्तावित संख्या से बहुत कम है और इसलिए आगे प्रयास किया जा सकता है।
3. डब्ल्यूसी या संस्थानों जैसे ग्राम परिषद (वीसी)/ग्राम विकास बोर्ड (वीडीबी) का प्राधिकरण डब्ल्यूडीएफ के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है क्योंकि मूल्यांकन के समय कार्य अप्राप्य रहता है।

4. 4 रुपये के साथ एसएचजी की सहायता के वर्तमान पैटर्न के स्थान पर वापसी योग्य वित्तपोषण के रूप में आजीविका कोष से सहायता शुरू की जा सकती है। आरएफ के रूप में 10,000 - 20,000, जो एकमुश्त अनुदान है।
5. डब्ल्यूसी न तो अधिकृत हैं और न ही आजीविका कोष के प्रबंधन कौशल के साथ प्रदान की जाती हैं और इसलिए दोनों को संबोधित करने की सिफारिश की जाती है।
6. डब्ल्यूसी अभी औपचारिक निकाय नहीं हैं क्योंकि वे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। सरकारी अनुदान के उपयोग के लिए गैर-औपचारिक निकायों की तैनाती की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसका समाधान किया जाना चाहिए।
7. सामाजिक लेखा परीक्षा की पद्धति, जैसा कि सामान्य दिशानिर्देश, 2008/2011 में सुझाया गया है, के पालन की सिफारिश की जाती है।
8. विभिन्न संपत्तियों के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने की दिशा में अभिसरण कार्रवाई की शर्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।
9. सामान्य दिशानिर्देश, 2008/2011 में अनिवार्य रूप से पीसीआर की तैयारी का पालन किया जा सकता है।
10. परियोजना की गतिविधियों या पद्धतियों की सफलता की कहानियों का प्रलेखन प्रत्येक परियोजना के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार पेश किया जा सकता है।

फोटो

	
<p>पीएमकेएसवाई परियोजना के तहत जल संचयन संरचना (खेत तालाब-समुदाय)</p>	<p>नांगचिंग एमडब्ल्यूएस बैच-III, पीएमकेएसवाई, नागालैंड के तहत इलायची की फसल</p>

	
<p>पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के तहत गन्ने की खेती, नागालैंड</p>	<p>पीएमकेएसवाई परियोजना, नागालैंड के तहत रबड़ बागान</p>
	
<p>पीएमकेएसवाई परियोजना, नागालैंड के तहत लाभार्थी के साथ रबड़ रोलर</p>	<p>पीएमकेएसवाई परियोजना, नागालैंड के तहत रबड़ प्लांटेशन</p>

18. स्त्रीनिधी - भारतीय सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में एक डिजिटल नवाचार

डॉ.एम. श्रीकांत
डॉ भवानी अक्कापेदी
श्री विनीत जे.कल्लूर
श्री मुहम्मद सुहैल

परिचय :

वित्तीय समावेशन लोगों को उनके उत्पादन और रोजगार गतिविधियों को बदलकर गरीबी को दूर करने में सक्षम बनाने की एक आवश्यक प्रक्रिया है (बसु और श्रीवास्तव, 2005)। यद्यपि भारतीय बैंक कई वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कर रहे थे, लेकिन वे ग्रामीण गरीबों की वित्तीय जरूरतों को आवश्यक सीमा तक पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसे संबोधित करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने औपचारिक रूप से 1992 में स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) को प्रारंभ किया। एसएचजी-बीएलपी को प्रारंभ करने के बाद, सदस्य सावधि ऋण (एसएचजी 1.0 के दौरान) और बैंकों से नकद ऋण सीमा (एसएचजी 2.0 के दौरान) प्राप्त कर रहे थे, और वे ऋण राशि की अपर्याप्तता के मामले में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों - साहूकारों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से भी संपर्क करते थे। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों की किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति या एसएचजी सदस्यों की अन्य वित्तीय जरूरतों के मामले में एसएचजी-बीएलपी के तहत बैंकों से टॉप-अप ऋण प्राप्त करना कठिन था। इस प्रकार, आधे से अधिक ग्रामीण परिवार अभी भी संस्थागत ऋण के दायरे से बाहर हैं (नाबार्ड, 2019)

दूसरी ओर, एमएफआई के प्रमुख लाभ समयबद्धता, ऋण राशि की पर्याप्तता और प्रक्रियात्मक देरी की अनुपस्थिति हैं (सतीश, 2015)। इन परिस्थितियों ने 2006-10 के दौरान निजी एमएफआई के तेजी से विकास का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप कई उधार, अत्यधिक ब्याज दरें और जबरदस्त वसूली पद्धतियां चलने लगीं। निजी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा चलाए जा रहे एमएफआई एक प्रतिशत के प्रसंस्करण शुल्क के अलावा प्रति वर्ष 20 - 25 प्रतिशत की उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। एमएफआई की ऐसी पद्धतियों पर रोक लगाने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अक्टूबर 2010 में एक

अध्यादेश जारी करके एमएफआई के संचालन को विनियमित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में उनके ऋण देने के संचालन को रोक दिया गया (स्त्री निधि, 2016)

इन मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए, आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने सोचा कि एसएचजी सदस्यों की अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष वित्तीय संस्थान स्थापित करने का यह सही समय है। इस पृष्ठभूमि के प्रति, स्त्री निधि ऋण सहकारिता फेडरेशन लिमिटेड को सितंबर 2011 में मंडल समाख्या (एमएस), टाउन लेवल फेडरेशन (टीएलएफ) और आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रचार किया, ताकि कम लागत पर स्वयं सहायता समूहों को त्वरित, समय पर और उपयोगकर्ता-अनुकूल ऋण पेशकश की जा सके। एक समुदाय-आधारित संगठन होने के नाते, स्त्रीनिधि का कोई लाभ उद्देश्य नहीं है क्योंकि यह गरीब एसएचजी की सेवा करता है।

जबकि गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त की भूमिका पर व्यापक रूप से शोध किया गया है, सरकार द्वारा प्रवर्तित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों जैसे स्त्री निधि के प्रभाव, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म वित्त प्रदान करने में इसकी प्रभावकारिता और व्यवसाय मॉडल की स्थिरता, अब तक नहीं की गई है। नाबार्ड ने "स्त्रीनिधि- भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण" नामक शोध परियोजना को वित्तपोषित किया, ताकि एसएचजी महिलाओं के गरीब, वित्तीय/डिजिटल साक्षरता स्तर को तात्कालिक ऋण देने में स्त्री निधि की परिचालन क्षमता का अध्ययन किया जा सके और देश के अन्य हिस्सों में इसके डिजिटल बिजनेस मॉडल जिसने इसकी ग्राहक-केंद्रित विशेषताएं दी हैं की पुनरावृत्ति की संभावना का अध्ययन किया जा सके।

उद्देश्य

- i. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के ऋण वितरण तंत्र की प्रभावकारिता की जांच करना;
- ii. ऋण वितरित करते समय स्त्री निधि द्वारा अपनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसएचजी सदस्यों के अनुभवों को दस्तावेज करना (ग्राहक संतुष्टि स्तर को मापना);

- iii. एसएचजी सदस्यों की वित्तीय/डिजिटल साक्षरता के स्तर को समझने की दृष्टि से स्त्री निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर एसएचजी सदस्यों की जागरूकता के स्तर का पता लगाना;
- iv. एसएचजी के सदस्यों की आजीविका पर स्त्री निधि के प्रभाव का आकलन करना
- v. मूल्यांकन करना कि क्या स्त्री निधि का व्यवसाय मॉडल भारत के अन्य हिस्सों में सतत और अनुकरणीय है।

क्रियाविधि

शोध अध्ययन मुख्य रूप से कुल 603 एसएचजी सदस्यों के प्राथमिक डेटा पर आधारित है, जो एक स्तरीकृत बहु-स्तरीय यादृच्छिक नमूनाकरण प्रक्रिया के माध्यम से दस जिलों, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पांच-पांच जिलों से स्त्री निधि लाभार्थी हैं। जिलों का चयन संबंधित अध्ययन राज्यों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के आधार पर एचडीआई रैंक के उच्च, मध्यम और निम्न स्तरों और विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् रायलसीमा, तटीय आंध्र और तेलंगाना के तत्कालीन आंध्र प्रदेश से किया गया था। विश्लेषण और चर्चा के लिए प्राथमिक डेटा के अलावा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मानव विकास रिपोर्ट और स्त्री निधि की वार्षिक रिपोर्ट जैसे माध्यमिक स्रोतों का उपयोग किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र:

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना

निष्कर्ष :

स्त्री निधि जिम्मेदार ऋण देने का पालन करती है और एसएचजी की ऋण रेटिंग के अनुसार ऋण देती है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत ऋण चूककर्ताओं को स्त्री निधि से वित्त प्राप्त नहीं होता है, जो एक ओर एसएचजी सदस्यों के वित्तीय अनुशासन में सुधार करता है और स्त्री निधि की पुस्तकों पर एनपीए के जोखिम को कम करता है।

अपनी स्थापना के बाद से, स्त्री निधि ने अपने कार्यों में प्रौद्योगिकी को अपनाया है, जैसे कि एसएचजी सदस्यों की घरेलू आजीविका योजना (एचपीएल) के अनुसार ऋण आवेदन, दस्तावेज़ीकरण और प्रसंस्करण ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है, सबसे गरीबों को प्राथमिकता दी जाती है। स्त्री निधि ने ऋणों के अंतिम

उपयोग को सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण तंत्र का पालन करता है। स्त्री निधि द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया प्रत्येक ऋण स्त्री निधि बीमा योजना के अंतर्गत आता है। साथ ही, स्त्री निधि के व्यवसाय मॉडल का एसईआरपी/ एमईपीएमए के साथ अभिसरण, बैंकों से कम लागत वाले निधि का स्रोत और सरकार ने लेनदेन की लागत को कम किया, इसकी परिचालन दक्षता में सुधार किया और इसे लाभदायक बनाया। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए स्त्री निधि अपने लाभ का एक हिस्सा एसएचजी संघों के साथ साझा करती है।

स्त्री निधि उधारकर्ता सबसे अधिक उत्पादक आयु समूह में हैं, जिनकी औसत आयु 38 वर्ष है। यह देखा गया है कि दोनों राज्यों में उत्तरदाताओं में से एक-चौथाई से थोड़ा अधिक (27.36 प्रतिशत) निरक्षर हैं। जबकि 15.42 प्रतिशत सदस्य 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, वहीं 40.46 प्रतिशत उत्तरदाता छठी से 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं।

लगभग दो-तिहाई (65.01 प्रतिशत) परिवारों की मासिक आय रुपये 10,001 और रु 30,000 के बीच है। दो-तिहाई से अधिक उधारकर्ता (67.66 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हैं, इसके बाद सामान्य वर्ग (21.06 प्रतिशत) और अनुसूचित जाति (10.45 प्रतिशत) वाले हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तर (70.29 प्रतिशत) सदस्य और तेलंगाना में लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाता (74.67 प्रतिशत) 10 वर्षों से एसएचजी से जुड़े हुए हैं और इससे आगे एसएचजी की सापेक्ष परिपक्वता अवस्था का संकेत मिलता है।

एसएचजी के अधिकांश सदस्य एसएचजी से जुड़े हैं, जिन्हें 'ए ग्रेड' (एपी में 86.46 प्रतिशत और तेलंगाना में 98.33 प्रतिशत) का दर्जा दिया गया है। स्त्री निधि (65.51 प्रतिशत) के अधिकांश उधारकर्ताओं ने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाला में खपत या विभिन्न आय-सृजन उद्देश्यों के लिए 25,001 से 50,000 रुपये तक ऋण लिए हैं। आन्ध्र प्रदेश की तुलना में (30.69 प्रतिशत) तेलंगाना के उत्तरदाताओं ने कई ऋण (68 प्रतिशत) प्राप्त किए हैं। जबकि लगभग दो-तिहाई उत्तरदाताओं (65.34 प्रतिशत) ने स्मार्टफोन खरीदे, लगभग आधे सदस्यों (49.42 प्रतिशत) ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति भीम योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा भीम योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बीमा कवर लिया। साथ ही, उधारकर्ता एसएचजी-बीएलपी/स्त्री निधि में शामिल होने के बाद रेफ्रिजरेटर (44.61 प्रतिशत), टेलीविजन (46.77

प्रतिशत), और दोपहिया (48.42 प्रतिशत) खरीद में सक्षम हुए। इसी प्रकार, 15.42 प्रतिशत उधारकर्ता अपने आवासीय घर का निर्माण कर सके, और 11.94 प्रतिशत सदस्यों ने अपनी आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने के लिए ऑटो/चौपहिया/ट्रैक्टर/परिवहन वाहन खरीदे। इसलिए, एसएचजी-बीएलपी/स्त्री निधि में शामिल होने से एसएचजी महिलाओं द्वारा चल संपत्ति/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और घर जैसी उच्च मूल्य वाली संपत्ति नहीं। फिर भी, लंबी अवधि में अपनी आय में सुधार करने के लिए स्त्री निधि गरीबों के संपत्ति आधार को बढ़ाने के बारे में बहुत खास है।

आंकड़ों से यह देखा गया है कि एपी और तेलंगाना में 30.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एसएचजी-बीएलपी और स्त्री निधि के अलावा कई स्रोतों से ऋण प्राप्त किया है। स्त्री निधि ने दोनों अध्ययन राज्यों में पिरामिड आबादी के निचले हिस्से को ऋण प्रदान करके एसएचजी परिवारों को साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करने से रोका है।

स्त्री निधि के उधारकर्ताओं का वित्तीय / डिजिटल साक्षरता स्तर कम है, जबकि स्त्री निधि तेलंगाना के उधारकर्ता स्त्री निधि एपी की तुलना में थोड़ा बेहतर हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (90 प्रतिशत से अधिक) ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का उपयोग नहीं किया, और टैबलेट पीसी और स्मार्टफोन का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन से संबंधित स्त्री निधि की क्षमता निर्माण गतिविधियां वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाते समय वीओ/सीआरपी/स्त्री निधि के अधिकारियों तक सीमित हैं।

स्त्री निधि से लिए गए ऋणों का मुख्य रूप से आजीविका वृद्धि, नए उद्यमों की स्थापना की सुविधा और मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आधे से अधिक उत्तरदाताओं (56.22 प्रतिशत) ने प्रोविजन स्टोर, सेल फोन की दुकानें, फूड स्टॉल आदि जैसी छोटी-मोटी व्यावसायिक दुकानें स्थापित करने के लिए ऋण का उपयोग किया। इसलिए, स्त्री निधि आजीविका बढ़ाने, रोजगार सृजन में योगदान करती है जिससे जीवन स्तर में सुधार होती है।

स्त्री निधि के पास ऋण आवेदन के 48 घंटों के भीतर ऋण वितरित करने के लिए प्रौद्योगिकी और अपने सभी सदस्यों का विस्तृत डेटा है। यह देखा गया है कि आय-सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सहित

अधिकांश ऋण 20 दिनों के भीतर वितरित किए जाते हैं, जो दोनों अध्ययन राज्यों में ऋण वितरण में त्वरित बदलाव का सुझाव देते हैं।

लगभग सभी उधारकर्ताओं ने पारदर्शिता, सस्ती और अपेक्षाकृत कम ब्याज दर, कम दस्तावेज़ीकरण, त्वरित ऋण प्राप्ति, दैनिक मजदूरी का कोई नुकसान नहीं, और कोई/नगण्य परिवहन लागत के मामले में स्त्री निधि के लाभों और विशेष विशेषताओं को स्वीकार किया है। यद्यपि उधारकर्ताओं ने माना कि स्त्री निधि की अन्य विशेष विशेषताओं की तुलना में ऋण राशि की पर्याप्तता कम थी, ग्राहक बैंकों और ऋण के अन्य स्रोतों की तुलना में स्त्री निधि को पसंद करते हैं।

इसके अलावा, अध्ययन में पाया गया कि 95 प्रतिशत से अधिक हितधारकों का मानना है कि स्त्री निधि ने उधारकर्ताओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाया और एसएचजी परिवारों को छोटे व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाया, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समय पर और पर्याप्त ऋण की आपूर्ति के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।

हालांकि क्षेत्र के दौरे से पता चलता है कि स्त्री निधि में एसएचजी और वीओ का कामकाज आम तौर पर संतोषजनक है, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एसएचजी सदस्यों को पुस्तकों के रखरखाव, बचत जमा करने, ऋण आदि के चुकौती के संबंध में उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में शिक्षित/मार्गदर्शित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

एसएचजी सदस्यों की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है, इसके बाद उनकी आय और संपत्ति की बारी आती है। ये सहसंबंध दर्शाते हैं कि वित्तीय और डिजिटल साक्षरता एसएचजी परिवारों द्वारा संपत्ति जमा करते समय परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि ऋण और आय का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है, जो दर्शाता है कि यदि एसएचजी परिवारों को लगातार अंतराल पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं तो उनकी आय ऊपर जाएगी। प्रतिगमन परिणामों के अनुसार, उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल ऋण राशि, पशुधन, स्मार्टफोन, दोपहिया, चौपहिया वाहन, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और भूमि की खेती जैसी संपत्ति स्त्री निधि के सदस्यों के आय स्तर को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करती है।

कुल मिलाकर, स्त्री निधि ने पिछले आठ वर्षों के दौरान जमा, ऋण, पूंजी संसाधनों और एसएचजी उधारकर्ताओं की संख्या के मामले में शानदार वृद्धि देखी है। जैसे, स्त्री निधि का व्यवसाय मॉडल टिकाऊ है और इसकी ग्राहक-केंद्रित विशेषताएं, डिजिटल बैंकिंग और समावेशी और जिम्मेदार वित्त मॉडल को देखते हुए ग्रामीण भारत के अन्य हिस्सों में दोहराया जा सकता है, बशर्ते इसे प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाए।

19. सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (एसएलएसीसी)

डॉ. रवींद्र एस.गवली

डॉ. के. कृष्णा रेड्डी

डॉ वी सुरेश बाबू

परिचय

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने अनुमान लगाया है कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2° to 4° सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे मानसून और मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आएगा, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव बार-बार/तीव्र चक्रवात, सूखा, बाढ़ और गर्म लहरों के रूप में अधिक देखे जाते हैं। विविध कृषि-जलवायु स्थिति वाला भारत में 85 प्रतिशत छोटे और सीमांत भूमि जोत किसान मानसून पर उच्च निर्भरता के कारण अधिक असुरक्षित है। अनुकूलन रणनीतियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर कर सकती हैं और अनिश्चितताओं और जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए ग्रामीण आजीविका का समर्थन कर सकती हैं।

उचित पद्धतियों और तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने और प्रसारित करने के लिए, गरीब और सीमांत किसानों की अनुकूली क्षमता और मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 'सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (एसएलएसीसी)' परियोजना को एक भागीदारी मोड में शुरू किया गया था। एसएलएसीसी परियोजना को महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत महिला एसएचजी समूहों की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) से राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन (एनआरएलएम) का एक उप-घटक है। इसे जीईएफ-प्रशासित विशेष जलवायु परिवर्तन कोष के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसमें भारत सरकार के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डीएवाई-एनआरएलएम, महात्मा गांधी नरेगा आदि का अभिसरण भी शामिल है।

एसएलएसीसी का उद्देश्य

परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि आधारित आजीविका में लगे ग्रामीण गरीबों की अनुकूली क्षमता में सुधार करना है।

क्रियाविधि

परियोजना को चार घटकों में लागू किया गया था जैसे उत्पादन प्रणाली में हस्तक्षेप के माध्यम से (विविधीकरण, जलवायु-लचीली किस्मों/नस्लों, कम बाहरी इनपुट उत्पादन प्रणाली, शून्य जुताई, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, आदि), पारिस्थितिक प्रणाली (जैव उर्वरक का उपयोग, महत्वपूर्ण सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, आदि), ज्ञान प्रणाली (स्थानीय मौसम-आधारित कृषि-सलाह, जल बजट, आदि), और, वित्तीय प्रणाली (मौसम सूचकांक बीमा)। जलवायु लचीलापन में खेत-स्तरीय गतिविधियों के लिए 25 प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के पैकेज को प्राथमिकता दी गई थी। इनका उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, उपज और आय में सुधार करना, लाभप्रदता, महिलाओं को सशक्त बनाना और रोजगार पैदा करना है। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को एनआईआरडीपीआर द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित किया गया, और अध्ययन राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) द्वारा पद्धतियों को लागू किया गया। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों और क्षमता निर्माण के प्रभावों का आकलन करने के लिए हस्तक्षेपों को अपनाने और न अपनाने वाले 400 किसानों से डेटा एकत्र किया गया था। हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए दोहरे अंतर पद्धति का उपयोग किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र: परियोजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम के तहत मध्य प्रदेश और बिहार में लागू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (एनआरएलपीएस) एमओआरडी के तहत समन्वयक एजेंसी है, जबकि मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर स्रोत व्यक्तियों के कौशलों को मजबूत करना है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मध्य प्रदेश के मंडला और शियोपुर जिलों और बिहार के गया एवं मधुबनी जिलों के 638 गांवों में लागू किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) का प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र (सीएनआरएम) एसएलएसीसी परियोजना के लिए प्रमुख तकनीकी सहायता एजेंसी (एलटीएसए) है। एक एलटीएसए के रूप में सीएनआरएम, योजना और ज्ञान उपकरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नीति इनपुट, दस्तावेज़ीकरण और पाठ साझा करने के विकास में शामिल है। इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि आधारित आजीविका में लगे ग्रामीण गरीबों की अनुकूली क्षमता में सुधार करने और एकीकृत समुदाय आधारित जलवायु परिवर्तन योजना तथा जलवायु-स्मार्ट सामुदायिक स्रोत

व्यक्ति (सीआरपी) और मिशन स्टाफ के साथ काम करने द्वारा अनुकूलन पर अवधारणा पर बृहत प्रमाण स्थापित करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की पहल शुरू की है।

निष्कर्ष

सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, 0.86 हेक्टेयर की औसत कृषि भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों की शिक्षा का स्तर निम्न है। परियोजना में किसानों द्वारा अपनाए गए पारिस्थितिक हस्तक्षेप मृदा परीक्षण (93 प्रतिशत), जीरो टिलेज (71 प्रतिशत), खाद (40 प्रतिशत) और अमृतपानी (71 प्रतिशत) हैं। वित्तीय हस्तक्षेपों के तहत, 54 प्रतिशत किसानों ने ऋण प्राप्त किया है, और 73 प्रतिशत किसानों ने फसल बीमा प्राप्त किया है। तकनीकी हस्तक्षेपों के तहत, कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना से फसलों की कड़ी मेहनत, श्रम की कमी और समय पर बुवाई और कटाई में कमी आई है। परियोजना के तहत प्रदान की जा रही मौसम आधारित कृषि सलाह सेवाओं ने किसानों को अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन करने और अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं के कारण फसल क्षति से उबरने में मदद की है। एकीकृत कृषि प्रणाली, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन जैसे हस्तक्षेपों ने किसानों को अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन करने और कृषि भूमि की पारिस्थितिकी और जैव विविधता में सुधार करने में मदद की है। किचन गार्डन, मशरूम और अजोला जैसी वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों ने किसानों को मंडी के मौसम के दौरान आय के अन्य स्रोत प्रदान किए हैं। परियोजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, और जमीनी स्तर पर प्रदर्शित और कार्यान्वित किए जा रहे हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र के कृषक समुदाय के लिए उच्च उपज और संबंधित आय स्रोतों के बाद प्रमुख फसलों के शुद्ध बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। परियोजना के तहत प्राप्त सीखों, अनुभवों और परिणामों के आधार पर, अन्य ब्लॉकों, जिलों और राज्यों में परियोजना को उन्नत करने का प्रस्ताव है ताकि जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को लागू करके कृषक समुदाय को लाभ प्रदान किया जा सके।

निष्कर्ष

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और उत्पादन, प्रौद्योगिकी और ज्ञान, पारिस्थितिक और वित्तीय प्रणाली के क्षेत्र कार्यान्वयन ने बिहार और मध्य प्रदेश के परियोजना क्षेत्रों में अभिग्रहण की दर में वृद्धि की है। अध्ययन स्थलों में औसतन, उपज में 43-48 प्रतिशत की वृद्धि और आय में 36 प्रतिशत से 85 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। दोनों राज्यों में अमृत पानी, मृदा परीक्षण, फसल बीमा, ऋण प्राप्त करना, मौसम आधारित कृषि-सलाह, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना, आईपीएम, आईएनएम, एकीकृत कृषि प्रणाली और वैकल्पिक

आजीविका जैसी पद्धतियों को व्यापक रूप से अपनाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई, खेत तालाब, एसआरआई, और पोल्ट्री को कम अपनाया गया। अध्ययन इसके लिए सिफारिश करता है:

- सभी कमजोर किसानों को कवर करने के लिए एसएचजी, संवाददाताओं और बीमा एजेंटों द्वारा ऋण और बीमा का व्यापक फैलाव
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने में कस्टम हायरिंग सेंटर उपयोगी पाए गए। बहरहाल, उन्हें अतिरिक्त बजट और अधिक उपकरणों की आवश्यकता है। सीड ड्रिल, लाइन बुवाई और बीज उपचार तकनीक महिलाओं के परिश्रम, लागत और समय को बचाने के लिए उपयोगी हैं लेकिन व्यापक प्रचार की आवश्यकता है।
- उपज बढ़ाने के लिए खेत तालाब, ड्रिप और स्प्रिंकलर महत्वपूर्ण हैं, और उनकी विस्तार सेवाएं आवश्यक हैं
- सभी किसानों को अमृतपानी, वर्मिकम्पोस्ट, मृदा परीक्षण, और लक्षित उर्वरक (एनपीके) इनपुट जैसी कम लागत वाली और स्थायी तकनीकों का समर्थन की जानी चाहिए।
- बुवाई, कटाई या कीट नियंत्रण आदि का निर्णय लेने के लिए मोबाइल टेक्स्ट और बोर्ड नोटिस आम और उपयोगी हैं, क्योंकि इससे औसत उपज में 43-45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- अजोला, मशरूम और किचन गार्डन को उपयोगी पाया गया और राज्यों में इसे और बढ़ावा दिया जा सकता है।

20. कम आय वाले देशों में कुपोषण, खाद्य सुरक्षा और गरीबी के अंतर-पीढ़ी चक्र को तोड़ना: किशोर लड़कियों के लिए मामला

डॉ. सी. राधिका रानी

डॉ. नित्या वी जी

परिचय

253 मिलियन किशोरों, जिनमें से आधे कुपोषित हैं, के साथ किशोर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भारत के विकास और मानव पूंजी निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक अनूठा संक्रमणकालीन चरण है, और किशोरावस्था के दौरान अपनाए गए व्यवहार और प्राथमिकताएं वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, देश ने पिछले दशकों में जिस आर्थिक विकास का अनुभव किया है, उसने किशोरों की आजीविका और जीवन शैली को प्रभावित किया है। आहार, शारीरिक गतिविधि और समय का उपयोग बदल गया है क्योंकि ग्रामीण परिवर्तनों ने कृषि परिवारों की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को बदल दिया है। जबकि आहार और शारीरिक गतिविधि पैटर्न में परिवर्तन किशोरों की पोषण संबंधी पर्याप्तता को गहराई से प्रभावित करते हैं, सामाजिक वर्ग ग्रामीण आजीविका के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसरों के माध्यम से पोषण संबंधी पर्याप्तता को गहराई से प्रभावित करता है। बहरहाल, किशोरों के जीवन को आकार देने वाले पोषण आयामों को निर्धारित करने में सामाजिक वर्ग की भूमिका पर साहित्य में ध्यान नहीं दिया गया है। इस कार्य का उद्देश्य वंचित समूहों को लक्षित करके विभिन्न आयु और लिंग के किशोरों की शारीरिक गतिविधि, भोजन सेवन और कैलोरी पर्याप्तता के पैटर्न में भिन्नता पर प्रकाश डालकर इस अंतर को भरना है। इस तरह की अंतर्दृष्टि में किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पर्याप्तता को बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों के डिजाइन/रीडिजाइन को सूचित करने की क्षमता है।

उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गरीब पृष्ठभूमि के किशोरों में स्वास्थ्य और पोषण असमानता को समझना था। इसे जीवन चरणों और व्यावसायिक और पोषण संबंधी स्थिति के बीच के रास्तों को खोलकर और किशोरों में कुपोषण के विश्लेषण में ऊर्जा व्यय आयाम को स्पष्ट रूप से शामिल करके किया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य गरीब और सीमांत समुदायों के किशोरों में पोषण संबंधी असमानताओं को निर्धारित

करना है। विशेष रूप से, परियोजना ने लड़कों और लड़कियों के बीच और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक समूहों के बीच असमानता के मार्गों का पता लगाया। जेंडर असमानता के तरीकों के परिणामस्वरूप कुपोषित किशोरियों को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं का सामना करने और समय से पहले और कुपोषित बच्चों को जन्म देने की अधिक संभावना हो सकती है। इन सभी घटनाओं से कुपोषण का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो सकता है।

शोध प्रश्न

- जीवन पथ और पोषण की स्थिति: विभिन्न प्रकार के निर्णय/घटनाएं पोषण संबंधी परिणामों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं, और यह जेंडर तथा सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक स्थिति में कैसे भिन्न होता है
- किशोरों की पोषण स्थिति को संबोधित करने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक्स और आहार विविधता से परे: क्या शारीरिक गतिविधि को मापने से हमें किशोरों की पोषण स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है?

क्रियाविधि

परियोजना एक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण अपनाती है। भारत में दो आयु समूहों (11-14 और 15-19) में विभाजित 200 किशोर लड़कियों और 200 किशोर लड़कों के नमूने से मात्रात्मक डेटा एकत्र किया। इसके बाद, किशोरों और उनके माता-पिता/देखभालकर्ताओं सहित एक छोटे जनसंख्या उप-नमूने से फोकस समूह चर्चा और गहन साक्षात्कार आयोजित किए गए।

हमने व्याख्यात्मक अनुक्रमिक मिश्रित पद्धति के संशोधित संस्करण का अनुसरण किया। मिश्रित-तरीकों के डिजाइन के इस रूप में, पहले चरण (चरण 1) के रूप में मात्रात्मक डेटा संग्रह किया जाता है। मात्रात्मक सर्वेक्षण के बाद, शोधकर्ता ने चरण 1 में डेटा संग्रह के परिणामों का विश्लेषण किया और गुणात्मक शोध (चरण 2) के साथ उन्हें और अधिक विस्तार से समझाने के लिए परिणामों का निर्माण किया। इसके अलावा, गुणात्मक घटक मात्रात्मक डेटा संग्रह के दूसरे दौर से है। डेटा संग्रह अनुक्रमण चित्र 1 में दिखाया गया है।

चित्रा 1: डेटा संग्रह अनुक्रमण

मिश्रित-विधि दृष्टिकोण में गरीब पृष्ठभूमि के किशोरों में पोषण संबंधी असमानताओं को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक शामिल हैं।


तालिका 1: मिश्रित-विधि दृष्टिकोण के घटकों का योगदान

मात्रात्मक	गुणात्मक
<ul style="list-style-type: none"> • किशोरों के आदतन कार्यों के दौरान उनके ऊर्जा व्यय पैटर्न पर मजबूत अनुमानों को परिभाषित करें (यानी, समय-उपयोग की जानकारी के साथ एक्सीलेरोमेट्री डेटा का पूरक)। • ऊर्जा व्यय और भोजन सेवन के बीच संबंध का पता लगाया (अर्थात्, ऊर्जा व्यय के साथ ऊर्जा सेवन डेटा की तुलना करना)। • पोषण और स्वास्थ्य के घरेलू और व्यक्तिगत निर्धारकों का पता लगाया। 	<ul style="list-style-type: none"> • घर, स्कूल और समाज में जेंडर मानदंडों और मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदान करें। • खाद्य के अंतर-घरेलू आबंधन, कार्यभार के लैंगिक विभाजन, गतिशीलता, शिक्षा और रोजगार पर निर्णयों के बारे में धारणाओं और विश्वासों को उजागर करें। • अपने बच्चों और किशोरों के लिए माता-पिता या प्राथमिक देखभालकर्ताओं की आकांक्षाओं के बीच अंतर करें। इससे पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाले विशिष्ट जीवन पथ/निर्णयों को निर्धारित करने में आकांक्षाओं के संरेखण की भूमिका का आकलन करने में मदद मिली • डेटा संग्रह के दूसरे दौर की जानकारी देना और तैयार करना।

मात्रात्मक डेटा संग्रह चरणों में लगातार सात दिनों तक एक्सेलेरोमेट्री डिवाइस पहने प्रतिभागी शामिल रहे। कुल चार प्रश्नावली का उपयोग किया गया था: घरेलू प्रश्नावली (जिसके लिए माता-पिता / देखभालकर्ताओं का साक्षात्कार लिया जाएगा), व्यक्तिगत प्रश्नावली, समय-उपयोग प्रश्नावली और खाद्य खपत प्रश्नावली। डेटा संग्रह के गुणात्मक घटक में दो उपकरण शामिल थे: फोकस समूह चर्चा (16) और गहन साक्षात्कार (32)

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन 2019-2021 के बीच खम्मम और महबूबनगर जिले में आयोजित किया गया था, जो तेलंगाना मध्य और दक्षिण कृषि-जलवायु क्षेत्रों में स्थित है।



चित्र 2. अध्ययन स्थल: तेलंगाना राज्य और महबूबनगर और खम्मम जिले

मुख्य निष्कर्ष

- सामाजिक वर्ग भारतीय समाज में एक दृश्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवसाय, संपत्ति बंदोबस्ती, संसाधनों तक पहुंच और उपयोग, घरेलू और माता-पिता की विशेषताओं, और सामाजिक तथा संस्थागत कारकों को प्रभावित करता है, जो बदले में किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण को प्रभावित करता है।
- जाति समूहों में किशोरों की कैलोरी पर्याप्तता अनुपात काफी भिन्न हैं: पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति
- धन में अंतर जाति श्रेणी के भीतर किशोरों में विभिन्न गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा के आबंटन को प्रभावित करता है
- विभिन्न गतिविधियों पर समय के उपयोग और ऊर्जा व्यय के संदर्भ में अंतर- और अंतर-जाति जेंडर अंतर मौजूद हैं

- अधिकांश एससी परिवार बीसी परिवारों के विपरीत श्रम कार्य (40 प्रतिशत) पर निर्भर हैं, जिनकी निर्भरता मुख्य रूप से पारिवारिक कृषि (41 प्रतिशत) पर है। आजीविका में इस तरह के अंतर किशोरों की शारीरिक गतिविधियों में परिलक्षित होते हैं
- अनुसूचित जाति की लड़कियां बीसी के तुलना में ऊर्जा आवश्यकताओं (कैलोरी पर्याप्तता आवश्यकता) को पूरा करती हैं। यह आंशिक रूप से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों (जैसे, स्कूल भोजन, सुरक्षा जाल) के माध्यम से अनुकूल संस्थागत समर्थन के कारण है जो कि कमजोर समूहों द्वारा उनके पोषण की स्थिति से संबंधित ऐतिहासिक भेदभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अनुसूचित जाति के लड़के शिक्षा गतिविधियों पर अपनी ऊर्जा और समय का एक महत्वपूर्ण उच्च अनुपात खर्च करते हैं, जो शिक्षा पर अच्छी तरह से काम कर रहे कार्यक्रमों और नीतियों का संकेत देता है
- बीसी लड़के अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करते हैं। यद्यपि यह अवैतनिक है, यह आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने वाले पारिवारिक श्रम के माध्यम से घरेलू आय में योगदान देता है।
- ऊर्जा व्यय को परिभाषित करने में व्यावसायिक पैटर्न और संपत्ति के स्वामित्व के बीच एक बड़ा संबंध है
- निम्न बीसी किशोर लड़कियां अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं, जबकि अनुसूचित जाति की लड़कियां बाहरी घरेलू कार्यों में शामिल हैं। उनकी सांस्कृतिक पद्धति के अनुसार, अनुसूचित जातियां बाहरी घरेलू कार्यों से भुगतान पाने के कार्य में लगे रहे हैं। इसलिए, शिक्षा उनकी आजीविका बनाने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक की भूमिका निभाती है
- यह मिश्रित-पद्धति का अध्ययन पारंपरिक सर्वेक्षणों और एक्सीलेरोमीटर से डेटा के संयोजन से ग्रामीण किशोरों की शारीरिक गतिविधि और समय - उपयोग के पैटर्न में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करता है
- ऊर्जा व्यय और समय का उपयोग शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सबसे अधिक है, इसके बाद किशोर लड़के और लड़कियों दोनों में अंतर है

- लड़कियों द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य की तुलना में लड़कों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक कार्य थोड़ा अधिक ऊर्जा-गहन होता है
- सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड लड़कों को, विशेष रूप से देर से किशोरावस्था (17-19 वर्ष) में, लड़कियों की तुलना में घर से बाहर की गतिविधियों में अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की अनुमति देते हैं। लड़कियां घर पर घरेलू काम करने में अधिक समय और ऊर्जा खर्च करती हैं
- लड़कियों से घर के काम में दक्ष होने की उम्मीद में सामाजिक मर्यादा के मानदंड प्रकट होते हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक दक्षिण में किशोरों में गतिहीनता और पोषण संक्रमण का चक्र एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। किशोरों के समय उपयोग और ऊर्जा व्यय आयाम में अंतर स्वास्थ्य और पोषण के मार्ग को परिभाषित करने में सामाजिक वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालता है। किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन और सामाजिक वर्ग, जेंडर और भोजन सेवन और शारीरिक गतिविधि की मांगों में आयु-वार अंतर के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए।

21. आंध्र प्रदेश में निर्मिति केंद्रों (बिल्डिंग सेंटर) का अध्ययन

डॉ रमेश शक्तिवेल एस.,
डॉ पी पी साहू,
एमडी खान,
श्री बी.एन.आदमी
सुश्री विष्णुप्रिया

वर्ष 1985 के दौरान केरल के कोल्लम जिले के तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ के बाद किए गए पुनर्वास पहलों के परिणामस्वरूप देश में निर्मिति केंद्र (एनके) आंदोलन के रूप में लोकप्रिय निर्माण केंद्र शुरू हुआ (एमओयूडी, 1993)। हालांकि, उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश एनके, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में, एनके के लिए परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुवाद में उनके प्रबंधन, स्थिरता और प्रभावशीलता के संदर्भ में मुद्दे हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (एपीएसएचसीएल) की स्थापना 1979 में हुई थी। राज्य के विभाजन के बाद, अब इसमें तीन अलग-अलग प्रकार के कुल 49 एनके हैं, यानी जिला स्तर पर 13 मुख्य एनके (एमएनके), 27 उप-जिला एनके (एसएनके) और नौ चक्रवात एनके (सीएनके)। राज्य में स्थापित एनके का प्रमुख ध्यान भवन निर्माण सामग्री की मांग को पूरा करने और निर्माण लागत को कम करने पर रहा है। वर्तमान में, राज्य में अधिकांश एनके निष्क्रिय हो गए हैं, और प्रमुख आवास योजनाओं के अभाव में पर्याप्त काम की कमी के कारण एनके के अधिकांश बुनियादी ढांचे और मशीनरी अनुपयोगी स्थिति में हैं। एपीएसएचसीएल के अनुरोध के आधार पर, आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद एनके का अध्ययन करने का प्रस्ताव एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा लिया गया था।

अध्ययन का उद्देश्य

- क) आधारभूत संरचना, मशीनरी और परिचालन पहलुओं के संदर्भ में एनके की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना
- ख) राज्य में एनके के प्रभावी कामकाज के संबंध में व्यवहार्य दृष्टिकोण और व्यापक रणनीतियों की सिफारिश करना।

मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें:

1. स्थायी और कृषिआयती आवास समाधान प्रदान करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ भवन निर्माण केंद्र शुरू किए गए थे। हालांकि, एनके आंध्र प्रदेश सहित अधिकांश अन्य राज्यों में वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके।
2. एनके ज्यादातर उत्पादन केंद्र के रूप में संचालित होते थे। एनके के अन्य अनिवार्य उद्देश्यों, जैसे मॉडल हाउसों को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना, और मार्गदर्शन सह आईईसी केंद्र की आंशिक रूप से अनदेखी की गई।
3. राज्य में एनके मुख्य रूप से निर्माण सामग्री की मांग को पूरा करने और निर्माण लागत को कम करने में लगे हुए हैं। एफएएल-जी ईटों, रेत सीमेंट ईट, आरसीसी दरवाजे और खिड़की के फ्रेम और अन्य आरसीसी उत्पादों जैसे कुछ निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने के मामले में पर्याप्त काम हासिल किया गया है।
4. इस संबंध में एनके की पहल ने विभिन्न उद्यमियों में जागरूकता पैदा करने में भी मदद की है जिन्होंने राज्य में इन गतिविधियों को सफलतापूर्वक दोहराया है।
5. हालांकि, उपयुक्त भवन निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने के बड़े उद्देश्य के लिए एनके के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिस पर एपी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
6. अध्ययन के आधार पर, एनके के पुनरुद्धार के लिए व्यापक रणनीतियों और दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है जो राज्य में एनके की अंतर्निहित ताकत के आधार पर निर्माण सामग्री और केरल एवं कर्नाटक राज्यों से सफल एनके द्वारा अपनाई जा रही परिचालन रणनीतियों के आधार पर विचार किया गया है।
7. राज्य, जिला और एनके स्तरों के संदर्भ में एनके के प्रबंधन ढांचे में बदलाव लाने के साथ-साथ एनके स्तर पर कर्मचारियों को जोड़ने के लिए सुझाए गए दृष्टिकोण, निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए निजी उद्यमियों और फर्मों की नियुक्ति, एनके में निर्माण सामग्री के उत्पादन को सुव्यवस्थित करना, एनके द्वारा परामर्श और अनुबंध कार्य करना, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और लेखापरीक्षा आदि के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

8. यह देखा गया है कि एपीएसएचसीएल और जिला-स्तरीय प्रशासन से पर्याप्त समर्थन के साथ, एनके उपयुक्त भवन निर्माण को बढ़ावा देने के संदर्भ में एनके के बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की क्षमता को साकार करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं और राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। राज्य के निर्माण क्षेत्र में तकनीकों को समान महत्व दिया जाना चाहिए।



22. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन (एआरआरएस) योजना का मूल्यांकन

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन
डॉ. पी. अनुराधा
सुश्री अनघामारिया जोस

कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन (एआर एंड आरएस) योजना का उद्देश्य नीति को सूचित करने और पंचायती राज में विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह योजना पंचायती राज में अनुसंधान और मूल्यांकन में विशेष अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों/ एनजीओ/ अनुसंधान संगठनों/ पंजीकृत समितियों/ गैर-लाभकारी संगठनों/ एसआईआरडी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंचायती राज में लंबी अवधि के मुद्दों का गहन विश्लेषण, प्रभाव का आकलन करने और दस्तावेजों के अनुभव प्रदान करने वाले कार्य अनुसंधान प्रस्तावों को इस योजना के तहत समर्थन दिया गया था।

ऐसे संस्थानों/ संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान आदि में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो। योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) द्वारा विचार किया गया।

योजना के तहत वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाएं मंत्रालय के संबंधित प्रभागों के साथ परामर्श में एमओपीआर द्वारा शिनाख्त विषयों पर आधारित थीं। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम के मूल दस्तावेजों से, यह समझा जाता है कि अनुसंधान को मंजूरी देने की प्रक्रिया में "अनुसंधान विषयों की पहचान, एजेंसी का चयन, अध्ययन का पुरस्कार, परीक्षा और रिपोर्ट का अनुमोदन और सभी हितधारकों को निष्कर्षों का प्रसार करना" शामिल है।

योजना दिशानिर्देश से पता चलता है कि एमओपीआर प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्तावों को सीधे जमा करने की प्रक्रिया का पालन करता है। इस मंत्रालय द्वारा पहचाने गए विषयों पर परियोजना प्रस्ताव सीधे

शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संगठनों, पंजीकृत समितियों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। मंत्रालय ने पंचायती राज के क्षेत्र से संबंधित विषयों पर प्रस्तावों पर विचार किया। यह नोट किया जाता है कि मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी (सचिव, पंचायती राज मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एजेंडा के संदर्भ की संबंधित शर्तों और पहचान किए गए विषयों पर खुली और सीमित निविदा के माध्यम से बोलियों को भी प्रोत्साहित करता है।

मंत्रालय में प्राप्त परियोजनाओं की फाइल पर संबंधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा पहले जांच की जाती है और फिर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाता है, जो आवेदक संस्थानों की योग्यता की जांच करती है और मोटे तौर पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान प्रस्तावों की व्यवहार्यता और उपयोगिता का अध्ययन करती है। इस योजना के तहत, वित्त पोषण के लिए किसी पूंजीगत व्यय का समर्थन नहीं किया गया था, और ओवरहेड शुल्क (यदि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है) कुल लागत के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

कार्य अनुसंधान की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावों की जांच करने के बाद और सिफारिशों के साथ अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के समक्ष रखा गया। यदि समिति (समितियों) को लगता है कि कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने या समय-सारणी, बजट आदि में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसे मंत्रालय में विषय से संबंधित संबंधित प्रभाग के परामर्श से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संगठनों, पंजीकृत सोसाईटी और गैर-लाभकारी संगठनों से प्राप्त की जाएगी।

एमओपीआर ने पंचायत स्तर पर मंत्रालय के कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए 2007-08 से विभिन्न अनुसंधान और कार्य अनुसंधान अध्ययन (एआर एवं आरएस) को लागू किया है। पंचायती राज व्यवस्था और विकेंद्रीकृत शासन में विभिन्न हस्तक्षेपों/गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन किए गए।

उद्देश्य:

पंचायत स्तर पर एमओपीआर कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 'करते हुए सीखना' है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन (एआर एंड आरएस) योजना का उद्देश्य

नीति को सूचित करने और पंचायती राज में विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देना है।

वर्तमान एआरआरएस योजनाओं में से कई एसडीजी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से लक्षित हैं, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। एसडीजी के साथ मंत्रालय के प्राथमिक सहयोग हैं: (i) हर जगह सभी रूपों में गरीबी खत्म करना और (ii) भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। वर्तमान मूल्यांकन ने इन अप्रत्यक्ष लक्ष्यों को भी मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माना है।

क्रियाविधि :

इस रिपोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से डेटा और जानकारी की जांच करके शोध अध्ययनों का आकलन करने का दृष्टिकोण अपनाया। (i) कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन स्कीम से संबंधित द्वितीयक डेटा/सूचना एमओपीआर से प्राप्त की गई है। द्वितीयक डेटा में अध्ययन के लिए अनुसंधान विषयों के चयन के लिए मौजूदा प्रक्रियाएँ, संस्थानों के चयन में अपनाई गई पूर्व एवं वर्तमान प्रक्रिया, अध्ययन के आबंटन में लगने वाली प्रक्रिया और समय, रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना आदि शामिल हैं। (ii) अध्ययनों के संचालन के लिए निर्धारित समयावधि, संस्थानों द्वारा दिए गए आउटपुट की गुणवत्ता (रिपोर्ट की गुणवत्ता) निष्कर्ष और विशेष रूप से मंत्रालय और पूरे देश के लिए उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन माध्यमिक जानकारी का उपयोग करके किया जाता है। (iii) इन चिन्हित नमूना अनुसंधान अध्ययनों में शामिल संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। (iv) मूल्यांकन के लिए शोध का चयन मंत्रालय के साथ परामर्श से उन संस्थानों की सूची में से किया जाता है जिन्हें मंत्रालय ने 2007 से 2020 तक योजना के तहत अध्ययन की मंजूरी दी थी; (v) 2014-15 से 2019-20 तक के अध्ययन के लिए जिन एजेंसियों को मंजूरी दी गई है, उनसे प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है।

यह कुल 85 शोध रिपोर्टों में से 27 रिपोर्ट लेकर योजना की शुरुआत से विषयगत रूप से मूल्यांकन है। मूल्यांकन पंचायती राज प्रणाली द्वारा अपनाई गई नीति निर्माण और कार्यान्वयन रणनीति के संदर्भ में किया गया है।

मूल्यांकन ढांचा प्रकृति में गुणात्मक है और कालानुक्रमिक रूप से सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेषज्ञों और सलाहकारों ने नमूना रिपोर्ट की समीक्षा की है।

अध्ययन क्षेत्र: सभी राज्य

निष्कर्ष :

हमने कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन पर एमओपीआर योजना के तहत तैयार की गई 26 रिपोर्ट की समीक्षा की है। इस मूल्यांकन ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से लेकर और नीति-निर्माण और परियोजना रणनीतियों की तैयारी के लिए इसकी उपयोगिता तक। इस अध्ययन ने न केवल योजना प्रशासन में सुधार के लिए बल्कि अनुसंधान रिपोर्टों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी सुझाव दिए।

हमने पाया कि नीतिगत मामलों से संबंधित एमओपीआर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए योजना फायदेमंद है। विभिन्न रणनीतियों और सूक्ष्म योजनाओं को तैयार करने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। इसलिए, अधिक बजट आबंटन के साथ योजना को जारी रखने की सिफारिश की जाती है।

निष्कर्ष :

- जहां तक अनुसंधान विषय की पहचान का संबंध है, एमओपीआर इसके महत्व और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग के आधार पर मुद्दे की पहचान करने की पद्धति का पालन करता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न एमओपीआर प्रभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की राय भी मांगी गई थी। यह प्रक्रिया उपयोगी है, और हम उसी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुशंसा करते हैं लेकिन अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा किए गए स्वतंत्र शोध के डेटाबेस को संकलित करके इस प्रक्रिया में मूल्य जोड़ सकते हैं। एमओपीआर इस संबंध में 2007 से शुरू होने वाले सहकर्मि-समीक्षित और ग्रे साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा का प्रयास कर सकता है। व्यवस्थित समीक्षा को किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जा सकता है।
- जहां तक शैक्षणिक संगठन और प्रस्तावों का संबंध है, प्रस्तावों को विकसित शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संगठनों, पंजीकृत समाजों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा चिन्हित विषयों पर विकसित किया जाता है। मंत्रालय इन प्रस्तावों की दो चरणों में जांच करता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा और दूसरा आरएसी द्वारा अनुमोदन के लिए। प्रस्तावों की प्रकृति के आधार

पर, इसे शैक्षणिक कठोरता और गुणवत्ता के लिए वर्गीकृत और पुनरीक्षित किया जा सकता है। अन्य सहकर्मी समूह शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तावों की एक अंधी समीक्षा प्रस्ताव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अच्छी होती है। एमओपीआर इस प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक पैनल रख सकता है। दूसरा, केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों के बजाय सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संगठनों को महत्व दिया जा सकता है। इसके अलावा, परियोजना की मंजूरी के लिए मुख्य अन्वेषक के बायोडाटा को एक अन्य मानदंड के रूप में लिया जाना चाहिए।

- एमओपीआर वित्तीय निहितार्थों और अन्य तकनीकी मामलों की जांच के बाद अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देता है। हम अनुशंसा करते हैं कि तकनीकी जांच केवल उन्हीं प्रस्तावों पर की जानी चाहिए जो अनुसंधान के लिए अकादमिक रूप से योग्य हों।
- एमओपीआर विषय की प्रासंगिकता के आधार पर बड़े, मध्यम और छोटे जैसे तीन श्रेणियों में अध्ययन को वर्गीकृत कर सकता है और वित्तीय वित्त पोषण के लिए एक सीमा तय कर सकता है।
- हम संस्थागत शुल्क (5 से 10 प्रतिशत) में संशोधन करने और बजट गणना में 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ने की भी सिफारिश करते हैं, क्योंकि यह कई अच्छे शोध संस्थानों में अनिवार्य है। प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए पंचायती राज केंद्र के संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- वर्तमान में, एमओपीआर को मसौदा रिपोर्ट की एक या दो प्रस्तुतियों के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इस प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए। प्रस्तुत करते समय, एमओपीआर भविष्य के सत्यापन के लिए इस रिपोर्ट के साथ प्रारूपित प्राथमिक डेटा भी मांग सकता है। डेटाबेस का निर्माण अनुसंधान प्रभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि होनी चाहिए।
- अनुसंधान प्रसार और गुणवत्ता सत्यापन के भाग के रूप में, अनुसंधान संस्थानों द्वारा अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ न्यूनतम लागत पर लघु एक दिवसीय हितधारक सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं। यह एक छोटा आमंत्रित समूह होना चाहिए जिसमें अधिकतम 25 से 30 लोग शामिल हों। ऐसी कार्यशालाओं की लागत अधिकतम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एमओपीआर सलाहकार भी ऐसी कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं और एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, चयनित उत्कृष्ट रिपोर्टें आधिकारिक

तौर पर मुद्रित की जा सकती हैं। वर्तमान में, रिपोर्ट वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं।

- रिपोर्ट की गुणवत्ता की समीक्षा से पता चलता है कि रिपोर्ट में अनुसंधान समस्या, क्रियाविधि, डेटा और नमूनाकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष जैसे अनुसंधान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। अकादमिक समुदाय द्वारा सहकर्मी समीक्षा गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है
- यदि हम मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार परिणामों की पुष्टि करते हैं तो इन अध्ययनों के निष्कर्षों का अधिक सार्थक उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि एमओपीआर जीपीडीपी, पंचायतों के मानव संसाधन और शक्तियों एवं कार्यों के हस्तांतरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, हम सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों के एक बड़े हिस्से को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म-योजना और रणनीति तैयार करने के लिए किया जा सकता है। नीतियों में योगदान के लिए एक वर्ष में एक या दो व्यापक अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- अध्ययन में पाया गया कि एमओपीआर बजट 5 प्रतिशत संस्थागत शुल्क के साथ परियोजनाओं की आवृत्ति लागत और मानव संसाधन की जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। बजट में जीएसटी का कोई घटक नहीं है। भारत में अनुसंधान करने के वर्तमान संदर्भ में, एमओपीआर 18 प्रतिशत जीएसटी, 30 प्रतिशत अतिरिक्त जनशक्ति, और 10 प्रतिशत संस्थागत शुल्क जोड़कर बजट बढ़ा सकता है। बढ़ते मूल्य परिवर्तनों को देखते हुए, वर्तमान बजटीय आबंटन में अतिरिक्त 30 प्रतिशत भी जोड़ा जा सकता है।
- मंत्रालय ने अनुसंधान करने के लिए विकेंद्रीकृत शासन पर काम करने वाले अधिकांश अनुसंधान संगठनों का चयन किया है। हालांकि, गुणवत्ता अनुसंधान रिपोर्ट के समय पर पूरा होने में देरी करने वाले संगठन को अनुसंधान के अगले दौर में हतोत्साहित किया जा सकता है। नामित व्यक्तियों के बजाय मंत्रालय को रिपोर्ट पेश करने के लिए पीआई पर जोर देना भी महत्वपूर्ण है जो कुछ मामलों में हो सकता है (वर्तमान में, ऐसा नहीं देखा गया है)। अनुसंधान या अनुसंधान के कुछ हिस्सों के उप-अनुबंध को किसी भी मामले में होने पर पूरी तरह से हतोत्साहित किया जा सकता है। हम वर्तमान मामले में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख सके।
- जहां तक समय-सीमा के पालन का सवाल है, हमने देखा कि संस्थागत पक्ष से जमा करने में देरी हुई। जुर्माना जैसे वित्तीय उपायों को अपनाकर इसे हतोत्साहित किया जाना है। एमओपीआर

दृष्टिकोण में यह पहले से ही मौजूद है लेकिन इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

- योजना की एक महत्वपूर्ण कमी एमओपीआर नीति, रणनीति और योजनाओं के लिए इसकी उपयोगिता के संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट की मंजूरी और मूल्यांकन में पेशेवर शिक्षाविदों की अनुपस्थिति है। मंत्रालयों के अर्ध-सरकारी संगठनों जैसे एनआईआरडीपीआर या किसी अन्य प्रतिष्ठित संगठनों से शिक्षाविदों को समितियों में ले कर इसे हल किया जा सकता है।
- शक्तियों का हस्तांतरण, विकेन्द्रीकरण आदि पर अध्ययन का एसडीजी के स्थानीयकरण पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थानीय सरकारों को जीपीडीपी जैसी कुशल योजना के माध्यम से स्थानीय संसाधनों से आजीविका चलाने हेतु लोगों के लिए आजीविका आधारित परियोजनाओं पर प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेगा। यह एमओपीडी के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में भी मदद करता है, जैसे एमजीएनआरईजीएस में श्रम बजट, एनआरएलएम के तहत एसएचजी, आदि। हम अगले कार्यकाल में एसडीजी को स्थानीय बनाने के लिए इन अध्ययनों को मजबूत करने की सलाह देते हैं क्योंकि एसडीजी नीति संवाद में 2030 तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

23. महात्मा गांधी एनआरईजीएस का एक दशक: मूल्यांकन और भावी कार्य (2020)

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन,
डॉ. एस. वी. रंगाचार्युलु
डॉ. दिगंबर चिमनकर
डॉ. अनुराधा पी.
डॉ. नीरज मिश्रा
डॉ. के. जयश्री

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लागू हुए एक दशक बीत चुका है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों के लिए एक वर्ष में कम से कम सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देना है, जिनके वयस्क सदस्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। इस योजना से निकास मार्ग प्रदान करके ग्रामीण गरीबी की दयनीयता को कम करने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, यह जानना कि अतीत में क्या सही या गलत हुआ और आगे का मार्ग प्रशस्त करना महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा गांधी नरेगा के एक दशक का राष्ट्रीय मूल्यांकन आवश्यक समझा गया है। यह रोजगार, आजीविका, समावेशिता, शासन और प्रबंधन पहलुओं पर केंद्रित एक व्यापक अखिल भारतीय मूल्यांकन है।

उद्देश्य

यह मूल्यांकन निम्नलिखित उद्देश्यों और मुद्दों पर केंद्रित रहा:

- मजदूरी रोजगार पर महात्मा गांधी एनआरईजीएस के प्रभाव का आकलन करना
- सतत ग्रामीण आजीविका पर महात्मा गांधी एनआरईजीएस के प्रभाव का आकलन करना
- समग्रता और ग्रामीण प्रशासन पर महात्मा गांधी एनआरईजीएस के प्रभाव का आकलन करना
- महात्मा गांधी एनआरईजीएस प्रबंधन चक्र की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करना।

क्रियाविधि

अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग किया गया। द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हुए, कवरेज, भागीदारी और रोजगार सृजन के संदर्भ में वित्तीय आबंटन और कार्यान्वयन पहलुओं के प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया। विभिन्न पहलुओं पर माध्यमिक डेटा महात्मा गांधी एनआरईजीएस कार्यान्वयन के बारह वर्षों के लिए इसकी स्थापना से विश्लेषण के लिए चार चरणों में बांटा गया है: चरण I 2006-07 से 2007-08, चरण II 2008-09 से 2010-11, चरण III, 2011-12 से 2013-14 और चरण IV 2014-15 से 2017-18।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था, और कुल 7,950 लाभार्थियों से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन किया गया। तीन साल की अवधि के दौरान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 30 लाभार्थियों का एक नमूना अध्ययन के लिए पहचाना गया था, यानी 2016 17, 2015 16 और 2014 15, उसे अध्ययन के प्राथमिक नमूने के रूप में तैयार किए गए थे। इसके अलावा, 10 महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड धारक जिन्होंने या तो बहुत कम (10 दिनों से कम) भाग लिया या अपनी गैर-भागीदारी पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन के लिए पहचानी गईं तीन अवधियों के दौरान कभी भाग नहीं लिया। आंकड़ों के संग्रह के लिए महात्मा गांधी नरेगा के उच्च और निम्न प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों की समान संख्या वाले 265 जिलों को मूल्यांकन में शामिल किया गया है। यह राज्यों में कुल 10,600 परिवारों का नमूना देता है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन पूरे देश में रोजगार, संपत्ति निर्माण, समावेशिता और शासन पर महात्मा गांधी नरेगा के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चूंकि कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कार्य अलग-अलग हैं, इसलिए हमने डेटा संग्रह के लिए देश के सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लिया है। जैसा कि पूरे देश को 15 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन 15 जलवायु उप-क्षेत्रों को सूक्ष्म मुद्दों के आधार पर 127 कृषि-जलवायु उप-क्षेत्रों में उप-विभाजित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के अखिल भारतीय कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कृषि-जलवायु उप-क्षेत्रों से दो जिलों का चयन किया गया था। हालाँकि, चूंकि कुछ कृषि-जलवायु उप-क्षेत्र एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए

हैं (उदाहरण के लिए, उप-क्षेत्रों में से कुछ जिले के केवल एक हिस्से में फैले हुए हैं, आदि) और कुछ उप-क्षेत्र, भौगोलिक विस्तार बहुत व्यापक है, अध्ययन क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए चार श्रेणी के अध्ययन क्षेत्र चयन को अपनाया जाता है।

निष्कर्ष :

योजना का कवरेज: महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार, वयस्क सदस्यों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य का लाभ उठाने के लिए परिवारों के लिए जारी जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। जॉब कार्ड की संख्या 2006 में 3.08 करोड़ से बढ़कर 2018 में 12.75 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का कवरेज 2008-09 में 62 प्रतिशत था जो 2014-15 में बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2014-15 में कार्यक्रम के तहत कवर किए गए ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 2017-18 तक 69 प्रतिशत पर समान रहा। सक्रिय जॉब कार्ड के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों (असम के अलावा) में कवरेज सबसे अधिक अर्थात् 91 प्रतिशत से अधिक है। कई राज्य, अर्थात् गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जारी किए गए जॉब कार्ड के सक्रिय उपयोग के 50 प्रतिशत से कम हो गए हैं।

जॉब कार्ड जारी करना: मूल्यांकन में जॉब कार्ड के लिए पंजीकृत और जारी किए गए परिवारों के बीच बढ़ता अंतर पाया गया। जॉब कार्ड और जारी किए गए कार्ड के लिए पंजीकृत परिवारों की संख्या के बीच का अंतर 2014 में न्यूनतम 0.167 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में अधिकतम 0.441 करोड़ हो गया है।

रोजगार की मांग: रोजगार की अनुमानित मांग को एक विशेष वित्तीय वर्ष में श्रम बजट अनुमानों के अनुसार महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। रोजगार की वास्तविक मांग का तात्पर्य उन परिवारों की वास्तविक संख्या से है जिन्हें कुल प्रत्याशित मांग में से रोजगार दिया गया था। 2012-13 से प्रत्याशित और वास्तविक मांग के बीच का अंतर बढ़ गया है। 2014-18 की अवधि के दौरान प्रत्याशित मांग की प्राप्ति में राज्यों की सापेक्ष स्थिति दर्शाती है कि बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में प्रत्याशित मांग की प्राप्ति कम है।

पूरी नहीं की गई मांग का मुद्दा: मांग की वसूली से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पूरी नहीं की गई मांग है। उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि योजना को लागू करने में अपूर्ण मांग एक मुद्दा बनी हुई है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस में भाग लेने वाले कुल नमूना परिवारों में से 16.6 प्रतिशत परिवारों ने अपूर्ण मांग का सामना करने की सूचना दी है।

वित्तीय उपयोग: हाल के वर्षों में केंद्रीय बजट आबंटन और उपलब्ध कराई गई निधियों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने सभी ग्रामीण जिलों में इस योजना का विस्तार करते समय अधिक धनराशि आबंटित की। हालांकि, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस का तीसरा चरण (2010-11 से 2013-14) 2010 से 2014-15 तक निधि आबंटन, उपलब्धता और वास्तविक व्यय में उच्च भिन्नता के कारण अस्थायी था। तीसरे चरण (2010 से 2014) के दौरान उपलब्ध निधि से अधिक व्यय ने वित्तीय प्रबंधन में एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी। अधिक विशेष रूप से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने उपलब्ध संसाधनों से अधिक खर्च किया, जो कि उपलब्ध निधि के 20 से 50 प्रतिशत तक है, जो कि इस अवधि के दौरान उपलब्ध संसाधनों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 11 प्रतिशत अधिक खर्च करने में योगदान देता है। रोजगार की गारंटी देने में उपलब्ध निधि से ऊपर खर्च करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

एनई-एफएमएस प्रणाली: एनई-एफएमएस की कल्पना मजदूरी भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई थी, लेकिन यह क्षेत्र स्तर पर एफटीओ को उत्पन्न करने और अधिकृत करने में लगने वाले समय के अधीन भी है। यह बताया गया है कि भारत सरकार की ओर से भुगतान में देरी का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवाहित होता है।

न्यूनतम मजदूरी: महात्मा गांधी एनआरईजीएस श्रमिकों के लिए प्राप्त मजदूरी में वृद्धि की प्रवृत्ति है। 2006-07 से 2017-18 के दौरान प्रति व्यक्ति प्राप्त औसत मजदूरी रुपये 65 से रु. 169 प्रति दिन से बढ़ गई है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत प्राप्त मजदूरी दर कृषि मजदूरी से कम है। कुछ समय से कृषि में पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी और महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत मजदूरी के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।

संपत्ति: सृजित संपत्तियों की संख्या के संदर्भ में, श्रेणी डी में सबसे अधिक संख्या है, जबकि श्रेणी ए में योजना की शुरुआत से व्यय का उच्चतम हिस्सा है। योजना की शुरुआत के बाद से, हमने देखा है कि श्रेणी ए के लिए परिसंपत्ति निर्माण पर किया गया खर्च अधिक रहा है। सीमांत और छोटे किसानों को कार्यक्रम का लाभ देने के लिए 2014 के बाद श्रेणी बी प्रकार के कार्य अधिक प्रमुख हो गए हैं। श्रेणी बी 2013-2014 से मुख्य फोकस में रहा है, जिसका उद्देश्य सीमांत और छोटे किसानों के प्रत्यक्ष आजीविका लाभों में सुधार करना है। कृषि स्तर पर स्थायी प्रत्यक्ष आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सामान्य परिसंपत्ति संपत्ति से व्यक्तिगत संपत्ति में बदलाव के कारण संख्या के संदर्भ में बनाई गई श्रेणी ए की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

कार्यबल, रोजगार, आय और खपत: प्राथमिक आंकड़ों से पता चलता है कि नमूना महात्मा गांधी एनआरईजीएस लाभार्थी परिवारों से कुल कार्यबल 16,961 वयस्क सदस्य हैं, जिनमें 55 प्रतिशत पुरुष और 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुल कार्यबल में युवा श्रमिकों का अनुपात सबसे अधिक है, और लाभार्थी परिवारों में बुजुर्ग आबादी कम है। युवा श्रमिकों (18-45 वर्ष आयु वर्ग) का प्रतिशत 68 प्रतिशत है। लगभग 25 प्रतिशत कार्यबल 45-60 आयु वर्ग के हैं। वृद्ध वयस्क (60 वर्ष से अधिक आयु) कार्यबल का सिर्फ 7 प्रतिशत हैं। कुल रोजगार मात्रा में महात्मा गांधी एनआरईजीएस का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस ग्रामीण क्षेत्रों में एक पूरक रोजगार प्रदाता है।

विकेंद्रीकृत शासन में समावेशिता और योगदान: अध्ययन में कहा गया है कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत कुल रोजगार दिवसों में गैर-एससी/एसटी का हिस्सा एससी/एसटी की तुलना में बहुत अधिक है। कुल रोजगार में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। अनुसूचित जातियों के मामले में, कुल रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 2006-07 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 31 प्रतिशत हो गई और उसके बाद यह घटकर 21 प्रतिशत हो गई। बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, उच्च ग्रामीण गरीबी वाले राज्यों ने महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत अनुसूचित जाति की मध्यम भागीदारी दिखाई है। इसकी स्थापना के बाद से,

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सभी चार ब्लॉकों में उच्च भागीदारी दर्ज की है। 2008-09 से 2014-18 तक पुडुचेरी में अनुसूचित जाति की भागीदारी सबसे अधिक रही।

दक्षता और प्रभावशीलता: जहां तक योजना की दक्षता और प्रभावशीलता का संबंध है, मूल्यांकन से पता चलता है कि योजना का दक्षता स्तर 38 प्रतिशत अंक (पूरे देश के लिए) है, और राज्यों में दक्षता सूचकांक 19.9 प्रतिशत अंक (महाराष्ट्र) और 64.6 प्रतिशत अंक (केरल) के बीच भिन्न होता है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र राष्ट्रीय औसत से कम हैं और अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, 'कमजोर' पात्रताओं की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

मूल्यांकन से पता चलता है कि बिहार, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु सहित राज्यों में दक्षता और प्रभावशीलता दोनों स्कोर मिलते हैं, जबकि असम, केरल, ओडिशा और पंजाब में अंतर व्यापक है। असम, केरल और राजस्थान दूसरों की तुलना में बड़े मूल्यों को दर्शाते हैं, जिसका तात्पर्य है कि ये राज्य जहां तक दक्षता का संबंध है, दूसरों से काफी आगे हैं, लेकिन वे प्रभाविता में पीछे हैं।

निष्कर्ष

मूल्यांकन से पता चलता है कि महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन ने अलग-अलग पैमाने पर मजदूरी रोजगार के अवसरों, आजीविका सुरक्षा, समावेशिता और विकेंद्रीकृत शासन पर अलग-अलग प्रभाव डाला है। अपनी स्थापना के बाद से, योजना ने रोजगार के लिए मांग पक्ष पर बढ़ते दबाव के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, जैसा कि बढ़ते जाँब कार्ड पंजीकरण, योजना में भागीदारी और अपूर्ण मांगों से स्पष्ट है। वहीं, 2008-09 में सभी ग्रामीण जिलों को योजना में शामिल करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज स्थिर रहा। अध्ययन में कहा गया है कि महात्मा गांधी एनआरईजीएसस कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मांग पक्ष पर, प्रत्याशित श्रम मांग ने विशेषकर 2014 के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई। प्रत्याशित श्रम मांग की प्राप्ति में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कम दर पर। नतीजतन, प्रत्याशित श्रम मांग और महसूस की गई मांग के बीच का अंतर कुछ समय में बढ़ गया। राज्य-वार विश्लेषण में, हमने श्रम मांग के मामले में पूरे भारत में एक अलग तस्वीर देखी; और यह भी नोट किया कि

ग्रामीण गरीबी की उच्च घटना वाले कुछ राज्य कवरेज और रोजगार सृजन में पीछे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि श्रमिकों को सभी राज्यों में अपूर्ण मांग के मुद्दे का सामना करना पड़ा, और उनकी प्रतिक्रिया ने राज्यों में एक अलग तस्वीर प्रदान की। लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन इस बढ़ती मांग को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। काम की मांग कर रहे उन सभी लोगों को रोजगार देना योजना की एक बड़ी चुनौती है। निस्संदेह, काम की बढ़ती मांग पहले ही कई राज्यों में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में प्रकट हो चुकी है। यह न केवल उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर बल्कि कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता और कार्यबल पर दबाव बना रहा है। इस संबंध में, हमने युवा, शिक्षित और कुशल लाभार्थियों के एक उपसमूह को प्रेरित करने और स्थानांतरित करने के संदर्भ में नीतिगत विकल्पों की खोज की, लेकिन अन्य उच्च-स्तरीय आर्थिक गतिविधियों के लिए वेतन रोजगार कार्यक्रमों में भाग लिया। उच्च स्तर की कुशल आर्थिक गतिविधियों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित लोगों के अनुपात पर राज्य-वार अनुमान एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों के बीच कौशल की क्षमता को दर्शाता है। उन्नति नामक चल रहे कार्यक्रम को सुदृढ़ करना इस संबंध में एक विकल्प है।

24. रूरबन मिशन: निर्माण कार्य में स्मार्ट गांवों का एक अध्ययन

डॉ. आर रमेश

डॉ. पी शिवराम

परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने फरवरी 2016 में श्याम प्रसाद मुखर्जी 'रूरबन मिशन' (एसपीएमआरएम) नामक एक मिशन प्रारंभ किया, जिसे लोकप्रिय रूप से 'रूरबन मिशन' के रूप में जाना जाता है। मूल धारणा यह थी कि देश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र स्टैंड-अलोन बस्तियाँ नहीं हैं बल्कि बस्तियों के एक समूह का हिस्सा हैं, जो एक दूसरे के अपेक्षाकृत निकट हैं। राष्ट्रीय रूरबन मिशन (एनआरयूएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूरबन क्लस्टर बनाना है। चुने गए इन समूहों को विकास की संभावनाओं का वर्णन करना चाहिए, आर्थिक उन्मुख होने चाहिए और स्थानीय और प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करना चाहिए। एक बार विकसित होने के बाद इन समूहों को 'रूरबन' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करने वाले गांवों का एक समूह विकसित करना। इस प्रकार, भारत में 'स्मार्ट गांवों' के विकास की दृष्टि से इसकी परिकल्पना की गई थी।

उद्देश्य:

1. राज्यों द्वारा अपनाई गई क्लस्टर पहचान रणनीति का आकलन करना
2. उस गुणवत्ता/प्रक्रिया का पता लगाना जिसके द्वारा आईसीएपी तैयार किए जाते हैं और रूरबन क्लस्टर पर केंद्रित विकास चालकों की प्रासंगिकता का आकलन करना
3. आईसीएपी और डीपीआर में लाई गई विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के पीछे की सीमा और व्यावहारिकता की खोज करना
4. कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचे और परिचालन व्यवस्था का अध्ययन करना।

क्रियाविधि

यह जमीनी स्तर पर रूर्बन मिशन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए किया गया 'रचनात्मक शोध' है। इसके परिणाम से मिशन के प्रदर्शन पर बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मूल रूप से, यह एक गुणात्मक अध्ययन है। उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधियाँ प्रत्यक्ष अवलोकन, समूह साक्षात्कार और साक्षात्कार की शृंखला के माध्यम से प्रत्येक क्लस्टर का एक मामले के रूप में अध्ययन कर रही हैं - अध्ययन के तहत चार समूहों से दस्तावेजों की डेस्क समीक्षा द्वारा समर्थित।

अध्ययन क्षेत्र और नमूनाकरण: यात्रा में अधिक समय व्यतीत किए बिना, इस तीव्र अध्ययन को संचालित करने के लिए जानबूझकर चार समूहों को चुना गया था। चार क्लस्टर - दो तमिलनाडु से, अर्थात् तिरुपुर में वेलायुथमपलयम क्लस्टर और कोयम्बटूर में मदुक्कराई क्लस्टर; और दो केरल से अर्थात् कोट्टायम क्लस्टर में मांगट्टिडम और वेल्लानाड क्लस्टर में आर्यनाड - इस अध्ययन के लिए पहचान की गई।

निष्कर्ष

क्लस्टर पहचान: रूर्बन मिशन के तहत क्लस्टर पहचान में अपनाए जाने वाले आवश्यक मानदंडों में से एक यह है कि एक क्लस्टर को मैदानी क्षेत्रों में 25,000 - 50,000 की आबादी को कवर करना चाहिए। इसने जिला प्रशासन (डीपीएमयू एवं सीडीएमयू) को बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए - कई ग्राम पंचायतों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक बना दिया है। यह देखते हुए कि एक विशेष समूह के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गाँव बहुत अधिक हैं, किए गए कार्य बहुत कम या छुटपुट प्रतीत होते हैं। यह मुख्य रूप से केरल समूहों के बजाय तमिलनाडु में पाया जाता है क्योंकि केरल में पंचायतों का आकार बड़ा है, केवल दो या तीन पंचायतों को जोड़ने की आवश्यकता है। जबकि तमिलनाडु को क्लस्टर बनाने के लिए पांच या छह ग्राम पंचायतों - लगभग 20-22 बस्तियों के साथ - लाना पड़ता है, केरल के मामले में ऐसा नहीं था। इसके अलावा, केरल में एक ग्राम पंचायत के भीतर बस्तियों का बंदोबस्त आपस में जुड़ा हुआ है, जबकि यह तमिलनाडु में बहुत बिखरा हुआ है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु क्लस्टर की लगभग 20-22 बस्तियों के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करना एक चुनौती रही है। क्लस्टर पहचान और क्षेत्र निर्धारण के संबंध में राज्यों को व्यावहारिक अनुकूलन के लिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क्लस्टर पहचान के मानदंड: उत्कृष्ट विकास क्षमता वाली ग्राम पंचायतों का चयन करने का विचार था। भूमि मूल्यों में वृद्धि और गैर-कृषि आबादी की उच्च सघनता को उन क्षेत्रों के चयन के दौरान अधिक महत्व दिया गया है जहां समूहों को बढ़ावा दिया जाना है। इसके अनुसार पंचायतों को व्यवस्थित किया गया है। सबसे कम विकसित ग्राम पंचायतों को छोड़ दिया गया है, और जिन पंचायतों को रूबन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उच्च ग्रेड से चुना गया है।

संस्थागत ढांचा: राज्य ने रूबन मिशन के लिए एक विशेष संस्थागत ढांचा स्थापित करने की पहल की है, जैसा कि कार्यान्वयन ढांचे में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, तमिलनाडु के साथ-साथ केरल में यह पाया गया कि राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयां (एसपीएमयू) हैं, जो एक अधिकार प्राप्त समिति हैं; और हर जिले में जहां भी रूबन क्लस्टर की पहचान की गई है, वहां जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयां (डीपीएमयू) हैं; और ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर डेवलपमेंट मैनेजमेंट यूनिट्स (सीडीएमयू) हैं। सीडीएमयू को सभी परिवर्तित योजनाओं की योजना और निष्पादन/निष्पादन निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि, अधिकारियों के साथ चर्चा में यह सामने आया कि सीडीएमयू डीपीएमयू या एसपीएमयू जितने सक्रिय नहीं हैं। सीडीएमयू के पीछे का विचार ग्राम पंचायतों और ब्लॉक के बीच एक अतिरिक्त संस्थागत परत के रूप में कार्य करना था। इसे अभिसरण योजना के लिए गठित 'अस्थायी समिति' के रूप में अधिक देखा जाता है। सीडीएमयू, जैसा कि मूल रूप से सोचा गया था, को क्लस्टर के सतत संचालन को सुनिश्चित करना चाहिए। इसे कर्षण प्रदान करने और क्लस्टर की छवि को ऊपर उठाने के लिए और योजनाएँ बनानी चाहिए ताकि इसे एक क्लस्टर के रूप में प्रचारित करने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जा सके। इस विचार को ठोस आधार नहीं मिला है।

एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी): जैसा कि बताया गया है, आईसीएपी तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई है। सबसे पहले, उन्होंने एनआरयूएम पर एक उन्मुखीकरण और कार्यक्रम के पीछे के विचार के साथ शुरुआत की। ग्राम पंचायतों की पहचान स्वीकृत मानदंडों के आधार पर एक क्लस्टर के रूप में की जाती है। क्लस्टर प्रोफाइल सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभागों के अधिकारियों और क्लस्टर कार्य योजना तैयार करने में शामिल एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्लस्टर में कमियों पर चर्चा की गई है, और कमियों को दूर करने के लिए अभिसरण की आवश्यकता वाली योजनाओं की पहचान

की गई है। पीआरआई सदस्य, ग्राम स्तर के पदाधिकारी, सामुदायिक नेता, एनआरयूएम प्रतिनिधि, नगर नियोजन प्रतिनिधि, राज्य नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि और सभी संबंधित विभाग जिन्हें अभिसरण योजना में भाग लेना चाहिए था, इन अभ्यासों में उपस्थित थे।

योजनाओं का अभिसरण: तमिलनाडु क्लस्टर केवल सात या आठ विभाग योजनाओं को अभिसरण करने में कामयाब रहे हैं, जबकि केरल क्लस्टर ने केंद्र और राज्य सरकारों के 10-12 से अधिक विभागों से योजनाओं को लाकर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल में, सबसे अधिक ध्यान गाँव की सड़कों, पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण और प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन पर रहा है। इसके अलावा, केरल ने लाभार्थी अंशदान, सीएसआर फंड और जीपी के अपने स्रोत राजस्व के मामले में अतिरिक्त योगदान दिया है। तमिलनाडु में, ग्रामीण जल आपूर्ति, सौर अनुप्रयोग, स्मार्ट स्कूल और स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तमिलनाडु और केरल दोनों में सभी चार समूहों ने 30 करोड़ रुपये सीजीएफ का दावा करने के लिए पात्र बनने के लिए 70-70 करोड़ रुपये की योजनाओं को इकट्ठा किया है। उनमें कमी नहीं आई है।

प्रोत्साहन: रूर्बन मिशन के तहत दिए गए 30 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण अंतराल निधि (सीजीएफ) ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए अन्य विभागों और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के संदर्भ में सोचने के लिए एक सराहनीय प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया है। इसने उन्हें उनकी सीटों से हटा दिया है और उन्हें अन्य योजनाओं के नोडल अधिकारियों और अन्य विभागों के प्रमुखों से संपर्क करने के लिए मजबूर किया है। बजट स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि जिला प्रशासन ने आईसीएपी तैयार किया है जो अधिकतम सीजीएफ लाएगा जो मिशन के तहत एक क्लस्टर दावा कर सकता है। इसलिए, सीजीएफ ने रूर्बन मिशन कार्यक्रम के प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य किया है। योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों का मत है कि अभिसरण वास्तव में इस देश के विकास के इतिहास में पहली बार हुआ है।

सीजीएफ का उपयोग: 'गतिविधि के प्रकार' का विश्लेषण जिसमें सीजीएफ का अधिक उपयोग किया गया है, तमिलनाडु समूहों में, इसका उपयोग ज्यादातर कृषि-सेवा प्रसंस्करण जैसे कि नर्सरी उगाना, कृषि-क्लिनिक, रेशम उत्पादन इकाइयां, बाजरा प्रसंस्करण आदि के लिए किया जाता है। केरल में, यह अंतर-गांव संयोजकता, गांव की सड़कों तक पहुंच, बायोगैस और अपशिष्ट भस्मीकरण इकाइयां, जराचिकित्सा देखभाल, विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास, ग्रामीण बाजारों की स्थापना, खेल मैदान और मनोरंजन सुविधाएं आदि के लिए था।

कार्य की पहचान: सीजीएफ को पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ रुपये, जो भी कम हो (मैदानी क्षेत्रों के मामले में) पर कैप किया गया है। इसने सीडीएमयू को उनके द्वारा आने वाले कुल बजट पर तय किया है। एक क्लस्टर के लिए एक सुविचारित दृष्टि और किसी दिए गए क्लस्टर की जरूरतों को कर्षण या शक्ति प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है, यह निर्धारित करने के बजाय सोच बजट के भीतर होने के बारे में रही है। इस मानसिकता की उम्मीद की जानी चाहिए थी और डीपीएमयू/सीडीएमयू के प्रशिक्षण के दौरान इसे संबोधित किया जाना चाहिए था।

निष्कर्ष

एनआरयूएम द्वारा राज्यों/जिलों को सोचने और कार्रवाई में अभिसरण शुरू करने के लिए अपनाई गई रणनीति ने वास्तव में काम किया है। विभागों का अभिसरण हुआ है, और कार्यक्रमों का अभिसरण हुआ है। एनआरयूएम पहला कार्यक्रम होने का श्रेय पाने का हकदार है, जिसने योजना के साथ-साथ जमीनी स्तर पर अभिसरण का प्रदर्शन किया। हालांकि, एक क्लस्टर में वांछित परिवर्तन की दिशा और अभिसरित योजनाओं के प्रकार के बीच असंगति, विभिन्न विभागों से किए गए हस्तक्षेपों की विरल / छुटपुट प्रकृति के साथ मिलकर, आर्थिक गतिविधियों के लिए ऊपर की ओर सर्पिल लेने के लिए मिशन द्वारा परिकल्पित प्रत्यक्ष परिवर्तन को प्रस्तुत नहीं करता है। अध्ययन में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

सिफारिशें

1. प्रत्येक क्लस्टर के लिए 30 प्रतिशत महत्वपूर्ण अंतराल निधि (सीजीएफ) को जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य और जिला प्रशासन में इस कार्यक्रम के प्रमुख संचालक के रूप में कार्य करता है। रूबन मिशन में ग्राम पंचायतों (क्लस्टर) को मिलने वाले दो महत्वपूर्ण आकर्षण हैं (i) भू-स्थानिक योजना, और (ii) उन गतिविधियों/हस्तक्षेपों की योजना बनाने में सक्षम होने की सुविधा जो कोई मौजूदा योजनाएँ फंड नहीं कर सकती हैं - क्योंकि सीजीएफ ऐसे निवेशों/ व्यय को कवर कर सकता है। इसलिए, एनआरयूएम के तहत सीजीएफ की अवधारणा को जारी रखा जाना चाहिए।
2. जब 5-6 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाने की बात आती है तो बस्तियों का स्थान बहुत व्यापक होता है। नतीजतन, नियोजित हस्तक्षेपों के लागू होने के बाद, अभिसरण के प्रभाव को

जानना मुश्किल हो जाता है। लागू की गई योजनाओं की सघनता जानने के लिए बहुत सरल है। इसलिए, क्लस्टर पहचान और क्षेत्र निर्धारण के संबंध में राज्यों को व्यावहारिक अनुकूलन के लिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. एनआरयूएम में मुख्य रूप से आजीविका को बढ़ावा देने और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह एनआरयूएम की प्रमुख विशेषता है। आईसीएपी/डीपीआर में, कृषि संवर्धन, कृषि-प्रसंस्करण या आजीविका वृद्धि/विविधीकरण पर व्यय के बजाय सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के घटक उच्च स्तर पर पाए गए हैं। इस संबंध में, भविष्य के चरणों में क्लस्टर कार्य योजनाओं की जांच के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. क्लस्टर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट (सीडीएमयू) को अभिसरण योजना के उद्देश्य से गठित एक 'अस्थायी समिति' के रूप में अधिक देखा जाता है। एक बार जब नियोजन अभ्यास समाप्त हो जाता है, और आईसीएपी को मंजूरी मिल जाती है, तो सीडीएमयू क्लस्टर में मौन या गैर-मौजूद हो जाता है। सीडीएमयू, जैसा कि मूल रूप से सोचा गया था, को क्लस्टर के सतत संचालन को सुनिश्चित करना चाहिए और इसमें प्रगति की निगरानी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, इसे ट्रेकिंग प्रदान करने और क्लस्टर की छवि को ऊपर उठाने के लिए और योजनाएँ बनानी चाहिए ताकि क्लस्टर के रूप में प्रचारित किए जाने के लिए इसे व्यापक रूप से पहचाना जा सके। इस विचार को ठोस आधार नहीं मिला है। सीडीएमयू, एक संस्था के रूप में, एनआरयूएम की भूमिका और महत्व पर और उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सीडीएमयू के निरंतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए 'प्रदर्शन अनुदान' जैसे प्रोत्साहन तंत्र होने चाहिए।

25. त्रिपुरा राज्य में पर्यावरण बहाली और स्मार्ट जलवायु दृष्टिकोण पर जागरूकता और क्षमता निर्माण

डॉ एम के श्रीवास्तव

परिचय

जलवायु परिवर्तन की समस्या को अब वैश्विक समुदाय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है, और भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरणीय गिरावट किसी भी देश की सीमाओं का पालन नहीं करती है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) एक कॉम्पैक्ट भूमि द्रव्यमान है जो 23.9 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र में वन संसाधनों के मामले में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एनईआर बारह जैव-विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जिसमें देश की जैव विविधता का एक तिहाई से अधिक हिस्सा है। एनईआर का महत्व देश के लिए रणनीतिक भी है; इसलिए, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्षेत्र की स्थिरता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि दो-तिहाई से अधिक आबादी मूल रूप से ग्रामीण है और कृषि, वन जैव विविधता और पानी जैसे जलवायु-संवेदनशील प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जबकि एनईआर में शमन रणनीतियाँ अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, अनुकूलन उपायों को शुरू किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रतिकूल परिणामों को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए, इस शोध अध्ययन में लक्ष्य-उन्मुख अध्ययन क्षेत्र में लक्षित उन्मुख तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय आबादी की भेद्यता का आकलन करने और भेद्यता को कम करने की परिकल्पना की गई है।

यह शोध अध्ययन भेद्यता का आकलन करने, लोगों में जागरूकता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता की पहचान करने और उच्च अनुकूलन क्षमता बनाने में महत्वपूर्ण है। यह शोध अध्ययन त्रिपुरा राज्य के अधिकांश जलवायु-संवेदनशील जिलों में जलवायु परिवर्तन के लिए समुदाय-आधारित भेद्यता के विभिन्न आयामों और उनके अनुकूलन तंत्र के विश्लेषण पर केंद्रित था। परियोजना का अभिनव घटक भेद्यता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जिलों का चयन और प्राथमिकता है।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के लिए उनकी प्रासंगिकता के अनुसार व्यक्तिगत परियोजना गतिविधियों का चयन किया गया है। स्थापित परियोजना उद्देश्यों के अनुसार परियोजना उपायों (जैसे जागरूकता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और स्थानीय लोगों और विकास पेशेवरों के लिए कार्यशाला) का कार्यान्वयन किया गया है। सामान्य तौर पर, त्रिपुरा के दो चयनित जिलों में चार मुख्य उद्देश्य प्रदान करने के लिए उपायों की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य:

इस शोध का उद्देश्य लक्षित समूहों की अनुकूली क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे लक्ष्य-उन्मुख तरीके से जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी भेद्यता को कम किया जा सके।

उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करने और समुदाय की संभावित ताकत का पता लगाने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से कमजोर जिलों की स्थिति का विश्लेषण
2. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन
3. जलवायु के खतरों और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने में योगदान देने के लिए सामुदायिक हितधारकों और अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना
4. स्थानीय पद्धतियों में पर्यावरण-पुनर्स्थापना और जलवायु अनुकूलन प्रतिक्रिया रणनीतियों को शामिल करना।

क्रियाविधि

अध्ययन का फोकस त्रिपुरा राज्य के अधिकांश जलवायु-संवेदनशील जिलों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और जलवायु-लचीले सतत अनुकूलन और शमन रणनीतियों के प्रभाव का पता लगाना था। अध्ययन का नवीन घटक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति उनकी भेद्यता के संबंध में जिलों का चयन और प्राथमिकता क्रियाविधि है। तदनुसार, गाँव, ग्राम पंचायत / ग्राम परिषद और ब्लॉक का चयन किया गया जहाँ खेती का प्रचलन पाया गया और तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की पुष्टि की गई। त्रिपुरा राज्य के दो जिलों (उत्तरी

त्रिपुरा और गोमती) से कुल 180 कृषक परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। शोधकर्ताओं ने अध्ययन क्षेत्रों में कृषि परिवारों की पहचान करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूने का उपयोग किया है।

अध्ययन में शामिल किए गए गाँव सामतलपारा, रंगमती, दक्षिणपारा (अमरपुर, गोमती से), कुर्ती राजनगर, कुर्ती बाज़ार, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7 (कदमतला, उत्तरी त्रिपुरा से) थे। अध्ययन क्षेत्रों में गांवों की पहचान और नमूना विशुद्ध रूप से रोजगार के कम अवसरों, जलवायु जोखिमों के प्रति भेद्यता, उच्च जलवायु खतरों के क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है।

डेटा साक्षात्कार अनुसूची, फोकस समूह चर्चा, अवलोकन और भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से एकत्र किया गया था।

सामुदायिक विकास और भेद्यता के विभिन्न आयामों के आधार पर आजीविका भेद्यता सूचकांक (एलवीआई) की भी गणना की गई।

अध्ययन क्षेत्र: अध्ययन क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	जिला	ब्लॉक और गाँव	औचित्य/सीसीए प्रासंगिकता/असुरक्षा
त्रिपुरा	1. गोमती	अमरपुर ब्लॉक- वामपुर गाँव	उच्च बाढ़ के जोखिम के साथ उच्च कृषि भेद्यता, सूखे के प्रति संवेदनशीलता, जल भेद्यता
	2. उत्तर त्रिपुरा	कदमतला ब्लॉक-बगान ग्राम पंचायत (वार्ड-7)	बाढ़ और सूखा-प्रवण क्षेत्रों का उच्च जोखिम

निष्कर्ष :

- 1.1. उत्तरदाताओं में, बहुसंख्यक (54.6 प्रतिशत) अनुसूचित जाति से थे, जिनमें से 72.2 प्रतिशत पुरुष सदस्य थे और 27.8 प्रतिशत महिलाएँ थीं जो सीधे खेती से जुड़े हुए थे।
- 1.2. 26 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं के पास 30 वर्षों से अधिक का कृषि अनुभव था। इन किसानों ने फसल उत्पादकता, लाभप्रदता, खाद्य और पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय बाह्यताओं और समग्र प्रणाली स्थिरता और स्थिरता से जुड़ी बहुमुखी समस्याओं का अनुभव किया है।
- 1.3. उपर्युक्त समस्याओं को फिर से जलवायु परिवर्तनशीलता, अनुचित तकनीकों, विषम जेंडर संबंधों, खेती के व्यावसायीकरण और खुले बाजार के शासन द्वारा आकार दिया गया है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की घटती उपलब्धता ने अधिकांश किसानों को खेती के लिए भूमि के छोटे टुकड़ों में काम करने के लिए मजबूर किया। शोध अध्ययन ने पता लगाया और बताया कि पिछले दशकों में विभिन्न चरम जलवायु घटनाओं के कारण गोमती जिले में 96 प्रतिशत से अधिक आबादी ने अपना कब्जा (खेत सहित) खो दिया था।
- 1.4. इसके जवाब में, इन क्षेत्रों के छोटे किसानों ने अपनी कृषि प्रणालियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए नई भूमि उपयोग प्रणालियों के साथ प्रयोग और विकास किया है। इन नवीन तकनीकों को खेतों में संसाधन एकीकरण या स्थायी संसाधन गहनता के रूप में सन्निहित किया जाता है, और इन्हें आम बोलचाल में एकीकृत कृषि प्रणाली कहा जाता है। इस अध्ययन में, 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने बताया है कि उन्होंने पिछले 6-10 वर्षों में एकीकृत कृषि प्रणाली पद्धतियों की शुरुआत की है।
- 1.5. जैविक खेती पर जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी के कारण, अधिकांश किसानों ने पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके खेती करने की सूचना दी है। इसलिए, प्रशिक्षण जैविक खाद और उर्वरक तैयार करने से संबंधित हो सकता है।
- 1.5.1 जल एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। कई तनाव कारकों में, परिवर्तित जलवायु जल संसाधन प्रणालियों पर दबाव डालती है, जिससे मांग बढ़ती है और भेद्यता आकलन की आवश्यकता पैदा होती है। इस अध्ययन में, एक उपयुक्त डेटा संग्रह उपकरण के साथ जल भेद्यता की त्वरित समीक्षा की गई। गोमती का जल भेद्यता स्कोर मान (0.668) अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है।

दोनों जिलों के किसानों को प्रमुख जलवायु संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शोधकर्ता ने यह भी महसूस किया कि छोटी जोत वाले खेतों की समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में इस अभिनव

कृषि प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए लंबे समय में इन कृषि प्रणालियों की कमजोरियों के आयामों का आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, यह माना जाता है कि स्थिरता और भेद्यता एक दूसरे के साथ रैखिक रूप से जुड़ी नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एकीकरण हमेशा भेद्यता स्कोर में प्रतिबिंबित नहीं होता है, और भेद्यता को मापने में अलग-अलग दृष्टिकोण अलग-अलग खेत स्तर पर अलग-अलग परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए, इसे मापते समय विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इस अध्ययन में, उन्हें सात आयामों (सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, आजीविका रणनीतियों, सामाजिक नेटवर्क, स्वास्थ्य औसत, खाद्य सुरक्षा, जल भेद्यता, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तनशीलता सहित) के रूप में संदर्भित किया गया है। उनका व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया गया था, और एक समग्र सूचकांक (आजीविका भेद्यता सूचकांक-एलवीआई) तैयार किया गया था ताकि एक दर्पण समझ हो।

इस अध्ययन में, शोधकर्ता ने त्रिपुरा के दो जिलों से प्रत्येक 180 खेतों की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए विभिन्न भेद्यता और स्थिरता मूल्यांकन ढांचे के आधार पर प्रत्येक प्रमुख घटक के लिए भेद्यता माप उप-घटकों को अपनाया और फिर भेद्यता सूचकांक स्कोर का उपयोग करके और सांख्यिकीय परीक्षण के बाद उनकी भेद्यता का आकलन किया।

निष्कर्ष

1. इस अध्ययन के पहले भाग में, हमने खेत-स्तर की विशेषताओं की डिग्री और कुछ विशिष्ट अनुकूलन विधियों के साथ कमजोरियों के आयामों के आधार पर त्रिपुरा की लघुधारक कृषि प्रणालियों को वर्गीकृत और चित्रित किया, जिसने खेतों के खेती के अनुभव, छोटी जोत वाले किसान परिवारों का परिवार का आकार, छोटी जोत वाले खेतों का आयु वितरण, गृह निर्माण तकनीक और कई अन्य मानदंडों को पहचाना है।
2. दूसरे भाग में, शोधकर्ता ने देखा कि गोमती जिले में अध्ययन किए गए खेतों के भेद्यता सूचकांक के विभिन्न घटकों का मूल्य उत्तर त्रिपुरा भेद्यता स्कोर की तुलना में अधिक है। निर्वाह और परिवार कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ, इस क्षेत्र के खेत जलवायु परिवर्तन/पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता के प्रति अपने लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अधिक इच्छुक हैं।

3. इस अध्ययन के तीसरे भाग में, अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के बीच एकदिशात्मक और पारस्परिक संबंधों की तरह, नेटवर्क विश्लेषण स्थापित किया गया। नेटवर्क गुण जैसे घनत्व (विभिन्न संस्थानों में अधिकतम संभव इंटरैक्शन की तुलना में उनके बीच अधिकतम संभावित इंटरैक्शन) और संबंधों की संख्या (किसी भी दो संस्थानों के बीच बातचीत की संख्या) दर्ज की गई। हमने इन संस्थानों के बीच संबंधों को संबोधित किया है, जो संस्था के कार्य और पहुंच के संदर्भ में उनके मौजूदा संबंधों को दर्शाता है।

26. बिहार में महिला प्रधान ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन: अधिकार, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर एक विश्लेषण

डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव,
श्रीमती स्मिता सिन्हा,
बीआईपीएआरडी

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और इसे उत्पन्न किया। संशोधन ने 'पंचायतों', अनुच्छेद 243 से 243 (ओ) नामक संविधान में एक नया भाग IX और पंचायती राज संस्थान को स्थानीय स्व शासन की एक समावेशी संस्था बनाने के लिए पंचायतों के कार्यों के रूप में 29 विषयों को शामिल करने वाली एक नई ग्यारहवीं अनुसूची पेश किया है। अनुच्छेद 243जी और 243एच पंचायत को योजनाएं तैयार करने और कर लगाने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 234डी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। विधायी नवाचार ने महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विकेंद्रीकृत योजना, शासन और विकास में भाग लेने में सक्षम बनाया है।

शासनादेशों का अनुपालन करते हुए, बिहार की राज्य सरकार ने 2006 में संशोधित पंचायती राज अधिनियम और नियम पेश किए, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या का पचास प्रतिशत आरक्षित किया गया। नतीजतन, कुल 63,914 महिलाएं बिहार में पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर चुनी गईं। बिहार सरकार ने पंचायत को विकास की प्रभावी संस्था बनाने के लिए पंचायती राज संस्था को 20 लाइन के विभाग भी सौंपे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या सत्ता के दायरे से बाहर रहती है और इस विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया उन्हें स्थानांतरित कर दी जाती है। मुख्य कारण पितृसत्तात्मक मूल्य, जाति पदानुक्रम और जेंडर अंतर हैं। ये अभी भी बिहार में प्रचलित है और अभ्यास की जाती हैं, जो महिला को मुखिया (ग्राम पंचायत प्रमुख) के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकते हैं। पंचायती राज संस्था में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर संवैधानिक और सामाजिक शक्ति गतिशीलता, प्रतिरोध की डिग्री और बातचीत के तरीके दोनों का सीधा असर पड़ता है। अनुसंधान ने सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की जांच की जो एक पितृसत्तात्मक समाज में प्रदर्शन के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और ग्राम पंचायत के प्रमुख के रूप में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया।

उद्देश्य:

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (1) सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारकों की पहचान करना जो महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं
- (2) निचले स्तर की नियोजन प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना
- (3) पंचायती राज संस्था में महिलाओं के आरक्षण के प्रभाव और उनके सामने आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना
- (4) खुद को सक्रिय नेताओं के रूप में स्थापित करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा संयम के पहलुओं और बातचीत के तरीके का विश्लेषण करना।

क्रियाविधि

खोजपूर्ण और वर्णनात्मक डिजाइन के व्यापक ढांचे के तहत, अध्ययन ने शोध क्रिया की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रियाओं के मिश्रण का उपयोग किया। चार सांस्कृतिक-भाषाई क्षेत्रों और राज्य के एक आदिवासी बहुल जिले, यानी मगध, भोजपुर, मैथिली, अंगिका और चंपारण से बहु-स्तरीय नमूना पद्धति के माध्यम से पहचान की गई चौबीस (24) महिला प्रधान ग्राम पंचायतों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। डेटा संग्रह के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम, अवलोकन गाइड और एफजीडी गाइड प्रमुख उपकरण थे।

चौबीस महिला मुखिया (जीपी हेड) में खुली श्रेणी, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी, पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अनारक्षित (महिला) श्रेणी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं शामिल हैं।

छह जिलों में फैली चौबीस (24) ग्राम पंचायतों में कुल सात सौ बीस (720) घरेलू उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। ग्राम पंचायत के कामकाज और गांवों में सामाजिक-सांस्कृतिक और शक्ति गतिशीलता पर कुल 360 महिला और 360 पुरुष घरेलू उत्तरदाता हैं। विश्लेषण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके किया गया था। डेटा कैप्चर प्रारूप, डेस्क समीक्षा और प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र:

यह अध्ययन बिहार राज्य में किया गया था। बिहार राज्य को प्राचीन गणराज्यों, यथा लिच्छवी और शाक्य गणतंत्र के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। राज्य का स्थानीय स्वशासन का समृद्ध इतिहास रहा है। देश में पहली बार बिहार राज्य ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

इसने विभिन्न सामाजिक परिवेशों से महिलाओं के लिए द्वार खोल दिया है और उन्हें सत्ता में आने और एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का अवसर दिया है। इस तरह बिहार जैसे पारंपरिक समाज में पितृसत्तात्मक समाज के पुराने मानदंडों को चुनौती दी गई है। इस प्रकार, यह पता लगाना रुचि का विषय है कि क्या राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मात्रात्मक वृद्धि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और गाँव के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

निष्कर्ष :

संचयी निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

अधिकांश मुखिया (41.7 प्रतिशत) युवा (25-30 वर्ष के बीच) थे, जबकि लगभग 17 प्रतिशत 51-55 वर्ष के आयु वर्ग में थे। साक्षात्कार किए गए कुल मुखिया में से 66 प्रतिशत से अधिक साक्षर थे, जबकि एक तिहाई मध्यम स्तर तक शिक्षित थे। एक अच्छा प्रतिशत (12.5 प्रतिशत) स्नातक स्तर तक शिक्षित थे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुखिया उत्तरदाताओं में से अधिकांश (62.5 प्रतिशत) गृहिणियां थीं। लगभग एक तिहाई महिला मुखिया के नाम पर जमीन थी। घरेलू स्तर के अधिकांश उत्तरदाता साक्षर थे। पुरुष साक्षरता महिलाओं से अधिक थी। उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत शिक्षित था। वे व्यापार और नौकरी में थे।

भागीदारी के पहलू पर, यह पाया गया कि 50 प्रतिशत महिला मुखिया आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता से प्रेरित पारिवारिक इच्छाओं के कारण राजनीति में शामिल हुईं। खोज से यह भी पता चलता है कि अधिकांश निर्वाचित महिला मुखिया पहली बार या पहली पीढ़ी के राजनेता थीं। परिवार के उत्तरदाताओं का विचार था कि वर्तमान मुखिया ने आरक्षण, जाति संख्या, धार्मिक प्रभुत्व, पारिवारिक प्रतिष्ठा और समर्थित उम्मीदवार के कारण चुनाव जीता था। उत्तरदाताओं के एक छोटे प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने उनकी शैक्षिक योग्यता और वे युवा होने के कारण एक विशेष उम्मीदवार को वोट दिया था। सीटों

का आरक्षण सबसे बड़ा प्रेरक (33.33 प्रतिशत) था, इसके बाद समाज सेवा और आत्म-प्रेरणा थी। लगभग 80 प्रतिशत महिला मुखिया आरक्षण के पक्ष में थीं। हालांकि, उनमें से अधिकांश बीपीआरए-2006 के तहत किए गए आरक्षण प्रावधान से अनभिज्ञ थे।

महिला मुखिया के प्रति व्यवहार में बदलाव के सवाल पर बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने कहा कि कुछ बदलाव आया है। लेकिन उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (29.2 प्रतिशत) ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। कई मुखिया ने साझा किया कि उनके पति परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं।

विकास के मोर्चे पर, 95.8 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायत के कार्यों और निधियों से अनभिज्ञ थे। खोज से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश ने कभी भी अपनी शक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की।

उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (20.8 प्रतिशत) ने पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए समय नहीं निकाला। 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सारा काम पति द्वारा किया जाता है। यह पाया गया कि केवल 16.7 प्रतिशत मुखियाओं ने योजनाओं की नियोजना और कार्यान्वयन के दौरान कुछ समस्याओं का सामना किया, जबकि 58.3 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि वे अनभिज्ञ थे। अट्टावन प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि वे सीएसएस और एसएसएस के तहत लाभार्थियों की पहचान करने में कभी शामिल नहीं थे। मुखियाओं का एक छोटा प्रतिशत (12.5 प्रतिशत) जीपीडीपी के बारे में जानते थे। अज्ञानता के सबसे बड़े कारणों में से एक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी थी।

प्रतिरोध के सवाल पर अधिकांश महिला मुखिया औपचारिक रूप से अपने अनुभव साझा करने को तैयार नहीं थीं। लेकिन अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें घर और समाज में विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी साझा किया कि वे विरोध करने की स्थिति में नहीं थे लेकिन स्थिति के साथ समझौता करना पसंद करते थे। हालांकि, लगभग 13 प्रतिशत मुखिया ने स्वीकार किया कि उन्हें योजना या लाभार्थी की पहचान करते समय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

जाति और जेंडर आधारित प्रतिरोध पर, निष्कर्ष दिखाते हैं कि अट्टाईस प्रतिशत (20.8 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्रतिरोध का सामना किया, जबकि अधिकांश (79 प्रतिशत) ने इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शोधकर्ताओं ने एफजीडी के दौरान विरोध को देखा। लगभग 42 प्रतिशत

महिला मुखिया पुरुष प्रधान जीपी बैठकों में सहज महसूस नहीं करती हैं। यह पाया गया कि समझौता और परिहार बातचीत की प्रमुख तकनीकें थीं।

परिवार के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से, ग्रामीण संबंधित मुखिया के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन भविष्य में प्रचलित सामाजिक गतिशीलता के कारण वे फिर से मतदान करना चाहते थे।

परिवारों की मुख्य मांग पीएमएवाई, पीडीएस प्रणाली, शौचालय, जॉब कार्ड, लिंक रोड, आदि की लाभार्थी सूची में नाम शामिल करना था। अध्ययन की निष्कर्ष से पता चलता है कि 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता विभिन्न योजनाओं से अंजान थे। घरेलू स्तर के उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनकी महिला मुखिया बेहतर कर सकती थी, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि जाति और पितृसत्ता अभी भी प्रचलित है, जो एक मुखिया के कामकाज से संबंधित हैं। एफडीजी के दौरान, शोधकर्ताओं ने अंतर्जातीय संघर्ष देखा। मुखिया की संवेदनशीलता और जरूरत के समय मदद करना के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया रही।

सीट आरक्षित होने के कारण समाज के उच्च वर्ग में सामान्य उदासीनता थी। एफडीजी के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग मुखिया का नाम नहीं जानते थे। उन्होंने वर्तमान मुखिया को उसके पति और परिवार के नाम पर वोट दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने कई कारणों से महिला मुखिया से संपर्क नहीं किया। ज्यादातर मामलों में यह पाया गया कि महिला मुखिया लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

नमूना तौर पर, 75.0 प्रतिशत महिला मुखिया ने कहा कि वे फिर से निर्वाचित होना चाहती हैं, और उनमें से 50 प्रतिशत एक उच्च राजनीतिक कार्यालय में निर्वाचित होना चाहती हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन का निष्कर्ष है कि ईडब्ल्यूआर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तविक भागीदारी, यानी नौकरी की जिम्मेदारियों को समझना, बैठकों में भाग लेना, योजना और कार्यान्वयन में भाग लेना और निर्णय लेना एक दूर का लक्ष्य है। ऐसा इसलिए नहीं है कि महिलाएं ऐसा करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता ने उन्हें डरा दिया है। महिला मुखिया ने कुशलता से संक्रमण का सामना नहीं किया, बल्कि परिवार के हित के लिए अपने हितों की बलि देने का विकल्प चुना। दूसरे शब्दों

में, पुरुष सदस्यों के सामाजिक प्रभुत्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने महिला प्रमुख जीपी के प्रदर्शन को सीमांत पर डाल दिया है। महिला मुखिया को सबसे आगे लाने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति उन्हें ग्राम पंचायत में विकास और शासन के केंद्र में लाने में मदद करेगी।

27. पूर्वोत्तर भारत में किसानों की आय, पोषण और सतत आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पारंपरिक और नई उच्च मूल्य वाली फसलों की भूमिका पर अध्ययन

डॉ. आर. एम. पंत,
डॉ. एस. एस. घनक्रोक्ता
डॉ. एम. के. श्रीवास्तव

परिचय :

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कई नदियों और घाटियों से समृद्ध है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर बहुत अधिक निर्भर है। 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। कृषि, बागवानी और वानिकी राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रमुख योगदान देती हैं।

खाद्य सुरक्षा से परे देखने की सरकार की नीति ने कृषि के लिए संभावित जैव विविधता के साथ आय सुरक्षा पर पर्याप्त जोर दिया है और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित करते हुए 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है। 2016-17 के बजट में, भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया है। तदनुसार, सरकार ने कृषि बाजार दक्षता, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार और गैर-कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिए किसानों की क्षमता को बढ़ाने सहित कई उपायों की भी घोषणा की है। इस संदर्भ में, यह अध्ययन फसल की स्थिति, खेती के तरीकों, मौजूदा संसाधनों, कृषि इनपुट-आउटपुट विवरण, विपणन सुविधाओं और उत्तर पूर्व के किसानों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पड़ताल करता है, जिसने इस क्षेत्र को कमजोर बना दिया है।

उद्देश्य:

उद्देश्य हैं:

1. क्षेत्र-विशिष्ट पारंपरिक फसलों और उन नई फसलों की खोज और पहचान करना, जिनका उच्च पोषण मूल्य, उच्च मांग और बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करता है।

2. किसानों द्वारा इन फसलों की खेती के लिए उपयोग की जा रही मौजूदा पद्धतियों , किस्मों/किस्में, प्रौद्योगिकी आदि का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का अध्ययन करना
3. इन फसलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे, नीतिगत समर्थन, कटाई के बाद के प्रबंधन, संस्थागत व्यवस्था, आर्थिक संबंधों और विपणन का आकलन करना
4. इन फसलों की उत्पादकता को लोकप्रिय बनाने और सुधारने और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नवाचारों/सुधारों/प्रौद्योगिकियों/प्रथाओं के क्षेत्रों की पहचान करना।

क्रियाविधि :

अध्ययन में कृषि क्षेत्र के विभिन्न कारकों और आयामों को दर्ज किया गया जैसे भूमि विवरण और भूमि पैटर्न, कृषि इनपुट, मिट्टी की अम्लीयता/ क्षारीयता, घर की भूमि, खेती का अनुभव, संस्थागत पहुंच, कृषि राजस्व, सब्जी की उपज, फलों की उपज, नकदी फसल की उपज, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विपणन विवरण और उपलब्ध डाटा के अनुसार सिंचाई प्रणाली। अध्ययन में प्रमुख हितधारकों के साथ साक्षात्कार और एफजीडी की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इसके अलावा, अध्ययन ने विभिन्न पहलुओं से किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को दर्ज किया और उन्हें बेहतर समझ और नीतिगत उपायों का सुझाव देने के लिए रैंक किया। उत्तर पूर्व के छह राज्यों के 42 गांवों के 860 घरों से डेटा एकत्र किया गया था। कुल 860 व्यक्तिगत परिवारों से फसल विवरण पर डेटा दर्ज किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन में पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों (नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश), इक्कीस जिलों और बयालीस गांवों को शामिल किया गया है। ये जिले लखीमपुर, धेमाजी, कोकराझार, जोरहाट, गोलाघाट, बारपेटा, माजुली लोअर सुबनसिरिम, ईस्ट सियांग, पापुम पारे, अपर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग, गोमती, नॉर्थ त्रिपुरा, वेस्ट गारो हिल्स, रिभोई, मोकोकचुंग, कोहिमा, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम और पूर्वी सिक्किम हैं।

निष्कर्ष :

अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकाली गई है:

क. उत्तरदाताओं का पृष्ठभूमि विवरण:

अध्ययन के पहले भाग में, हमने उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के उत्तरदाताओं को पाया। इस अध्ययन में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे नागालैंड में एओस और अंगामी, त्रिपुरा में त्रिपुरी, खासी, मेघालय से खासी, गारो, सिक्किम से लेप्चा, भूटिया, नेपाली, शेरपा, अरुणाचल प्रदेश से अडि, निशी अपातानी और मोनपा, और असम से मिसिंग आदि जैसे कई आदिवासी समुदायों और अन्यो को इसके उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया है। विभिन्न समुदायों के उत्तरदाताओं को आगे जेंडर वर्गीकरण, आयु वितरण और कुछ अन्य कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

अध्ययन में शामिल अधिकांश उत्तरदाताओं में उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों के छोटे और सीमांत खेत धारक शामिल हैं। भूमि के प्रकार और भूमि वर्गीकरण में डेटा की उपलब्धता के अनुसार अपनी भूमि, वास भूमि, सामुदायिक भूमि, कृषि भूमि, पट्टे पर दी गई भूमि, पट्टे की भूमि, वन भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, आदि के संबंध में भूमि का वर्गीकरण शामिल है। उत्तरदाताओं के व्यवसायों को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता सभी राज्यों में अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि से जुड़े हुए हैं। उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को तीन अलग-अलग कृषि मौसमों: खरीफ, रबी और जायद से उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष बताता है कि खरीफ और रबी मौसम में आय अधिक होती है। जायद के मौसम में, उत्तरदाताओं की आय काफी कम होती है क्योंकि इस मौसम को कृषि के लिए एक कमजोर मौसम माना जाता है। अधिकांश राज्यों में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है और ज्यादातर मामलों में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति को मुख्य रूप से साक्षर और निरक्षर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और आगे, इसे डेटा की उपलब्धता के अनुसार शैक्षिक मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाता साक्षर हैं, जबकि उनमें से बहुत कम ही शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सके।

ख. कृषि विवरण: प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, स्वदेशी खेती अभ्यास, सिंचाई विवरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मृदा परीक्षण

i. अध्ययन में प्रत्येक राज्य की प्रमुख फसलों की पहचान की गई है और फसलों के हर संभव विवरण जैसे कि खेती के तरीके, उपज रेंज, उपयोग, फसल पैटर्न, विपणन रणनीतियों आदि को दर्ज किया गया है। अध्ययन के इस भाग के निष्कर्ष में अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शामिल हैं :

	राज्यों का नाम	विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में प्रमुख फसलें
1.	नागालैंड	चावल, गोंद चावल, बाजरा, गोभी, मूली, स्कैश, लौकी, कद्दू, बांस की गोली, आलू, बैंगन, राजा मिर्च, टमाटर, अरबी, टैपिओका, सरसों, ककड़ी, ब्रोकोली, केला, कीवी, अनानास, पैशन फ्रूट, संतरा नींबू, बेर, आंवला आदि
2.	त्रिपुरा	चावल, मक्का, बाजरा, गोभी, फूलगोभी, मूली, गाजर, लौकी, कद्दू, बांस की टहनी, बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर, अरबी, साबूदाना, सरसों, भिंडी, केला, अमरूद, कटहल, आम आदि।
3.	मेघालय	चावल, बाजरा, मक्का, गोभी, मूली, स्कैश, फूलगोभी, गाजर, आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, अरबी, टैपिओका, लौकी, शिमला मिर्च, भिंडी, केला, अनानास, कटहल, बेर, पैशन फ्रूट, संतरा, स्टार फल, काजू, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, हल्दी, तेजपत्ता, सुपारी आदि।
4.	सिक्किम	चावल, बाजरा, मक्का, काले चावल, गोभी, फूलगोभी, मूली, गाजर, स्कैश, कद्दू, राजा मिर्च, अदरक, मसाले, इलायची, केला, संतरा, अमरूद, आदि।
5.	असम	काला चावल, चिपचिपा चावल, गोभी, फूलगोभी, मूली, गाजर, स्कैश, लौकी, लौकी, कद्दू, बांस, आलू, बैंगन, राजमिर्च, टमाटर, मसूर, उड़द, अरहर, राजमा, हरा चना, आदि।
6.	अरुणाचल प्रदेश	चावल, बाजरा, मक्का, गोभी, फूलगोभी, मूली, गाजर, स्कैश, आलू, बैंगन, राजमिर्च, टमाटर, भिंडी, केला, कीवी, संतरा आदि।

- ii. कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए, सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। राज्यों में सिंचाई के प्राथमिक स्रोत वर्षा जल और पारंपरिक जल निकाय हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए प्राकृतिक नमी और वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे कृषि उत्पादन में उच्च स्तर की अस्थिरता पैदा होती है।
- iii. एनईआर में स्वदेशी कृषि प्रणालियां कुल मिलाकर जैविक रूप से प्रचलित हैं। पारंपरिक खेती प्रणालियों में एकीकृत और जैविक खेती का संवर्धन, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर, नई उच्च मूल्य वाली फसलों, एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि वानिकी और वैज्ञानिक छलांग को बढ़ावा देकर एनईआर में पहाड़ियों और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विकसित किया जा सकता है। ये सभी विधियां क्षेत्र में सतत कृषि विकास के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता रखती हैं!
- iv. वर्तमान कृषि परिदृश्य को समझते हुए प्रशिक्षण और कार्यशाला पाठ्यक्रम को लगन से तैयार किया गया है, जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, एनईआई के विभिन्न राज्यों से उत्तरदाताओं की एक मध्यम संख्या (जैसे, त्रिपुरा-33 प्रतिशत, मेघालय-59 प्रतिशत, सिक्किम-33 प्रतिशत) शायद ही किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तक पहुंच प्राप्त कर सके।
- v. इसके अलावा, अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के कृषि विभाग के मार्गदर्शन में मिट्टी परीक्षण की स्थिति पाई गई। निष्कर्ष के अनुसार, अध्ययन राज्यों के बहुत कम उत्तरदाता अपनी मिट्टी का ठीक से परीक्षण कर सके।
- ग. क्षेत्र विशिष्ट उच्च मूल्य वाली फसलों की पहचान
- अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उच्च पोषण मूल्य वाली क्षेत्र-विशिष्ट पारंपरिक और नई उच्च मूल्य वाली फसलों की खोज और पहचान करना था। निष्कर्ष के अनुसार चिन्हित संभावित क्लस्टरों/जिलों सहित उच्च मूल्य वाली फसलों की सूची नीचे दी गई है:

	फसलें	राज्य	संभावित जिले/क्लस्टर
1.	कृष्णकमल फल	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचोंग
2.	कीवी	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश	कोहिमा, मोकोकचोंग और वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी
3.	आलूबुखारा	मेघालय	रिभोई, वेस्ट गारो हिल्स
4.	राजा मिर्च	नागालैंड, सिक्किम, असम	कोहिमा, मोकोकचोंग, पूर्वी सिक्किम, दक्षिण सिक्किम, लखीमपुर, जोरहाट
5.	काली मिर्च	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम
6.	केला	त्रिपुरा, असम	गोमती, कोकराझार, लखीमपुर
7.	करौंदा	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचोंग
8.	अनन्नास	मेघालय	रिभोई, पश्चिमी गारो हिल्स
9.	अदरक	नागालैंड, मेघालय	कोहिमा, मोकोकचोंग और रिभोई, पश्चिम गारो हिल्स

घ. कृषि में किसानों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएँ:

इस शोध अध्ययन में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किसान समुदाय के सामने आने वाली कृषि बाधाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र में कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि है। देश के सिंचित क्षेत्रों में हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव के बावजूद, कृषि का आधुनिकीकरण इस क्षेत्र से बच गया है, जैसा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाने में कमी, उर्वरकों की कम खपत और विकास के अन्य संकेतकों से स्पष्ट है। क्षेत्र में कृषि उत्पादन प्रणाली मुख्य रूप से वर्षा आधारित और निर्वाह स्तर पर एक फसल है।

ड. भारतीय उत्तर पूर्व में कृषि की समग्र विशेषता:

1. अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत बहुत कम है (पहाड़ी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में और कुछ हद तक असम और मेघालय में)।

2. एकल फसल के रूप में चावल का वर्चस्व जोखिम और उत्पादकता के निम्न स्तर के प्रति संवेदनशील है। कई बाधाओं के कारण नई फसल किस्मों के परिचय के लिए बहुत कम अवसर हैं, हालांकि इस अध्ययन में कुछ प्रमुख फसलों की पहचान क्षेत्र-विशिष्ट उच्च मूल्य वाली फसलों के रूप में की गई है।
3. पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रचलन और कम उत्पादकता इस क्षेत्र में एक और चिंता का विषय है
4. इस क्षेत्र में फसलों, पशुधन, मछली और रेशम का कृषि विविधीकरण मौजूद है, लेकिन आर्थिक विकास में उनका योगदान नगण्य है, जो प्रति व्यक्ति कम आय में परिलक्षित होता है।

निष्कर्ष :

वर्तमान अध्ययन ने विभिन्न कारकों के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों और कृषि परिवारों की विशेषताओं की खोज की और पहचान की। बड़े इकाई-स्तरीय कृषि घरेलू नमूनों का उपयोग करते हुए, अध्ययन में पाया गया कि पारंपरिक खेती पद्धति के साथ-साथ मौजूदा उच्च मूल्य वाली फसलों में किसानों के लिए कल्याणकारी संकेतकों की क्षमता है। लाभकारी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती और गरीब होने की संभावना के बीच विपरीत संबंध है। क्षेत्र के लिए चिन्हित उच्च मूल्य वाली फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की प्रवर्तन पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अध्ययन ने आय बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए क्षेत्र की क्षमता को संबोधित किया। किसानों की आय में वृद्धि के रूप में नीतिगत प्रभावों के लिए यह महत्वपूर्ण है, और कल्याण को अध्ययन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण के महत्व के निष्कर्ष के साथ, अध्ययन क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित प्रयासों की मांग करता है। साथ ही, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज को शामिल करते हुए एक सहायक बाजार वातावरण के समानांतर विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

.*****

28. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी का समवर्ती मूल्यांकन: आंध्र प्रदेश में एक मूल्यांकन

डॉ जी वी कृष्णा लोही दास
डॉ यू हेमंता कुमार
डॉ. सी.धीरजा
डॉ. पी. केशव राव

परिचय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), जिसने कमी के दौरान खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करना शुरू किया, वह सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। पीडीएस केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की 1.2 बिलियन आबादी के लगभग दो-तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर, 2013 को 5 जुलाई, 2013 से पूर्वव्यापी रूप से कानून में हस्ताक्षरित किया गया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की पहुंच प्रदान करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवरेज का प्रावधान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।

एनएफएसए के अधिनियमन के बाद से, मंत्रालय ने मुख्य रूप से आधिकारिक स्रोतों जैसे आवधिक प्रगति रिपोर्ट, नियमित बैठकें, क्षेत्र के दौरे आदि द्वारा प्रगति की निगरानी की है, लेकिन जमीन पर योजना के सटीक कार्यान्वयन के बारे में जानकारी का अभाव है। हालांकि, कार्यक्रम के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए नियमित आधार पर कार्यान्वयन प्रक्रिया की अधिक गहन, समावेशी और व्यापक निगरानी की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक पहुंच और साधन संपन्नता के साथ एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए, समवर्ती मूल्यांकन एक उपकरण है जो प्रत्येक तिमाही में आउटपुट और

प्रमुख परिणाम संकेतकों पर काफी अच्छी जानकारी प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन/सेवा वितरण की बेहतर गुणवत्ता के लिए कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना और गुणवत्ता सेवाओं के साथ अंतिम लाभार्थियों की सेवा करना है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के लिए "आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का समवर्ती मूल्यांकन और निगरानी" शीर्षक वाला अध्ययन सौंपा गया।

उद्देश्य :

- समवर्ती मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में एनएफएसए (2013) के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति का आकलन करना है और इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन को मापना और निगरानी करना है, विशेषकर:
- व्यवस्थित स्तर पर: एनएफएसए 2013 के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन और विश्लेषण करना
- लाभार्थी स्तर पर: एनएफएसए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित समूहों पर एनएफएसए के लाभों का मूल्यांकन करना

क्रियाविधि :

2011 की जनगणना जिलों और गांवों/शहरों/कस्बों की सूची ने नमूना ढांचे का गठन किया। प्रत्येक तिमाही के दौरान, एनएसएसओ क्षेत्र से एक-एक (राज्य के भीतर सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता के कारण) तीन जिलों का चयन किया गया। एनएसएस के अंतर्देशीय दक्षिणी क्षेत्र, एनएसएस के तटीय दक्षिणी क्षेत्र और तटीय उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों को प्रत्येक तिमाही के दौरान मूल्यांकन के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया था। समवर्ती मूल्यांकन के लिए एक बहु-स्तरीय नमूना डिजाइन अपनाया गया था। क्रमशः नमूने के पहले, दूसरे और तीसरे चरण से

जिले/शहर/नगर/गाँव/शहरी वार्ड और परिवार। प्रत्येक गांव में, 15 नमूना एनएफएसए लाभार्थी परिवारों (अर्थात, 10 पीएचएच और 5 एएवाई) को एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके चुना गया था।

नमूनाकरण विधि

- प्रत्येक तिमाही में, तीन जिलों, एक एनएसएसओ क्षेत्र से एक-एक, को पहले चरण नमूना इकाई के रूप में समान संभावना दृष्टिकोण का उपयोग करके यादृच्छिक रूप से चुना गया था। राज्य के भीतर, जिलों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था ताकि प्रति तिमाही प्रति एनएसएसओ क्षेत्र में एक से अधिक जिले शामिल न हों।
- गांव/शहरी वार्ड (जहाँ एफपीएस स्थित है) ने चयन की दूसरी चरण की इकाइयाँ बनाईं जिनमें से नमूना घरों का चयन किया गया।
- पांच इकाइयों (चार गांवों और एक शहरी वार्ड) को यादृच्छिक रूप से चुना गया था
- प्रत्येक गांव में, 10 पीएचएच और पांच एएवाई लाभार्थियों को एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके चुना गया था। नमूने में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, गरीब और कमजोर आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- प्रत्येक गांव में एक उचित मूल्य की दुकान को भी शामिल किया गया
- एक गोदाम के जिला-स्तरीय निरीक्षण के दौरान, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और एक जिला स्तरीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति अधिकारी के साथ बातचीत की गई।

नमूना डिजाइन

975 घरों, **65** एफपीएस डीलरों, **26** मंडल स्तरीय स्टॉक प्वाइंट, **13** जिला शिकायत निवारण अधिकारियों, **13** जिला सतर्कता समितियों और सभी **13** जिला आपूर्ति अधिकारियों का एक नमूना साक्षात्कार लिया गया।

डेटा संग्रहण

शोध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया था। प्रत्येक स्तर पर एनएफएसए 2013 के हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया। माध्यमिक डेटा पत्रिकाओं, पुस्तकों और समाचार पत्रों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रकाशनों आदि से एकत्र किया गया।

विश्लेषणात्मक रूपरेखा

अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित आँकड़ों को सारांशित कर तालिका में प्रस्तुत किया गया है। अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए क्रॉस-सारणीकरण, चार्ट और प्रतिशत मुख्य सांख्यिकीय संकेतक थे।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, और इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए सभी 13 जिलों को तैयार किया गया था।

निष्कर्ष :

परिवार स्तर पर

राज्य में लाभार्थी के चयन और राशन कार्ड जारी करने को पारदर्शी बनाया गया है। इन पहलुओं पर जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। चूंकि एनएफएसए में गरीबी रेखा से नीचे की अवधारणा को बंद कर दिया गया है और प्राथमिकता वाले परिवार की एक व्यापक अवधारणा को पेश किया गया है, इसलिए राज्य ने बहिष्करण मानदंड को चार व्यापक बिंदुओं तक सरल बना दिया है, ताकि कोई भी वास्तविक लाभार्थी बाहर न रह जाए।

नमूना जिलों में सक्रिय राशन कार्ड

- सेवाओं की डिलीवरी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय अवधि: राशन जारी करने का दिन और समय हर महीने 1 से 15 तारीख तक, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है।
- राज्य में ऑनलाइन राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली इस प्रकार है:
 - क) नए/डुप्लीकेट राशन कार्डों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन तंत्र

ख) ऑनलाइन तंत्र वर्कफ्लो-आधारित प्रणाली

ग) मंडल स्तर केंद्रों पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं विभाग द्वारा सीएससी/स्थानीय निजी

उद्यमियों और यहां तक कि ग्राम जीपी स्तर पर अंतिम मील बिंदु पर संचालित की जाती हैं।

घ) आवेदन की पावती देने या आवेदक को एसएमएस द्वारा अद्यतन स्थिति प्रदान करने का प्रावधान है

ङ) यह क्रॉस-चेक किया जाता है कि राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का विवरण एनएफएसए पर सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है

नमूना जिलों में कुल राशन कार्डों में से 88 प्रतिशत से अधिक प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के हैं। नमूना जिलों में 98 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल शॉप्स (ईपीओएस) हैं।

लाभार्थियों को खाद्यान्नों/वस्तुओं पर उनके अधिकार, उनके हिस्से के साथ-साथ वस्तुओं की कीमतों के बारे में पूरी जानकारी थी। खाद्यान्न की गुणवत्ता, खाद्यान्न कम तोलने या अधिक कीमत वसूलने के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। पीडीएस की दुकानें खुलने के समय और अवधि से लाभार्थी काफी संतुष्ट हैं और खाद्यान्न की गुणवत्ता और अनाज वरीयता से भी पूरी तरह संतुष्ट हैं। लाभार्थियों द्वारा खाद्यान्न एकत्र करने में रुचि नहीं लेने के उदाहरण भी हैं क्योंकि वे पीडीएस के माध्यम से वितरित चावल की तुलना में बेहतर चावल उगाते हैं। इससे सिस्टम में भ्रष्टाचार के प्रचलन की संभावना बढ़ जाती है।

सभी नमूना जिलों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली/टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1967/1800-श्रृंखला) उपलब्ध हैं।

एफपीएस में ई-पीओएस के उपयोग से खाद्यान्न का वितरण बहुत आसान, तेज और पारदर्शी हो गया है। पीक आवर्स के दौरान खराब कनेक्टिविटी के कारण कुछ अवसरों को छोड़कर, ई-पीओएस मशीन एफपीएस स्तर पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। हितग्राहियों ने नगद अनुदान प्राप्त करने की अपेक्षा खाद्यान्न एकत्र करने में अपनी प्राथमिकता व्यक्त की है।

पूर्ण संतुष्टि

कुल मिलाकर, पीडीएस खाद्यान्न के वितरण ने गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। लाभार्थियों ने वितरण में पहले से मौजूद खाद्यान्नों की पात्रता सीमा को बढ़ाने और मिट्टी के तेल, खाना पकाने के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को पीडीएस के दायरे में लाने की आवश्यकता व्यक्त की। डीलर के दृष्टिकोण से, यह व्यक्त किया जाता है कि प्रति बैग कमीशन बढ़ाया जा सकता है, विभाग के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाना है, और एफपीएस स्तर पर वैकल्पिक अंगूठे के निशान की सुविधा शुरू की जानी है।

एफपीएस स्तर पर

उचित मूल्य की दुकानों का स्वामित्व पैटर्न: नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2018 के तहत उचित मूल्य की दुकान के डीलरों का चयन और नियुक्ति

- i) राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम/उपक्रम या कंपनियां या ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय।
- ii) सोसाईटी और
- iii) व्यक्ति

निराश्रित एचआईवी पीड़ित अन्नपूर्णा कार्डधारकों को 10 किलो चावल की मात्रा निःशुल्क वितरित की जा रही है। आंध्र प्रदेश में, एनएफएसए के तहत, पीएचएच कार्डधारकों के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल और एएवाई कार्डधारकों के लिए 35 किलो प्रति कार्ड (परिवार में सदस्यों की संख्या के बावजूद) वितरित किया जाता है। एफपीएस के दरवाजे पर स्टॉक को बहुत तेजी से पहुंचाया जा रहा है, और सफल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद बिना किसी चूक के एफपीएस द्वारा लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है। ईपीओएस उपकरणों का उपयोग खाद्यान्न संचलन के सभी चरणों में किया जाता है (तालिका 1)। इसे पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 1: पीडीएस के तहत आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को वितरित की गई अनुसूचित वस्तुओं की दरें और मात्रा

क्र. सं.	अनुसूचित वस्तु	वितरण का पैमाना	जमा की जाने वाली वस्तु की लागत को एफपीएस डीलर द्वारा प्रति किलोग्राम को ₹ में दर्शाना है	डीलरों का कमीशन प्रति किग्रा ₹ में	अंतिम उपभोक्ता मूल्य प्रति किलोग्राम ₹ में
1.	प्राथमिकता/सफेद कार्ड के लिए चावल	राशन कार्ड में 5 किलो प्रति यूनिट	0.30	0.70	1.00
2.	एएवाई कार्ड के लिए चावल	35 किग्रा प्रति कार्ड (परिवार में सदस्यों की संख्या के बावजूद)	0.30	0.70	1.00
3.	अन्नपूर्णा कार्ड के लिए चावल	10 किग्रा प्रति कार्ड	-	-	निःशुल्क
4.	चीनी	प्रति एएवाई कार्ड केवल 1 किग्रा	13.35	0.15	13.50
		½ किग्रा प्रति एएनपी / डब्ल्यूएपी / पीएचएच कार्ड	19.85	0.15	20.00
5.	गेहूं का आटा	प्रति कार्ड 1 किलो	15.50	1.00	16.50
6.	लाल चने की दाल	2 किलो प्रति बीपीएल कार्ड	39.30	0.70	40.00
7.	रागी (बाजरा)	प्रति कार्ड 3 किलो तक (चावल के बदले)	0.30	0.70	1.00
8.	ज्वार (बाजरा)	प्रति कार्ड 3 किलो तक (चावल के बदले)			

यह देखा गया है कि एनएफएसए दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना और पारदर्शिता पहलुओं का प्रदर्शन एफपीएस में आंशिक रूप से बनाए रखा जाता है। खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई देरी नहीं होती है और एफपीएस को खाद्यान्न की डोर-स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था थी। एफपीएस स्वचालन पूरी तरह से किया गया है, और लगभग सभी एफपीएस पीओएस उपकरणों/ ई-पीओएस मशीनों और इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित हैं।

एफपीएस का मार्जिन/लाभ और व्यवहार्यता आबंटित राशन कार्डों की संख्या और एफपीएस डीलर के स्वामित्व, गतिविधियों और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि एफपीएस मालिक दो मुख्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हैं, अर्थात् खाद्यान्न वितरण से प्राप्त कमीशन और बोरों की बिक्री। यह सच है कि ई-पीओएस डिवाइस ने न केवल उचित मूल्य दुकान के डीलर की बल्कि सभी हितधारकों जैसे (लाभार्थियों, एमएलएसपी प्रभारी, सतर्कता और निगरानी अधिकारियों, आदि) की सुविधा में वृद्धि की है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और घर-घर आपूर्ति

खाद्य चक्र:

लाभार्थियों को खाद्यान्न का सुचारू और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास में, नागरिक आपूर्ति निगम निम्नलिखित खाद्य कैलेंडर/चक्र का पालन कर रहा है:

प्रत्येक माह की 1 से 15 तारीख तक = सभी श्रेणी के कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण

हर महीने की 11 से 18 तारीख = अगले महीने के राशन के लिए एफपीएस डीलरों द्वारा निगम को भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से)।

प्रत्येक माह की 20 से 30 तारीख = उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्नों की घर-घर आपूर्ति

गोदाम स्तर पर:

खाद्यान्न का परिवहन:

चरण I: एफसीओ गोदाम / बफर स्टॉक गोदाम से मंडल स्तरीय स्टॉक प्वाइंट (एमएलएसपी) तक।

चरण II: एमएलएसपी से एफपीएस तक

एमएलएसपी से एफपीएस तक यात्रा का मार्ग और समय जियो-टैग किया गया है। मानक मार्ग से विचलन की स्थिति में अलर्ट प्राप्त होते हैं।

- राज्य में खाद्यान्न के लिए मासिक वितरण चक्र का पालन किया जाता है
- राज्य स्तर से उचित मूल्य दुकानों तक सिस्टम द्वारा ऑनलाइन में आबंटन आदेश जनरेट किए जाते हैं। उचित मूल्य दुकानों का अंतिम शेष स्वतः प्राप्त हो जाता है, और उचित मूल्य दुकानों द्वारा सीबी बंद करने पर विचार करने के बाद केंद्रीकृत आबंटन उत्पन्न होता है।

- थोक ट्रांसपोर्टर एफसीआई गोदाम से मंडल आपूर्ति बिंदुओं तक मासिक एनएफएसए खाद्यान्न उठाते हैं। इसके बाद, खुदरा ट्रांसपोर्टर उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाते हैं, और जिन स्थानों पर खुदरा ट्रांसपोर्टरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, वहां उचित मूल्य दुकान के मालिक थोक गोदामों से खाद्यान्न उठाते हैं।
- सभी गोदामों और एफपीएस की स्टॉक स्थिति वास्तविक समय में ऑनलाइन दर्ज की जाती है। एनएफएसए वस्तुओं के लिए डिलीवरी ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर, ट्रक चालान, गेट पास आदि सिस्टम से उत्पन्न होते हैं और पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वे सिस्टम जनित हैं।
- भुगतान पावती ऑनलाइन उत्पन्न होती है। नागरिकों/लाभार्थियों/एफपीएस डीलरों को खाद्यान्न आगमन के एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा है। नागरिकों और उचित मूल्य डीलरों के लिए एसएमएस अलर्ट सुविधा उपलब्ध है। आबंटन और उठाने के आंकड़े अन्नवितरण पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला और मंडल स्तर के गोदामों का रखरखाव किया जाता है
- नागरिक आपूर्ति निगम के स्वामित्व वाले गोदामों का आधुनिकीकरण और शौचालय, पीने के पानी और प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है
- यह देखा गया है कि गोदाम से एफपीएस तक स्टॉक प्राप्त करने और भेजने में कोई देरी नहीं होती है।

सभी नमूना जिलों में पर्याप्त भंडारण क्षमता देखी गई है। प्रत्येक गोदाम में दो महीने से अधिक के लिए पर्याप्त स्टॉक रखने की क्षमता है। इसने एफपीएस और लाभार्थियों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है।

हमाली दर: हमाली को एमएलएसपी पर खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 95 रुपये प्रति टन भुगतान किया जा रहा है। विभाग परिवहन और हैंडलिंग शुल्क (एमएलएसपी पर लोडिंग) का ध्यान रखता है।

शिकायत निवारण:

एनएफएसए, 2013 के अनुसार, राज्यों के पास मौजूदा मशीनरी का उपयोग करने या अलग तंत्र स्थापित करने की छूट होगी।

सिफारिशें

1. लाभार्थियों के चयन के मानदंड पर फिर से काम किया जाना चाहिए।
2. राज्य में किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न के संग्रह के संबंध में लाभार्थी के इतिहास की गहन ट्रेकिंग/निगरानी के बाद हर तीन से छह महीने में लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई लाभार्थी तीन माह तक स्वास्थ्य एवं प्रवासन के अलावा अन्य कारणों से खाद्यान्न एकत्र नहीं करता है तो उसे विलोपित किया जा सकता है।
3. राशन कार्ड को आवास/शुल्क प्रतिपूर्ति/पेंशन/आरोग्यश्री योजनाओं से अलग किया जाना चाहिए। अधिकांश लाभार्थी जो खाद्यान्न एकत्र नहीं करते हैं, वे अभी भी इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड धारण किए हुए हैं। ऐसे कार्डधारकों की उपस्थिति एनएफएसए, 2013 के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के लिए बहुत अवसर और गुंजाइश देती है और आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार मुख्य रूप से इस मुद्दे के कारण है
4. खाद्यान्नों की मासिक पात्रता को मौजूदा स्तरों से बढ़ाया जा सकता है
5. विभाग खाना पकाने के तेल, इमली, और अन्य दालें (चने की दाल, काला चना, हरा चना, आदि) मिर्च, जो दैनिक उपयोग की हैं, जैसे अधिक खाद्य पदार्थों को लाकर पीडीएस के तहत वस्तुओं की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इससे निस्संदेह गरीबों को काफी राहत मिलेगी। चूंकि खुले बाजार में प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है और कभी-कभी 100 रुपये प्रति किलो बिक जाता है, उन्हें भी एफपीएस से आपूर्ति की जानी चाहिए। इससे एफपीएस डीलरों की आय में भी वृद्धि होगी।
6. एफपीएस डीलरों की मासिक आय खुद को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है (विशेषकर ग्रामीण एफपीएस)। इसलिए एफपीएस डीलरों को अपने परिचालन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए गैर-पीडीएस वस्तुओं को बेचने की अनुमति भी दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है।
7. वर्तमान में, एफपीएस डीलर खाद्यान्न, आयोडीन युक्त नमक, पामोलीन तेल और अन्य वस्तुओं को आईसीडीएस और एमडीएम योजनाओं के लिए और जेलों और मॉडल स्कूलों को भी वितरित कर रहे हैं। हालांकि, डीलरों को एक कमीशन देने का प्रस्ताव है (एमडीएम के लिए 129.20/एमटी चावल और आईसीडीएस के लिए 200/एमटी चावल), फिर भी उन्हें इस गतिविधि के लिए कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है। इसका समाधान किया जा सकता है।

8. एफपीएस स्तर की सतर्कता समितियों का गठन किया जा सकता है क्योंकि एनएफएसए, 2013 में चार स्तरों पर सतर्कता समितियों की परिकल्पना की गई है, यानी राज्य, जिला, मंडल / ब्लॉक और एफपीएस स्तर (हालांकि अध्ययन दल को एफपीएस स्तर में सतर्कता समितियों के गठन का कोई कारण नहीं मिला)।
9. सदस्यों को सिर्फ राजनीतिक संबद्धता या राजनीतिक रसूख के कारण नियुक्त/नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जिला, मंडल या एफपीएस स्तर की सतर्कता समितियों का गठन करते समय शिक्षा, बुद्धि, और समझ पर विचार किया जाना चाहिए।
10. सतर्कता समितियों के सदस्यों को एनएफएसए, 2013 के दिशा-निर्देशों और राज्य में चल रहे अन्य मापदंडों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
11. यद्यपि ई-पीओएस डिवाइस ने एफपीएस डीलरों की सुविधा बढ़ा दी है, लेकिन कुछ दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी गांवों में संयोजनता की समस्या अभी भी बनी हुई है।

29. विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति: चयनित राज्यों का एक मूल्यांकन

डॉ जी वी कृष्णा लोही दास
डॉ. सी.धीरजा
डॉ. पी. केशव राव
डॉ यू हेमंत कुमार

परिचय :

भूमि सतत आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। भूमि का स्वामित्व लोगों को सामाजिक सम्मान, आर्थिक व्यवहार्यता और सुरक्षा की भावना देता है। यह एक परिमित प्राकृतिक संसाधन है, जो मौजूदा तकनीक के तहत कृषि विकास की सीमाओं को परिभाषित करने की संभावना नहीं है, यह बहुत दूर की विशेषता नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज (2002), 'लैंड फॉर लाइफ' पुस्तक में पुष्टि करता है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण बढ़ती गरीबी, आर्थिक ठहराव, ग्रामीण-शहरी प्रवास और ग्रामीण-शहरी प्रवास और हिंसा में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। इसलिए भूमि का उपयोग एक राष्ट्र के विकास में विशेषकर ग्रामीण समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, भूमिहीनता सामाजिक स्थिति को नष्ट कर देती है और लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से असुरक्षित बना देती है।

भारत उन विकासशील देशों में से एक है जहां भूमि के कुशल उपयोग और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दोहरी वस्तुनिष्ठता के साथ भूमि वितरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भूमि का वितरण देश में आर्थिक नियोजन की स्थापना के बाद से कृषि विकास और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए एक केंद्रीय प्रश्न रहा है। भारत के योजना आयोग ने ठीक ही कहा है कि "भूमि सुधारों को गरीबी उन्मूलन, कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने का एक अभिन्न अंग माना गया है।" ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कृषि इकटिरी और दक्षता के लिए भूमि सुधार के मुद्दे की समीक्षा की गई, जो ग्रामीण गरीबों की बेहतर स्थिति में मदद करेगा। विकासशील देशों के कृषि समाजों को धन, शक्ति और स्थिति की बड़ी असमानताओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। इन समाजों में भूमि वितरण असमानता का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक आधार है। कई सामाजिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय और संस्थागत ताकतें भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

हाल के दशकों में, भारत में भूमि एक अत्यंत दुर्लभ संसाधन बन गई है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के तहत, खाद्य सुरक्षा और अन्य उपयोगों के लिए भूमि का बड़े पैमाने पर और गहनता से उपयोग किया गया है। लेकिन भूमि की उत्पादक क्षमता को बनाए रखने के लिए नीति, संस्थागत और तकनीकी साधनों के माध्यम से इसका उचित उपयोग और प्रबंधन करना होगा।

उद्देश्य:

कब्जे और उत्पादक उपयोग के मामले में गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति की जांच करना आबंटियों द्वारा भूमि हस्तांतरण और भूमि पर कब्जा न करने के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना भूमि के आबंटियों की उनकी संपत्ति को उत्पादक और आय तथा रोजगार का एक स्थायी स्रोत बनाने के लिए उनकी जरूरतों का आकलन करना।

क्रियाविधि :

वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है ताकि कब्जे और उत्पादक उपयोग के संदर्भ में विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति के बारे में जानकारी उत्पन्न की जा सके।

संकल्पना

1. आबंटित भूमि आबंटिती के कब्जे में है
2. भूमि का उत्पादक उपयोग निवेश की उपलब्धता पर निर्भर करता है
3. गरीबों को आबंटित भूमि खेती करने की स्थिति में नहीं है

नमूनाकरण विधि

नमूना इकाइयों का चयन करने के लिए अध्ययन के लिए बहु-स्तरीय नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया था। पहले चरण में, तीन राज्यों को स्थायी आजीविका पद्धतियों (योजनाओं/गतिविधियों के बावजूद) के आधार पर चुना गया था।

दूसरे चरण में, वितरित की गई कृषि भूमि की सीमा के आधार पर प्रत्येक राज्य से दो जिलों का चयन किया गया था। तीसरे चरण में, अध्ययन के उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक/सर्किलों का चयन किया गया

था। चतुर्थ चरण में भूमि वितरण की अधिकतम सीमा के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक/सर्कल से सोद्देश्य नमूना पद्धति के माध्यम से दो गांवों का चयन किया गया था।

नमूना डिजाइन

अध्ययन के लिए 2400 (प्रत्येक राज्य में 100 आबंटी x 8 गांव = 800 नमूना) (800 नमूना x 3 राज्य = 2400 नमूना) उत्तरदाताओं का एक नमूना उन परिवारों की सूची से अध्ययन के लिए लिया गया था, जिन्हें सीलिंग सरप्लस, आम/खास, गाँव पंचायत और कृषि प्रयोजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सरकारी भूमि आवंटित की गई थी।

प्रतिदर्श तकनीक

इस अध्ययन के लिए नमूना किसानों का चयन करने के लिए एक सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति लागू की गई थी। प्रत्येक नमूना गांव से उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए लॉटरी तकनीक का उपयोग किया गया था।

डेटा संग्रहण

शोध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया था। ब्लॉक, अंचल कार्यालयों, जिला जनगणना कार्यालय, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक, भूमि सुधार आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट की विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों से भी डेटा एकत्र किया गया था।

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत से ग्राम की सामान्य जानकारी एकत्रित की गई है। व्यक्तिगत साक्षात्कार से संयुक्त एक संरचित प्रश्नावली की मदद से भूमि वितरण कार्यक्रम के लाभार्थियों का भी सर्वेक्षण किया गया। प्राथमिक स्रोतों से उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, आवंटित भूमि की मात्रा और वितरित भूमि की गुणवत्ता के बारे में डेटा एकत्र किया गया था। इसके अलावा, उनके उपभोग स्तर और सामान्य जीवन स्थितियों के बारे में भी आंकड़े एकत्र किए गए थे।

प्रश्नों के माध्यम से, स्वामित्व वाली भूमि, वितरित भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न, लाभार्थियों द्वारा किए गए निवेश, भूमि की खरीद और सिंचाई स्रोतों के नवीनीकरण जैसे विवरण एकत्र करने की कोशिश की गई है। अध्ययन के उद्देश्यों में से एक यह पता लगाना रहा है कि क्या सरकारी भूमि के वितरण से गरीबों को

लाभ हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि एवं आय के स्रोतों को भी एकत्रित किया गया। इसमें व्यय की प्रकृति और रहन-सहन की स्थिति जानने की भी कोशिश की गई है। नमूना उत्तरदाताओं की जाति-वार और श्रेणी-वार संरचना और विभिन्न आकार श्रेणियों और जातियों के बीच साक्षरता के स्तर को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। आय, व्यय स्तर, ऋण विवरण और रहने की स्थिति भूमि के आकार और जाति से संबंधित थी। जनसांख्यिकीय विवरण, कृषि उत्पादन, भूमि विवरण, फसल पैटर्न आदि से संबंधित पत्रिकाओं, पुस्तकों और समाचार पत्रों से द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया था।

विश्लेषणात्मक रूपरेखा

अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित आँकड़ों को सारांशित कर तालिका में प्रस्तुत किया गया है। अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य सांख्यिकीय संकेतक क्रॉस-सारणीकरण, चार्ट और प्रतिशत थे।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन तीन राज्यों, अर्थात् असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्रत्येक राज्य से दो जिले, प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक में दो गांव या ग्राम पंचायतें अध्ययन के लिए तैयार की जाती हैं।

निष्कर्ष :

सरकारी भूमि वितरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कई समस्याओं के कारण वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहे। प्रमुख बाधाएं, सबसे पहले, कई मामलों में राज्य ने ग्रामीण गरीबों को भूमि आबंटित की लेकिन उन्हें अधिकारों का उचित रिकॉर्ड प्रदान करने में विफल रहे। दूसरे, भूमि की निम्न गुणवत्ता के कारण आबंटित अधिकांश भूमि अनुपयोगी रह जाती है। तीसरे, यह जमींदारों और लाभार्थियों के बीच अदालत के विभिन्न स्तरों में जमींदारों की भागीदारी के साथ-साथ कानूनी मामलों को चलाने में पाया गया। अध्ययन से पता चला कि सरकार द्वारा आबंटित भूमि से कुछ ही लाभार्थी लाभान्वित हुए।

- असम में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को विभिन्न अधिनियमों जैसे सीलिंग अधिशेष और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के तहत भूमि आबंटित की गई है। हालांकि, जनसंख्या की वृद्धि और भूमि सुधार की प्रगति के साथ, समय-समय पर परिस्थितियां बदली हैं, और विशेष समय पर प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप निपटान के संबंध में नीति को संशोधित करना पड़ा।

- जिन परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भूमि आबंटित की गई है, वे आम तौर पर गरीब हैं, और उनके सामने मुख्य समस्या भूमि की खेती के लिए वित्त, आदानों की खरीद, भूमि का विकास और कृषि संपत्ति की खरीद है।
- भूमि के वितरण से पहले, लाभार्थियों की आय का प्रमुख स्रोत दिहाड़ी मजदूरी था, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों जिलों में। हालांकि भूमि आबंटन के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की कुल आय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, तथापि, अधिकांश लाभार्थियों ने खुलासा किया कि अनुत्पादक कृषि भूमि और सिंचाई सुविधाओं की कमी परिवारों की घटती आय के प्रमुख कारण थे।
- विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण भूमिहीनता कुछ हद तक कम हुई है। लाभार्थियों में गरीबी के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है; सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है।
- बिहार में, 17 प्रतिशत के पास 'परचा' है, लेकिन उनके पास जमीन का भौतिक कब्जा नहीं था, और आहर पाइंस (पारंपरिक जल निकायों) के तहत आबंटित भूमि की एक बड़ी मात्रा पाई गई है; इसलिए, नमूना लाभार्थियों ने खुलासा किया कि वे अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकते थे।
- लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) और मोरीगांव (असम) जिलों में अधिकांश आबंटित भूमि बाढ़ प्रभावित हैं। लखीमपुर जिले में, बाढ़ के कारण गन्ना उच्च जोखिम में है क्योंकि जल भराव से फसल को नुकसान होता है।
- विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भूमि आबंटन के बाद भी अभी भी कई परिवार भूमिहीन हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति दयनीय है
- असम की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार में भूमि समतलीकरण और सिंचाई के लिए खर्च की गई राशि अधिक थी।

निष्कर्ष

- गरीबों को जमीन के आबंटन से ग्रामीण गरीबों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। आजीविका के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के अधिक उत्पादक उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- यदि अधिकांश राज्यों में कानूनों को ठीक से लागू किया जाता है तो लाभार्थी भूमि का स्वामित्व या कब्जा प्राप्त कर सकते हैं

- इन जमीनों को विभिन्न भूमि नीति के दायरे में लाने के लिए राजस्व विभाग और ग्राम सभाओं के संयुक्त प्रयासों से नए सिंचित क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण किया जाना चाहिए
- बेनामी नामों में फर्जी हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए कार्ड इंडेक्सिंग सिस्टम की शुरुआत; कार्ड प्रणाली का उनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन के साथ सह-संबंध होना चाहिए
- विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भूमि का वितरण संयुक्त आधार पर पति और पत्नी के नाम पर होना चाहिए क्योंकि इससे बेनामी भूमि पर नियंत्रण हो सकेगा। भूमि का मुद्दा जेंडर समानता के अंतर्निर्मित खंड के साथ जाना चाहिए। यह देखा गया है कि सर्वोच्च राजस्व अदालतों, यानी राजस्व बोर्ड के समक्ष मुकदमा लड़ने के बाद, एक पक्ष निचली अदालतों में आदेश के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। दोबारा, वे अपील और संशोधन की प्रक्रिया की अनुमति दे सकते हैं। आमतौर पर, सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने में काफी देरी हुई है; इस प्रकार, भूस्वामी का ऐसी भूमि पर वास्तविक कब्जा बना रहता है
- एक कमजोर निगरानी प्रणाली है, जो आबंटियों के अधिकार और भूमि पर कब्जे को रोकता है। इसलिए, आबंटन के बाद बिचौलियों/एजेंटों द्वारा जमीन हड़पने की घटनाओं और अत्याचारों की संख्या अधिक है। हितग्राहियों को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए निगरानी व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है
- भूमि के अवैध या अनुचित आबंटन के मामलों की जांच की जाएगी और आबंटन रद्द किए जाएंगे - इस आशय का प्रावधान किया जाएगा
- ग्राम स्तर से केंद्र स्तर तक अधिकारियों में समन्वय के साथ-साथ संगठनों की अनुपस्थिति और इसलिए भूमि की स्थिति के साथ-साथ आबंटियों की स्थिति में सुधार के लिए और अधिक प्रयास किए जाने हैं।

30. गोवा में इंदिरा आवास योजना-आईएवाई के निष्पादन पर एक अध्ययन (2013 से 2016)

सुश्री आर्लेट मैस्करेनहास,
कोर-फैकल्टी जिपार्ड, गोवा

परिचय

आवास एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। यह मानव अस्तित्व के साथ-साथ एक सभ्य जीवन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। आवास केवल अकेले परिवारों के लिए नहीं है। यह समुदाय के लिए है। मूल रूप से, घर प्रकृति के तत्वों से आश्रय, बाहरी दुनिया की हलचल से गोनीयता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। निवास स्थान के रूप में, यह सुरक्षा प्रदान करता है और इसके स्थान के आधार पर विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच को सक्षम बनाता है। केवल आश्रय, आवास और घर से परे जाकर, अंततः हर कोई एक घर चाहता है, 'जो स्वामित्व और पहचान की भावना देता है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है और आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है।' एक घर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसके लिए आवश्यक है सामाजिक और आर्थिक विकास। यह आजीविका का समर्थन करता है और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप है और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है।

सार्वजनिक आवास अनिवार्य रूप से एक परिवार के लिए कार्यात्मक स्थान की बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करना है, जो कि एक कोर हाउस 'या एक स्टार्टर हाउस' है। जबकि यह एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करता है, यह शौचालय सहित सभी तरह से पूर्ण है। ऐसा घर अपने आप को विस्तार और विकास के लिए मौका देता है क्योंकि परिवार बढ़ता है या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। कोर हाउस की डिजाइन और पर्याप्तता संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होगी। यह किसी के सिर पर मात्र छत से कहीं अधिक है। इसका तात्पर्य जगह की पर्याप्तता, पहुँच में आसानी, न्यूनतम जरूरतों की उपलब्धता, भौतिक आराम का प्रावधान और भीतर और आसपास एक सुखद सूक्ष्म जलवायु, एक अच्छे वातावरण का अस्तित्व और सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी है। इसे सामाजिक, आजीविका और पारिस्थितिक परिवेश से व्यवस्थित रूप से जोड़ना होगा। इसे प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधों को सक्षम करना है ताकि अगली पीढ़ी को वर्तमान पीढ़ी के कष्टों से मुक्त किया जा सके, मुख्य रूप से शिक्षा और व्यवसाय के विकल्पों के माध्यम से।²

भारत में, परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास या तो अपना घर नहीं है या उनके पास अपर्याप्त आवास है। जैसे-जैसे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बेघर परिवारों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतने बड़े देश के लिए, लोगों के लिए आवास स्थिति की उपलब्धता का अध्ययन करना हमेशा एक कठिन कार्य होता है।

ग्रामीण गरीबों का विकास, विकास रणनीति का सार है और इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) है।

राजीव आवास योजना (आरएवाई), गोवा में पंचायत निदेशालय की एक राज्य स्तरीय योजना (गैर-बीपीएल परिवारों के लिए) और आईएवाई, (बीपीएल परिवारों के लिए) जैसी ग्रामीण आवास योजनाओं का उद्देश्य आश्रय की मूलभूत आवश्यकता को प्रदान करना है।

चूंकि आवास किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, विकासशील देशों में सरकारें आवास की मांग को पूरा करने और गरीबों और बेघरों को रहने योग्य आश्रय प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत जैसे देश के लिए, जहां जनसंख्या और महंगाई ने आम आदमी के घर के सपने को धूमिल कर दिया है, सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ आवास योजनाएं बड़ी राहत प्रदान करती हैं।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 1985-86 के दौरान आरएलईजीपी की एक उप-योजना के रूप में शुरू की गई थी। भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 20 नवंबर, 2016 को इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएजीवाई) कर दिया गया।

आईएवाई, राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर उपलब्ध कराना है और इसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 लागत-साझाकरण के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों (2004) के अनुसार, आईएवाई के तहत घरों के लिए प्रमुख लक्षित समूह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर-एससी/एसटी बीपीएल ग्रामीण परिवारों और विधवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले

गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से लक्षित समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आवासों के निर्माण/उन्नयन में मदद करना है।

उद्देश्य

2013-14 से 2015-16 तक गोवा में आईएवाई लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक लाभों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को अपनाया गया था।

1. पिछले तीन वर्षों में गोवा में आईएवाई के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
2. इस योजना का लाभ उठाने पर आईएवाई लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना, और
3. योजना के प्रभावी नियोजन और कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की भूमिका का अध्ययन करना

क्रियाविधि :

डेटा स्रोत- अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक डेटा पर आधारित था। लाभार्थियों के लिए निर्धारित साक्षात्कार कार्यक्रम और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था - उत्तर और दक्षिण गोवा जो इस योजना का संचालन कर रहे हैं और बीडीओ और स्थानीय पंचायत निर्वाचित सदस्य और फोकस के लिए प्रश्नों का एक और सेट समूह चर्चाएँ/ योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों से विस्तृत चर्चा की गई। द्वितीयक आंकड़े पत्रिकाओं, लेखों और आधिकारिक अभिलेखों, इंटरनेट आदि के माध्यम से एकत्र किए गए थे।

नमूना डिजाइन - इंदिरा आवास योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रदर्शन को नमूना अध्ययन के तहत शामिल किया गया था। अध्ययन के लिए लाभार्थियों का चयन करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया था। अधिकारियों के लिए प्रश्नावली और लाभार्थियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (अनुबंध I और III देखें) प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। अनुसूचियों और प्रश्नावली में लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक

विशेषताओं, योजना के बारे में जागरूकता के स्तर, सामने आई समस्याओं, निधियों के उपयोग, योजना के प्रभाव आदि से शुरू होने वाले कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।

प्रत्येक चयनित ब्लॉक से कुल 400 लोगों का साक्षात्कार लिया गया, यानी 95 लाभार्थी और पांच फील्ड कार्यकर्ता (बीडीओ, एपीओ, टीए, वीपी सचिव और एक सरपंच या पंच सदस्य)।

सभी चार चयनित ब्लॉकों में फोकस समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक से 30 लाभार्थी शामिल थे, और मामले का अध्ययन किया गया। इसके अलावा, आईएवाई लाभार्थियों की सफलता की चार कहानियों को अध्ययन में शामिल किया गया है।

विश्लेषण के उपकरण - डेटा का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। एमएस एक्सेल, ग्राफ़ और चार्ट का उपयोग जहां भी आवश्यक हो डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। आर्क जीआईएस एप्लिकेशन का उपयोग अनुयान क्षेत्र के स्थान मानचित्र को प्राप्त करने के लिए किया गया था। तालिकाओं और आंकड़ों के रूप में डेटा को क्रमशः आवृत्ति और प्रतिशत में दर्शाया गया है।

अध्ययन की सीमाएं- आईएवाई के प्रदर्शन और लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन समय की सीमा के अधीन। जब वास्तविक शोध अध्ययन शुरू हुआ, आईएवाई योजना आईएवाई से पीएमजीएवाई/ पीएमएवाई-जी में परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी, और दिशानिर्देशों का पुनर्गठन किया जा रहा था। इसलिए, सरकारी अधिकारियों (डीआरडीए) से डेटा के अभाव में गोवा में आईएवाई के प्रदर्शन और योजना के आर्थिक पहलुओं पर डेटा छोड़ दिया गया था। लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं से शुरू करते हुए, योजना के बारे में जागरूकता का स्तर, सामने आई समस्याएं, धन का उपयोग, योजना का प्रभाव आदि।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन में गोवा के दोनों जिलों में चार ब्लॉक/ तालुका शामिल थे, यानी उत्तरी गोवा से दो ब्लॉक और दक्षिण गोवा से दो ब्लॉक चुने गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में बीपीएल आबादी और आईएवाई परिवार थे। उत्तरी गोवा से पेरनेम और बर्देज़ ब्लॉक, और दक्षिण गोवा से क्यूपेम और सालसेटे ब्लॉक चुने गए थे।

निष्कर्ष :

लाभार्थियों, अधिकारियों और गैर-आधिकारिक स्रोतों से डेटा और फीडबैक का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष वर्ष के आधार पर, आईएवाई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसे अब पीएमएवाई-जी नाम दिया गया है।

अध्ययन का निष्कर्ष

अध्ययन के दौरान एकत्र डेटा से पता चलता है कि गोवा में आईएवाई योजना को उसके सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष का पता चला :-

1. आईएवाई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने में अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की कोई सार्थक भागीदारी नहीं थी
2. गोवा में ग्रामीण गरीब लोगों में इंदिरा आवास योजना के बारे में जागरूकता फैलाने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने कोई सार्थक भूमिका नहीं निभाई है
3. एपीओ और टीए के लिए आईएवाई पर कोई गहन प्रशिक्षण सत्र या बैठकें आयोजित नहीं की गईं, जो बहुत जरूरी थी
4. यह पाया गया कि अधिकांश लाभार्थी और यहां तक कि दोनों डीआरडीए के कुछ अधिकारियों को योजना के घटकों और योजना को लागू करने में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी।
5. योजना को लागू करने और लाभार्थियों को उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की गुणवत्ता, धन के उचित उपयोग और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विशिष्टताओं के संबंध में उचित जानकारी देने में संबंधित अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी का अभाव था।
6. गोवा में किसी भी घर के निर्माण में जगह नहीं है। उत्तरी गोवा में, यह देखा गया कि आईएवाई घरों में कोई लोग नहीं थे। यह देखा गया कि लाभार्थियों को उनके घरों के बाहर आईएवाई लोगो पेंट करने/ प्रदर्शित करने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। वहीं साउथ गोवा में ज्यादातर घरों में लोगों ने ये कार्य किया था।

7. यह भी पाया गया कि इन आवासीय इकाइयों के निर्माण में किसी नवीनतम तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा था, ताकि निर्माण की कम लागत के साथ कुछ सुधार किया जा सके जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है।
8. सर्वेक्षण से पता चला कि गोवा में आईएवाई के तहत घर बनाने में हरित प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया था
9. इन आवासीय इकाइयों में पानी की आपूर्ति और जल निकासी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया
10. दूसरी किस्त प्राप्त करने में छह महीने से अधिक की देरी हुई थी। यह मुख्य रूप से लाभार्थियों द्वारा पहली किस्त की रिपोर्ट और आवास की स्थिति के आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने में देरी होने के कारण था।
11. उत्तरी गोवा में आईएवाई घरों को आईएवाई लोगो और लाभार्थी के नाम के बिना पाया गया जैसा कि आईएवाई घरों की पहचान करना आवश्यक है
12. कई लाभार्थियों ने अपने घर को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोहरी योजनाओं, अटल आसरा योजना और इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाया है।
13. अधिकांश लाभार्थी अपनी जेब से खर्च कर या मित्रों से उधार लेकर दो कमरों से आगे (तीन से चार कमरों का विस्तार) बनाने गए हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके जीवन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक बार का खर्च रहा है।
14. कई लोग जिनके पास शौचालय हैं वे उनका उपयोग नहीं करते हैं बल्कि खुले में शौच करते हैं, जिससे खुद के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है
15. यह पाया गया कि एकमुश्त राशि रू. 45,000 इन आवास इकाइयों को हर तरह से पूरा करने की अनुमानित लागत से कम है। इसलिए, कई लोगों को अपने घर को पूरा करने के लिए दोस्तों से उधार लेकर, ऋण आदि लेकर अपने धन और संसाधनों को लगाना पड़ता था।
16. आईएवाई योजना के संबंध में लाभार्थियों को कोई प्रशिक्षण सत्र या उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रदान नहीं किया गया।
17. कुछ लाभार्थी इस आईएवाई योजना के तहत पात्रता के लिए अपने मानदंड से अनभिज्ञ थे

18. लेन-देन से निपटने के दौरान बैंक अधिकारी सहयोगी थे। इससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
19. हितग्राहियों को कोई संसाधन/ कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि उन्हें स्वीकृत राशि ही दी गयी।
20. कुछ हितग्राहियों ने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बजाय निजी कार्यों में दुरुपयोग किया है
21. अधिकांश लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्य दैनिक मजदूरी पर या निजी क्षेत्र में काम करते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर है
22. अधिकांश लाभार्थी अपने पुश्तैनी मकान में रहते हैं और आईएवाई फंड से उसकी मरम्मत करा चुके हैं
23. अधिकांश लाभार्थी स्वतंत्र रूप से काम पर जाने में सक्षम थे क्योंकि नए घरों को नवीनीकरण या नए निर्माण के बाद उचित रूप से सुरक्षित और संरक्षित है।
24. इंदिरा आवास योजना के तहत नए घर में शिफ्ट होने के बाद लाभार्थियों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है
25. पहले के (मिट्टी या फूस के पत्तों वाले) मकानों के रख-रखाव और मरम्मत पर हितग्राहियों के खर्च को पक्का और सुरक्षित पक्का मकान बनाने के बाद कम हुआ है। इस प्रकार लाभार्थियों को काम के लिए दूर जाने में सक्षम होने और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने में सहायता/ सुझाव दिया गया।
26. कुछ को छोड़कर अधिकांश लाभार्थियों के घर में बुनियादी सुविधाएं और उपकरण हैं
27. इस योजना से समाज के केवल कुछ वर्गों के बजाय गरीब से गरीब और बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने की आवश्यकता है।

सुझाव

यद्यपि आईएवाई के प्रदर्शन में इसकी स्थापना के बाद से सुधार हुआ है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आईएवाई योजना के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न निःशेषण और टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशों की गई हैं:

1. गोवा में योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। यह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार करके किया जा सकता है

2. गोवा में समग्र रूप से इंदिरा आवास योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डीआरडीए की भूमिका अधिक प्रभावी होनी चाहिए। ग्रामीण गांवों में आईएवाई के बारे में जानकारी फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों से सहायता ली जा सकती है
3. एपीओ और टीए के लिए आईएवाई पर गहन प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है, जो योजना के सुचारू संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक थी।
4. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्यों का उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें तथा योजना के क्रियान्वयन में दिशा-निर्देशों का पालन करें
5. आईएवाई फॉर्म भरते समय लाभार्थियों या आवेदकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि प्रलेखन और समयबद्ध समय सीमा का सुचारू प्रवाह हो
6. बीपीएल सर्वेक्षण को फिर से करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लगभग 20 साल पहले किया गया था, और कई जरूरतमंद परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं हैं।
7. अधिकारियों को उचित योजना और संरचना के साथ आवास इकाइयों के स्थायी निर्माण के लिए नवीनतम, उपयुक्त और सस्ती तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए
8. योजनान्तर्गत इन आवासीय इकाइयों में शौचालय सुविधा, जलापूर्ति एवं जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए।
9. योजनान्तर्गत इन आवास इकाइयों के निर्माण हेतु तकनीकी/ कुशल श्रमिकों को लगाने की व्यवस्था भी अधिकारी करें।
10. प्लॉट प्राप्त करने के लिए एनओसी औपचारिकताओं को कम करने और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से अशिक्षितों को आईएवाई का लाभ उठाने के लिए आसान बनाने की आवश्यकता है।
11. इसके अलावा, प्राथमिक स्रोत से सूचना के प्रवाह में सुधार के लिए पंचायतों और ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर के अधिकारियों को एलएएन/ डब्ल्यूएएन के माध्यम से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है, जो बदले में, जमीनी स्तर पर निगरानी के साथ-साथ एक सुधारात्मक तंत्र में सुधार करेगा।
12. योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली वर्तमान एकमुश्त राशि को आवासीय इकाइयों की अनुमानित लागत तक बढ़ाया जाना चाहिए।
13. डीआरडीए के अधिकारियों/ कर्मचारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के कर्तव्य योजना के तहत आवासीय इकाइयों के लिए गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं। वास्तव में,

उनका वास्तविक कर्तव्य इस बिंदु से आगे शुरू होता है कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के पर्याप्त उपयोग के प्रति सतर्क रखा जाए।

14. अधिकारियों को आईएवाई योजना के बारे में गरीब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सफलता की कहानियां तैयार करनी चाहिए।

निष्कर्ष :

हालांकि आईएवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा किया, 2014 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा समवर्ती मूल्यांकन और प्रदर्शन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अंतराल की पहचान की गई। ये अंतराल, यानी आवास का गैर-मूल्यांकन, कमी, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, घरों की निम्न गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी, लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं लेना और निगरानी के लिए कमजोर तंत्र कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामों को सीमित कर रहे थे।

इसलिए, ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने के लिए और वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, आईएवाई की योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया है। सरकार लाभार्थियों द्वारा उनके ऋण कार्यकाल की शुरुआत से 15 वर्ष की अवधि के लिए लिए गए आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। पीएमएवाई-जी योजना को परिवार में महिला आवेदकों को वरीयता देने के कारण महिला समर्थक योजना कहा जा सकता है। पीएमएवाई-जी योजना के तहत बनने वाले सभी घरों का निर्माण प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा और उनका पर्यावरण के अनुकूल अनुपालन होगा।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का उद्देश्य ग्रामीण आवासहीन गरीब परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वालों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और भूमिहीन गरीबों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराना भी है। जबकि, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

31. "गोवा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना / दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन"

डॉ सरिता पाटिल
कोर फैकल्टी जिपार्ड, गोवा

परिचय

"राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में और अयोग्य अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा" (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41)

भारत में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रणाली, जो बुजुर्गों को एक प्राकृतिक सहायता प्रणाली प्रदान करती थी, बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के कारण तेजी से क्षीण हो रही है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली राज्य द्वारा प्रदान किए गए समाज के कमजोर और दुर्लभ वर्गों की सुरक्षा करती है ताकि उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

समय के साथ जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, भारत में वृद्ध लोगों की संख्या और अनुपात दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, दशकों से कुल आबादी में बुजुर्गों की आबादी (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अनुपात 1961 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 7.5 प्रतिशत हो गया। एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011) के अनुसार, यह और बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया।

गोवा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

गोवा में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से लागू की गई थी। प्रारंभ में, पेंशन राशि रु.75 प्रति व्यक्ति, जिसे बाद में बढ़ाकर रु.150. वर्तमान में, केन्द्र की

ओर से 50 रुपये अतिरिक्त अंशदान जोड़कर इसे रु.200 प्रति व्यक्ति कर दिया है। यह राशि पहले नकद के रूप में भुगतान की जाती थी, जो बाद में चेक के माध्यम से लेनदेन में स्थानांतरित हो गई और हाल के दिनों में पेंशन सीधे बैंक लेनदेन के माध्यम से दी जाती है।

आईजीएनओएपीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपए लाख में)
उत्तर और दक्षिण गोवा		
1995-96	447	0.67
1996-97	907	9.21
1997-98	1758	9.40
1998-99	2195	24.93
1999-2000	2195	31.80
2000-01	2170	33.67
2001-02	1210 (केवल उत्तरी गोवा)	10.89 (केवल उत्तरी गोवा)
2002-03	3734	28.99
2003-04	3787	36.09
2004-05	3731	32.54
2005-06	3439	29.75
2006-07	3409	35.11
2007-08	2687	64.49
2008-09	2049	65.23
2009-10	2734	64.56
2010-11	2734	65.64
2011-12	2136	54.64
2012-13	2136	51.24
2013-14 to 2016-17	1648	समाज कल्याण निदेशालय में स्थानांतरित
2016-17	1648	

गोवा में दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की वर्षवार संख्या और व्यय विवरण

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	एलआईसी द्वारा व्यय (रु. में)	राज्य द्वारा व्यय (रु. में)
जून 2013-14	99022	91747350	1763234598
2014-15	101717	107344505	2184918807
2015-16	101286	111553825	21227092635
2016- फरवरी 2017	101187	90369575	2077315640

साहित्य की समीक्षा

- वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दे
- वरिष्ठ नागरिकों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल
- एनओएपी पर अध्ययन का मूल्यांकन

अनुसंधान क्रियाविधि

- अध्ययन की तर्कसंगतता

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना गोवा के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। लेकिन इसे कहां तक प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और इसका वृद्धों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सवाल अक्सर लोग उठाते हैं। इस प्रकार, अध्ययन ने योजना के वास्तविक कार्यान्वयन और समग्र प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

- वृद्धावस्था पेंशन के उपयोग के पैटर्न का अध्ययन करना
- योजना के प्रति लाभार्थियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना
- योजना के कार्यान्वयन में खामियों का आकलन करना
- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें सुझाना।

परिकल्पना


- बीपीएल स्थिति और आय स्तर सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र हैं
- वित्तीय सहायता और चिकित्सा व्यय के बीच कोई संबंध नहीं है
- परिवार में सम्मान पाने और आर्थिक स्थिरता में कोई खास अंतर नहीं है।

अध्ययन का क्षेत्र

- गोवा के जिले, यानी, उत्तर और दक्षिण गोवा, जिसमें ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की उच्चतम संख्या के आधार पर दोनों जिलों से समान संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाता है। प्रत्येक जिले से, लाभार्थियों की संख्या के आधार पर दो ब्लॉकों का चयन किया जाता है। इसके अलावा, एनओएपीएस के तहत लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाले गांवों को प्रत्येक ब्लॉक से चुना गया है।
- डेटा का स्रोत- प्राथमिक और माध्यमिक दोनों है
- नमूना डिजाइन - सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, कुल आकार - 292 लाभार्थी
- विश्लेषण का साधन - सांख्यिकीय पद्धति।

डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष

- महिला लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या



लाभार्थियों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

- ग्राफ से पता चलता है कि पुरुष लाभार्थियों की तुलना में महिला जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, यानी 71.23 प्रतिशत, पुरुष लाभार्थियों की तुलना में, केवल 28.76 प्रतिशत
- आयु समूह - यह सभी आयु समूहों में महिला लाभार्थियों के स्पष्ट प्रभुत्व को दर्शाता है
- यह देखा गया है कि लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या 35.27 प्रतिशत ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, इसके बाद अन्य जातियां 31.84 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 29.1 प्रतिशत और अंत में, अनुसूचित जाति 3.76 प्रतिशत हैं।
- यह देखा गया है कि अधिकांश वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, यानी 68.15 प्रतिशत, इसके बाद ईसाई (30.13 प्रतिशत) और अन्य 1.71 प्रतिशत योगदान करते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी लाभार्थी मुस्लिम धर्म का नहीं है
- 59.23 प्रतिशत महिला लाभार्थी विधवा है, 10.95 प्रतिशत विवाहित पाई गई, और केवल 3.42 प्रतिशत अविवाहित पाई गई। पुरुष लाभार्थियों के मामले में, 25.34 प्रतिशत विवाहित थे, जबकि केवल 1.02 प्रतिशत अविवाहित पाए गए।
- परिवार का आकार - पाँच सदस्यों से कम श्रेणी का योगदान सबसे अधिक, यानी 66.43 प्रतिशत, इसके बाद 5-7 सदस्यों का 28.08 प्रतिशत, 8-10 सदस्यों का 4.25 प्रतिशत और सबसे कम परिवार का आकार 10 सदस्यों से अधिक है जो 1.02 प्रतिशत दर्शाता है सबसे कम प्रतिशत है।
- पारिवारिक व्यवसाय- लाभार्थी का अधिकांश पारिवारिक व्यवसाय सेवा क्षेत्र में देखा जाता है, जिसका अनुपात 50.68 प्रतिशत तक है। इसके बाद दैनिक मजदूरी कार्य (31.16 प्रतिशत) है। अन्य व्यवसायों की हिस्सेदारी 8.21 प्रतिशत है, इसके बाद खेती है जो बाकी व्यवसायों की तुलना में थोड़ा कम है, यानी 7.19 प्रतिशत।
- बीपीएल स्थिति - 71.23 प्रतिशत लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जबकि 28.76 प्रतिशत बीपीएल स्थिति नहीं रखते हैं।
- लाभार्थियों का रहना- अधिकांश लाभार्थी अपने बेटे/बेटी के साथ रहते हैं, जिनका प्रतिशत 75.68 प्रतिशत तक है। इसके बाद अकेले रहना (14.72 प्रतिशत), पति या पत्नी के साथ रहना (6.5 प्रतिशत), रिश्तेदारों के साथ रहना (2.05 प्रतिशत), और सबसे कम अन्य (1.02 प्रतिशत) हैं।

- परिवार की मासिक आय - लाभार्थी का बहुमत पहली श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी 5000 रुपये से कम आय (54.79 प्रतिशत), उसके बाद 5000 रुपये से 10,000 रुपये (38.01 प्रतिशत), 10,000 रुपये से 20000 रुपये तक (4.79 प्रतिशत), 20,000 रुपये से 30,000 रुपये (1.26 प्रतिशत) और सबसे कम 30,000 रुपये (0.68 प्रतिशत) से अधिक मासिक आय की श्रेणी में देखा गया।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

जानकारी का स्रोत - ग्राम पंचायत का प्रतिशत सबसे अधिक अर्थात् 63.35 प्रतिशत, उसके बाद राजनीतिक नेता (21.91 प्रतिशत), रिश्तेदार (8.9 प्रतिशत), दोस्त (4.45 प्रतिशत) और आरडीए कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (0.68 प्रतिशत) प्रत्येक। वृद्धावस्था पेंशन के लिए सूचना के स्रोत के रूप में

रेडियो और टेलीविजन का योगदान शून्य है।


- मानदंड - 72.6 प्रतिशत ने कहा कि इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए उम्र मुख्य मानदंड है। इसके बाद बीपीएल स्थिति, कारणों के बारे में अनभिज्ञता, बेसहारा और अन्य क्रमशः 17.8 प्रतिशत, 10.61 प्रतिशत, 5.13 प्रतिशत और 4.45 प्रतिशत हैं।
- एकत्र किए गए फॉर्म का स्रोत - ग्राम पंचायत 42.12 प्रतिशत के साथ उच्चतम प्रतिशत दिखाती है, इसके बाद पंच सदस्य, एमएलए कर्मचारी, अन्य और बीडीओ 27.73 प्रतिशत, 24.31 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 1.02 प्रतिशत के संबंधित प्रतिशत आते हैं।
- जमा किए गए दस्तावेज़ - 41.48 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उन्होंने चुनाव कार्ड जमा किए, जबकि 34.24 प्रतिशत ने सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा किया। उनमें से कुछ ने अभी तक कोई दस्तावेज़ जमा नहीं किया है, जो 20.3 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके बाद 9.24 प्रतिशत के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र है, और बहुत कम, यानी 0.34 प्रतिशत लाभार्थियों ने सत्यापन के लिए अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र और कर्मचारी रिकॉर्ड जमा किया है।
- पेंशन प्राप्ति की औसत तिथि- प्राप्त होने वाली पेंशन की औसत तिथि प्रत्येक माह की 10-20 तारीख के बीच 62.32 प्रतिशत होती है, इसके बाद प्रत्येक माह की 5-10 तारीख होती है। केवल 2.39 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें हर महीने की 20-30 तारीख के बीच और उसके बाद हर महीने की 1-5 तारीख के बीच पेंशन मिलती है, जिसका प्रतिशत 1.71 जितना कम है

- पेंशन में देरी -57 प्रतिशत लाभार्थियों ने हां कहा, और उनमें से 43 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने कभी भी पेंशन में देरी नहीं हुई
- देरी के कारण- उनमें से 79 प्रतिशत पेंशन में देरी के कारणों को नहीं जानते या अंजान हैं, जबकि उनमें से 13 प्रतिशत ने कहा कि बैंक लेनदेन देरी का कारण था और 8 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि यह धन की कमी के कारण था
- बैंक स्टाफ का सहयोग- 92.8 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि बैंक स्टाफ सहयोगी है, जबकि 7.19 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें बैंक स्टाफ सहयोगी नहीं मिला
- बैंक का प्रकार - 73.28 प्रतिशत लाभार्थियों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में हैं, जिसके बाद सहकारी बैंकों का स्थान है। इसके बाद निजी बैंक 1.71 प्रतिशत और क्रेडिट सोसाइटी 0.34 प्रतिशत है।

पेंशन का उपयोग


- 96.91 प्रतिशत ने जवाब दिया कि वे अपनी पेंशन का उपयोग चिकित्सा के लिए करते हैं, इसके बाद 75.34 प्रतिशत भोजन के लिए उपयोग करते हैं, 39.04 प्रतिशत कपड़े के लिए। ये तीन आवश्यक चीजें हैं जिन पर अधिकांश राशि खर्च की जाती है, जबकि उनमें से 27.73 प्रतिशत इसे अन्य आजीविका गतिविधियों पर खर्च करते हैं। 8.56 फीसदी लाभार्थियों ने कहा कि उन्होंने पैसे अपने परिवार को सौंप दिए। उनमें से बहुत कम लोग पेंशन राशि का उपयोग मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। यह इंगित करता है कि उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण चिकित्सा व्यय अधिक है।

लाभार्थियों की स्वास्थ्य समस्याएं



- इलाज की सुविधाएं - इनमें से 63 फीसदी ने कहा कि वे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं, जबकि 37 फीसदी निजी इलाज के लिए जाते हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च - इनमें से 45.54 प्रतिशत 1000 रुपये से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इसके बाद 39.72 प्रतिशत रु. 500-1000। बहुत कम, यानी 13.01 और 1.71 प्रतिशत रुपये 200-500 रु. 200 कम क्रमशः खर्च करते हैं।
- डीडीएसवाई - 63.01 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उन्होंने इस योजना के तहत नामांकन कराया था, जबकि 36.98 प्रतिशत ने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है।

पेंशन का समर्थन



संकल्पना

- एच0 (शून्य परिकल्पना): बीपीएल स्थिति और आय स्तर सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र हैं
- एच1 (अनुसंधान परिकल्पना): बीपीएल स्थिति और आय स्तर सांख्यिकीय रूप से निर्भर हैं

पियर्सन ची-स्क्वायर टेस्ट		
		आय लाभ
बीपीएल-स्थिति	ची-वर्ग	14.240
	डीएफ	2
	सिग.	.001*

ची-स्क्वायर आँकड़ा .05 स्तर पर महत्वपूर्ण है।

यह स्पष्ट है कि बीपीएल स्थिति और आय स्तर स्वतंत्रता के लिए पियर्सन ची-स्क्वायर परीक्षण से जुड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तथा शोध परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। 71.23 प्रतिशत उत्तरदाता बीपीएल परिवार से हैं, और अधिकांश लाभार्थी, यानी 54.79 प्रतिशत, 5000 रुपये प्रति माह से कम आय की श्रेणी में आते हैं।

- एच0 (शून्य परिकल्पना): वित्तीय सहायता और चिकित्सा व्यय के बीच कोई संबंध नहीं है
- एच1 (अनुसंधान परिकल्पना): वित्तीय सहायता और चिकित्सा व्यय के बीच संबंध है

			चिकित्सा व्यय	
			हां	नहीं
वित्तीय सहायता	हां	गिनती	233	9
		एन %	96.3%	3.7%

- लगभग 96.3 प्रतिशत लाभार्थियों ने चिकित्सा व्यय के लिए अपनी वित्तीय सहायता का उपयोग किया। केवल 3.7 प्रतिशत ने चिकित्सा व्यय के लिए इस सहायता का उपयोग नहीं किया, जो वित्तीय सहायता और चिकित्सा व्यय के बीच संबंध को इंगित करता है। अतः शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है तथा शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है
- एच0 (शून्य परिकल्पना): परिवार में सम्मान पाने और आर्थिक स्थिरता के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है
- एच1 (अनुसंधान परिकल्पना): परिवार में सम्मान पाने और आर्थिक स्थिरता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है

एक-नमूना परीक्षण						
	परीक्षण मूल्य = 0					
	टी	डीएफ	सिग. (2- टेयल्ड)	औसत अंतर	अंतर का 95% विश्वास अंतराल	
					निचला	ऊपरी
परिवार में सम्मान प्राप्त	52.059	291	.000	1.685	1.62	1.75
आर्थिक स्थिरता	49.790	291	.000	1.890	1.82	1.97

- महत्व मान .000 से कम है, जो दोनों स्थितियों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर को इंगित करता है, अर्थात्, पेंशन के संदर्भ में परिवार में सम्मान और लाभार्थियों के बीच आर्थिक स्थिरता। इस प्रकार शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है तथा 35.95 प्रतिशत हितग्राहियों ने अनुभव किया कि वृद्धावस्था में परिवार के सदस्य पेंशन के सहारे उनकी देखभाल कर रहे हैं तथा उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

V हितधारकों के विचार और राय

- योजना के बारे में ज्ञान
 - अधिकारियों को योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में पता था, लेकिन वे शुरुआत की तारीख नहीं बता सके। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) से संबंधित विभिन्न तरीकों, जैसे जागरूकता शिविर, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत, पत्रिका विज्ञप्ति और चर्च में घोषणाओं का उपयोग किया गया।
 - ब्लॉक और ग्राम स्तर के हितधारक इस योजना के लिए केंद्र और राज्य द्वारा स्वीकृत धन से अनभिज्ञ थे क्योंकि राज्य के अधिकारी निर्णय लेते थे।
 - सभी हितधारकों को लाभार्थियों को मासिक पेंशन के संवितरण के तरीके और पेंशन राशि की जानकारी थी। केवल डीआरडीए कर्मचारी पेंशन के लिए 1800 रुपये के राज्य योगदान और 200 रुपए की केंद्र योगदान की व्याख्या कर सके।
 - ब्लॉक या ग्राम स्तर के अधिकारी लाभार्थियों की उचित जानकारी/ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ थे क्योंकि डीआरडीए का डेटा अपडेट नहीं है या अब इसे 2013 से समाज

कल्याण के साथ मिला दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने गांव या ब्लॉक स्तर में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है।

- हितधारकों को लगता है कि उन्होंने सभी लाभार्थियों को कवर नहीं किया है क्योंकि कुछ अपने दस्तावेज़ जमा करने में असमर्थ हैं। समय पर पहचान कर नए हितग्राहियों को जोड़ा जाए और उनका सत्यापन किया जाए।

पहचान पर प्रक्रिया

- डीआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि एनओएपी के तहत लाभार्थी के चयन के लिए बीपीएल और आयु प्रमुख मानदंड थे। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गांव शिविर आयोजित किए गए थे। आयु प्रमाण पत्र के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और पेंशन के वितरण के लिए प्रपत्र एकत्र किए गए। पंचायत निकाय दस्तावेजों के सत्यापन में जुटा था।
- लेकिन डीएसएसएस के तहत मानदंड आय के स्तर और लाभार्थी की आयु पर आधारित थे। लाभार्थियों की पहचान करने में पंचायतों की भूमिका लगभग शून्य है क्योंकि फॉर्म सीधे या तो विधायक के कार्यालय या राज्य कार्यालय में उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकांश हितग्राहियों ने विधायक के सहयोग से प्रक्रिया पूरी की।
- योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा लाभार्थियों की पहचान या जांच के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं है।
- डीएसएसएस के तहत विधायक के कार्यालय द्वारा अधिकांश प्रपत्रों की सिफारिश की जाती है; ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है।
- डीएसएस के लाभार्थी सीधे एमएलएस और समाज कल्याण प्रधान कार्यालय में दस्तावेज जमा कर रहे हैं, जिसके कारण कोई पेंशन आवेदन/ रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, राज्य स्तरीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि दस्तावेजों को गलत तरीके से जमा करने के कारण आवेदन लंबित हैं।
- एनओएपी रिकॉर्ड 2002 तक ब्लॉक स्तर पर डीआरडीए के पास उपलब्ध हैं। तब से, एनओएपी का कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि योजना का डीएसएस के साथ विलय कर दिया गया था।

पेंशन वितरण

- प्रारंभ में, पेंशन वितरण की पद्धति नकद भुगतान के माध्यम से होती थी, जिसे बाद में चेक द्वारा वितरित किया गया। आजकल सभी हितग्राहियों को बैंक लेनदेन के माध्यम से पेंशन मिल रही है।
- लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन वितरण के मामले हैं, लेकिन बाद में बैंकों ने लाभार्थी के खाते से राशि वापस ले ली।

- पेंशन में देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो कि सरकारी निधि की समस्याओं और बैंक के साथ तकनीकी मुद्दों के कारण थीं।

हितधारकों द्वारा राय और सुझाव

- पेंशन की राशि बढ़ानी चाहिए क्योंकि जीवन स्तर और चिकित्सा लागत बढ़ गई है। पेंशन लाभ के कारण लाभार्थियों के रहने की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन करता है।
- योजना को लागू करने और आय प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों के उचित सत्यापन में राजनेताओं का हस्तक्षेप कम होना चाहिए।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ विशेष रूप से बीपीएल परिवारों को केवल एक व्यक्ति के बजाय पति और पत्नी दोनों को दिया जाना चाहिए।
- जहां भी आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्राधिकरण को इसे एक हलफनामे के आधार पर स्वीकार करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सुझाव

- कार्यान्वयन विभाग को सभी पात्र लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर सत्यापित करना चाहिए ताकि लाभार्थियों के सभी विवरण ब्लॉक और ग्राम स्तर के कार्यालयों में उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार, यह हितधारकों को योजना की बेहतर तरीके से निगरानी करने में मदद करेगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। कार्यक्रमों और जागरूकता का विवरण रेडियो/टीवी/स्थानीय मीडिया आदि के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है।
- समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास एजेंसी के बीच बेहतर समन्वय से इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
- लाभार्थियों के आवेदन ग्राम पंचायतों के माध्यम से तय किए जाने चाहिए ताकि ग्राम पंचायतें लाभार्थियों का मूल्यांकन कर सकें।
- लगभग 5.13 प्रतिशत परिवार के सदस्य सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी सरकारी योजनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में उनका नाम वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह गाइडलाइंस के खिलाफ है।

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को राष्ट्रीय स्तर पर एमआईएस वेबसाइट पर एनओएपीएस लाभार्थी विवरण अपडेट करना चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बीच अभिसरण
- महिला लाभार्थियों की संख्या अधिक है। ऐसे में उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए
- पात्र और अपात्र लाभार्थियों की स्थिति और स्थितियों को समझने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक सामाजिक लेखापरीक्षा किया जा सकता है।
- पेंशन का लाभ गरीब लाभार्थियों को मिलता है क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। गोवा सरकार को हर महीने पेंशन के समय पर वितरण के लिए पहल करनी चाहिए।
- अपात्र लाभार्थियों को सहायता देने पर खर्च किए गए धन का राज्य के लिए आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता था।
- बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से पेंशन वितरण के लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए।
- अधिकांश लाभार्थी अपनी पेंशन दवाओं पर खर्च करते हैं, इसलिए सरकार को गांव या ब्लॉक स्तर पर मासिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने की पहल करनी चाहिए।
- दीन दयाल स्वास्थ्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
- गोवा मेडिकल कॉलेज में एक अलग जराचिकित्सीय वार्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जो लंबे समय से बुजुर्ग रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा।
- गोवा सरकार को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव अधिनियम, 2005 को लागू करने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य हों।
- कार्यक्रम को लागू करने में खामियों और कमियों की जांच के लिए उचित निगरानी की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- गोवा सरकार ने डीएसएसएस को लागू करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता को पहचाना है। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, शांति और स्वतंत्रता के साथ जीने में सहायता करने के लिए इसे एनओएपीएस के साथ विलय कर दिया गया।

- वास्तविक लाभार्थियों को अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण सरकार के पास उपलब्ध धन में कई असंतुलन हो गए। वृद्धावस्था योजना का लाभ पात्र नहीं ले पाए।
- प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए, कुछ तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रदान की जाने वाली सहायता को वैज्ञानिक आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जा सके, कम से कम हर पांच साल के बाद।
- भले ही इस योजना को लागू करने में कई खामियां हैं, विशेष रूप से योजनाओं की निगरानी में, इसने वरिष्ठ नागरिकों में आत्मविश्वास विकसित करने के अपने लक्ष्य को काफी हद तक सफलतापूर्वक हासिल किया है।

32. अपर्याप्त स्वच्छता का स्वास्थ्य जोखिम: त्रिपुरा से एक अध्ययन

डॉ.सुदाक्षिन मित्रा,
सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन
एसआईआरडी, त्रिपुरा

परिचय :

बेहतर स्वच्छता से लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने की धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि आम तौर पर लोग बेहतर स्वच्छता समाधानों के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। स्वच्छता से संबंधित बीमारियों के इलाज की प्रत्यक्ष लागत और कम या खोई हुई उत्पादकता के माध्यम से खोई हुई आय से जुड़े होने के कारण खराब स्वच्छता और आर्थिक नुकसान एक दूसरे के सीधे आनुपातिक हैं। खराब स्वच्छता भी दूर या अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के कारण समय और प्रयास के नुकसान की ओर ले जाती है, खराब पानी की गुणवत्ता के परिणामस्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है, संदूषण और बीमारी के उच्च जोखिम के कारण पर्यटन से आय कम हो जाती है, और सफाई की लागत बढ़ जाती है। इसलिए, यह अध्ययन खराब स्वच्छता के आर्थिक प्रभावों को समझने की कोशिश करता है, विशेष रूप से परिणामी स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में।

पर्याप्त स्वच्छता, अच्छी स्वच्छता और सुरक्षित पानी अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार हैं। अच्छे स्वास्थ्य के इन तीन घटकों में से एक या अधिक में सुधार से रुग्णता की दर और विभिन्न रोगों की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि जुड़े हुए और अक्सर परस्पर समर्थन करने वाले, इन तीन घटकों में अलग-अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषताएं होती हैं।

स्वच्छता की कमी बीमारी की ओर ले जाती है, जैसा कि पहली बार 1842 में चाडविक के सेमिनल "ग्रेट ब्रिटेन की श्रमिक आबादी की स्वच्छता की स्थिति की जांच पर रिपोर्ट" में वैज्ञानिक रूप से उल्लेख किया गया था। 2007 में खराब स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव का एक कम वैज्ञानिक रूप से कठोर लेकिन पेशेवर रूप से महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान किया गया था जब बीएमजे (ब्रिटिश मेडिकल जर्नल) के पाठकों ने स्वच्छता को 1840 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा मील का पत्थर बताया।

खराब स्वच्छता से जुड़ी बीमारियाँ विशेष रूप से गरीबी और शैशवावस्था से संबंधित हैं और अकेले ही बीमारी के वैश्विक बोझ का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हैं। किसी भी समय, भारत की आधी शहरी आबादी को खराब स्वच्छता, स्वस्थता और पानी से जुड़ी बीमारी है।

खराब स्वच्छता दुनिया भर में सबसे भारी मौजूदा बीमारी के बोझ के लिए जिम्मेदार है। खराब स्वच्छता और असुरक्षित पानी से जुड़ी बीमारियाँ वैश्विक बीमारी के बोझ का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हैं। अस्वच्छता से संबंधित रोग डायरिया रोग, तीव्र श्वसन संक्रमण, अल्प पोषण और अन्य उष्णकटिबंधीय रोग जैसे कृमि और शिस्टोसोमियासिस संक्रमण हैं। डायरिया संबंधी बीमारियाँ स्वच्छता संबंधी सबसे आम बीमारियाँ हैं। विश्व स्तर पर, तज्ज्यादार विकासशील देशों में हर साल लगभग 1.7 मिलियन लोग डायरिया की बीमारियों से मरते हैं, और 90 प्रतिशत पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। दुनिया भर में असुरक्षित पानी, अपर्याप्त स्वच्छता और खराब स्वच्छता अतिसार रोगों के अस्सी-आठ प्रतिशत मामले के लिए जिम्मेदार हैं।

दुनिया में, सामान्य और विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में स्वच्छता कवरेज के विस्तार में धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि नीति-निर्माताओं और आम जनता ने बेहतर स्वच्छता समाधानों के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझा है। विकासशील देशों में सरकारें बेहतर स्वच्छता को आर्थिक विकास की एक आवश्यक शर्त या बेहतर कल्याण के स्रोत के रूप में नहीं देखती हैं, और स्वच्छता कार्यक्रमों पर बढ़ते खर्च को सही ठहराने के लिए आमतौर पर लागत-लाभ विश्लेषण का उपयोग नहीं किया गया है। अब तक, नीति निर्माताओं और आम जनता को स्वच्छता के अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जनसंख्या कल्याण पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के व्यापक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जबकि चिकित्सा शोधकर्ताओं ने व्यापक रूप से खराब स्वच्छता के स्वास्थ्य प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया है, इसके आर्थिक परिणामों के बारे में बहुत कम जानकारी है।

प्रासंगिक अनुसंधान निष्कर्ष एकत्र करके, यह पत्र स्वच्छता के आर्थिक पहलुओं पर वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों की रिपोर्ट और चर्चा करना चाहता है, जिसमें असंशोधित स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव और विकासशील देशों में कुछ सामान्य रूप से बेहतर स्वच्छता विकल्पों की लागत और आर्थिक लाभ शामिल हैं। अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के तीसरे महत्वपूर्ण वैश्विक लक्ष्य (एसडीजी) तक पहुंचने के लिए सबूतों से और अधिक निर्णायक कदमों को सही ठहराने की उम्मीद है।

उद्देश्य:

- i. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना
- ii. ग्रामीण परिवारों पर अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन स्वास्थ्य देखभाल की लागत और उत्पादकता नुकसान के संदर्भ में करना।

क्रियाविधि :

दूसरे अनुसंधान उद्देश्य का उत्तर देने के लिए, हम अपर्याप्त स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत और उत्पादकता के नुकसान के आधार पर एक परिकल्पना तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या अनुचित स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य व्यय के कारण परिवार गरीबी की ओर धकेले जाते हैं या पीछे की ओर धकेले जाते हैं।

स्वास्थ्य भुगतान के बोझ को परिवार की भुगतान करने की क्षमता के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$oop_{ctph} = oop_h / ctp_h * 100 \text{ ----- (1)}$$

विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय तब होता है जब एक परिवार का आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान, भुगतान करने की घरेलू क्षमता के 40 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होता है।

$$Cata = 1 \quad \text{if} \quad oop_h / ctp_h * 100 \geq 40\% \text{ ----- (2)}$$

$$Cata = 0 \quad \text{if} \quad oop_h / ctp_h * 100 < 40\% \text{ ----- (3)}$$

वर्तमान अध्ययन घरेलू गैर-खाद्य व्यय का उपयोग परिवार की भुगतान करने की क्षमता के लिए एक प्रॉक्सी उपाय के रूप में करता है। हमें मामूली बीमारी (बाहरी रोगी देखभाल), अस्पताल में भर्ती देखभाल (इनपेशेंट देखभाल), और पुरानी बीमारी की घटनाओं को परिवारों पर स्वास्थ्य देखभाल व्यय के बोझ के रूप में समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार, गैर-खाद्य व्यय में स्वास्थ्य व्यय के हिस्से को इस प्रकार लिखा जा सकता है

$$S_j = h \text{ exp} / nf \text{ exp} * 100$$

जहां,

एसजे = गैर-खाद्य व्यय में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा।

एच ऍक्स्प = स्वास्थ्य पर औसत घरेलू मासिक व्यय।

एनएफ ऍक्स्प = औसत घरेलू मासिक गैर-खाद्य व्यय।

अध्ययन क्षेत्र

त्रिपुरा 3,671,032 लोगों की भूमि है (जनगणना 2011)। राज्य की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, हालांकि यह अभी भी मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें आधी से अधिक आबादी कृषि-संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। त्रिपुरा में अधिकांश घर ग्रामीण क्षेत्रों (82 प्रतिशत) में केंद्रित हैं, और दो-पांचवें (18 प्रतिशत) से कम शहरी क्षेत्रों में हैं। जहां तक स्वच्छता क्षेत्र का संबंध है, त्रिपुरा में खुले में शौच की घटनाएं बहुत अधिक हैं, विशेष रूप से पहाड़ी आंतरिक और वन क्षेत्रों में। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य ने बड़े पैमाने पर निर्मल भारत अभियान और वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान और एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण को लागू किया है। कम उम्र में स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करने की आदत डालने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के अनुकूल शौचालयों के अनुरूप, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग मूत्रालय और शौचालय प्रदान करने पर स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन कई शौचालय रखरखाव के अभाव में खराब पड़े हैं। पहले मुफ्त में प्लास्टिक स्क्वेटिंग प्लेट प्रदान करने की योजनाओं के परिणाम नहीं निकले क्योंकि उनमें से अधिकांश अप्रयुक्त पड़ी हैं क्योंकि बहुत से लोग शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। खुले में शौच करने से दस्त और मलेरिया की चपेट में आने की समस्या पैदा हो गई है। इन उद्देश्यों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन के इरादों से संबंधित हर मुद्दे पर कब्जा करने के लिए अध्ययन नमूने के समग्र कवरेज और अध्ययन क्षेत्र की मांग करता है:

अध्यात्म क्षेत्र को बसाने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया गया है:

- अध्ययन राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता परिदृश्य पर विचार करेगा। इसके लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से एक-एक हजार परिवारों का चयन किया जाएगा
- शहरी क्षेत्र राज्य में अगरतला नगर परिषद के साथ-साथ नगर पंचायतों का गठन करेंगे। अध्ययन के लिए एएमसी क्षेत्रों से पांच सौ परिवारों और नगर पंचायत से इतनी ही संख्या में परिवारों का चयन किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र राज्य के सभी आठ जिलों को कवर करेंगे।

- ब्लॉक चयन मानदंड: प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक, यानी 16 ब्लॉक, अध्ययन के लिए लिए जाएंगे। चयन का मानदंड जिला मुख्यालय से दूरी होगी, अर्थात् अध्ययन के लिए निकटतम और सबसे दूर के ब्लॉकों का चयन किया जाएगा।
- गांव और परिवार चयन मानदंड: परिवार दो चरणों वाली व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर चयन करेंगे। पहले चरण में, प्रत्येक चुने हुए ब्लॉक से, 32 प्राथमिक नमूना इकाइयों (पीएसयू), यानी गांवों का चयन पीपीएस (संभाव्यता अनुपात से आकार) विधि के माध्यम से किया जाएगा। फिर व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से प्रत्येक पीएसयू से 31 परिवारों का चयन किया जाएगा। प्राथमिक डेटा एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके परिवारों से एकत्र किया जाता है। सर्वे के दौरान कुल 1000 घरों को कवर किया जाएगा।

निष्कर्ष :

मौद्रिक प्रभाव

अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन में शामिल 2000 परिवारों में से 1589 परिवारों ने भयावह स्वास्थ्य भुगतान करने की सूचना दी, और बाकी 411 गैर-विनाशकारी पाए गए। कुल मिलाकर 1589 परिवारों में से, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च, भुगतान करने की घरेलू क्षमता के 40 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है।

विनाशकारी परिवारों में औसत घरेलू आकार और महिलाओं और बच्चों का अनुपात गैर-विपत्तिग्रस्त परिवारों की तुलना में अधिक था। विनाशकारी परिवारों में से, 1114 ग्रामीण क्षेत्रों से थे, और 475 शहरी क्षेत्रों से थे, जो दोनों क्षेत्रों के बीच आपदा के अनुपातिक प्रसार को प्रकट करता है।

घरेलू विशेषताएं: सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि आपदा वाले परिवारों में से **82.44** प्रतिशत परिवार आकार **1-6** से संबंधित हैं, और **70.10** प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से थे (तालिका संख्या 1)। जहाँ तक शिक्षा के स्तर का संबंध है, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है, प्राथमिक स्तर (**24.54** प्रतिशत) तक अधिकतम शिक्षा योग्यता वाले परिवारों में तबही अधिक प्रचलित है, इसके बाद मैट्रिक (**22.65** प्रतिशत) तक के परिवार और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक तक के परिवार हैं। (**22.78** प्रतिशत)। यह इंगित करता है

कि शिक्षा में वृद्धि के साथ आपदा की संभावना कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, साक्षरता दर जितनी अधिक होगी, परिवारों के गरीबी में जाने की संभावना उतनी ही कम होगी।

व्यावसायिक पैटर्न: अध्ययन से पता चलता है कि प्रभावित परिवारों में से 33.48 प्रतिशत कृषक थे, इसके बाद 23.53 प्रतिशत दिहाड़ी मजदूर या आकस्मिक श्रमिक थे, और 21.01 प्रतिशत व्यवसाय या व्यापार में शामिल थे (मुख्य रूप से दुकानदारी में लगे हुए थे)। बाकी सेवा क्षेत्र और अन्य से थे, विशेष रूप से ऐसे परिवार जिनका एकमात्र कमाने वाला सदस्य मनरेगा जैसी कुछ केंद्रीय प्रायोजित मजदूरी रोजगार योजनाओं के लाभार्थी के रूप में परिवार की गृहिणी थी।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक पहचान: वित्तीय समावेशन एक अवसर या सेवा है जो वित्तीय संस्थान (जैसे, बैंक) समाज के सभी वर्गों को सस्ती कीमत पर प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में बचत, भुगतान, स्थानांतरण, ऋण और बीमा शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 59 प्रतिशत परिवारों ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया (भास्कर 2014)। आम तौर पर ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो आपदाग्रस्त परिवार के पास होते हैं। यह प्रवृत्ति गैर-विनाशकारी परिवारों में भी समान है। वर्तमान में, भारत सरकार ने बैंक खाता खोलने की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। एक मौजूदा खाताधारक से एक परिचय जो सभी मानदंडों को पूरा करता है, उस व्यक्ति के लिए खाता खोलने के उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं है (जगन्नाथन 2015)। इन सरलीकरणों ने सक्षम परिवारों को आर्थिक रूप से शामिल किया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच: स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं विपत्तिपूर्ण और गैर-विनाशकारी दोनों परिवारों के आवासों से लगभग समान दूरी पर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों और स्थानीय झोलाछाप डॉक्टरों तक उनकी समान पहुंच है (तालिका 5)। सर्वेक्षण ने बताया कि बीमारी से पीड़ित होने पर विपत्तिपूर्ण परिवार योग्य निजी चिकित्सकों के संपर्क में अधिक थे। अध्ययन में माने गए इस रुझान को ज्यादातर मध्य-आय वर्ग (यानी, 10,000 रुपये-25,000 रुपये) से संबंधित परिवारों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। दोनों श्रेणियों के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया और गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई।

अध्ययन परिवारों की भुगतान करने की क्षमता के लिए एक प्रॉक्सी उपाय के रूप में गैर-खाद्य व्यय का उपयोग करने का प्रयास करता है; दूसरे शब्दों में, आपदा को परिभाषित करने के लिए गैर-खाद्य व्यय को विभाजक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने का कारण यह है कि आय को चिकित्सा खर्च या स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि समान आय श्रेणी और लगभग समान स्वास्थ्य भुगतान वाले दो परिवारों को, लेकिन एक परिवार को बचत से स्वास्थ्य देखभाल का वित्तपोषण करते हुए पाया गया और दूसरे को बिना बचत के स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए वर्तमान खपत में कटौती करनी पड़ी। यह अंतर स्वास्थ्य भुगतान और आय के अनुपात में परिलक्षित नहीं हुआ जो दोनों परिवारों के लिए समान था। फिर भी, बिना बचत वाले घरों में घरेलू खर्च के लिए स्वास्थ्य भुगतान का अनुपात अधिक पाया गया। इसलिए, तबाही के लिए आय नहीं बल्कि व्यय को भाजक के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

वर्तमान पेपर स्वास्थ्य देखभाल के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान को आपदाजनक के रूप में वर्गीकृत करता है यदि यह वार्षिक घरेलू गैर-खाद्य व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक है, जिसे कट-ऑफ स्तर माना जाता है (कवाबाटा और कैरिन 2002, जू एट अल 2003, करामी एट अल 2009) और पाया कि 1589 परिवारों को स्वास्थ्य बोझ का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका कुल स्वास्थ्य भुगतान करने की उनकी क्षमता के 40 प्रतिशत से अधिक है।

अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं (अर्थात् साझा शौचालय या सार्वजनिक शौचालय) के साथ-साथ अस्वच्छ स्वच्छता व्यवहार (अर्थात् असुरक्षित पेयजल से संबंधित प्रभाव जैसे दस्त, आंतों के कीड़े) से उत्पन्न स्वास्थ्य देखभाल में विनाशकारी भुगतान के प्रमुख निर्धारण कारकों का पता लगाने के लिए, मलेरिया, खसरा और निचले श्वसन संक्रमण) सर्वेक्षण ने विभिन्न श्रेणियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यय डेटा एकत्र किया जैसे -

- भर्ती रोगी देखभाल - रिकॉल अवधि: 1 वर्ष
- बाहरी रोगी देखभाल - रिकॉल अवधि: 3 महीने
- पुरानी बीमारी - रिकॉल अवधि: 1 महीना
- जन्म डिलीवरी - रिकॉल अवधि: 1 वर्ष

बीमारी के पिछले एपिसोड (रुग्णता की रिपोर्ट) पर जानकारी एकत्र की गई थी। घरेलू स्वास्थ्य देखभाल व्यय को परिवार के बीमार सदस्य के खर्चों के लिए भोजन और आवास सहित दवाओं और औषधियों, परामर्श शुल्क, अस्पताल बेड शुल्क, उपचार स्थल तक परिवहन शुल्क और रोज आने-जाने की लागत के रूप में परिभाषित किया गया है।

अध्ययन से पता चलता है कि स्वास्थ्य पर वार्षिक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च परिवारों की भुगतान करने की क्षमता का 65.58 प्रतिशत है, जो तबाही की संभावना को दर्शाता है।

हम पाते हैं कि आउट पेशेंट देखभाल में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च राज्य में भयावह स्वास्थ्य व्यय में सबसे अधिक योगदान देता है। यह खोज इस तथ्य का भी समर्थन करती है कि स्वास्थ्य में आउट पेशेंट ओओपीई राज्य में चल रही सार्वजनिक बीमा योजना के दायरे से बाहर है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के रूप में जाना जाता है।

अध्ययन रिपोर्ट करता है कि खराब साफ-सफाई और अस्वस्थता के कारण होने वाली अतिसारीय बीमारियां नमूना जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक को प्रभावित करती हैं। मानव मल के साथ संपर्क दस्त के लक्षणों के साथ कई गंभीर बीमारियों का स्रोत है। अध्ययन रिपोर्ट करता है कि जिन बीमारियों की श्रेणी में अस्पताल में भर्ती/इनपेशेंट देखभाल (68.67 प्रतिशत) की आवश्यकता होती है, उनमें से ज्यादातर तीव्र डायरिया और पेचिश हैं, जबकि डायरिया के परिणामस्वरूप निर्जलीकरण और कुपोषण ने मलेरिया, खसरा, श्वसन संक्रमण और आंतों के कीड़े जैसे रोगों की चपेट में आने की संभावना को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से बच्चों में आउट पेशेंट देखभाल (70.48 प्रतिशत) में अधिक स्वास्थ्य व्यय के लिए जिम्मेदार है।

इस प्रकार, अध्ययन में पाया गया है कि अपर्याप्त स्वच्छता के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिम मलेरिया, खसरा, श्वसन संक्रमण और आंतों के कीड़े हैं। ये रोग निरंतर हैं और निरंतर लागत की आवश्यकता होती है; इस प्रकार, वे अपनी आर्थिक स्थिति पर धीमे जहर के रूप में कार्य करते हैं।

गैर-मौद्रिक प्रभाव

यह अध्ययन एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है और महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभावों वाले स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए वर्तमान पीढ़ी की जांच करता है। मौद्रिक प्रभाव वे होते हैं जिनका किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय व्यय होता है और जिसका भुगतान किसी के द्वारा मौद्रिक रूप में किया

जाता है। हो सकता है कि व्यय का भुगतान करने वाला वह व्यक्ति न हो जो भौतिक प्रभाव वहन कर रहा हो।

अपर्याप्त स्वच्छता के मौद्रिक प्रभाव का पहले ही अनुमान लगाया जा चुका है। आर्थिक प्रभाव मौद्रिक प्रभावों की तुलना में अधिक सामान्यीकृत अवधारणा है और इसमें गैर-मौद्रिक प्रभावों के लिए आरोपित मौद्रिक मूल्य शामिल हैं। कुछ अध्यारोपित गैर-मौद्रिक प्रभाव जिनका इस अध्ययन में रिपोर्ट किए गए बाजार मूल्य के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले, बीमारी के कारण काम या स्कूल में समय की हानि, स्वच्छ जल स्रोतों की तलाश में समय की हानि, और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए सीमित गतिशीलता।

दूसरे, अपर्याप्त स्वच्छता से उत्पन्न होने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पादक नुकसान यह है कि परिवार असुरक्षित और प्रदूषित पानी जैसे फिल्टर, उबालने और बोतल वाला पानी खरीदने से बचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, ऐसे संसाधन जो परिवारवालों के लिए पैसे खर्च करवाते हैं।

तीसरा, राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, जो अभी भी अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण खराब और असंशोधित शौचालय सुविधाएं हैं। राज्य पर्यटन क्षेत्र से लक्षित पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ है, जो राजस्व हानि है।

निष्कर्ष :

हमने जून 2017 तक पॉकेट से इटकर स्वास्थ्य भुगतान पर अपर्याप्त स्वच्छता के प्रभावों का मूल्यांकन किया। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि चिकित्सा देखभाल का प्रकार, बीमारी के प्रकरणों की संख्या, और घरेलू सदस्य की उपस्थिति में रोगी, बाह्य रोगी और बच्चे की डिलीवरी विनाशकारी व्यय के लिए महत्वपूर्ण कारक थे। जिस परिवार में बार-बार बीमार होने वाले सदस्य को ओपीडी देखभाल की आवश्यकता होती है, उसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद भयावह भुगतान की संभावना अधिक होती है। परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह की तबाही के जोखिम का प्रदर्शन किया है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि अस्पताल में भर्ती देखभाल सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जो घरेलू आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन इस परिणाम से पता चलता है कि बाहरी रोगी देखभाल के लिए चिकित्सा व्यय, जो कि लगातार बीमारियाँ हैं, आपदाजनक व्यय के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती देखभाल आती है।

आम तौर पर, गैर-अस्पताल में भर्ती देखभाल की आवश्यकता वाले रोगों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय अस्पताल में भर्ती देखभाल की तुलना में कम होता है, लेकिन इसका उपचार लंबे समय तक चलता रहता है। हमने पाया कि आउट पेशेंट देखभाल में स्वास्थ्य व्यय उच्च स्वास्थ्य खर्च में मूल योगदानकर्ता है। यह खोज इस तथ्य का भी समर्थन करती है कि स्वास्थ्य में बाह्य रोगी पॉकेट से हटकर भुगतान (ओओपीई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कवरेज से बाहर है।

इसके अलावा, अध्ययन में पाया गया है कि अपर्याप्त स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिम परिवारों को गरीबी की ओर धकेलते हैं, मलेरिया, खसरा, श्वसन संक्रमण और आंतों के कीड़े हैं। ये रोग निरंतर हैं और निरंतर लागत की आवश्यकता होती है, इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति पर धीमे जहर के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस तरह की बीमारियों का इलाज परिवारों के अलग-अलग सदस्यों के लिए अलग-अलग बिंदुओं पर बाह्य रोगी देखभाल के माध्यम से किया जाता है, जो पूरे परिवार पर भारी बोझ डालता है।

अपर्याप्त स्वच्छता के स्वास्थ्य प्रभावों के अलावा, अध्ययन में कुछ उत्पादक नुकसानों की भी पहचान की गई है जो राज्य को स्वच्छता में सुधार के कारण झेलने पड़ते हैं, जैसे कि काम/स्कूल में समय की हानि, महिलाओं और लड़कियों के लिए सीमित गतिशीलता, और पर्यटन को राजस्व नुकसान।

अध्ययन में यह भी पाया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है; ऐसा न करने का एक मुख्य कारण लंबा प्रतीक्षित समय है। इसने निजी क्षेत्र को बाजार में प्रवेश करने और उसका दोहन करने का अवसर प्रदान किया है।

IX. परिशिष्ट

क. परिभाषाएं

1. अपनी जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय - अपनी जेब से किया जाने वाला भुगतान परिवारों द्वारा उस समय किए गए भुगतानों को संदर्भित करता है, जब वे स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करते हैं। आमतौर पर, इनमें डॉक्टर के परामर्श शुल्क, दवाओं की खरीद और अस्पताल के बिल शामिल होते हैं। जेब से भुगतान में वैकल्पिक या पारंपरिक चिकित्सा पर खर्च शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परिवहन और विशेष पोषण पर खर्च को बाहर रखा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉकेट से हटकर किसी भी बीमा प्रतिपूर्ति का निवल है।

2. भुगतान करने की घरेलू क्षमता (सीटीपी) - भुगतान करने की घरेलू क्षमता को परिवार के गैर-निर्वाह व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे परिवार की गैर-निर्वाह प्रभावी आय के रूप में भी परिभाषित किया गया है।
3. पॉकेट से हटकर स्वास्थ्य भुगतान भुगतान करने की घरेलू क्षमता का हिस्सा (ओओपीसीटीपी) - स्वास्थ्य भुगतान के बोझ को भुगतान करने की घरेलू क्षमता के प्रतिशत के रूप में पॉकेट से हटकर भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है।

oopctph = ooph / ctph

4. आपदाजनक स्वास्थ्य व्यय (कैटा) - आपदाजनक स्वास्थ्य व्यय तब होता है जब किसी परिवार की भुगतान करने की कुल क्षमता भुगतान करने की क्षमता या गैर-निर्वाह खर्च के 40 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो। देश विशिष्ट स्थितियों के अनुसार 40 प्रतिशत की सीमा को बदला जा सकता है।

ख. संक्षिप्ताक्षर

1. ओओपीई = आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान व्यय
2. सीटीपी = भुगतान करने की क्षमता
3. टीएससी = संपूर्ण स्वच्छता अभियान
4. एनजीपी = निर्मल ग्राम पुरस्कार
5. आईईसी = सूचना शिक्षा संचार
6. सीआरएसपी = केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
7. आरएसबीवाई = राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

33. पंचायती राज प्रणाली: केरल में महिला प्रधान पंचायतों का एक अध्ययन

डॉ ओमन जॉन
श्रीमती शेरिन चाको
डॉ.अमृतराज आर.एम.

परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(डी) के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान है। इस संवैधानिक संशोधन को जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। नेतृत्व के सभी स्तरों सहित सभी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए कोटा को कानूनी रूप से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के साथ केरल इस प्रतिशत से आगे निकल गया। इस प्रकार, 2010 के बाद के चुनावों ने केरल में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए अभूतपूर्व राजनीतिक स्थान खोला। वर्तमान अध्ययन में पंचायती राज संस्थाओं में शामिल महिलाओं की रूपरेखा तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़ने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के साथ उनके जुड़ाव का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

सामान्य उद्देश्य: भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी के माध्यम से गृहस्थी से केंद्र स्तर तक महिलाओं की यात्रा को समझना

विशिष्ट उद्देश्य:

1. पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा का आकलन करना
2. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों को समझना
3. पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख के रूप में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना

4. प्रधान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के साथ संलग्न होने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करना
5. संबंधित पंचायती राज की महिला प्रमुख के बारे में पंचायती राज में सरकारी कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की धारणाओं को समझना
6. पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख के रूप में कार्यरत महिलाओं के परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।

क्रियाविधि

समग्र बहुउद्देश्यीय मामला अध्ययन डिज़ाइन का उपयोग किसी विशेष मामले का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने या विभिन्न आयामों में एकल मामले का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वर्तमान अध्ययन में, महिला प्रतिनिधियों को घर, पंचायत और समाज जैसे विभिन्न वातावरणों में देखा जाता है। गहन साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चाओं के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था। इस अध्ययन के लिए बयालीस मामले लिए गए। अध्ययन की उप-इकाइयां पीआरआई में बयालीस सरकारी कर्मचारी, 150 निर्वाचित वार्ड प्रतिनिधि और पीआरआई अध्यक्षों के 150 परिवार के सदस्य हैं।

अध्ययन क्षेत्र:

केरल में बयालीस महिलाओं की अध्यक्षता वाली ग्राम पंचायतें

निष्कर्ष :

अध्ययन की खोज से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें राजनीति और सत्ता संरचना में प्रवेश करने में मदद की। वे जिस परिवार और राजनीतिक दल से संबंधित हैं, वे उनके लिए मजबूत समर्थन प्रदान करते हैं।

प्रत्येक उद्देश्य के अनुसार अध्ययन के प्रमुख निश्चित प्रयास नीचे सूचीबद्ध हैं:

पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा को समझना:

- पीआरआई में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभागी 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।

- दो को छोड़कर, सभी प्रतिभागी विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं। बयालीस प्रतिभागियों में, छत्तीस के बच्चे स्कूल या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
- लगभग आधे प्रतिभागियों के पास शैक्षिक योग्यता के रूप में प्री-डिग्री, डिग्री या पीजी है। तीन को छोड़कर, सभी प्रतिभागियों के पास न्यूनतम योग्यता के रूप में एसएसएलसी है
- सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति आरक्षण के तहत महिला आरक्षण के लिए कोटा का उपयोग करके तीन-चौथाई से अधिक प्रतिभागी या तो पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष बनने या पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य बनने में सफल हुए।
- पंद्रह को छोड़कर, अन्य सभी प्रतिभागियों के पास पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लेने का पिछला अनुभव है
- अड़तीस प्रतिभागियों ने दावा किया कि उनकी पत्नियों ने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि इकतालीस लोगों का मानना था कि उनके बच्चों ने उन्हें प्रोत्साहित किया।
- अधिकांश प्रतिभागी पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़ते समय अपने जीवनसाथी को अपना प्रमुख सहारा मानते हैं
- बयालीस में से सैंतीस प्रतिभागियों ने घरेलू कामकाज का प्रबंधन करने का दावा किया
- लगे हुए प्रतिभागियों में से आधे से अधिक गृहिणी थीं, जबकि एक चौथाई से अधिक प्रतिभागी आशा के रूप में कुटुम्बश्री और एनआरएचएम जैसी सरकारी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल थीं।

पीआरआई के चुनाव में महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाले कारक:

- प्रतिभागियों में से अधिकांश गृहिणी हैं जिन्होंने दावा किया कि वे या उनके पति या तो जिन दलों से संबंधित थे, वे राजनीति में शामिल होने के लिए उनके लिए प्रेरक कारक थे
- एक चौथाई से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि आशा के रूप में कुटुम्बश्री और एनआरएचएम जैसी सरकारी परियोजनाओं में उनकी भागीदारी ने उनके सामाजिक संपर्क में मदद की, और इसके कारण पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ
- अधिकांश प्रतिभागियों ने दावा किया कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण ही उन्हें पीआरआई अध्यक्ष के रूप में चुना गया; केवल चार प्रतिभागियों को अपने अनुभव और जोखिम के बारे में भरोसा था जो उनके पास पहले से है

- अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि वे स्व-प्रेरित महिलाएं थीं जो पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक थीं
- अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवनसाथी के बातों का पालन करती हैं और वो जो कुछ भी कहता है वह करती हैं (केवल एक प्रतिभागी)

महिला होने के नाते, पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख के रूप में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- दो को छोड़कर, सभी प्रतिभागियों को लगता है कि उनके काम की अनुसूची और जिम्मेदारियां उनके परिवार, सामाजिक, या व्यक्तिगत बातचीत को प्रतिबंधित करती हैं।
- एक चौथाई से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि उन्हें अचानक आपात स्थिति के कारण केआईएलए द्वारा पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का समय नहीं मिलेगा
- चार को छोड़कर, प्रतिभागियों ने दावा किया कि उन्हें अपनी पंचायत में वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें परियोजनाओं या योजनाओं के रूप में अपने विचारों को शुरू करने से रोकता है
- बत्तीस प्रतिभागियों ने दावा किया कि वे सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि बाईस प्रतिभागियों ने परियोजनाओं को पूरा करने और 'स्वयं के कोष' के लिए एक चुनौती के रूप में टर्नओवर और कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसी प्रशासनिक चुनौतियों को बताया।
- प्रतिभागियों में से एक चौथाई ने राष्ट्रपति की भूमिका को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों का दावा किया, और नौ प्रतिभागियों ने चुनौती के रूप में ज्ञान और जुड़ाव की कमी को बताया।

प्रधान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़ने के परिणामस्वरूप वे जो परिवर्तन अनुभव करते हैं:

- चार को छोड़कर, सभी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी के माध्यम से भारत सरकार के निर्णय की सराहना की।
- बाईस से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि वे निर्धारित समय में लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
- चार को छोड़कर, सभी प्रतिभागी पूर्णता में भाग लेने के इच्छुक हैं।

- सभी प्रतिभागी बुनियादी ढांचे, सामाजिक, सड़क और परियोजनाओं और योजनाओं के क्षेत्र में अपनी पंचायतों में बदलाव के लिए योगदान दे सकते हैं।
- सभी प्रतिभागियों ने दावा किया कि उनके ज्ञान स्तर, जिम्मेदारी, शक्ति की भावना, सामाजिक संबंधों के स्तर और सामाजिक संपर्क में वृद्धि हुई है।
- बयालीस में से अट्ठाईस से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि उनकी निर्णय लेने की भागीदारी, कौशल और क्षमता, और स्वायत्तता का स्तर काफी हद तक विकसित हो गया था
- आधे से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, जबकि कुछ ने दावा किया कि मानदेय उनके लिए आय का एक स्रोत है।

संबंधित पंचायती राज की महिला प्रमुख के बारे में पंचायती राज में सरकारी कर्मचारियों की धारणाओं को समझना

- विशेष अध्ययन के लिए चयनित पंचायती राज संस्थाओं में बयालीस सरकारी कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया।
- आधे सरकारी कर्मचारियों की राय है कि महिलाओं का कर्तव्य केवल परिवार की देखभाल करना ही नहीं है। वहीं, एक चौथाई प्रतिभागियों का मानना है कि यह पुरुषों और महिलाओं की आपसी जिम्मेदारी है।
- उनतीस सरकारी कर्मचारियों ने दावा किया कि पीआरआई अध्यक्ष वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक मांगों का प्रबंधन कर सकते हैं, जबकि एक चौथाई ने कहा कि वे इसे कभी-कभी संभाल सकते हैं।
- इकतीस सरकारी कर्मचारियों की राय है कि वर्तमान पीआरआई अध्यक्ष पिछले अध्यक्ष की तुलना में अधिक सक्रिय हैं; पांच ने उनमें समान विशेषताएं पाईं

पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख के रूप में कार्यरत महिलाओं के परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण:

- 150 परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से चालीस पति-पत्नी और बयालीस पीआरआई अध्यक्षों के 110 बच्चों या पति-पत्नी ने वर्तमान अध्ययन के हिस्से के रूप में बयालीस अलग-अलग केंद्रित चर्चाओं में भाग लिया
- अड़तीस पति-पत्नी ने दावा किया कि वे राजनीतिक दलों से संबंधित हैं

- पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी पत्नी की उपलब्धि पर एक को छोड़कर सभी पति-पत्नी गर्व महसूस कर रहे हैं
- सभी पति-पत्नी ने दावा किया कि उनकी पत्नियां कार्य-जीवन संतुलन को संतुलित कर रही हैं, जबकि 110 बच्चों या बच्चे के पति/पतियों में से बीस ने तर्क दिया कि मां तनावग्रस्त है और कार्य-जीवन संतुलन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं है।
- साक्षात्कार में सभी बच्चों या उनके जीवनसाथी ने घरेलू कामों में अपनी माँ की मदद करने का दावा किया, जबकि चालीस में से केवल सत्ताईस पतियों ने खाना पकाने में मदद करने का दावा किया
- इकतालीस परिवारों में, पीआरआई सदस्य पंचायत से संबंधित मामलों को साझा करते हैं, और परिवार उन्हें सुझाव देते हैं
- अड़तीस परिवारों ने पीआरआई सदस्यों के परिवहन में मदद का दावा किया।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की महिला मुखिया के बारे में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की धारणा को समझने के लिए अध्ययन किया गया:

- अध्ययन के लिए चयनित बयालीस पंचायतों से एक सौ पचास वार्ड प्रतिनिधियों (81 विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं) ने बयालीस विभिन्न फोकस समूह चर्चाओं में भाग लिया
- एक सौ एक प्रतिनिधियों ने दावा किया कि महिलाओं का कर्तव्य परिवारों की देखभाल करना नहीं है। वहीं, उनतालीस प्रतिभागियों को लगता है कि महिलाओं की जिम्मेदारी परिवार की देखभाल करना है।
- पचासी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि अध्यक्ष पंचायत की वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक मांगों का प्रबंधन करने में सक्षम है, जबकि 67 प्रतिनिधियों ने 'नहीं' का दावा किया।
- एक सौ सत्ताईस प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पिछले अध्यक्ष की तुलना में वर्तमान अध्यक्ष सक्रिय या अधिक सक्रिय हैं।
- अधिकांश प्रतिनिधियों ने कहा कि वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं, जबकि पचास से अधिक प्रतिभागियों ने ज्ञान और जुड़ाव और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का दावा किया
- अट्ठाईस प्रतिभागियों को छोड़कर, सभी प्रतिभागियों ने दावा किया कि अनुच्छेद 243 डी के माध्यम से पीआरआई में महिलाओं का आरक्षण एक अच्छा निर्णय था, जबकि पच्चीस ने अधिक आरक्षण मांगा।

निष्कर्ष

यह सभी स्वीकार करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण भारत में जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और महिलाओं के लिए आरक्षण ग्रामीण भारत की महिलाओं को राजनीतिक मंच पर लाने में सफल रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं निर्णय लेने को प्रभावित करने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में हों।

इससे पहले, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिनिधित्व के सार और प्रभावशीलता के संबंध में सवाल उठाए गए थे। स्थानीय समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाएं शायद ही कभी पंचायतों की प्रमुख थीं और व्यवस्था के भीतर आगे बढ़ने के लिए उन्हें निचले पदों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया है।

हालाँकि, पंचायतों की महिला सदस्यों को राजनीति के बारे में शिक्षित और सूचित करने की आवश्यकता थी: उनके अधिकार, भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, महिलाओं और वंचितों के लिए नीतियां और कार्यक्रम और मतदान अधिकार। स्थानीय शासन प्रणाली में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं में संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी नीतियों, सामाजिक कार्रवाई और आत्म-जागरूकता का एक संयोजन अंततः महिलाओं को मुख्यधारा की राजनीतिक शक्ति-साझाकरण और निर्णय लेने का हिस्सा बनने में परिणत करेगा।

34. अट्टापडी में अनुसूचित जनजातियों में बहुआयामी गरीबी आकलन

डॉ. जिविनी वी. कुरियन
डॉ ओमन जॉन

परिचय

आदिवासी लोग दुनिया की आबादी के प्रमुख हिस्सों में से एक हैं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे "आदिम, 'आदिवासी', 'देशज', 'आदिवासी', 'देशी' और इसी तरह। हर जाति, संप्रदाय, धर्म और जातीय समूह के लोग किसी न किसी आदिवासी समुदाय से विकसित हुए हैं। दूसरे शब्दों में, सभी जातियों और धर्मों के लोग जीवन के आदिवासी तरीके से गुजरे हैं। इतिहास एक आदिवासी जीवन शैली से सभ्य नागरिकों तक के विकास के शुरुआती साक्ष्य का गवाह है - सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा और मोहनजो-दारो) साबित किया कि घाटी में एक विकसित शहर संस्कृति थी जो भारत के आदिवासी लोगों और जनजातियों से विकसित हुई थी। आम तौर पर, आदिवासी शब्द उन जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता है जो प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं। "आदिवासी" शब्द दो शब्दों से बना है "आदि" और "वासी" और इसका अर्थ भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति या समुदाय है (खरटे, 2018)।

भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। भारत में प्रमुख जनजातियाँ गोंड, भील, संथाल, उराँव और मीना हैं। वे जंगल के साथ-साथ शहरी के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, और ज्यादातर अपनी भाषा बोलते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जनजातीय आबादी का बड़ा संकेन्द्रण है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी कई जनजातियों द्वारा बसा हुआ है, जैसे कि ग्रेट अंडमानी, सेंटिनलीज़, ओंगेस, जारवास, सोमपेन्स, आदि। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, 'जनजाति' शब्द लैटिन शब्द 'ट्रिबस' से लिया गया है। जो रोम के प्रारंभिक लोगों के तीन वर्गों पर लागू किया गया था। हालाँकि, यह शब्द बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरा है। इसका मतलब कई गुटों से बनी एक राजनीतिक इकाई से था।

जनजातीय मामला मंत्रालय के अनुसार, भारत की जनजातीय आबादी, 1961 की जनगणना के आधार पर, आदिवासियों की संख्या 3 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 10.5 करोड़ (2011 की जनगणना) हो गई

है। आज, आदिवासी समुदाय भारत में कुल जनसंख्या का 8.5 प्रतिशत हैं (चंद्रमौली 2013)। जनजातीय मामला मंत्रालय की स्थापना अक्टूबर 1999 में एक समन्वित और नियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सबसे वंचित वर्गों के एकीकृत, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी (जनजातीय मामलों का मंत्रालय 2018)। आठ प्रमुख राज्यों के समूह में 309 जनजातियाँ और सात राज्यों के समूह में 133 जनजातियाँ रहती हैं, जबकि 140 जनजातियाँ भारतीय संघ के शेष राज्यों में बिखरी हुई हैं।

तालिका 1 में आदिवासी आबादी दी गई है।

तालिका 1: भारत में जनजातीय जनसंख्या

वर्ष	जनजातीय जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय विकास दर
1951	19,111,498	5.29	41.19
1961	30,130,184	6.86	33.84
1971	38,015,162	6.94	24.80
1981	51,628,638	7.83	24.69
1991	67,658,638	8.08	23.79
2001	84,326,240	8.20	22.7
2011	10,43,000,00	8.61	23.7

स्रोत: 1951 से 2011 तक भारत की जनगणना, भारत सरकार।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की अनसुलझी समस्याएं

जबकि विभिन्न उपलब्धियों के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों द्वारा की गई प्रगति संतोष का विषय है, निम्नलिखित अनसुलझे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ बहुत अधिक कार्रवाई की जानी है, जो जनजातियों की स्थिति को बाकी आबादी के समकक्ष लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- i. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के कार्यक्रमों के बावजूद कम साक्षरता और ड्रॉपआउट दर, जो 1986 से प्रभावी संचालन में हैं
- ii. अपर्याप्त/पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवाएं

- iii. उच्च शिक्षा तक पहुंच का अभाव; आदिवासी छात्रों को प्रवेश, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी के समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है
- iv. पानी की आपूर्ति का अभाव
- v. सिंचाई सुविधाओं की कमी और संस्थागत ऋण सुविधाओं की कमी
- vi. परिवहन सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है
- vii. कमाने वाले सदस्यों की संख्या से आश्रितों की संख्या अधिक है
- viii. स्वास्थ्य समस्याएं - स्वास्थ्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और वे पर्याप्त और संतुलित आहार लेने में असमर्थ होते हैं
- ix. निरक्षरता के कारण बाहरी समुदायों द्वारा शोषण - कानूनों और अधिकारों के बारे में ज्ञान की कमी।

उद्देश्य

- जनजातीय मामला मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय उप योजना और स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, आदि के लिए अन्य योजनाओं द्वारा अपनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्रसार का आकलन करना।
- अट्टापडी में अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना
- सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए अग्रणी कारकों का अध्ययन करना
- उनके रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना और उनकी आजीविका वृद्धि के लिए विशेष नीतियां विकसित करना।

क्रियाविधि

यह अध्ययन अट्टापडी ब्लॉक में तीन ग्राम पंचायतों - अगली, पुदुर और शोलायूर की जनजातियों द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी के बहु-स्तरीय आयामों के आकलन पर केंद्रित है। नमूना आकार प्रत्येक समुदाय में बस्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करके डेटा संग्रह के लिए परिवारों को नमूना इकाई माना जाता है। गरीबी के विभिन्न आयामों का सामना करने

वाली उनकी जरूरतों की प्राथमिकता का आकलन करने के लिए प्रत्येक समुदाय के एक टोले में वरीयता रैंकिंग पद्धति का आयोजन किया गया था। विभिन्न गरीबी आयामों को संबोधित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के सूचना प्रसार का आकलन करने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए इन योजनाओं की पहुंच के संबंध में मुद्दों की पहचान करने के लिए पदाधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मुख्य सूचनाकर्ता साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।

नमूनाकरण विधि

यह अध्ययन मुख्य रूप से केरल के पालक्कड़ जिले के अट्टापडी ब्लॉक की अगली, पुदुर और शोलायूर ग्राम पंचायतों की आदिवासी बस्तियों में किए गए एक आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित है। नमूना परिवारों के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का उपयोग किया गया था।

जनसंख्या और नमूना

पालक्कड़ जिले में कुल 13 ब्लॉक पंचायतों में, आदिवासी बस्तियां अट्टापडी ब्लॉक की तीन पंचायतों में स्थित हैं। अट्टापडी की आदिवासी बस्तियां तीनों पंचायतों, अगली, पुदुर और शोलायूर में पाई जाती हैं। इन पंचायतों में इन बस्तियों का वितरण तालिका 2 में दिया गया है। कुल 186 बस्तियों में से, 29 बस्तियों को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (प्रत्येक स्तर से 13-18 प्रतिशत बस्तियों) का उपयोग करके तीन स्तरों से चुना गया था।

तालिका 2: जनजातीय समुदाय के आधार पर कुल बस्तियों [जनसंख्या] का विवरण।

	इरुला	कुरुम्बा	मुदुगा	कुल बस्तियाँ
अगली	53	---	18	71
पुदुर	42	19	5	66
शोलायूर	48	---	1*	49
कुल समुदाय	143	19	24	186

(स्रोत: एएचएडीएस, अगली)

तालिका 3: अध्ययन हेतु चुने गए नमूने का विवरण (4 परिवार/ बस्तियां)

	इरुला	कुरुम्बा	मुदुगा	बस्तियां	कुल परिवार
अगली	9	---	2	11	44
पुदुर	2	4	3	9	36
शोलायूर	9	---	---	9	36
कुल	20	4	5	29	116
कुल परिवार	80	16	20	116	

अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा पर आधारित था। अट्टापडी ब्लॉक में तीन आदिवासी समूहों (इरुला, कुरुम्बा और मुदुगा) के बीच किए गए एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। उत्तरदाताओं से एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके सामाजिक आर्थिक विवरण एकत्र किए गए थे। साक्षात्कार अनुसूची में दो भाग होते हैं। भाग एक गरीबी के बहु-स्तरीय आयामों के आकलन से संबंधित है, और भाग दो गरीबी के बहु-स्तरीय आयामों को मिटाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता के आकलन से संबंधित है।

एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी), केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) त्रिशूर, एसटी परिवारों पर एमजीएनआरईजीएस अट्टापडी रिपोर्ट, अट्टापडी की अट्टापडी हिल एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी (एएचएडीएस), जनगणना रिपोर्ट, केरल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास अध्ययन संस्थान (केआईआरटीएडीएस), और संबंधित किताबें एवं जर्नल से द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया था।

शोध उपकरण

वैश्विक एमपीआई बहुआयामी उपायों की एक नई पीढ़ी है जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रमुख प्राथमिकताओं का समर्थन करती है: किसी को पीछे न छोड़ने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन गरीबी निदान की आवश्यकता होती है। वैश्विक एमपीआई बच्चों, विकलांगता की स्थिति, उप-राष्ट्रीय क्षेत्रों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग है। विनाश और गंभीर गरीबी के जुड़े हुए सूचकांक सबसे गरीब लोगों को उजागर करते हैं। एसडीजी सभी संकेतकों के बीच परस्पर संबंधों के विश्लेषण की मांग करते हैं। वैश्विक एमपीआई ठोस घरेलू स्तर के बहु-आयामी गरीबी प्रोफाइल पर बनाया गया है। एसडीजी ने एकीकृत बहु-क्षेत्रीय नीतियों की वकालत की। वैश्विक एमपीआई राष्ट्रीय स्तर पर संकेतक द्वारा गरीबी की संरचना को दर्शाता है - और प्रत्येक अलग-अलग समूह के लिए - इस प्रकार नीति डिजाइन के लिए साक्ष्य प्रदान करता है।

2017 वैश्विक बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) दुनिया भर के **103** देशों के लिए गरीबी और इसकी संरचना का एक प्रमुख अनुमान प्रदान करता है। वैश्विक एमपीआई गरीबी की प्रकृति और तीव्रता को मापता है जो प्रत्येक गरीब व्यक्ति के अनुभवों के अतिव्यापी अभावों के प्रोफाइल के आधार पर होता है। यह इन्हें सार्थक सूचकांकों में एकत्र करता है जो लक्ष्यीकरण और संसाधन आबंटन और गरीबी के आपस में जुड़े आयामों से निपटने वाली नीतियों को डिजाइन करने की सूचना दे सकते हैं।

वर्तमान जांच भारतीय मामले के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होती है; सबसे पहले, गैर-आय पर आधारित गरीबी का विश्लेषण अट्टापडी जैसे आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जहां असंगठित और मौसमी नौकरियों की सीमा के कारण आय के आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं हैं।

बहु-आयामी गरीबी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए रूपरेखा

बहु-आयामी गरीबी विश्लेषण के लिए विचार किए गए विभिन्न आयाम हैं:

- शिक्षा
- खाद्य और पोषण सुरक्षा
- पीने के पानी की सप्लाई

- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा
- स्वच्छता
- आवास
- बिजली
- कृषि संपत्तियां, गैर-कृषि परिसंपत्तियां

एमडीपीआई दस संकेतकों से बने तीन आयामों से बना है। प्रत्येक संकेतक के साथ संतुष्टि का एक न्यूनतम स्तर जुड़ा होता है, जो अंतरराष्ट्रीय सहमति (जैसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य या एमडीजी) पर आधारित होता है। संतुष्टि के इस न्यूनतम स्तर को डेप्रिवेशन कट-ऑफ कहा जाता है। एमपीआई की गणना करने के लिए दो चरणों का पालन किया जाता है:

चरण 1: प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन घरेलू उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह प्रत्येक संकेतक में अभाव कट-ऑफ से नीचे है या नहीं। कट-ऑफ से नीचे के लोग उस सूचक में वंचित माने जाते हैं।

चरण 2: प्रत्येक व्यक्ति की कमी को संकेतक के वजन से तौला जाता है। यदि भारित अभावों का योग 33 प्रतिशत या संभावित अभावों से अधिक है, तो व्यक्ति को बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।

विक्षेपणात्मक ढांचा: प्रश्नावली/ साक्षात्कार अनुसूची, प्रमुख मुखबिर साक्षात्कार और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था। विक्षेपण के लिए नाममात्र/ अंतराल पैमाने का उपयोग करते हुए एक संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा। सभी जनसांख्यिकीय प्रश्नों को ओपन-एंडेड और क्लोज-एंडेड प्रश्नों का उपयोग करके नाममात्र के पैमाने के रूप में तैयार किया जाएगा। अंतराल पैमाने का उपयोग करके तैयार किए गए प्रश्नों से शोधकर्ता को गरीबी के आयामों के बारे में उत्तरदाताओं की वास्तविक राय का पता लगाने में मदद मिलेगी।

नाममात्र के पैमाने के लिए आवृत्ति वितरण जैसे बुनियादी अनुसंधान उपकरण का उपयोग किया जाएगा। परिणाम का पता लगाने के लिए गैरेट रैंकिंग तकनीक/पियर्सन के रैंक सहसंबंध का उपयोग किया जाएगा। इंटरवल स्केल (मीट्रिक स्केल) के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव के माप जैसे उपकरणों का

इस्तेमाल किया जाएगा। अनुसंधान परिकल्पना को सही ठहराने के लिए या तो क्रॉस-टेबलेशन, ची-स्क्वायर, जेड-टेस्ट या एनोवा का उपयोग किया जाएगा। बहु-आयामी गरीबी विश्लेषण के चर और सरकार की उद्धृत आदिवासी कल्याण योजनाओं के बीच काल्पनिक संबंध का पता लगाने के लिए पियर्सन सहसंबंध का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र

केरल, भारतीय संघ के 28 राज्यों में से एक, अरब सागर के तट पर सबसे दक्षिणी राज्य है। इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किमी (भारतीय भूमि का 1.18%) है, जिसमें 30 मिलियन लोग रहते हैं और यह 14 जिलों में विभाजित है। पश्चिमी घाट और इसकी परिधि केरल में जनजातीय लोगों का मुख्य निवास स्थान है। राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4,84,839 है, जो इसकी सामान्य जनसंख्या का 1.45 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। राज्य में 36 विभिन्न जनजातीय समुदाय हैं, जिनमें से पाँच आदिम जनजातियाँ हैं।

अध्ययन स्थल, अट्टापडी, घाट श्रृंखला के शिखर के ऊपर एक विस्तृत पर्वत घाटी है, जो लगभग 745 किमी² में फैली हुई है; यह राज्य में एक अनूठा स्थान है। यह केरल के मध्य-पूर्वी भाग और तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरि जिलों से सटे पलक्कड़ जिले के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है। यह मन्नारकाड तालुक के लगभग पूर्वी आधे हिस्से का निर्माण करता है और बाकी हिस्सों से एक कूबड़ जैसी, खड़ी पर्वत श्रृंखला से अलग होता है। क्षेत्र की उत्तरी और पूर्वी सीमा तमिलनाडु के नीलगिरी और कोयम्बटूर जिलों की ओर है। यह दक्षिण में पलक्कड़ तालुक, और मन्नारकाड तालुक के करिम्बा और पॉटिसरी और मन्नारकाड राजस्व गांवों और पश्चिम में मलप्पुरम जिले के एरनाड तालुक (जीओके, 1976) से घिरा है।

अट्टापडी ब्लॉक पंचायत में तीन ग्राम पंचायतें हैं - अगली, शोलायुर और पुदुर। अट्टापडी की आबादी में आदिवासी और गैर-आदिवासी शामिल हैं। तीन आदिवासी समुदाय कुरुम्बा हैं, जो अनिवार्य रूप से वन समुदाय हैं और उन्हें 'आदिम जनजाति', मुदुगा और इरुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अट्टापडी में 187 बस्तियां हैं जिन्हें 'ऊरस' के नाम से जाना जाता है, जो आदिवासियों और गैर-आदिवासियों दोनों के निवास स्थान हैं। वर्तमान अध्ययन में अट्टापडी जनजातियों का बहुआयामी गरीबी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन की स्थितियों में सुधार के लिए नीतियां विकसित करना है।

अट्टापडी में जनजातीय समस्याओं की तीव्रता

1962 में स्थापित अट्टापडी आदिवासी ब्लॉक, केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली के पूर्व में, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। 1901 में, यह क्षेत्र ज्यादातर जंगलों से घिरा हुआ था और विशेष रूप से पहाड़ी जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। वन कवरेज जो 1959 में 82 प्रतिशत था, 1996 में घटकर 19.7 प्रतिशत हो गया। जनजातीय आबादी का हिस्सा 1951 में 90 प्रतिशत से घटकर 2001 में 40.9 प्रतिशत हो गया। कुल जनसंख्या 4 प्रतिशत थी, जबकि सामान्य वर्ग की 55 प्रतिशत थी। 2001 के आंकड़ों के अनुसार, अट्टापडी में 66,171 लोग निवास करते हैं, जिनमें से 27,121 आदिवासी (40.9 प्रतिशत) थे। 27,121 आदिवासियों में से, 20,883 व्यक्ति (77 प्रतिशत) इरुला समूह (गैर-आदिम) के हैं, 3,487 व्यक्ति (13 प्रतिशत) मुदुगा समूह (गैर-आदिम) के हैं, और 2,755 व्यक्ति (10 प्रतिशत) संबंधित हैं कुरुम्बा समूह (आदिम)। कुल 8,585 आदिवासी परिवारों के साथ 189 आदिवासी बस्तियाँ हैं।

2013 में कुपोषण/ भूख के कारण शिशुओं की मृत्यु के कारण अट्टापडी ने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। 2014 में भी जारी रहने वाले बच्चों की मृत्यु के कारण यह फिर से एक अंधेरे छाया में गिर गया। 31 दिसंबर, 2014 तक के आंकड़े 22 बच्चों (सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13) की मौत और गर्भावस्था के दौरान 37 शिशुओं की मौत का खुलासा करते हैं। 2013 में, अट्टापडी से 47 शिशुओं की मौत की सूचना मिली थी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसके अलावा, त्रिस्तरीय पंचायत ने कुपोषण को खत्म करने के लिए 1.26 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। आदिवासी आबादी केरल के सामाजिक और आर्थिक विकास की विकास गाथा से बाहर रही। आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदिवासी इलाकों से जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन लोगों से इन कानूनों को लागू करने की उम्मीद की जाती है, वे लगातार उनका उल्लंघन करते हैं। अट्टापडी में शिशुओं की लगातार मौत इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रमाण है। नेहरू के पंचशील सिद्धांत आदिवासियों के अस्तित्व और विकास के लिए नीतिगत दृष्टिकोण का आधार थे, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से मुख्यधारा से अलग हो गए थे। जब हम पिछले छह दशकों की बैलेंस शीट की जांच करते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि वास्तविक स्थिति इससे बहुत अलग है।

निष्कर्ष

- पुरुष आबादी घट रही है
- भले ही उनमें से अधिकांश ने स्कूली शिक्षा के लिए दाखिला लिया था, केवल 3.5 प्रतिशत ने स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी
- 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 177 उत्तरदाताओं में से 18 ने वित्तीय समस्याओं, पढाई में रुचि की कमी, पारिवारिक जिम्मेदारी, स्कूल की लंबी दूरी और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ दिया था।
- 8.2 प्रतिशत व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है
- छह वर्ष से कम और 6-12 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का वजन सामान्य है, जबकि 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के 5.7 प्रतिशत का वजन कम है। जबकि 18-60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं, 34 प्रतिशत कम वजन की हैं और 18-60 वर्ष की आयु के पुरुष, 9.6 प्रतिशत कम वजन के हैं
- 116 परिवारों में से 15 सिकल सेल एनीमिया, तपेदिक और हृदय की समस्याओं/कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
- चौबीस प्रतिशत घरों में फर्श रेत और गोबर से बने हैं
- पीने के पानी के लिए 49.1 प्रतिशत घरों में उनके रहने के स्थान तक पाइप की सुविधा है
- 13.8 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, जबकि शेष परिवार खाना पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी के साथ मिट्टी के तेल/वन गैस/एलपीजी जैसे विभिन्न ईंधनों का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने वाले परिवार 4.3 प्रतिशत हैं
- 84.5 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है, जबकि 15.5 प्रतिशत के पास नहीं है। अन्य पंचायतों की तुलना में शोलायुर पंचायत में अधिक संख्या में घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है
- कुल 116 परिवारों में से 66 परिवारों के पास कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि है। अन्य समुदायों की तुलना में मुदुगा समुदाय के अधिक परिवारों के पास कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि है
- 116 परिवारों में से 70 (60 प्रतिशत) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में शामिल करने के लिए उत्तरदाताओं को शामिल किया है। इनमें से केवल 28 परिवार (40 प्रतिशत) सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और शेष 42 परिवार (60 प्रतिशत) किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में पंजीकृत नहीं हैं।

- 116 परिवारों में से, 102 परिवारों में महिला सदस्यों (88 प्रतिशत) ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं में नामांकन किया है, और शेष 14 परिवारों (12 प्रतिशत) के पास सदस्यता नहीं है।
गोत्र कुदुम्बश्री और आदिवासी महिला शक्तिकरण योजना में उनकी सदस्यता है।

ची-स्क्वायर विश्लेषण से निष्कर्ष

- निष्कर्ष सर्वेक्षण इंगित करता है कि जेंडर और नौकरी के बीच कोई संबंध नहीं है
- निष्कर्ष इंगित करता है कि समुदाय और खाना पकाने के ईंधन जैसे बिजली, एलपीजी, बायोगैस, मिट्टी के तेल, लकड़ी के पाउडर, लकड़ी के उपयोग के बीच एक संबंध है
- निष्कर्ष इंगित करता है कि समुदाय और शिक्षा के बीच संबंध है
- निष्कर्ष से पता चलता है कि समुदाय और महिलाओं एवं पुरुषों के स्वास्थ्य के बीच संबंध है
- निष्कर्ष इंगित करता है कि समुदाय और नौकरी के बीच संबंध है
- निष्कर्ष इंगित करता है कि समुदाय और बिजली, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, साइकिल, मोटर-बाइक, वाहन, कृषि भूमि जैसे संपत्तियों के बीच संबंध है
- निष्कर्ष से पता चलता है कि समुदाय और स्वच्छता/ शौचालय सुविधा के बीच संबंध है
- निष्कर्ष से पता चलता है कि शिक्षा और घर की छत, घर के फर्श, जमीन या पुरुषों के स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध नहीं है। शिक्षा और नौकरी, एलपीजी के उपयोग, शौचालय की सुविधा या महिलाओं के स्वास्थ्य के बीच संबंध है।

निष्कर्ष

बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में घरेलू स्तर पर कई अभावों की पहचान करता है। यह अध्ययन अट्टापडी में आदिवासी परिवारों के इन तीन संकेतकों के बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन पर केंद्रित है। अध्ययन से पता चलता है कि अट्टापडी में तीन समुदायों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में कमी मौजूद है। कुरुम्बा समुदाय में, अधिक महिलाएं कम वजन की हैं, जबकि मुदुगा समुदाय में अधिक पुरुष कम वजन के हैं। सभी समुदायों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 12 साल तक कोई भी बच्चा कम वजन का नहीं होता है, जो एक अच्छा संकेत है, लेकिन 12 साल के बाद कम वजन की समस्या शुरू हो जाती है।

बुनियादी ढांचे के संबंध में, सभी समुदायों को स्थायी घरों, स्वच्छता सुविधा, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, बिजली कनेक्शन, कृषि के लिए भूमि की कमी आदि की कमी का भी सामना करना पड़ता है। कुरुम्बा

समुदाय अन्य दो समुदायों की तुलना में बिजली कनेक्शन के मामले में अधिक अभाव का सामना करता है। अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षा और घर की छत, घर के फर्श, भूमि या पुरुषों के स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध नहीं है और शिक्षा और नौकरी, एलपीजी के उपयोग, शौचालय सुविधा या महिलाओं के स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध है। इसका मतलब यह है कि भले ही वे शिक्षित हैं, उनके बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया जाएगा, यह दर्शाता है कि शिक्षा एलपीजी, स्वच्छता और महिलाओं के बीएमआई के उपयोग को प्रभावित करती है।

अध्ययन गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता पर भी केंद्रित है। विश्लेषण और निष्कर्ष सर्वेक्षण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अट्टापडी में अनुसूचित जनजातियों को सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन के बावजूद विभिन्न आयामों में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं और उन विभिन्न कल्याणकारी पहलों से अनभिज्ञ होते हैं जो उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ बनाती हैं। लगभग सभी बस्तियों में समस्याएं अनसुलझी हैं।

बार-बार वितरण, क्रॉस-सारणी और ची-स्क्वायर विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण यह साबित करते हैं कि परिकल्पना 1: अट्टापडी में अनुसूचित जनजातियां सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन के बावजूद विभिन्न आयामों में गरीबी का सामना कर रही हैं और परिकल्पना 2: अट्टापडी में अनुसूचित जनजातियां अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। परिकल्पना 3: जैसा कि अट्टापडी में अनुसूचित जनजाति ऊपर उल्लिखित विभिन्न कल्याणकारी कार्यों से अनभिज्ञ हैं, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं, उन्हें भी स्वीकार किया जा सकता है। प्रश्नावली भाग I और भाग II के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर किए गए सांख्यिकीय विश्लेषण से परे, तीन समुदायों के तीन बस्तियों में आयोजित वरीयता रैंकिंग विश्लेषण भी सांख्यिकीय विश्लेषण का समर्थन करता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का विश्लेषण कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कुछ कठिनाइयों को भी बताता है। विश्लेषण से पता चलता है कि भले ही विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया हो, कुछ को क्षेत्र/क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाना है।

35. कोलासिब जिला, मिजोरम, भारत में झूम कृषि और नल खेती (नदी तट पर मौसमी खेती) की वार्षिक भूमि उत्पादकता के बीच तुलनात्मक अध्ययन

जेड.आर. थफाला, प्रिंसिपल, ईटीसी, एसआईआरडीपीआर, कोलासिब, मिजोरम
डॉ.लल्लुइतलुआंगी सैलो, कोर संकाय (पशु चिकित्सा), एसआईआरडीपीआर
लल्यनमावियाराल्ते, प्रिंसिपल, ईटीसी, एसआईआरडीपीआर, थिंगसुल्थिलिया, मिजोरम

झूम कृषि /झूमिंग मिज़ो लोगों का पारंपरिक पद्धति है जिसमें एक वर्ष के लिए फसल की खेती के लिए जंगलों को काटना और जलाना शामिल है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों में खेती की एक हालिया पद्धति उभर रही है जिसे नल खेती (नदी के किनारे पर मौसमी खेती) कहा जाता है, जिसके लिए आठ महीने की देखभाल की आवश्यकता होती है, इसका उपयोग स्थानांतरित खेती और शून्य खेती के बीच आर्थिक क्षमता की तुलना और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

उद्देश्य:

- i. झूम कृषि और नल कृषि पद्धति की उत्पादकता का अध्ययन करना
- ii. झूम कृषि और नल कृषि के लिए लागत-लाभ अनुपात (बीसीआर) प्राप्त करना
- iii. झूम कृषि और नल कृषि के संबंध में खेती प्रणाली/ पैटर्न की अर्थव्यवस्था और प्रभावकारिता का विश्लेषण करना।

इस अध्ययन के लिए, एनआईआरडीपीआर द्वारा 40 किसानों का नमूना आकार निर्धारित किया गया था; 20 किसानों ने झूम खेती करने वालों का प्रतिनिधित्व किया और बाकी नल खेती करने वालों का अध्ययन दोनों प्रणालियों के लिए 0.2 से 1.0 हेक्टेयर तक खेती वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। झूम खेती में शुद्ध उत्पादकता 5,012.50 रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 20,125.00 रुपये प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 12,498.00 रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच है, जबकि नल खेती में 28,462.50 रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 82,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की उच्च शुद्ध उत्पादकता है और औसत उत्पादकता रु. 43,132.00 प्रति हेक्टेयर है। और झूम खेती का प्रति हेक्टेयर लागत-लाभ अनुपात 1.46 प्रति हेक्टेयर के औसत बीसीआर के

साथ 1.18 से 1.79 के बीच है, और लागत-लाभ अनुपात प्रति हेक्टेयर 1.56 से 2.05 के बीच नल खेती के लिए 1.86 प्रति हेक्टेयर के औसत बीसीआर है।

प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके, यह माना जाता है कि सभी उत्तरदाताओं के खेती वाले क्षेत्रों के लिए उच्च शुद्ध उत्पादकता के साथ-साथ बीसी अनुपात प्राप्त करके झूम खेती की तुलना में नल खेती उच्च प्रभावकारिता वहन कर रही है। कठोर सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से, हमें झूम खेती के लिए खेती वाले क्षेत्र और बीसी अनुपात के बीच सहसंबंध गुणांक - 0.31 और नल खेती के लिए 0.33 के रूप में प्राप्त होता है, जबकि झूम खेती के लिए क्षेत्र और शुद्ध उत्पादकता के बीच सहसंबंध गुणांक - 0.17 है और वह नल खेती के लिए 0.20 है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करता है कि उत्पादकता या बीसी अनुपात और खेती की भूमि के जमीनी क्षेत्र के बीच कोई मजबूत संबंध नहीं है, जब तक कि अन्य सभी कारकों को आगे के अध्ययन द्वारा ध्यान में नहीं रखा जाता है।

भले ही नल खेती केवल सब्जियां देती है, जबकि झूम कृषि में सब्जियों, अनाज और अनाज की व्यापक किस्मों का उत्पादन होता है, और जबकि दोनों खेती के तरीके मिश्रित फसल से क्रमिक फसल के साथ रिले फसल के लिए अलग-अलग होते हैं, खेती के लिए आवश्यक अवधि के बीच अलग-अलग उत्पादकता के लिए इनपुट लागत के साथ-साथ आउटपुट लागत में पर्याप्त अंतर के परिणामस्वरूप दिखाई देने वाले क्षेत्र में एक बड़ा अंतर होता है। यहां, यह देखा गया है कि शून्य खेती का प्रति हेक्टेयर उत्पादक और बीसी अनुपात झूम खेती की तुलना में अधिक है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा शून्य खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज, पौध, प्रशिक्षण, क्षेत्र का दौरा, जागरूकता जैसी तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। अभियान, कीट और रोग के हमले के लिए कम अवधि, बरसात के मौसम के बीतने के कारण कम खरपतवार की समस्या, सर्दियों के मौसम में अनुकूल वातावरण और शून्य खेती से उत्पादित बे-मौसमी सब्जियों के लिए बेहतर कीमत।

अनेक स्थलों के दौरे और किसानों के साथ खुली बातचीत के आधार पर यह पाया गया है कि झूम खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत फसल किस्म, बाजार मांग आधारित फसल चयन, कृषक समाज का गठन और भूमि नियंत्रण/भूमि जोत पैटर्न आवश्यक हैं, जबकि फसल शून्य खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विविधीकरण, बाजार विनियमन और कृषक समाज के गठन की सिफारिश की गई है।

यह भी सुझाव दिया जा सकता है कि विस्तृत मूल्य नियंत्रण, मृदा और जल संरक्षण, कीट और रोग प्रबंधन, किसान प्रशिक्षण, बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी, पानी की आपूर्ति, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा और कृषि क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति जैसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता अध्ययन क्षेत्र में स्थायी और सफल खेती के लिए कृषि जनता के उत्थान के लिए इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

36. कोलासिब जिले के विशेष संदर्भ में मिजोरम में ऑयल पाम आयल उत्पादन की समस्याएं और संभावनाएं

श्री क्वालसियामथांगाख्वालरिंग, वरिष्ठ मुख्य संकाय
डॉ मार्गरेट लालबियात्वांगी, वरिष्ठ मुख्य संकाय, (आरडी)
एसआईआरडीपीआर, मिजोरम

परिचय

भारत में लगातार बढ़ती मांग और खाद्य तेल के बढ़ते आयात के साथ, भारत सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ताड़ के तेल की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया। ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम (ओपीडीपी) वर्ष 1991-92 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (1986) के तहत शुरू किया गया था और बाद में 2004-05 में तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का (आईएसओपीओएम) की एकीकृत योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत ताड़ के तेल की खेती के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए 2011-12 में ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन (ओपीएई) शुरू किया गया था। ओपीडीपी 2014-15 से राष्ट्रीय तिलहन और तेल ताड़ मिशन (एनएमओओपी) के मिनी मिशन II के तहत जारी है।

मिजोरम में कुल 1,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ताड़ के संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। राज्य में 2005-06 में आईएसओपीओएम के तहत ओपीडीपी की शुरुआत हुई थी। मिजोरम ऑयल पाम (उत्पादन और प्रसंस्करण का विनियमन) अधिनियम, 2004 को 2 दिसंबर, 2004 को मिजोरम विधान सभा में बीज आपूर्ति और उत्पादों के विपणन के लिए एक अनुबंध प्रणाली के उद्भव के प्रावधान के साथ पारित किया गया था।

वर्तमान अध्ययन असम की सीमा से लगे मिजोरम के सबसे उत्तरी जिले कोलासिब जिले से संबंधित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,472.2 km² या 17,55,000 हेक्टेयर है। ऑयल पॉम की खेती के लिए संभावित क्षेत्र 17,350 हेक्टेयर है, जो 18500 हेक्टेयर के साथ ममिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह जिला ठेका कंपनी, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के दायरे में आता है, जिसने पहले से ही बुकवन्नी में पाम ऑयल मिल की स्थापना की थी, और ताड़ के तेल की निकासी 2014 में शुरू हुई थी।

उद्देश्य:

1. छोटे और सीमांत किसानों पर सरकारी योजनाओं और नीतियों, विशेष रूप से मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना
2. मिजोरम में ताड़ के तेल उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना
3. ताड़ के तेल की लाभदायक खेती के उपाय सुझाना।

परिकल्पना:

1. ताड़ के तेल की सफल खेती में आर्थिक तंगी मुख्य बाधा है
2. किसानों के शैक्षिक स्तर का तेल ताड़ की खेती के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है
3. कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र और क्रियाविधि :

अध्ययन क्षेत्र में कोलासिब जिले के दो आरडी ब्लॉक शामिल हैं, जैसे थिंगडॉल और बिलखावथलीर आरडी ब्लॉक। वास्तविक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण के दौरान चयनित गांवों में एफजीडी और पीआरए भी आयोजित किए गए। मार्च से जून 2018 तक साक्षात्कार कार्यक्रम का उपयोग करके एक सर्वेक्षण आयोजित करके यादृच्छिक रूप से चयनित नमूनों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। 185 नमूनों पर विश्लेषण किया गया था, जो 2017 के दौरान ताड़ के ताजे फलों के गुच्छे की कटाई कर रहे थे। सर्वेक्षण और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा माध्य, प्रतिशत, मानक विचलन आदि जैसे सांख्यिकीय उपायों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। प्रस्तावित परिकल्पनाओं को साबित करने के लिए टी-टेस्ट, रिग्रेशन और जेड-टेस्ट जैसे सांख्यिकीय विश्लेषणों को अपनाया गया था। अध्ययन क्षेत्रों में तेल ताड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं, जिसमें उत्पादकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, भू-स्वामित्व की स्थिति, खेती के तरीके, समस्याओं और उत्तरदाताओं की सामान्य धारणाओं का विश्लेषण किया गया था।

निष्कर्ष :

क) सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल:

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया था जहां कोलासिब जिले में ताड़ के किसानों की औसत आयु 59 वर्ष थी जो नाइजीरिया के इमो राज्य में 45.87 वर्ष (ओनोह एट अल. 2012) और डेल्टा राज्य, नाइजीरिया में 46 वर्ष (अजीह 2013) से अधिक थी। इससे पता चलता है कि किसान

अपेक्षाकृत वृद्ध थे और आर्थिक रूप से उत्पादक आयु वर्ग से ऊपर थे। युवा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताड़ के तेल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तक्षेप किए जाने चाहिए।

185 उत्तरदाताओं के परिवारों की कुल 1043 जनसंख्या में से 544 (52.16 प्रतिशत) कार्यरत जनसंख्या तथा 499 (47.84 प्रतिशत) आश्रित थे। नमूना घरों की कुल आबादी में महिला श्रमिकों की संख्या 23.49 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की संख्या 28.67 प्रतिशत अधिक थी। अगर ठीक से जुटाया जाता तो कामकाजी आबादी के उच्च प्रतिशत ने तेल ताड़ की खेती के विकास के लिए एक अच्छा दायरा बनाया होता।

96.76 प्रतिशत की उच्च साक्षरता के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि किसान उचित प्रशिक्षण के साथ आसानी से कृषि प्रबंधन की तकनीक सीखेंगे और ताड़ के तेल की उपज में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। विवाहित व्यक्तियों में 80.54 प्रतिशत शामिल थे, और अन्य अविवाहित (4.87 प्रतिशत), तलाकशुदा (4.32 प्रतिशत) और विधवा या विधुर (10.27 प्रतिशत) थे।

एएवाई परिवारों में केवल 3.80 प्रतिशत शामिल थे, बीपीएल में 27.60 प्रतिशत शामिल थे, और अधिकांश एपीएल में 68.60 प्रतिशत शामिल थे। भूमि बंदोबस्त प्रमाण पत्र केवल 6.50 प्रतिशत के पास था, 46.50 प्रतिशत के पास आवधिक पट्टा था, अधिकांश किसानों (45.90 प्रतिशत) के पास ग्राम परिषद पास था, और उनमें से 1.10 प्रतिशत दूसरों से भूमि पट्टे पर ले रहे थे। चुने गए 185 किसानों की कुल भूमि का औसत क्षेत्रफल 7.38 हेक्टेयर है, जबकि ताड़ के तेल की खेती का औसत क्षेत्रफल केवल 2.48 हेक्टेयर था।

ख) कृषि आदान और अभ्यास:

सैंपल ऑयल पॉम किसानों में से 68.10 प्रतिशत उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, जिनकी आपूर्ति रियायती दर पर की जाती थी। उनमें से कई ने उर्वरकों का प्रयोग बंद कर दिया है क्योंकि रियायती दर पर आपूर्ति रोक दी गई थी। केवल 13.50 प्रतिशत सिंचाई का अभ्यास किया गया था। शाकनाशी का उपयोग 58.90 प्रतिशत और कीटनाशकों का उपयोग केवल 11.40 प्रतिशत किया गया। इंटरक्रॉपिंग 56.8 प्रतिशत द्वारा अभ्यास किया गया था। इनपुट के अनुप्रयोग में सुधार के लिए बहुत जगह है।

ग) ताड़ के तेल की खेती का अर्थशास्त्र:

इस अवधि के दौरान 185 नमूना उत्पादक एफएफबी का उत्पादन कर रहे थे, और पाम ऑयल की खेती के लिए कुल क्षेत्रफल 459.40 हेक्टेयर था, जबकि औसत ऑयल पाम खेती का क्षेत्र 2.48 हेक्टेयर प्रति उत्पादक था। पाम ऑयल विकास योजना से पौधारोपण निःशुल्क उपलब्ध कराया गया तथा स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव लागत पर अनुदान चार वर्ष की आयु तक वृक्षारोपण के लिए दिया गया।

क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रति हेक्टेयर वार्षिक रखरखाव लागत केवल 19,435.00 रुपये थी। ताड़ के ताजे फल मिल को रु. 5.50 दर प्रति किलोग्राम 2014 में तय की गई थी। औसत उत्पादन 44.06 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 4.41 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर था, जो अभी भी बहुत कम था (आंध्र प्रदेश में 3-10 वर्ष की आयु के वृक्षारोपण के लिए 15 मीट्रिक टन – राव 2013)। हालांकि, एफएफबी की बिक्री अभी भी कम होकर 41.73 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जिसका कारण कंपनी द्वारा संग्रह न करना या अस्वीकार करना था। किसानों ने 392 क्विंटल एफएफबी की कुल मात्रा को संसाधित किया, जिसे कंपनी द्वारा एकत्र या अस्वीकार नहीं किया गया था, और प्रति हेक्टेयर औसत सकल वार्षिक आय केवल रुपये 24,659.00 थी।

ऑयल पाम से प्रति व्यक्ति सकल वार्षिक आय उत्तरदाताओं की कुल प्रति व्यक्ति सकल वार्षिक आय का केवल 21.27 प्रतिशत थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऑयल पाम का उपयोग केवल किसानों द्वारा आय के सहायक स्रोत के रूप में किया जाता था। ताड़ के तेल की खेती का वर्तमान लागत-लाभ अनुपात 1.27 था, और जब सभी पौधे परिपक्व हो जाते हैं, तो यह बढ़कर 1.59 हो जाने की उम्मीद है।

घ) ताड़ तेल की खेती का सांख्यिकीय विश्लेषण और किसानों के सामने आने वाली समस्याएं:

एफएफबी की फसल पर सामाजिक-आर्थिक कारक और मनरेगा और एनएलयूपी/ एनईडीपी जैसी सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया और परिकल्पना को साबित करने के लिए रिग्रेशन मॉडल और एनोवा का उपयोग करके विश्लेषण किया गया। एफएफबी की उपज पर मनरेगा और एनएलयूपी/ एनईडीपी का प्रभाव सकारात्मक था लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था।

पॉम ऑयल किसानों की समस्याओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि सैंपल लिए गए किसानों में से केवल 38 प्रतिशत को ही वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि मुख्य समस्या नहीं थी। इसलिए, परिकल्पना संख्या 1: "सफल ऑयल पॉम की खेती के लिए वित्तीय बाधा मुख्य बाधा है", खारिज कर दी जाती है।

परिकल्पना संख्या 2: "किसान के शिक्षा स्तर का तेल ताड़ की खेती करने वाले के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है" को एफ (1,183) = 1.884, $p = .174 > .05$ के साथ $R^2 = .010$ के साथ खारिज कर दिया जाता है, जहां परिवर्तन शिक्षा स्तर से फसल में केवल एक क्विंटल का परिवर्तन होगा, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ब्राउन-फोर्सिथे और वेल्च परीक्षणों का उपयोग करके, परिणाम $F = 10.514, p = .003$ था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रशिक्षित और गैर-प्रशिक्षित किसानों की फसल के बीच काफी अंतर था। इस प्रकार, परिकल्पना संख्या 3: "प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है", स्वीकार किया जाता है।

हालांकि, परिवहन की समस्याएं, जानवरों के हमले और एफएफबी की कम कीमत मुख्य समस्याएं थीं, जो किसानों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर रही थीं।

निष्कर्ष

एक नए वृक्षारोपण के लिए जाने के बजाय, यह सुझाव दिया जाता है कि वृक्षारोपण के लिए पहले से आबंटित भूमि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मृत पौधों (अंतराल को भरने) को जानवरों के हमले से सुरक्षा के साथ बदल दिया जाए। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि अछूते जंगलों को काटकर कोई नया पौधारोपण नहीं किया जाना चाहिए; अपितु अवक्रमण प्रक्रिया को उलटने और पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने के लिए अवक्रमित भूमि का उपयोग किसी नए वृक्षारोपण के लिए किया जाना चाहिए।

गोदरेज एग्रोवेट प्रा. लिमिटेड बुकवन्नी गांव में अपनी ताड़ के तेल मिल में जैव-उर्वरकों के निर्माण के लिए उप-उत्पादों को संसाधित करने की योजना बना रहा है, जो एक अच्छी पहल है और मशरूम की

खेती के साथ-साथ पशु आहार के उत्पादन के लिए भी सामग्री का उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

परिवहन प्रणाली में सुधार, जिसमें खेतों तक एक नई पहुंच सड़क का निर्माण शामिल है, जहां अब तक वाहन नहीं पहुंचा जा सकता था और मौजूदा संपर्क सड़क की मरम्मत की जा रही है ताकि बारिश के मौसम (पीक सीजन) के दौरान भी एफएफबी के निर्बाध परिवहन के लिए इसे एक बारहमासी सड़क बनाया जा सके जो किसानों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा।

एफएफबी के मूल्य में ऊपर की ओर संशोधन निश्चित रूप से इसे किसानों के लिए एक व्यवहार्य गतिविधि बना देगा। यह, परिवहन प्रणाली में सुधार के अलावा, ऑयल पॉम के सभी ताजे फलों के गुच्छों की कटाई सुनिश्चित करेगा, जिससे मिल को अधिक एफएफबी की आपूर्ति होगी। मिल, वर्तमान में, एफएफबी आपूर्ति की कमी के कारण अपनी क्षमता से बहुत कम रेंज में काम कर रही है। यह कंपनी और किसानों दोनों के लिए फायदे की स्थिति होगी। किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए अपने खेतों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को अधिक महत्व दिया जा सकता है।

किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने से राज्य में ताड़ के तेल की खेती एक आकर्षक नौकरी बन जाएगी और अधिक से अधिक युवाओं को उद्योग की ओर आकर्षित करेगी।

37. सामुदायिक स्वस्थता और स्वच्छता में पुकपुई गांव को अपनाने के लिए कार्रवाई अनुसंधान

डॉ. एम.एस. डौंगलियानी, प्राचार्य,
आर. लालमिंगमाविया, संकाय
एफ वनलालजामा, संकाय
जॉन लालमुआंकिमा, संकाय
ईटीसी, पुकपुई, लुंगलेई जिला, मिजोरम

परिचय

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता काफी हद तक पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता और उचित स्वच्छता पर निर्भर करती है। जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। असुरक्षित पेयजल का सेवन, मानव मल का अनुचित निपटान, अनुचित पर्यावरणीय स्वच्छता और व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता की कमी विकासशील देशों में कई बीमारियों के प्रमुख कारण रहे हैं। इसलिए, स्वच्छता जीवन की गुणवत्ता के बुनियादी निर्धारकों में से एक है। उचित स्वच्छता अभ्यास पानी और मिट्टी के संदूषण को रोकता है और इस प्रकार बीमारियों को रोकता है। इसलिए, स्वच्छता की अवधारणा को व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, सुरक्षित जल, कचरा निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट जल निपटान को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत का शुभारंभ करते हुए कहा, "एक स्वच्छ भारत 2019 में महात्मा गांधी को उनकी 150 वीं जयंती पर सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।" स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देना और 2019 तक भारत में खुले में शौच को खत्म करना। तीन साल बाद, स्वच्छ भारत अभियान की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 550 मिलियन लोग 2014 तक खुले में शौच कर रहे थे; 250 मिलियन अब खुले में शौच नहीं करते हैं। स्वच्छता कवरेज पहले ही अक्टूबर 2014 में 42 प्रतिशत से बढ़कर मई 2017 में 60 प्रतिशत हो गया है। भारत सरकार ने फरवरी 2020 में एसबीएम (जी) के चरण- II को मंजूरी दी। पूरे देश में इस कार्यक्रम के बहुआयामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी राशि का निवेश किया

गया है। इस कार्यक्रम में जन जागरूकता अभियानों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से लोगों में व्यवहार परिवर्तन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

सामान्य तौर पर, मिज़ो लोगों की मिज़ो जनजातीय संस्कृति और परंपरा के प्रति गहरी भावनाएँ हैं जो तब तक प्रचलन में रही हैं जब तक मिज़ो इतिहास हमारे पूर्वजों के पास जाता है, जिसमें समुदाय और व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य ने हर गाँव में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। अध्ययन ने पहले सामुदायिक स्वच्छता और स्वस्थता के वर्तमान अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया, इसके बाद हस्तक्षेप और सामुदायिक गतिशीलता के साथ सुधार के लिए डिजाइन या योजना बनाई गई। अध्ययन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि समुदाय के नेता इस परियोजना में सामाजिक लामबंदी और स्वैच्छिक कार्यों में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। ईटीसी को जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरक पहलुओं को पूरा करने का काम सौंपा गया था।

परियोजना गांव में गैर सरकारी संगठनों की रूपरेखा

इस गांव का सबसे प्रमुख एनजीओ यंग मिज़ो एसोसिएशन (वाईएमए) है। सभी वयस्क, चाहे वे किसी भी जेंडर के हों, इस एनजीओ के सदस्य हैं। वाईएमए मिज़ोरम का सबसे महत्वपूर्ण एनजीओ है। दुर्घटनाओं या आपदाओं आदि में अंत्येष्टि, खोज और बचाव कार्यों जैसे सभी स्वैच्छिक कार्यों का हर गांव में वाईएमए द्वारा ध्यान रखा गया है। इस शोध कार्य के मामले में, यह दृढ़ विश्वास था कि वाईएमए व्यवहार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा; सामुदायिक लामबंदी और सामाजिक कार्य, जो स्वैच्छिक हैं, वाईएमए को सौंपे जाने हैं।

अगला महत्वपूर्ण एनजीओ मिज़ो उपा पावल (एमयूपी) है, यानी मिज़ो एल्डर्स एसोसिएशन, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। इस एनजीओ से शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाले कार्यों या गतिविधियों में योगदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि उनकी बुद्धि और प्रभाव के साथ सामुदायिक लामबंदी की जाती है।

तीसरा महत्वपूर्ण एनजीओ है मिज़ो हमीचे इंसुइहखौम पावल (एमएचआईपी), यानी मिज़ो महिला संघ। इस महिला संघ ने स्वेच्छा से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस एनजीओ से घरेलू स्तर पर शोध में भाग लेने की उम्मीद की जाती है, जिसमें सदस्यों की भूमिका गृहिणी होती है। महिला सदस्यों की सक्रिय

भागीदारी के माध्यम से घरेलू स्तर पर सभी स्वच्छता सिद्धांतों और अच्छी प्रथाओं को प्राप्त किया जा सकता है। मिजोरम में ये तीन प्रमुख एनजीओ हैं; प्रत्येक राज्य भर में हर गांव में एक समान भूमिका निभाता है।

इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक स्वच्छता और स्वस्थता में पुकपुई गांव के अभिग्रहण के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य अनुसंधान प्रस्तावित किया गया था:

उद्देश्य

- क. प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में सामुदायिक स्वच्छता और स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना और अध्ययन के पहले चरण के रूप में लोगों की भागीदारी के साथ उक्त क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप और कदम उठाने के लिए काम करना।
- ख. समुदाय के लिए स्वैच्छिक सामाजिक कार्य के महत्व को पहचानना और स्थानीय समुदाय को समुदाय और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में प्रेरित करना, और सामुदायिक गतिशीलता और जागरूकता सृजन के माध्यम से क्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों के संबंध में परिवर्तन लाने में व्यक्तिगत भूमिकाओं को बढ़ाना।
- ग. हस्तक्षेपों और सामुदायिक लामबंदी के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को देखें और सबसे सुविधाजनक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो संशोधित करें।

क्रियाविधि :

अध्ययन क्षेत्र का विवरण, इस क्रियात्मक शोध में अपनाए गए कदम और मुख्य निष्कर्ष और प्रमुख सुझावों को संक्षेप में नीचे रेखांकित किया गया है:

सरल प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग करके सर्वेक्षणों और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया।

फोकस समूह चर्चा (एफजीडी): अनुसंधान के प्रारंभिक और अंतिम चरणों में प्रमुख गैर सरकारी संगठनों और ग्राम परिषद सदस्यों (ग्राम पंचायत) के नेताओं के साथ एफजीडी दो बार आयोजित किया गया था। प्रथम एफजीडी में, क्रियात्मक शोध में उठाए जाने वाले उद्देश्यों और कदमों के बारे में बताया गया और उनके

सहयोग को आमंत्रित किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की और महसूस किया कि घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर उचित उपाय किए जाने चाहिए।

यह बताया गया कि गाँव में सार्वजनिक उपयोग के लिए बारह सार्वजनिक मूत्रालय और एक शौचालय है। गाँव में लगभग 60 सामुदायिक कूड़ेदान वाईएमए द्वारा बनाए गए थे और वाईएमए के तीनों वर्गों में समान रूप से वितरित किए गए थे। वाईएमए के सदस्यों और आस-पास रहने वाले परिवारों को जब भी आवश्यक हो, इन सुविधाओं के रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया था। ग्राम स्वच्छता समिति ने गलियों व नालों की सफाई के प्रचार-प्रसार का कार्य किया। यह बताया गया कि गाँव के बाजार में कोई सार्वजनिक सुविधा नहीं है, और वीसीएस या वीसी ने स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया है।

कार्य योजना:

एक व्यापक चर्चा के बाद, एक कार्य योजना तैयार की गई, और ईटीसी और समुदाय के नेताओं (वीसी, एनजीओ) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं तय की गईं। ईटीसी स्कूल और समुदाय के लिए स्वच्छता और स्वस्थता अभियान और प्रशिक्षण चलाएगा। सामुदायिक नेता अन्य मदों को संबोधित करेंगे, जैसे घरेलू पशुओं पर प्रतिबंध, उदा. कुत्तों, बकरियों आदि को मौजूदा नियमों और विनियमों को बनाए रखते हुए गांव के भीतर घरेलू पशुओं को पालने वाले परिवारों के साथ बातचीत करके अपने पशु आश्रयों को सड़क के किनारे से दूर अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कहना। समुदाय के नेता घरेलू बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट संग्रह के लिए कम्पोस्ट पिट निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि वाले परिवारों के लिए अभियान भी चलाएंगे और सामुदायिक स्वच्छता और स्वस्थता में स्वैच्छिक सामाजिक कार्य शुरू करेंगे।

डेटा संग्रहण:

अध्ययन के प्रारंभिक और अंतिम चरणों में प्रश्नावली का उपयोग करके दो बार घरेलू सर्वेक्षण किए गए। इस अध्ययन में कुल घरों में से 75 प्रतिशत से अधिक को शामिल किया गया था। पिछले सर्वेक्षण में, डेटा एकत्र करने के लिए लगभग समान प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अनुसंधान अवधि के दौरान व्यक्तिगत उपलब्धि पर कुछ नए प्रश्न, स्वच्छता और स्वस्थता पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता और शोध अवधि के पूरा होने के बाद भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव जोड़े गए।

अध्ययन क्षेत्र:

मिजोरम के लुंगलेई जिले के पुकपुई गांव में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में एक समुदाय आधारित कार्य अनुसंधान या इंटरवेंशनल अध्ययन किया गया। अध्ययन जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक किया गया

था। इस अध्ययन में गाँव के सभी परिवारों को सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि अनुसंधान की शुरुआत में बड़े पैमाने पर समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी निर्धारित की जानी थी, और हस्तक्षेप के कारण प्रेरक पहलू और उपलब्धि शोध के प्रभाव के बारे में जानने के लिए अंतिम सर्वेक्षण में मूल्यांकन किया जाना था।

गाँव के बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार इस गाँव में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 450 है, और कुल जनसंख्या लगभग 2100 है। छह स्कूल हैं, अर्थात् तीन प्राथमिक विद्यालय, दो मध्य विद्यालय और एक उच्च विद्यालय। उपलब्ध सामुदायिक संपत्ति और सुविधाएं एक सामुदायिक हॉल, एक वीसी हाउस सह बीएनआरजीएसके हॉल, एक बाजार शेड, पांच आंगनवाड़ी केंद्र और एक स्वास्थ्य उप-केंद्र हैं। नब्बे प्रतिशत घरों में पहले से ही पाइप के पानी के कनेक्शन का लाभ उठाया जा चुका है।

अध्ययन क्षेत्र पुकपुई गाँव है, जो लुंगलेई शहर के उत्तर में स्थित है, जो शहर के केंद्र से लगभग 7 किमी दूर है। हालांकि यह लुंगलेई शहर की परिधि पर स्थित है, इसकी एक अलग ग्राम परिषद (स्थानीय सरकार) है। अतः यह क्रियात्मक शोध इसे एक इकाई या ग्राम के रूप में लेता है। आइजोल शहर के बाद लुंगलेई मिजोरम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह दक्षिणी मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 57,011 है।

निष्कर्ष :

प्राप्त परिणामों को तीन व्यापक वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पहले खंड में गाँव, सर्वेक्षण किए गए परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उनके मुख्य व्यवसाय और औसत वार्षिक आय के बारे में सामान्य जानकारी थी। तीन प्रतिशत एएवाई (एएवाई-कवर परिवार) के थे, जबकि 52 प्रतिशत और 45 प्रतिशत क्रमशः बीपीएल और एपीएल समूहों के थे। दी गई तीन श्रेणियों में बीपीएल की जनसंख्या सबसे अधिक है। अधिकांश निवासी कृषि में लगे हुए थे, और बाद में महत्वपूर्ण व्यवसाय सरकारी सेवा था। प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 50001 से रु. 1,00,000 रुपये के आय समूह में आते हैं।

दूसरा खंड स्वच्छता और स्वस्थता पद्धतियों में सर्वेक्षण किए गए परिवारों की स्थिति, स्वच्छता और स्वस्थता के बारे में उनकी जागरूकता का स्तर और समुदाय के लिए स्वैच्छिक सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी थी। प्राप्त परिणामों की संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:

कूड़ेदान, शौचालय की सुविधा और पीने का पानी

स्वच्छता और साफ-सफाई पर एक प्रशिक्षण के सभी प्रतिभागियों को घरेलू उपयोग के लिए लगभग 30 प्लास्टिक कूड़ेदान वितरित किए गए। सर्वेक्षण किए गए सभी परिवारों के पास अनुसंधान अवधि के अंत तक कम से कम एक से आठ कूड़ेदान होंगे।

एकत्र किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से, **67.37** प्रतिशत में स्वच्छ शौचालय थे, जबकि **32.6** प्रतिशत अस्वच्छ शौचालयों (गड्डे वाले शौचालय) पर निर्भर थे। ऐसे घर थे जिनमें एक से अधिक स्वच्छ शौचालय थे - **52** परिवारों में दो शौचालय थे, और **11** परिवारों में तीन शौचालय थे। पीने के पानी की आपूर्ति के संबंध में, सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से **97.2** प्रतिशत सरकारी पाइप जलापूर्ति से लाभान्वित हुए, कुल सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से **345** परिवारों के पास पर्याप्त पीने का पानी है, और केवल **16** परिवारों के पास सीमित पानी की आपूर्ति है। यह डेटा इंगित करता है कि जल आपूर्ति को संबोधित करने के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है।

कूड़ा करकट और सामुदायिक कूड़ादान के निपटान की विधि

एकत्र किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि **153** परिवारों ने उचित खाद गड्डे के बिना एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने बागानों की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने रसोई घर के कचरे को अपने बगीचे में फेंक दिया। प्रारंभिक सर्वेक्षण में **25** परिवारों की तुलना में अंतिम सर्वेक्षण में, **85** परिवारों ने कचरे के अपघटन के लिए एक निजी कंपोस्ट पिट होने की सूचना दी। पास के जंगल में अपना कचरा फेंकने वाले परिवारों की संख्या **141** परिवारों से घटकर **29** रह गई। इसके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जागरूकता अभियानों में जलते हुए मलबे को प्रोत्साहित नहीं किया गया; फाइनल सर्वे में सिर्फ **11** परिवार कूड़ा जलाते पाए गए।

पूरे गांव में लगभग साठ सामुदायिक कूड़ेदान उपलब्ध थे। परियोजना निधि से नौ और कूड़ेदान जोड़े गए; उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए विशिष्ट स्थानों पर रखा गया था। समुदाय ने इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया।

घरेलू पशुओं का पालन-पोषण

परियोजना गांव में, **35.24** प्रतिशत कम से कम सुअर, मुर्गी या कुत्ते को पालते हैं। सबसे आम जानवर सुअर और मुर्गे हैं। अच्छी संख्या में परिवारों (**19** प्रतिशत) के पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ते थे। हालांकि मिजोरम में कुत्तों की आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि जहां तक हम पूछताछ कर सकते हैं, कोई आवारा कुत्ते बिना मालिक के नहीं हैं। दो परिवारों को छोड़कर, जो अपने पशुओं को गांव के बाहर रखने में कामयाब रहे, केवल **3-4** मीटर की दूरी पर उनके घरों के बगल में पशु घर बनाए गए थे। अध्ययन के अंत तक पशु घरों की सफाई की आवृत्ति सभी मापदंडों में बढ़ गई थी, जैसे हर दिन, हर दो दिन, हर तीन दिन, हर हफ्ते और महीने में एक बार। प्रारंभिक सर्वेक्षण में दर्ज **63** परिवारों में से **32** परिवारों का कोई जवाब नहीं या पशु आश्रयों की बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई।

अध्ययन अवधि के दौरान जागरूकता पैदा करने की धारणा

साठ-सत्तर प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य ने कार्य अनुसंधान से संबंधित समुदाय के लिए आयोजित स्वच्छता और साफ-सफाई पर प्रशिक्षण या जागरूकता अभियानों में भाग लिया। 89 प्रतिशत ने कहा कि वे अपने गांव को कवर करने वाली सामुदायिक स्वच्छता और साफ-सफाई पर ईटीसी द्वारा शुरू की गई परियोजना से अवगत हैं। 97 प्रतिशत ने कहा कि वे प्रेरित हैं और स्वच्छता पद्धतियों को जारी रखने के इच्छुक हैं। 67 प्रतिशत ने कहा कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए निरंतर जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है; सामाजिक कार्यों के महत्व और स्वच्छता प्रथाओं में व्यक्तियों के प्रयासों को समान भार (10 प्रतिशत) दिया जाता है।

स्वैच्छिक सामाजिक कार्य

प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से 93.55 प्रतिशत पहले से ही हस्तक्षेप और प्रशिक्षण से पहले ही स्वैच्छिक ग्राम स्वच्छता कार्यों, अपने घरों के पास गलियों और नालियों की सफाई में शामिल थे। हालांकि उन्होंने स्वैच्छिक सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपने समुदाय की स्वच्छता में योगदान दिया है, पचहत्तर प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अभी भी राय दी है कि उन्होंने अपने समुदाय के लिए पर्याप्त सामाजिक सेवाएं प्रदान नहीं की हैं। अंतिम सर्वेक्षण में, सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अनुसंधान अवधि के बाद भी स्वामित्व की गहरी भावना के साथ समुदाय के लिए स्वैच्छिक सामाजिक कार्य जारी रखने के इच्छुक थे।

तीसरा खंड सामुदायिक स्वच्छता और साफ-सफाई, सुधार और सुझावों के बारे में उनकी राय थी।

प्रारंभ में, 78.26 प्रतिशत (288) ने कहा कि गाँव आंशिक रूप से स्वच्छ है, और सभी उत्तरदाता अपने गाँव की स्वच्छता के लिए काम करने के इच्छुक थे।

घरेलू स्तर पर रिपोर्ट किए गए सुधारों में शौचालय को साफ रखना, शौचालय का निर्माण, पशु आश्रयों की नियमित सफाई, कचरे की छंटाई, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन की खपत, रसोई के बर्तनों को साफ रखना, सुरक्षित और पीने योग्य पानी पीना, व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार शामिल हैं। विस्तर साफ रखना, घर में सजावट के लिए फूल रखना।

निष्कर्ष

अध्ययन की शुरुआत में आयोजित एफजीडी में, यह पता चला कि गाँव को वाईएमए द्वारा तीन वर्गों में अच्छी तरह से सीमांकित किया गया था। इससे ग्राम प्रशासन और सामाजिक कार्यों में सुविधा हुई। सभी एनजीओ के नेता विभिन्न स्वैच्छिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे। गांव के लिए कोई उचित डंपिंग

ग्राउंड नहीं था, और कोई कचरा वाहन उपलब्ध नहीं था। लोग अपने परिवार के कचरे का प्रबंधन खुद करते थे। लेकिन अध्ययन के अंत तक, सरकार ने सप्ताह में एक बार कचरा वाहन सेवा की व्यवस्था की और लगभग 50 प्रतिशत परिवारों ने इस सेवा का लाभ उठाया। स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर बहुत कम था। एनजीओ के नेताओं और गांव के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक कूड़ेदान लगाकर, सार्वजनिक मूत्रालयों का निर्माण करके और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में सार्वजनिक घोषणा करके स्वैच्छिक सामाजिक कार्य के माध्यम से सामुदायिक स्वच्छता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। परियोजना से मौजूदा 60 में नौ और सामुदायिक कचरा डिब्बे जोड़े गए।

बच्चों और वयस्कों द्वारा पालन की जाने वाली अच्छी पद्धतियों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। घर पर सीखने के अलावा, स्कूल और चर्च सीखने के केंद्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करने के लिए फूल या झाड़ियाँ लगाने की सिफारिश की जाती है। इस प्रयास में बांछित लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाना होना चाहिए। पर्याप्त पानी की आपूर्ति के बावजूद, सामान्य रूप से स्वच्छता के प्रति उनका दृष्टिकोण, और समग्र रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता का स्तर चुनौतियाँ हो सकती हैं। अधिक परिवारों को कचरा परिवहन के लिए कचरा वाहनों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

उत्तरदाताओं का मत था कि जागरूकता सृजन निरंतर आधार पर की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसलिए, समुदाय द्वारा निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

जिन घरों में किचन गार्डन है या बायोडिग्रेडेबल रसोई कचरे के प्रबंधन के लिए उपयुक्त जगह है, उनके लिए एक उचित खाद गड्ढे की सिफारिश की जाती है। समुदाय के लिए अगला बड़ा कदम घरेलू पशुओं को रखने के लिए गांव के बाहर उपयुक्त भूमि को नामित करना और कुछ अधिनियमों और नियमों को लागू करके पशुओं को प्रतिबंधित करना है।

प्रमुख एनजीओ के नेताओं और एक समान लक्ष्य वाले ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन (जी) के कार्यान्वयन के कारण, भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक सामान्य हित और केंद्रित विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी प्रथाओं के आदी होने के लिए समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इस शोध कार्य के निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है।